

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DTATE	SIGNATURE

नागरिकशास्त्र के सिद्धान्त


33791

लेखक

'सत्यकेतु विद्यालंकार टी लिट् (पेरिस)

(मगलाप्रसाद पारितोषिक विजेता)

U. G. C. TEXT BOOKS



प्रकाशक

सरस्वती सदन, मसूरी

प्रकाशक
‘सरस्वती सदन,
मसूरी (उत्तर प्रदेश)

द्वितीय संशोधित संस्करण १९६१

मुद्रक
श्री गोपीनाथ सेठ
नवीन प्रस, दिल्ली

प्रस्तावना

नागरिकशास्त्र एक अत्यन्त उपयोगी विज्ञान है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है, और समाज में रहकर ही अपनी उन्नति करता है। अतः उसके लिए यह जानना बहुत आवश्यक है, कि सामाजिक जीवन में कौन-कौन से विविध रूप हैं, और उनके प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं। परिवार, ग्राम, नगर, राज्य आदि मनुष्य के सामाजिक जीवन के भिन्न भिन्न रूप हैं। उनका अग्र होने के कारण मनुष्य को जहाँ अनेक अधिकार प्राप्त होने हैं, वहाँ उनके प्रति उसके अनेक कर्तव्य भी हो जाते हैं। अपने इन कर्तव्यों और अधिकारों को जाने बिना मनुष्य न अपनी वैयक्तिक उन्नति कर सकता है, और न दूसरों की उन्नति में हाथ ही बँटा सकता है। नागरिकशास्त्र मनुष्य के इन्हीं कर्तव्यों और अधिकारों का प्रतिपादन करता है और साथ ही यह भी बताता है कि समाज में रहते हुए मनुष्य को अपना व्यवहार व आचरण किस प्रकार का रखना चाहिए। इसी कारण नागरिकशास्त्र का अध्ययन सबके लिए बहुत उपयोगी और आवश्यक है।

स्वराज्य की स्थापना के बाद भारत के विद्यार्थियों के लिए नागरिकशास्त्र का अध्ययन करना और भी अधिक आवश्यक हो गया है। सदियों की गुलामी के बाद भारत अब स्वतन्त्र हुआ है, और हम लोगों को यह अवसर मिला है कि हम अपने देश की उन्नति कर सकें। यह उन्नति तभी सम्भव है, जबकि भारत के सब निवासी अपने कर्तव्यों को समझें, और उनके पालन के लिए कटिबद्ध हो जाएँ। हमारे सामाजिक जीवन के विविध रूप कौन से हैं, राज्य को मनुष्य के सामुदायिक जीवन का सर्वोत्कृष्ट रूप क्या माना जाता है, राज्य का क्या प्रयोजन है लोकतन्त्र शासन प्रणाली क्यों उपयोगी है और उसे किस प्रकार सफल बनाया जा सकता है—इन सब बातों को जाने बिना हम स्वतन्त्र भारत के प्रति अपने कर्तव्यों का कदापि पालन नहीं कर सकते। भारत की स्वतन्त्रता तभी स्थायी होगी और हमारा देश तभी उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकेगा, जबकि भारत के सब नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होगा और वे अपने अधिकारों की रक्षा करने और कर्तव्यों के पालन के लिए जागरूक और कटिबद्ध होंगे।

आज जो बालक हैं, देश की बागडोर कल उन्हीं के हाथों में होगी। इस कारण विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे उन सब बातों का भली भाँति ज्ञान प्राप्त कर लें, जो उन्हें भारत का उत्तम नागरिक बनने में सहायक होंगी।

यह पुस्तक विद्यार्थियों के लिए ही लिखी गई है। उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट बोर्ड, और राजस्थान, बिहार, मध्यप्रदेश आदि के शिक्षा बोर्डों ने एफ० ए० व हायर सेनेण्डरी बक्षामों के लिए नागरिकशास्त्र का जो नया पाठ्यक्रम तैयार किया है, उसी के अनुसार इस पुस्तक को लिखा गया है। यह ध्यान में रखा गया है, कि पुस्तक की भाषा सरल हो और विषय के प्रतिपादन का ढंग रुचिकर हो। मुझे विश्वास है, कि विद्यार्थी इस पुस्तक को उपयोगी पाएँगे और इससे "नागरिकशास्त्र" का यथोचित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

सत्यकेतु विशालकार

विषय-सूची

पहला अध्याय—नागरिकशास्त्र और उसका क्षेत्र

६

मनुष्य और समाज, नागरिकशास्त्र का प्रयोजन, नागरिकशास्त्र का अर्थ, नागरिकशास्त्र का लक्षण, सामाजिक विज्ञान और नागरिकशास्त्र, नागरिकशास्त्र का क्षेत्र, नागरिकशास्त्र विज्ञान है या दर्शन, नागरिकशास्त्र के अध्ययन की विधि, नागरिकशास्त्र के अध्ययन के लाभ ।

दूसरा अध्याय—अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ नागरिकशास्त्र का सम्बन्ध

२१

नागरिकशास्त्र और राजनीतिशास्त्र, नागरिकशास्त्र और समाजशास्त्र, नागरिकशास्त्र और इतिहास, नागरिकशास्त्र और अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र और भूगोल, नागरिकशास्त्र और नीतिशास्त्र, नागरिकशास्त्र और मनोविज्ञान ।

तीसरा अध्याय—सामाजिक जीवन

२८

समाज का अभिप्राय, समाज के आवश्यक तत्व, समाज और समुदाय, समाज का लक्षण, समाज की आवश्यकता, व्यक्ति और समाज का सम्बन्ध ।

चौथा अध्याय—विविध प्रकार के समुदाय

३६

समुदायों का वर्गीकरण, स्थायी और अस्थायी समुदाय, अनिवार्य और ऐच्छिक समुदाय, प्रभुत्व सम्पन्न और प्रभुत्वहीन समुदाय । उद्देश्य की दृष्टि से समुदायों का वर्गीकरण । सजातता पर आधारित समुदाय, कुटुम्ब द्वारा सीखे जाने वाले गुण, कुटुम्ब की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें, कुल, कबीला, जाति । धर्म के आधार पर निर्मित समुदाय, व्यक्ति का धार्मिक समुदाय से सम्बन्ध, धर्म और सामाजिक जीवन । धार्मिक हितों पर आधारित समुदाय, धार्मिक समुदायों के लाभ और हानियाँ । मानवृत्तिक समुदाय । राजनीतिक सम्बन्धों पर आश्रित समुदाय ।

पाँचवाँ अध्याय—राज्य

५५

राज्य की आवश्यकता, राज्य और अन्य समुदायों में भेद, राज्य के आवश्यक तत्व, राज्य का अभिप्राय, राज्य का लक्षण, राज्य और राष्ट्र में भेद, राज्य और देश ।

छठा अध्याय—राज्य और व्यक्ति

६७

राज्य और व्यक्ति के सम्बन्ध-विषयक सिद्धान्त । सावयव सिद्धान्त, राज्य को शरीर के समान मानने के परिणाम, सावयव सिद्धान्त की आलोचना, मदिदा सिद्धान्त, राज्य और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, व्यक्ति और राज्य के सम्बन्ध के कारण उत्पन्न होने वाले कुछ प्रश्न ।

सातवाँ अध्याय—प्रभुता

७४

प्रभुता का अभिप्राय, प्रभुता का लक्षण, प्रभुता की विशेषताएँ, प्रभुता के विविध रूप, नाममात्र प्रभुता, राजनीतिक और कानूनी प्रभुता, जनता की प्रभुत्वशक्ति, तथ्य और विधानत प्रभुता, क्या प्रभुता सीमित होती है ।

आठवाँ अध्याय—कानून

८२

कानून का अभिप्राय, कानून की आवश्यकता, कानून के स्रोत—परम्परागत प्रथाएँ, धर्म, व्यवस्थापन, न्यायसम्बन्धी निर्णय, वैज्ञानिक टीकाएँ, औचित्य । कानून के विविध प्रकार, कानून और नैतिकता, अच्छे और बुरे कानून, कानून और व्यक्ति, कानून का पालन और दण्ड, दण्डविषयक सिद्धान्त ।

नवाँ अध्याय—स्वतन्त्रता

९३

क्या राज्य और स्वतन्त्रता परस्पर विरोधी हैं ? स्वतन्त्रता और उच्छ्वलता, स्वतन्त्रता का लक्षण, स्वतन्त्रता के विविध प्रकार, राज्य द्वारा स्वतन्त्रता की रक्षा, स्वतन्त्रता और कानून, स्वतन्त्रता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ ।

दसवाँ अध्याय—समानता

१००

समानता का अभिप्राय, समानता का लक्षण, समानता के विविध प्रकार—सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, नागरिक समानता, आर्थिक समानता, सांस्कृतिक समानता । समानता और स्वतन्त्रता ।

ग्यारहवाँ अध्याय—अधिकार और कर्तव्य

१०७

अधिकार का अभिप्राय, अधिकारों का विभाग—नैतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, राजनीतिक अधिकार । नागरिकों के प्रमुख अधिकार, भारत के नये मन्त्रिपरिषद् में स्वीकृत आयरभूत अधिकार, भारत के नये मन्त्रिपरिषद् में राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धान्त । कर्तव्य का अभिप्राय, कर्तव्य के क्षेत्र, राज्य के प्रति कर्तव्य ।

- बारहवाँ अध्याय—राज्य की उत्पत्ति के विषय में विविध सिद्धान्त १२६
 शक्ति सिद्धान्त, दैवी सिद्धान्त, सामाजिक सविदा का सिद्धान्त—
 हॉब्स, लॉक और रूसो, सविदा सिद्धान्त की आलोचना, विकासवादी
 सिद्धान्त, राज्यसंस्था के विकास में सहायक तत्व ।
- तेरहवाँ अध्याय—राज्य का कार्यक्षेत्र १३६
 व्यक्तिवाद, उग्र और सयत व्यक्तिवादी, व्यक्तिवाद के मुख्य
 मन्तव्य, व्यक्तिवाद की आलोचना, समाजवाद, समाजवादी व्यवस्था,
 समाजवाद की आलोचना, समाजवाद का भविष्य, राज्य के कार्यक्षेत्र के
 सम्बन्ध में आदर्शवादी सिद्धान्त, राज्य के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में आधु-
 निक सिद्धान्त ।
- चौदहवाँ अध्याय—लोकहितकारी राज्य का विचार १४६
 राज्य के अनिवार्य कार्य, राज्य के लोकहितकारी कार्य ।
- पन्द्रहवाँ अध्याय—सरकार के भेद व प्रकार १५४
 राज्य और सरकार, राज्यों के विविध भेद, अरिस्टोटल का
 वर्गीकरण, वर्तमान समय में सरकार के वर्गीकरण के आधार, सरकार
 के विविध भेद, एकतन्त्र सरकार के विविध प्रकार, श्रेणितन्त्र के विविध
 प्रकार, लोकतन्त्र के विविध प्रकार, आधुनिक सरकारों का वर्गीकरण ।
- सोलहवाँ अध्याय—विविध शासन-पद्धतियों के गुण और दोष १६०
 एकतन्त्र शासन के गुण, एकतन्त्र शासन के दोष, श्रेणितन्त्र
 शासन के गुण, श्रेणितन्त्र शासन के दोष, लोकतन्त्र शासन के गुण,
 लोकतन्त्र शासन के दोष, लोकतन्त्र पर लाई ब्राइस की सम्मति, लोक-
 तन्त्र शासन की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें तानाशाही का उदय,
 वर्तमान युग में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र शासन ।
- सत्रहवाँ अध्याय—एकात्मक और सबर्गात्मक शासन १७३
 एकात्मक और सबर्गात्मक सरकारों का अभिप्राय, एकात्मक
 और सबर्गात्मक शासन में अन्तर, सबर्गात्मक शासन के प्रयोजन, सबर्गात्मक शासन
 के लिए आवश्यक शर्तें, एकात्मक शासन के गुण, एकात्मक शासन के
 दोष, सबर्गात्मक शासन के गुण, सबर्गात्मक शासन के दोष, सबर्गात्मक शासन
 का भविष्य ।
- अठारहवाँ अध्याय—मन्त्रिमण्डल के अधीन शासन और राष्ट्रपति के
 अधीन शासन १८०
 मन्त्रिमण्डल के अधीन शासन, राष्ट्रपति के अधीन शासन,

मन्त्रिमण्डल के अधीन शासन के गुण और दोष, राष्ट्रपति के अधीन शासन के गुण और दोष, उत्तम शासन पद्धति की परख ।

द्वितीय सर्वा अध्याय—राज्य का संविधान

१८७

संविधान की आवश्यकता, संविधान का अभिप्राय, संविधानों के भेद व प्रकार—विकसित और विहित, लिखित और अलिखित, सुपरिर्वर्तनीय और दुष्परिर्वर्तनीय, दुष्परिर्वर्तनीय संविधानों के गुण और दोष, सुपरिर्वर्तनीय संविधानों के गुण और दोष, संविधान के आवश्यक अंग ।

तृतीय सर्वा अध्याय—राजशक्ति के पृथक्करण का सिद्धान्त

१८५

राजशक्ति के तीन रूप सरकार के तीन अंग, राजशक्ति के पृथक्करण का सिद्धान्त, मानस्वयं, राजशक्ति के तीन विभाग हैं या कम अधिक, राजशक्ति के पृथक्करण सिद्धान्त की आलोचना, सरकार में श्रम विभाग, नियन्त्रण और अनुमति का सिद्धान्त ।

चतुर्थ सर्वा अध्याय—सरकार का व्यवस्थापन विभाग

२०२

व्यवस्थापन विभाग के कार्य, व्यवस्थापन विभाग का संगठन, द्विमदनात्मक पद्धति के पक्ष विपक्ष में युक्तियाँ, द्विमदनात्मक पद्धति का उपयोग, व्यवस्थापन विभाग की अवधि, निर्वाचक लोग, वयस्क मताधिकार के लाभ और हानियाँ, वयस्क मताधिकार की लोकप्रियता, स्त्रियों को मताधिकार, निर्वाचन का ढंग, निर्वाचन की विविध पद्धतियाँ, अल्पसंख्यक लोगों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न, अनुयायी प्रतिनिधित्व की पद्धति, सूची पद्धति, एकत्रीभूत मन पद्धति, प्रत्यक्ष और परोक्ष निर्वाचन, पृथक् निर्वाचन पद्धति, विविध जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखकर सुगुप्त निर्वाचन पद्धति आदर्श निर्वाचन पद्धति ।

पाँचवाँ सर्वा अध्याय—लोकमत और राजनीतिक दल

२२०

लोकमत का महत्व, लोकमत किसे कहते हैं, लोकमत के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, लोकमत का निर्माण करने व उसे प्रकट करने के साधन, राजनीतिक दल, राजनीतिक दलों के संगठन का आधार, राजनीतिक दलों के कार्य, राजनीतिक दलों से हानियाँ, राजनीतिक दलों के लाभ, दो दल या बहुत से दल ।

छठवाँ सर्वा अध्याय—सरकार का शासन विभाग

२३२

नाम मात्र शासक, राजनीतिक शासक और उसका व्यवस्थापन विभाग में सम्बन्ध, शासन विभाग के कार्य, शासन विभाग के कार्य की अवधि, प्रशासक वर्ग या सिविल सर्विस ।

छीबीसवाँ अध्याय—सरकार का न्याय विभाग

- २३६

न्याय विभाग के कार्य, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन-सी पद्धति सर्वोत्तम है, न्यायाधीशों का कार्यकाल, न्याय विभाग का सङ्गठन, भारत में न्याय विभाग का सङ्गठन ।

पचचीसवाँ अध्याय—स्थानीय स्वशासन

२४३

स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता, स्थानीय स्वशासन के लाभ, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ—ग्राम पंचायत, नगरो की कमेटियाँ, जिला बोर्ड, इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के मुख्य कार्य, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की आमदनी ।

छब्बीसवाँ अध्याय—नागरिकता

२४६

नागरिक का अभिप्राय, नागरिक और परदेशी में भेद, नागरिक और मतदाता, नागरिकता की प्राप्ति, कानून द्वारा नागरिकता की प्राप्ति देशीयकरण नागरिकता का छिन जाना, नागरिकता में वचित व्यक्ति, भारत के नागरिक, उत्तम नागरिक के आवश्यक गुण, उत्तम नागरिकता के मार्ग में बाधाएँ, इन बाधाओं को दूर करने के उपाय, वर्तमानपिच्छा में परस्पर विरोध और सामंजस्य सामाजिक सामंजस्य और सन्कृति ।

सत्ताईसवाँ अध्याय—नागरिक आदर्श

२६६

नागरिक आदर्श और उनके परिणाम, राष्ट्रीयता, राष्ट्रियता के तत्व, भारत की राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रवाद व स्वभाष्य निर्णय का सिद्धान्त, राष्ट्रवाद का विरोध, राष्ट्रवाद का समर्पण, राष्ट्रियता के अधिकार, देशभक्ति, अन्तर्राष्ट्रीयता ।

अठ्ठाईसवाँ अध्याय—अन्तर्राष्ट्रीयता और विश्व सरकार का विचार २८०

अन्तर्राष्ट्रीयता का अभिप्राय, अन्तर्राष्ट्रीयता का विकास, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, राजनीतिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विविध प्रयत्न, राष्ट्र सच, संयुक्त राज्य-सच, संयुक्त राज्यमण की कमियाँ, अन्तर्राष्ट्रीयता का भविष्य, विश्व सरकार का विचार, विश्व सरकार की स्थापना में बाधाएँ, पंचशील का सिद्धान्त, नागरिकता का चरम आदर्श ।

पहला अध्याय ✓

नागरिकशास्त्र और उसका क्षेत्र

(Meaning of Civics and its Scope)

मनुष्य और समाज

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह ससार में अकेला आता है, पर अकेले रहकर जीवन नहीं बिताता। उसका पालन पोषण समाज में होता है, और बड़ा होकर वह समाज में ही रहता है। इसीलिए उसके अच्छे-बुरे कामों का दूसरों पर भी असर पड़ता है। एक आदमी ने केला खाया और उसके छिलके को सड़क पर फेंक दिया, किसी अन्य मनुष्य का पैर उस पर पड़ गया, और वह गिर पड़ा। गाँव के लोग कुएँ व तालाब का पानी पीते हैं। किसी घर में कोई आदमी हैजे से बीमार पड़ा। उसके घरवाले बीमार के कपड़े धोने तालाब पर गये। परिणाम यह हुआ कि हैजे के कीटाणुओं से तालाब का पानी विपाक हो गया। जिन लोगों ने उस पानी को पिया, वे बीमार हो गये और सारे गाँव में हैजा फैल गया। क्योंकि हम समाज में रहते हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि हमारे कामों का असर दूसरों पर भी पड़े। यदि हम गाँव या शहर में न रहकर जंगल में अकेले रहते, तो हम जहाँ चाहे केले के छिलके फेंकते, जहाँ चाहे अपने मँले कपड़े धोते। पर क्योंकि हम समाज में रहते हैं, अन्य बहुत से आदमी हमारे साथ निवास करते हैं, अतः हमें यह सोचना पड़ता है कि हम कोई ऐसा कार्य न करें, जिससे दूसरों को नुकसान पहुँचे। हमें यह सोचने की आवश्यकता होती है, कि हम अन्य लोगों के साथ किस प्रकार का बतवि करे और किस प्रकार उनके साथ मिल-जुलकर रहे।

क्योंकि मनुष्य अन्य बहुत-से मनुष्यों के साथ मिलकर रहता है, इसी कारण उसे 'सामाजिक प्राणी' (Social being) कहा गया है। मनुष्य की सामाजिकता के दो कारण हैं—

(१) यह मनुष्य का स्वभाव है, कि वह समाज में रहे। जैसे चलना, विचार करना और वाणी द्वारा अपने विचारों को प्रकट करना मनुष्य की प्रकृति (Nature) है, वैसे ही अकेले न रहकर समुदाय बनाकर रहना भी मनुष्य की प्रकृति है।

(२) जीवन की आवश्यकताएँ भी मनुष्य को इस बात के लिए विवश करती हैं, कि वह समुदाय में संगठित हो। अकेला रहता हुआ मनुष्य न अपनी रक्षा कर

सकता है और न जीवन की आवश्यकताओं को ही पूरा कर सकता है। कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन आदि की उन्नति कर उत्कृष्ट प्रकार के जीवन को बिता सकने का प्रश्न तो समाज के अभाव में उत्पन्न ही नहीं होता।

इसमें संदेह नहीं, कि समाज में रहने के कारण मनुष्य अपने जीवन को बहुत सुखी, सम्पन्न व समृद्ध बना सका है। पर जब हम समाज में रहते हैं, तो हम पर बहुत-सी जिम्मेदारियाँ भी आ जाती हैं, हमारे बहुत-से कर्तव्य भी हो जाते हैं। हमें पग-पग पर यह सोचना पड़ता है कि हमारे कर्तव्यों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी दृष्टि से हमें अपने कर्तव्यों को नियन्त्रित व मर्यादित करने की आवश्यकता होती है।

समाज में रहने के कारण यह भी स्वाभाविक है, कि हमारा दूसरों से अनैक बातों के सम्बन्ध में मध्यम हो। इस सघर्ष के प्रधान कारण निम्नलिखित होने हैं—

(१) यह सम्भव है, कि एक आदमी की किसी इच्छा से दूसरे के हित में बाधा उत्पन्न होनी हो। दो आदमियों के मकान एक-दूसरे के पड़ोस में हैं। उनमें से एक आदमी अपने मकान को तिमजिला करना चाहता है, जिसके कारण दूसरे आदमी के मकान की हवा व रोशनी रुक जाती है। इस बात को लेकर उनमें झगडा प्रवश्य पैदा होगा।

(२) मनुष्यों की रुचि और विचार में भेद होता है। एक आदमी मास खाना पसंद करता है, उसे अपने घर पर मुर्गी या कबूतर को जिवह करने में कोई अनौचित्य अनुभव नहीं होता। पर उसी के पड़ोस में दूसरा आदमी ऐसा रहता है, जो अहिंसा को परम धर्म मानता है और जिसे मास की गंध तक से घृणा है। यह स्वाभाविक है इन दोनों पड़ोसियों में मास व हिंसा के प्रश्न पर मतभेद व झगडा हो।

(३) सब लोग एक धर्म के अनुयायी नहीं होते। भारत में हिन्दू लोग भगवान् की मूर्तियों की मंदिरों में प्रतिष्ठा करते हैं, और आरती उतार कर या अन्य विधि से उनकी पूजा करते हैं। जीतें और घण्टे-घडियाँ व शल बजाना, उनकी पूजा के आवश्यक अंग हैं। पर मुसलमान लोग एक अल्लाह में विश्वास रखते हैं और उसकी पूजा के लिए नमाज पढ़ते हैं। नमाज के समय वे किसी भी प्रकार की आवाज को सहन नहीं करते। यदि हिन्दुओं और मुसलमानों के धर्म स्थान समीप-समीप हो, तो आरती और नमाज के प्रश्न पर उनमें झगडा पैदा हो जाता है।

(४) मनुष्यों के आर्थिक हित भी एक-सदृश नहीं होते। कोई आदमी साहूकार का पेशा करता है, वह अधिक-से-अधिक सूद पर अपने रुपये को उधार देना चाहता है। कर्ज लेने वाला आदमी चाहता है, कि कम-से-कम सूद पर उसे रूपा मिल जाए। लेन-देन के सवाल पर प्रायः मनुष्यों में झगडे हो जाते हैं। इसी तरह जमींदार और किसान, मिल-मालिक और मजदूर, मकान-मालिक और फ़िरायेदार आदि में आर्थिक

प्रश्नों को लेकर भगड़े पैदा होत रहते हैं ।

(५) समाज में अनेक राज्य हैं । अधिक शक्तिशाली राज्यों में यह प्रवृत्ति होती है कि वे निर्बल राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लें, या किसी अन्य प्रकार से निर्बल राज्य में अपने कुछ विशेष अधिकार प्राप्त कर लें । यह प्रवृत्ति भी मनुष्यों में भगड़ो व युद्धों को जन्म देती है ।

इसी तरह के अन्य भी अनेक कारण हैं, जिनसे समाज में रहते हुए मनुष्यों में संघर्ष होने रहते हैं । इन संघर्षों के कारण मनुष्यों की उन्नति में रुकावट पैदा हो जाती है । इसलिए मनुष्य को यह सोचना पड़ता है, कि वह कोई ऐसी उपाय करे, जिनमें वह सबके साथ रहता हुआ शान्तिपूर्वक अपनी उन्नति में तत्पर रह सके ।

नागरिकशास्त्र का प्रयोजन—

क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है, और उमकी उन्नति, हित और कल्याण समाज पर निर्भर होने हैं, अतः उसके लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह समाज में जिन अन्य मनुष्यों के साथ रहता है, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करे । प्रत्येक मनुष्य निम्नलिखित समुदायों का अंग होता है —

(१) किसी परिवार का ।

(२) किसी ग्राम या नगर का ।

(३) किसी जाति व विरादरी का ।

(४) किसी धार्मिक सम्प्रदाय का ।

(५) आर्थिक क्षेत्र में भी उमका बहुत-से अन्य मनुष्यों के साथ सम्बन्ध होता है ।

(६) वह किसी राज्य का भी सदस्य होता है ।

(७) सम्पूर्ण मानव-समाज का भी वह अंग है ।

अब इतने विविध प्रकार के समुदायों का अंग व सदस्य होने के कारण मनुष्य के लिए यह आवश्यक हो जाता है, कि वह इनमें इस ढंग से रहे, जिससे अन्य लोगों के साथ उसका संघर्ष व भगड़ा न हो । क्योंकि इन समुदायों का अंग होने के कारण मनुष्य को अनेक प्रकार के लाभ पहुँचते हैं, इसलिए उनके प्रति उसके अनेक कर्तव्य भी हो जाते हैं । नागरिकशास्त्र हमें यही सिखाता है, कि हम जिन अन्य मनुष्यों के साथ निवास करते हैं, उनसे किन प्रकार का व्यवहार करे, जिन समुदायों के हम अंग हैं, उनके प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, विविध समुदायों के अंग होने के कारण हमारे क्या अधिकार हैं, और किस प्रकार हम अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक उन्नति कर सकने हैं ।

नागरिकशास्त्र का अर्थ—अंग्रेजी में नागरिकशास्त्र के लिए निविवस (CIVICS)

शब्द है। नागरिकशास्त्र शब्द अंग्रेजी के 'सिविक्स' का ही अनुवाद है। सिविक्स शब्द लैटिन भाषा के 'सिवितास' (Civitas) शब्द से बना है। लैटिन में 'सिवितास' का अर्थ है, नगर। प्राचीन समय में राज्य छोटे-छोटे हुआ करते थे। इन छोटे-छोटे राज्यों को प्राचीन ग्रीस में 'पोलिस', प्राचीन इटली में 'सिवितास' और प्राचीन भारत में 'जनपद' कहा जाता था। आजकल के ऐतिहासिक इन छोटे-छोटे राज्यों के लिये नगर-राज्य (City state) शब्द का प्रयोग करते हैं। प्राचीन समय में मनुष्यों का सामाजिक जीवन इन नगर-राज्यों में ही केन्द्रित रहता था। अतः नगर-राज्यों में केन्द्रित मनुष्यों के सामाजिक जीवन का जो शास्त्र अध्ययन करता हो, उसे सिविक्स कहा जाता था। आजकल के राज्य बहुत विशाल हैं। उनमें कितने ही प्रान्तों, जिलों, नगरों व ग्रामों का समावेश है। मनुष्य का सामाजिक जीवन किसी एक नगर-राज्य में केन्द्रित न रहकर इन बहुत से ग्रामों, नगरों, जिलों और विशालकाय राज्यों में केन्द्रित है। पर फिर भी पुरानी परम्परा के अनुसार मनुष्य के सामाजिक जीवन का अध्ययन करने वाले इस राज्य को 'नागरिकशास्त्र' (Civics) ही कहा जाता है।

नागरिकशास्त्र का लक्षण—विविध विद्वानों ने नागरिकशास्त्र का लक्षण विविध प्रकार से किया है। इस शास्त्र के अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिये इनमें से कुछ लक्षणा का यहाँ उल्लेख करना उपयोगी होगा। एक विद्वान् के अनुसार—
 “नागरिकशास्त्र उस विज्ञान को कहते हैं, जो कि सर्वोत्तम सामाजिक जीवन के लिये आवश्यक शर्तों के अन्वेषण का प्रयत्न करता है।”^१ एक अंग्रेज लेखक गाउल्ड (Gould) के अनुसार “नागरिकशास्त्र उन सत्वाओं, आदतों, कार्यों और भावना का अध्ययन है, जिसके द्वारा कोई स्त्री या पुरुष अपने कर्तव्यों का पालन करने और एक राजनीतिक समाज के सदस्य होने के कारण अपने को प्राप्त होने वाले लाभों को प्राप्त करने में समर्थ हो सके।”^२ डा० ई० एन० ह्याड्ट के अनुसार “नागरिकशास्त्र मानव ज्ञान की वह न्यूनाधिक उपयोगी शाखा है, जो नागरिक के साथ सम्बन्ध रखने वाले सब विषयों (सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, आर्थिक और धार्मिक) पर विचार करता है, चाहे ये विषय भूत काल के साथ सम्बन्ध रखने हों, चाहे वर्तमान काल के साथ और चाहे भविष्य काल के साथ, और चाहे ये स्थानीय

१. "Civics is the Science that seeks to discover the conditions of the best possible social life."

२. "Civics is the study of institutions, habits, activities and spirit by means of which a man or a woman may fulfil the duties and receive the benefits of membership of a political community."

हो, या राष्ट्रीय हो या सारे मानव समाज के साथ सम्बन्ध रखते हो।^१

इन विविध लक्षणों पर विचार करके हम निम्नलिखित परिणाम पर पहुँचते हैं—

(१) नागरिकशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय मनुष्य के जीवन की सामाजिकता है।

(२) मनुष्य का सामाजिक व सामुदायिक जीवन जिन विविध रूपों में प्रकट होता है, नागरिकशास्त्र उन सब पर विचार करता है। मनुष्य का सामुदायिक जीवन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक और धार्मिक क्षेत्रों में प्रकट होता है। इन सब पर विचार करना नागरिकशास्त्र का कार्य है।

(३) समाज में रहने के कारण मनुष्य के जो कर्तव्य व अधिकार होते हैं, नागरिकशास्त्र उन पर प्रकाश डालता है।

(४) अपनी सामाजिकता के कारण मनुष्य जो अनेक प्रकार के समुदाय बनाता है, उनमें 'राज्य' सर्वप्रधान व सबसे उत्कृष्ट है। नागरिकशास्त्र राज्य द्वारा प्रकट होने वाली मनुष्य की सामाजिकता पर विशेष रूप से विचार करता है।

सामाजिक विज्ञान और नागरिकशास्त्र—इस समय जितने भी विभिन्न ज्ञान व विज्ञान हैं, उन्हें हम स्थूल रूप से दो भागों में बाँट सकते हैं। एक व जो 'प्रकृति को अपना प्रतिपाद्य विषय बनाते हैं और दूसरे वे जो मनुष्य व मानव समाज का अनुशासन करते हैं। ससार की प्रत्येक सत्ता को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति भोग्य है, और पुरुष उसका भोक्ता है। प्रकृति में जो भी पदार्थ पाये जाते हैं, मनुष्य उनका अपने योगक्षेम के लिए प्रयोग करता है। इसके लिए आवश्यक है, कि वह उनके सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करे। इसी कारण उन विविध विज्ञानों व विद्याओं का विकास हुआ है, जिन्हें हम सामूहिक रूप से 'प्राकृतिक विज्ञान' कहते हैं। रसायन, भौतिकी, वनस्पतिशास्त्र, भूगर्भ विद्या आदि कितने ही ऐसे विज्ञान हैं जो प्रकृति के किसी एक अंग या भाग को लेकर उसका अध्ययन करते हैं।

इसी प्रकार मनुष्य को अपना प्रतिपाद्य विषय बनाकर भी अनेक विज्ञानों का विकास हुआ है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, और समाज में रहकर ही अपनी उन्नति करता है। उसका हित, सुख व कल्याण सामाजिक जीवन पर ही निर्भर करता है। अतः मनुष्य के साथ सम्बन्ध रखनेवाले इन विविध विज्ञानों का विषय मनुष्य न होकर मानव-समाज ही होता है। समाज में रहते हुए मनुष्य

१ "Civics is a more or less useful branch of human knowledge which deals with every thing (e g social, political, intellectual, economic or even religious aspects) relative to a citizen past, present and future, local, national and human

एक दूसरे के साथ अनेक प्रकार के सम्बन्ध रखते हैं। मनुष्यों के इन विविध प्रकार के सम्बन्धों को लेकर अनेक विज्ञानों का विकास हुआ है, जिन्हें सामूहिक रूप से 'सामाजिक विज्ञान' (Social Sciences) कहा जाता है।

जो विद्या मनुष्यों के आर्थिक सम्बन्धों पर विचार करती है, उसे 'अर्थशास्त्र' (Economics) कहते हैं। अन्य लोगों के साथ बरताव करते हुए मनुष्य यह सोचता है, कि क्या उचित व क्या अनुचित है। दूसरों के प्रति कौन सा व्यवहार उचित है, इसका प्रतिपादन करनेवाली विद्या को 'नीतिशास्त्र' (Ethics) कहते हैं। समाज में रहते हुए मनुष्य एक दूसरे के साथ राजनीतिक सम्बन्ध रखते हैं। वे राज्य रूपी राजनीतिक समुदाय के अंग होते हैं। मनुष्यों के राजनीतिक सम्बन्धों को प्रतिपादन करनेवाली विद्या 'राजनीतिशास्त्र' (Political Science) कहलाती है।

नागरिकशास्त्र भी एक सामाजिक विज्ञान ही है। समाज के अंग के रूप में मनुष्य किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करे, दूसरों के साथ किस प्रकार व्यवहार करे, अपने सामाजिक कर्तव्यों का किस प्रकार पालन करे, अन्य लोगों से किस प्रकार के बरताव की आशा करे—इन्हीं सब प्रश्नों पर नागरिकशास्त्र में विचार किया जाता है।

नागरिकशास्त्र का क्षेत्र (Scope)

मनुष्यों के सबसे उच्छृष्ट समुदाय या नगठन को राज्य कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य अनिवार्य रूप से किसी-न-किसी राज्य का सदस्य व अंग होता है। इसीलिए उसे 'नागरिक' कहते हैं। क्योंकि प्राचीन समय में राज्य बहुत छोटे-छोटे होते थे, उनका विस्तार एक नगर तक व उसके आसपास की भूमि तक ही होता था, इसीलिए उन्हें 'नगर-राज्य' कहते थे, और उनके सदस्यों को 'नागरिक' कहा जाता था। आजकल के राज्य बहुत बड़े व विस्तार हो गये हैं, पर पुरानी परम्परा का अनुसरण करते हुए अब तक भी उनके सदस्यों को 'नागरिक' ही कहा जाता है। नागरिक के रूप में मनुष्यों के जो अधिकार व कर्तव्य हैं, नागरिकशास्त्र मुख्यतया उन्हीं का प्रतिपादन करता है। इस दृष्टि से नागरिकशास्त्र और राजनीति शास्त्र का क्षेत्र एक-दूसरे में बहुत मिलाता जुलता है। राजनीति शास्त्र में मनुष्यों के राजनीतिक संगठन पर विचार किया जाता है। राज्यरूपी समुदाय में निवास करते हुए मनुष्य एक-दूसरे के साथ जिस सम्बन्ध से रहते हैं, राजनीतिशास्त्र उन पर प्रकाश डालता है। पर नागरिकशास्त्र का क्षेत्र इसकी अपेक्षा अधिक व्यापक है। मानव जीवन की वे सब बातें जिनका सम्बन्ध मनुष्य के सामुदायिक व सामाजिक जीवन के साथ है, नागरिकशास्त्र के क्षेत्र में आ जाती हैं। प्रत्येक मनुष्य किसी परिवार का सदस्य होता है, किसी जाति या निरादारी के साथ सम्बन्ध रखता है, किसी कारखाने, दफ्तर या फर्म में काम करके

अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, किसी धार्मिक सम्प्रदाय का सदस्य होता है, और किसी राज्य का अंग होता है। इन सब मनुष्यों द्वारा मनुष्य का सामुदायिक जीवन प्रकट होता है। परिवार के प्रति, जाति व विरादरी के प्रति, धार्मिक सम्प्रदाय के प्रति, कारखाने व दफ्तर आदि में काम करनेवाले अन्य लोगों के प्रति, अपने पड़ोस में निवास करनेवाले मनुष्यों के प्रति, राज्य के प्रति, और समाज के प्रति मनुष्य के क्या वर्तव्य है, और उनके साथ बरतते हुए उसे किस नीति का अनुसरण करना चाहिए— इन सब बातों पर नागरिकशास्त्र में विचार किया जाता है। इस शास्त्र द्वारा उन सब राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जिनके साथ मनुष्य के सामुदायिक जीवन का घनिष्ठ सम्बन्ध है।

इस प्रकार नागरिकशास्त्र का क्षेत्र राजनीति शास्त्र की अपेक्षा अधिक व्यापक है। उसका सम्बन्ध मनुष्य के सम्पूर्ण सामुदायिक व सामाजिक जीवन के साथ है। साथ ही, वह केवल मनुष्यों के वर्तमान सामुदायिक जीवन पर ही प्रकाश नहीं डालता, अपितु वह यह भी बताता है कि भूतकाल में मनुष्यों के सामुदायिक जीवन का क्या रूप था। किस प्रकार मनुष्य ने विविध प्रकार के समुदाय बनाकर अपने सामाजिक जीवन का विकास शुरू किया, और किस प्रकार धीरे-धीरे उन्नति करते हुए वह वर्तमान दशा को पहुँचा है। भूतकाल के सामाजिक जीवन का अध्ययन करके हमें यह ज्ञात होता है, कि मनुष्य ने पुराने समय में जिन समुदायों का संगठन किया था, उनमें क्या गुण व दोष थे। वर्तमान समय के समुदायों का अध्ययन करने से हम यह जान सकते हैं, कि उनमें क्या कमियाँ हैं, और उनके क्या गुण-दोष हैं। इस अध्ययन से हमें यह जानने में सहायता मिलती है, कि मनुष्य को अपनी भावी उन्नति के लिए किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य समाज द्वारा ही अपनी उन्नति कर सकता है, अतः इस अध्ययन का उसके हित, सुख व उत्कर्ष के लिये बहुत महत्त्व है।

नागरिकशास्त्र के क्षेत्र पर विचार करते हुए हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए, कि ज्यों-ज्यों मानव-सभ्यता का विकास होता जाता है, इस शास्त्र का क्षेत्र भी अधिक विस्तृत होता जाता है। पुराने समय में जब छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, मनुष्य का सामाजिक जीवन इन नगर-राज्यों में ही केन्द्रित रहता था। बाहरी दुनिया से उसका सम्बन्ध बहुत कम होता था। भारत में कोई नया धार्मिक गण्टो-लन शुरू हुआ या कोई नया आविष्कार हुआ, तो उसका असर फ्रांस, जर्मनी आदि दूरवर्ती देशों पर अधिक नहीं पड़ता था। पर विज्ञान की उन्नति के कारण अब मनुष्य ने देश और काल पर अदभुत विजय प्राप्त कर ली है। रेल, तार, रेडियो, टेलिफोन, हवाई जहाज आदि के आविष्कार ने विविध देशों को दूरी को बहुत कम कर दिया है। इसी कारण यदि कोरिया में गृहयुद्ध शुरू हो, गोआ में राष्ट्रीय स्वाधीनता का

आन्दोलन हो या रूस व अमेरिका में कोई नया आविष्कार हो, तो उसका असर सारे मसाल पर पड़ता है। इस समय मनुष्य का सामाजिक जीवन किसी ग्राम या नगर तक ही सीमित नहीं रह गया है, वह अब राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय रूप धारण कर चुका है। कुछ विचारक तो यह स्वप्न भी देखने लगे हैं, कि वह समय दूर नहीं है जब कि पृथिवी के सब देश एक राजनीतिक संगठन में संगठित हो जाएँगे।

नागरिकशास्त्र का क्षेत्र क्या है, इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं—

(१) नागरिकशास्त्र मनुष्य के सामुदायिक व सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है, यह सामुदायिक जीवन चाहे परिवार का हो, चाहे गाँव व नगर का हो, चाहे आर्थिक, धार्मिक व सांस्कृतिक क्षेत्र का हो, चाहे इस या सम्बन्ध राज्य से हो, और चाहे सारे सत्तार से हो।

(२) वर्तमान समय में मनुष्य का सामाजिक व सामुदायिक जीवन जिन विविध सस्याओं द्वारा प्रकट होता है, उन सबका अध्ययन करना नागरिकशास्त्र का कार्य है। परिवार, जाति, धार्मिक सम्प्रदाय, आर्थिक समुदाय, राज्य, अन्तर्राष्ट्रीय मण आदि कितनी ही सस्याएँ वर्तमान समय में विद्यमान हैं, जिनका अध्ययन नागरिकशास्त्र द्वारा किया जाता है।

(३) भूतकाल में मनुष्य के सामुदायिक जीवन का क्या रूप था, और धीरे धीरे विकास द्वारा वह किस प्रकार अपने वर्तमान रूप में आया, यह भी नागरिकशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र है।

(४) नागरिकशास्त्र इस प्रश्न पर भी विचार करता है, कि भविष्य में मनुष्य के सामुदायिक व सामाजिक जीवन का विकास किस दिशा में होना चाहिए।

नागरिकशास्त्र विज्ञान है या दर्शन—

हम अब तक नागरिकशास्त्र का उल्लेख एक विज्ञान के रूप में करते रहे हैं। पर अनेक विद्वानों के मत में इसे विज्ञान (Science) न बल्कर दर्शन (Philosophy) कहना अधिक उपयुक्त है। दर्शन हम उस शास्त्र को कहते हैं, जिसका आधार पर्यवेक्षण (Observation) व परीक्षण (Experiment) न होकर कल्पना व तर्क होता है। रम्यान एक विज्ञान है। उसमें हम पर्यवेक्षण व परीक्षण करके एक निश्चित सिद्धान्त निर्धारित कर सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बनता है, यह बात परीक्षण द्वारा सिद्ध की जा सकती है। इसी प्रकार रम्यान के अन्य सिद्धान्तों को भी परीक्षण द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। पर सामाजिक विज्ञानों के नियमों को इस ढंग से परीक्षणों द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, और न उनमें ऐसे नियम ही होते हैं, जो सब समयों में और सब दशाओं में सत्य हो। इसी कारण अनेक विद्वान्

सामाजिक विज्ञानों को विज्ञान के रूप में स्वीकार करने के विरुद्ध है।

इसमें सन्देह नहीं कि जिन अर्थों में रसायन, भौतिकी आदि विज्ञान हैं, उन अर्थों में नागरिकशास्त्र आदि सामाजिक विज्ञानों को विज्ञान नहीं माना जा सकता। इसके कारण निम्नलिखित हैं—

(१) भौतिक विज्ञान त्रिन त्रिपयों का अध्ययन करते हैं, उनके गुरु समय व स्थान के बदलने पर बदल नहीं जाते। आक्सीजन के गुरु जैसे प्राचीन काल में थे, वैसे ही अब भी हैं। अमेरिका और अफ्रीका में आक्सीजन के गुरु एक में ही पाये जाते हैं। पर मनुष्य का सामाजिक जीवन न सब समयों में एक सा रहना है, और न सब स्थानों पर ही एक सट्टा होता है।

(२) भौतिक विज्ञानों के परीक्षण प्रयोगशालाओं में किये जा सकते हैं। सामाजिक विज्ञानों के लिए कोई ऐसी प्रयोगशालाएँ नहीं बनायी जा सकतीं, जिनमें यन्त्र आदि की सहायता से किसी निश्चित परिणाम पर पहुँचा जा सके।

भौतिक विज्ञानों और नागरिकशास्त्र में ये भेद होते हुए भी यह मानना होगा कि नागरिकशास्त्र में भी पर्यवेक्षण और परीक्षण की गुंजाइश है। विविध राष्ट्रों व समुदायों के संगठन आदि का ध्यान में अवलोकन कर हम अनेक तथ्यों का पता लगा सकते हैं। राज्य व समाज में अनेक प्रकार के परीक्षण होने भी रहते हैं। इतिहास सामाजिक विज्ञानों की एक प्रयोगशाला के समान है। कम्प्युनिस्ट व्यवस्था कहीं तक सफल हो सकती है, इसका ज्ञान रूस व चीन में होते हुए परीक्षणों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कम्युनिस्ट यद्यपि नागरिकशास्त्र उन अर्थों में विज्ञान नहीं है, जिनमें कि रसायन, भौतिकी आदि हैं, पर इसमें सन्देह नहीं, कि इसके क्षेत्र में भी अनेक नए नियम खान कर रहे होते हैं, और पर्यवेक्षण व इतिहास की प्रयोगशाला में होने वाले परीक्षणों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर उन नियमों का पता भी किया जा सकता है।

नागरिकशास्त्र के अध्ययन की विधि

नागरिकशास्त्र के अध्ययन के लिए निम्नलिखित विधियाँ प्रयोग में लायी जाती हैं—

(१) ऐतिहासिक—मनुष्य के सामाजिक जीवन को समझने के लिये इतिहास का अध्ययन बहुत उपयोगी है। मनुष्य की सब सामाजिक समस्याएँ ऐतिहासिक विकास का ही परिणाम हैं, अतः उनके अध्ययन से जहाँ हम मानव-समुदायों के स्वरूप को सही भाँति समझ सकते हैं, वहाँ साथ ही यह भी जान सकते हैं, कि कौन-सी समस्या मनुष्यों के लिए उपयोगी सिद्ध हुई और कौन-सी हानिकारक।

(२) पर्यवेक्षण विधि (The Method of Observation)—वर्तमान समय में राज्य के नाटन विषय प्रकार के हैं, अनेक देशों में जाणियों का जो रूप है, धार्मिक

सम्प्रदायो व आर्थिक मगठनो की जो दशा है, उन सब का ध्यानपूर्वक पर्यवेक्षण कर हम यह जान सकते हैं, कि उनमें से कौन से मगठन मनुष्यों के लिये उपयोगी हैं, और किनमें कौन से दोष हैं।

(३) तुलनात्मक विधि (The Comparative method)—सामाजिक जीवन के विविध अंगों की सामग्री को एकत्र कर हम उनमें तुलना कर सकते हैं, और उनसे अनेक सही परिणाम निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए तलाक की प्रथा को लीजिये। अनेक देशों में तलाक की प्रथा प्रचलित है। यदि हम इस प्रथा के गुण-दोषों पर विचार करना चाहें, तो हमें विभिन्न देशों में तलाक के कारण उत्पन्न हुए परिणामों की तुलना करनी चाहिए और फिर इसकी उपयोगिता का निश्चय करना चाहिए। लोकतन्त्र शासन, कम्युनिस्ट व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिये भी इस पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है।

(४) दार्शनिक विधि (The Philosophical method)—इस विधि में कल्पना और तर्क द्वारा हम किसी परिणाम पर पहुँचने हैं। राज्य का आदर्श क्या है, मनुष्य समाज में क्या मगठन होता है, सामाजिक जीवन के क्या ध्येय व आदर्श हैं, उन आदर्शों तक पहुँचने के लिये किन उपायों का प्रयोग किया जाना चाहिए—ये सब बातें कल्पना व तर्क द्वारा ही प्रतिपादित की जाती हैं।

नागरिकशास्त्र के अध्ययन के लाभ

(१) कोई समुदाय अपने उद्देश्य में तभी सफल हो सकता है, जब कि उसके सब सदस्य अपने कर्तव्यों को भली भाँति समझते हों। माता, पिता और सन्तान से मिलकर एक परिवार का निर्माण होता है। पति के पत्नी के प्रति, पत्नी के पति के प्रति, माता-पिता के सन्तान के प्रति और सन्तान के माता-पिता के प्रति अनेक कर्तव्य होते हैं। जब तक उन्हें इन कर्तव्यों का ज्ञान न हो, परिवार कभी सुखी नहीं हो सकता। इसी प्रकार धार्मिक सम्प्रदायों, आर्थिक उत्पादन की संस्थाओं और राज्य आदि समुदायों में, जहाँ मनुष्य एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं, उनके एक-दूसरे के प्रति अनेक प्रकार के कर्तव्य होते हैं। नागरिकशास्त्र हमें इन कर्तव्यों का बोध कराता है, और उनके पालन करने का महत्त्व हमें बताता है।

(२) नागरिकशास्त्र हमें केवल कर्तव्यों का ही बोध नहीं कराता, अपितु हमें यह भी बताता है कि हमारे अधिकार क्या हैं। समुदाय के जो सदस्य अपने अधिकारों को नहीं जानते, वे उसमें अधिक लाभ नहीं उठा सकते। प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है, कि वह अपने विचारों को स्वतन्त्रतापूर्वक प्रकट कर सके, अपने विद्वानों के अनुसार धर्म का अनुसरण कर सके, और उसे न्यायालय में दण्डित हुए बिना जेल-खाने में न रखा जा सके, पर जिन लोगों को अपने इन अधिकारों का ज्ञान ही नहीं

है, वे इनका प्रयोग ही कैसे कर सकेंगे। अपने अधिकारों का ज्ञान प्राप्त कर हम अपने जीवन को अधिक सुखी व उन्नत बना सकत हैं।

(३) विज्ञान की उन्नति के कारण मसार-भर के मनुष्य अब एक-दूसरे के अग्रिम समीप आ गये हैं, इसलिए अपने देश व मसार में घटित होने वाली घटनाओं का अनुशीलन करना व मानव-समाज की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिये बहुत उपयोगी हो गया है। नागरिकशास्त्र हमारे दृष्टिकोण को विद्यालय बनाता है, और हमें अपने परिवार, विरादरी, ग्राम या नगर के तग दायरे से बाहर राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय समस्याओं का अग्रिम करने की क्षमता प्रदान करता है।

(४) मनुष्यों के सामुदायिक व सामाजिक जीवन का सदमे उद्भूट रूप राज्य है। आजकल राज्यों का संचालन किसी एक व्यक्ति या श्रेणी के हाथों में नहीं रहा है। आजकल के राज्यों में लोकतन्त्र शासन है, और राजशक्ति जनता के हाथों में निहित है। यदि राज्य के सब नागरिक देश के शासन में दिलचस्पी ल, तभी वह सफल हो सकता है। नागरिकशास्त्र हमें राज्य के प्रति हमारे कर्तव्यों का बोध कराता है, और हम इन बातों के लिय प्रेरित करता है कि राज्य के कामों में जागृक होकर हम उसके द्वारा अपने व्यक्तिगत व सामूहिक हितों का साधन करें।

(५) विद्यार्थियों के लिय नागरिकशास्त्र के अध्ययन का बहुत लाभ है। आज जो बालक हैं, वे ही भविष्य में देश या समाज का नेतृत्व करेंगे। समाज की रचना एक शरीर के समान हानी है, जिसका निर्माण बहुत से छोटे-छोटे अवयवों और अंगों में मिलकर होता है। यदि अवयव अस्वस्थ हो, तो मारा शरीर विकल हो जाता है। इसी प्रकार समाज व राष्ट्र की उन्नति और कल्याण इसी बात पर निर्भर है, कि उनके सब नागरिक स्वस्थ और कर्तव्य-परायण हो। आज जो बालक हैं, उन्हीं के चरित्र व योग्यता पर भावी समाज का हिन-कल्याण व उत्कर्ष निर्भर करेगा। यदि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक नागरिकशास्त्र का अध्ययन करें, तो उन्हें उत्तम नागरिक बनने में बहुत सहायता मिलेगी। वे अपने कर्तव्यों और अधिकारों को भली भाँति समझ सकेंगे, और उन्हें मनभरकर अपनी वैयक्तिक व सामूहिक उन्नति में सत्पर होंगे।

अभ्यास के लिये प्रश्न

१. नागरिकशास्त्र की परिभाषा (संक्षेप) कीजिये, और उसके क्षेत्र तथा अध्ययन विधि का संक्षेप से उल्लेख कीजिये। (५०० पी०, १९४६)

२. नागरिकशास्त्र के अध्ययन की क्या उपयोगिता है? (५०० पी०, १९४७)

३. "सामाजिक अध्ययन के सामाजिक सेवा के लिये व्यावहारिक उपयोग को ही नागरिकशास्त्र कहते हैं" इस कथन की विवेचना कीजिये। (५०० पी०, १९५०, राजपूताना १९५१)

४ "नागरिकशास्त्र कला (Art) और विज्ञान (Science) दोनों हैं", इस कथन की विवेचना कीजिए, और यह समझाइये कि इस शास्त्र के अध्ययन से क्या लाभ हैं ? (पू० पी०, १९५२)

५ नागरिकशास्त्र से आप क्या समझते हैं ? यह बताइये कि नागरिकशास्त्र के अध्ययन से अच्छे नागरिक बनने में क्या सहायता मिलती है । (पू० पी०, १९५४)

६ नागरिकशास्त्र के विषय और क्षेत्र का वर्णन कीजिये, और यह लिखिये कि इसके अध्ययन का आधुनिक जीवन में क्या महत्त्व है । (पू० पी०, १९५५)

७ नागरिकशास्त्र के अध्ययन की क्या उपयोगिता है ? (पू० पी०, १९४७)

८ नागरिकशास्त्र के अध्ययन का महत्त्व समझाइये । वह अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार सम्बन्धित है ? (राजपूताना, १९४७)

९ नागरिकशास्त्र को कितने अर्थों में विज्ञान कहा जा सकता है ? भौतिक विज्ञानों से वह किस प्रकार भिन्न है ?

दूसरा अध्याय

अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ नागरिकशास्त्र का सम्बन्ध

नागरिकशास्त्र उन विज्ञानों के अन्तर्गत है, जिन्हें सामाजिक विज्ञान (Social Sciences) कहा जाता है। जो विज्ञान समाज में रहते हुए मनुष्य का अध्ययन करते हैं, उन्हें 'सामाजिक विज्ञान' कहते हैं। मनुष्य एक-दूसरे के साथ अनेक सम्बन्धों द्वारा सम्बद्ध होते हैं। उनके एक-दूसरे के साथ आर्थिक (Economic), राजनीतिक (Political), नैतिक (Moral), धार्मिक (Religious), सामाजिक (Social) आदि अनेक प्रकार के सम्बन्ध होने हैं। इन्हीं विविध सम्बन्धों को लेकर अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र आदि विविध सामाजिक विज्ञानों का विकास हुआ है। पर इन विविध विज्ञानों का भी एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है, क्योंकि ये सब मानव-समाज के विविध अंगों का अध्ययन करते हैं, और समाज के विविध अंगों को पूरी तरह से एक-दूसरे से पृथक् नहीं किया जा सकता। इसलिये नागरिकशास्त्र के अध्ययन में अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी बहुत सहायता मिलती है। वस्तुतः, सब सामाजिक विज्ञान एक-दूसरे के पूरक होते हैं।

नागरिकशास्त्र और राजनीतिशास्त्र—

इन दो विज्ञानों में जितना घनिष्ठ सम्बन्ध है, उतना अन्य किसी विज्ञानों में नहीं है। इसी कारण कुछ विद्वान् तो यह कहने में भी सकोच नहीं करते, कि नागरिकशास्त्र कोई अलग विज्ञान नहीं है, अपितु राजनीतिशास्त्र को ही एक शाखा है। इसमें सन्देह नहीं, कि इन दोनों विज्ञानों का क्षेत्र बहुत अगो में एक ही है। मनुष्यों का सामुदायिक जीवन जिन विविध रूपों में प्रकट होता है, राज्य उनमें सबसे उत्कृष्ट है। मनुष्य जो अन्य अनेक प्रकार के समुदाय बनाता है, राज्य उन पर नियन्त्रण रखने का अधिकार रखता है। यदि कोई धार्मिक या आर्थिक समुदाय किसी ऐसी नीति का अनुसरण करे, जो राज्य के अन्य निवासियों के लिये हानिकारक हो, तो राज्य उसे बँसा करने से रोक सकता है। क्योंकि राज्य मनुष्यों का सबसे उत्कृष्ट व सबसे अधिक शक्तिशाली समुदाय है, अतः स्वाभाविक रूप से नागरिकशास्त्र में उस पर बहुत विस्तार से विचार किया जाता है। राजनीतिशास्त्र के अध्ययन का विषय तो राज्य-संस्था ही है। अतः यह स्वाभाविक है कि इन दोनों विज्ञानों में घनिष्ठ सम्बन्ध हो, और दोनों

का विषय एक दूसरे से बहुत कुछ मिलता जुलता हो ।

पर राजनीतिशास्त्र और नागरिकशास्त्र में इतना घनिष्ठ सम्बन्ध होने हुए भी न उनको एक माना जा सकता है, और न नागरिकशास्त्र को राजनीतिशास्त्र की शाखामात्र ही स्वीकार किया जा सकता है । इसके कारण निम्नलिखित हैं—

(१) राजनीतिशास्त्र समाज में रहते हुए मनुष्यों के राजनीतिक सम्बन्धों का अध्ययन करता है । राजनीतिक सम्बन्ध के आचार पर मनुष्य जो समुदाय बनाते हैं, उन्हें राज्य कहते हैं । राजनीतिशास्त्र का क्षेत्र इस राज्य तक ही सीमित है । पर नागरिक शास्त्र का क्षेत्र इसकी अपेक्षा अधिक व्यापक है । उसमें सामुदायिक जीवन के अन्य अंगों का भी समावेश हो जाता है ।

(२) राज्य के सदस्य के रूप में मनुष्यों के जो कर्तव्य व अधिकार हैं, राजनीतिशास्त्र केवल उन्हीं का बोध कराता है । पर मनुष्य राज्य के अतिरिक्त अन्य भी कितने ही समुदायों का सदस्य होता है । सब मनुष्य किसी-न किसी परिवार के, किसी जाति या बिरादरी के, किसी धार्मिक सम्प्रदाय के, किसी आर्थिक सगठन के और किसी राष्ट्र के भी सदस्य होते हैं । इन सब समुदायों के सदस्य होने के कारण मनुष्यों के कितने ही अन्य भी कर्तव्य हो जाते हैं, और साथ ही उन्हें कितने ही अन्य अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं । नागरिकशास्त्र हमें इन सब कर्तव्यों और अधिकारों का बोध कराता है ।

(३) वर्तमान समय में सारा के विविध देश एक दूसरे के बहुत समीप आ गये हैं । सारा मानव समाज एक है, यह अनुभूति विकसित होती जा रही है । मानव-समाज का अंग होने के कारण मनुष्य के जो कर्तव्य हैं, नागरिकशास्त्र उनका भी प्रतिपादन करता है । राजनीतिशास्त्र भी अन्तर्राष्ट्रीयता पर विचार करता है, पर केवल इस हद तक कि विविध राज्यों का एक-दूसरे के साथ क्या सम्बन्ध है ।

(४) राजनीतिशास्त्र के उद्देश्य तभी सफल हो सकते हैं जब कि राज्य के सब निवासी उत्तम नागरिक हों । उत्तम नागरिकता की शिक्षा नागरिकशास्त्र द्वारा ही प्राप्त होती है, क्योंकि यह विज्ञान हमें मनुष्यों को अन्य लोगों के साथ मिल जुलकर रहने और उनके प्रति अपने कर्तव्यों के पालन का पाठ पढ़ाता है ।

इन कारणों से नागरिकशास्त्र और राजनीतिशास्त्र को एक तो नहीं माना जा सकता, पर यह तो स्पष्ट ही है कि इन दोनों का सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ है, क्योंकि राजनीतिशास्त्र के समान नागरिकशास्त्र में भी राज्य सत्ता का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है ।

नागरिकशास्त्र और समाजशास्त्र (Sociology)

जिस विज्ञान द्वारा मानव समाज की उत्पत्ति, विकास, सगठन और उद्देश्य का

अध्ययन किया जाए, उसे समाजशास्त्र कहते हैं। मनुष्यों में जो अनेक प्रकार के रीति-रिवाज प्रचलित हैं, उनके जो अनेक प्रकार के विश्वास हैं, उनकी संस्कृति जो अनेक प्रकार से विकसित हुई है—इन सब बातों का अध्ययन समाजशास्त्र द्वारा किया जाता है। उनका क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक है। इसीलिए यह माना जाता है, कि समाजशास्त्र अन्य सब सामाजिक विज्ञानों की जननी है, और अन्य सब सामाजिक विज्ञान उसी पर आधारित हैं। अतः यह स्वाभाविक है, कि अन्य सामाजिक विज्ञानों के विषये समाजशास्त्र का अध्ययन उपयोगी हो।

मनुष्यों के सामाजिक जीवन का एक रूप परिवार है। समाजशास्त्र हमें यह बतानेगा, कि परिवार का विकास किस प्रकार हुआ, समार के विविध देशों में भिन्न-भिन्न समयों में परिवार का माठन किस प्रकार का रहा, और वे कौन-सी मूलभूत भावनाएँ हैं, जिनमें प्रेरित होकर मनुष्य परिवार में संगठित होते हैं। नागरिकशास्त्र इन सब बातों का प्रतिपादन नहीं करता। वह हमें केवल यह बोध कराता है, कि परिवार के सदस्य के रूप में मनुष्य के क्या कर्तव्य और क्या अधिकार हैं, और मनुष्य किस ढंग से परिवार को सुखी बना सकता है।

इसी प्रकार मनुष्यों के अन्य समुदायों के सम्बन्ध में भी समाजशास्त्र और नागरिकशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र एक-दूसरे से भिन्न है। समाजशास्त्र हमें यह बताता है, कि विभिन्न लोगों में धार्मिक विश्वास किस प्रकार विकसित हुए, उचित-अनुचित व पाप-पुण्य का विचार किस प्रकार उत्पन्न हुआ। मनुष्यों के धार्मिक समुदायों का रूप पहले क्या था और बाद में वह किस प्रकार बदलता गया। पर नागरिकशास्त्र इन सब बातों पर प्रकाश नहीं डालता। वह हमें यही बताने कराता है, कि धार्मिक समुदाय के सदस्यरूप में मनुष्य को अपना बरताना किस प्रकार का रखना चाहिए।

इसमें सन्देह नहीं, कि समाजशास्त्र और नागरिकशास्त्र का क्षेत्र एक नहीं है, पर समाजशास्त्र मनुष्यों के सामाजिक जीवन की उत्पत्ति और विकास के सम्बन्ध में जो अध्ययन व खोज करता है, नागरिकशास्त्र के लिये उसका बहुत उपयोग होता है।

नागरिकशास्त्र और इतिहास

इतिहास को सब सामाजिक विज्ञानों की प्रयोगशाला कहा जाता है। उसके अध्ययन से हमें यह ज्ञात होता है कि पुराने समय में कौन-कौन से राज्य थे, उनका शासन किस ढंग से होता था, उनमें कौन से धर्म प्रचलित थे, उनकी संस्कृति का क्या स्वरूप था, किस प्रकार कोई देश उन्नत हुआ, और किस प्रकार किसी देश की अवनाति हुई। कोई देश आज जिस हालत में है, वह बहुत अंश में उसके पुराने इतिहास का परिणाम है। भारत अंग्रेजों के अधीन हो गया, किनलिए? क्योंकि इस देश में राष्ट्रीय एकता का अभाव था और विज्ञान की उत्पत्ति में यह यूरोप के मुकाबिले में पीछे रह

गया था। अब भारत स्वतन्त्र हो गया, क्योंकि राष्ट्रीय नेताओं के यत्न से देश में राष्ट्रीय जागृति और एकता की भावना उत्पन्न हो गई, और साथ ही नई शिक्षा के अमर से भारत भी कला-कौशल व वैज्ञानिक उन्नति में काफी आगे बढ़ गया। इतिहास हमें जहाँ किसी देश की उन्नति व अवनति का वृत्तान्त बताता है, वहाँ उन कारणों पर भी प्रकाश डालता है, जिनसे कोई देश उन्नत या अवनत होता है। मनुष्य की भिन्न-भिन्न सत्ताओं में जो परिवर्तन होते रहते हैं, इतिहास द्वारा हम उनका भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक समय था, जब मसार के प्रायः सभी देशों में राजाओं का स्वैच्छा-चारी व निरकुश शासन था। राजा जो चाहे कानून बना सकता था, मनमाने तरीके से प्रजा पर अत्याचार कर सकता था। पर अब वह समय आ गया है, जब कि जनता का शासन प्रायः सभी देशों में कायम हो गया है, और राजनीतिक दृष्टि से सब के अधिकार एक बराबर हैं। पर लोग इतने से भी सतुष्ट नहीं हैं। वे चाहते हैं कि पूँजी-पतियों का अन्त होकर गरीबी और अमीरी का भेद दूर हो जाए, और आर्थिक दृष्टि से समानता स्थापित हो। इतिहास ससार के इसी सब घटनाचक्र का हमें बोध कराता है।

इतिहास पढ़कर हमें यह भी ज्ञात होता है, कि पहले मनुष्यों के नागरिक-जीवन का क्या स्वरूप था। भिन्न-भिन्न देशों में उसका किस ढंग में विकास हुआ, और वर्तमान समय में उसमें किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है। इन सब बातों को जानकर हम नागरिक-जीवन के भावी स्वरूप व आदर्शों का स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं। इतिहास की उपमा एक वृक्ष से दी जा सकती है, जिसके फल अन्य सामाजिक विज्ञान होते हैं। वृक्ष और फल का जो सम्बन्ध है, वही इतिहास और नागरिकशास्त्र का है।

नागरिकशास्त्र और अर्थशास्त्र

अर्थशास्त्र द्वारा मनुष्यों के आर्थिक सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है। सम्पत्ति की उत्पत्ति (Production), सम्पत्ति का वितरण (Distribution) और सम्पत्ति का उपभोग (Consumption) किस प्रकार होता है, यही अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र है। साथ ही, अर्थशास्त्र इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि किस नीति का अनुसरण कर देश में सम्पत्ति की वृद्धि की जा सकती है, और उत्पन्न हुई सम्पत्ति का किस प्रकार ऐसा वितरण किया जाय, जिससे सबको अपने-अपने अंश का समुचित फल मिल सके।

मनुष्य के मुख के साथ सम्पत्ति व धन का बहुत सम्बन्ध है। हमारे शास्त्रों के अनुसार अर्थ या धन ही अन्य सब बातों का मूल है (अर्थमूला हि सर्वे समारम्भा)। यदि मनुष्य गरीब हो, उसे पेट-भर अन्न भी न मिलता हो, तो वह समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कैसे कर सकेगा। संस्कृत में एक कहावत है—“बुभुक्षित किं न करोति पापम्”। इसका अर्थ है, भूखा आदमी कौन-सा पाप नहीं करता। जब

आदमी का पेट भरा हो, तभी उसे घम-कर्म भूभक्ता है। जिस मनुष्य को अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साधन भी उपलब्ध नहीं होते, उससे यह आशा करना व्यर्थ है कि वह एक अच्छा नागरिक बन सकेगा, और अन्य मनुष्यों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन सुचारु रूप से करेगा। लोकतन्त्र शासन में वोट देना मनुष्य का जहाँ अधिकार है, वहाँ उसका यह बतव्य भी है कि वह अपने इस अधिकार का सोव-समझकर प्रयोग करे। पर गरीब लोग घम के लालच में आकर या किसी जमींदार या पूंजीपति के अमर में आकर अपना वोट उनके उम्मीदवार के पक्ष में दे देने हैं। गरीबी के कारण उनमें अपने अधिकारों का स्वतन्त्रता के साथ प्रयोग करने की क्षमता ही नहीं रह जाती।

इस प्रकार स्पष्ट है, कि कोई मनुष्य तभी अच्छा नागरिक बन सकता है, जब कि वह अत्यन्त गरीब न हो, उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में विशेष कठिनाई न होनी हो। नागरिकशास्त्र का ध्येय यही है, कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान हो, सत्र उनके सम्बन्ध में जागरूक रहकर सुखी, सन्तुष्ट और सम्पन्न जीवन व्यतीत कर सकें। इसीलिए नागरिकशास्त्र का अध्ययन करते हुए हम अर्थशास्त्र के उन मन्तव्यों को भी अपने सम्मुख रखते हैं, जिनके द्वारा मनुष्य अपनी आर्थिक उन्नति कर सकता है। आर्थिक समुदाय भी मनुष्यों की सामाजिकता के अंग होते हैं। मनुष्य की सामाजिकता का अध्ययन करते हुए उन्हें भी दृष्टि में रखा जाता है।

नागरिकशास्त्र और भूगोल

भौगोलिक दशाओं का मनुष्य के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। प्राचीन ग्रीस में जो बहुत से छोटे छोटे राज्य देर तक कायम रहे, उसका एक बड़ा कारण यह था कि पर्वतों की शृंखलाओं द्वारा ग्रीस बहुत-सी छोटी छोटी घाटियों में विभक्त था। प्राचीन समय में ब्रीट और किनीशिया सामुद्रिक व्यापार के बड़े भारी केन्द्र थे। इसका कारण यही था, कि ब्रीट एक द्वीप है, और किनीशिया समुद्र के तट पर स्थित था। आज इंग्लैंड जो सामुद्रिक शक्ति में बहुत उन्नत है, उसका कारण उसका समुद्र से घिरा हुआ होना ही है। किसी देश की जलवायु, जमीन का उपजाऊ होना देश का समुद्र-तट पर स्थित होना या पर्वतों से घिरे रहना और वहाँ खनिज पदार्थों का प्रचुर मात्रा में पाया जाना—ये व इसी ढंग की भौगोलिक दशाएँ वहाँ के निवासियों के जीवन पर बहुत प्रभाव डालती हैं।

इसलिए नागरिकशास्त्र के लिए भूगोल का अध्ययन भी बहुत उपयोगी होता है। जब हम किसी देश के सामाजिक व सामुदायिक जीवन पर विचार करने लगे, तो हम यह भी सोचना चाहिए कि उस देश की भौगोलिक दशाएँ कौसी हैं और ये दशाएँ

उम देश के सामुदायिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं।

नागरिकशास्त्र और नीतिशास्त्र (Ethics)

नीति या अनीति, उचित या अनुचित पर जो विज्ञान विचार करता है, उसे 'नीतिशास्त्र' कहते हैं। उचित अनुचित का प्रश्न समाज में रहते हुए मनुष्य के लिए ही महत्त्व रखता है। यदि कोई मनुष्य जगल में अकेला रहता हो, तो वह कौन सा ऐसा काम कर सकेगा, जिसे हम सामाजिक दृष्टि से अनुचित समझ सकें। सत्य, अहिंसा, द्रष्टेय आदि जिन विचारों को नैतिक व सदाचार सम्बन्धी माना जाता है, वे मनुष्यों के सामुदायिक जीवन के साथ ही सम्बन्ध रखते हैं। जगल में अकेला रहता हुआ मनुष्य जब तक अन्य मनुष्यों के सम्पर्क में नहीं आएगा, वह कैसे किसी की चोरी करेगा, कैसे किसी से असत्य व्यवहार करेगा और कैसे किसी पर हमला आदि कर हिंसा करेगा। नीतिशास्त्र द्वारा यही अध्ययन किया जाता है, कि हमारे नैतिक आदर्श क्या हैं, और हम किसी बात को क्यों नैतिक या अनैतिक मानते हैं।

नागरिकशास्त्र में जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं, कि नागरिकों को अपने पड़ोसियों व अन्य लोगों से किस प्रकार का बरताव करना चाहिए, तो कौन-सा बरताव उचित है, और कौन-सा अनुचित—इसका फंसला हम नीतिशास्त्र के मन्तव्यों के अनुसार ही करते हैं। हम मनुष्यों के किन्हीं व्यवहारों को उत्तम और किन्हीं को निवृष्ट समझते हैं, और नागरिकों से यह आशा रखते हैं, कि उन्हें अपने व्यवहार को उत्तम ही बनाना चाहिए। नीतिशास्त्र की धारणाओं के अनुसार कार्य करने को ही हम उपयोगी मानते हैं। अतः स्पष्टतया नीतिशास्त्र और नागरिकशास्त्र में बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है।

नागरिकशास्त्र और मनोविज्ञान (Psychology)—

मनुष्य के जीवन में मन का बहुत अधिक महत्त्व है। मनुष्य का मन जिस ढंग से सोचता है, वह जिन बातों से प्रेरणा व उत्तेजना प्राप्त करता है, उन सब का मनुष्य के व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मनोविज्ञान द्वारा मनुष्य के मन का ही अध्ययन किया जाता है। मनुष्य की विचार शक्ति किस प्रकार काम करती है, जिन परिस्थितियों में मनुष्य रहता है, उनका उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, बाह्य उत्तेजनाओं द्वारा मन पर क्या प्रतिक्रिया होती है, मनुष्य कौन से काम आन्तरिक प्रेरणा से करता है और कौन से बाह्य प्रभाव द्वारा—मनोविज्ञान इन सब बातों का प्रतिपादन करता है।

क्योंकि नागरिकशास्त्र मनुष्यों के सामुदायिक व सामाजिक जीवन पर विचार करता है, अतः मनोविज्ञान द्वारा उधे बहुत महत्त्व मिलती है। उदाहरण के लिए

मनोविज्ञान हमें यह बताना है, कि बानको व विद्यार्थियों में कौसा व्यवहार करके उन्हें उत्तम मनुष्य बनाया जा सकता है, शिक्षा द्वारा मनुष्यों के मन को किस प्रकार प्रभावित किया जा सकता है, और यदि किसी बात को लेकर मनुष्यों की भीड़ उत्तेजित हो जाए, तो उसे किस प्रकार शान्त किया जा सकता है। यदि हमें मनोविज्ञान द्वारा प्रतिपादित इन सब बातों का भली भाँति ज्ञान हो, तो हम यह निर्णय कर सकते हैं, कि मनुष्यों को उत्तम नागरिक बनाने के लिए हमें किन उपायों का अवलम्बन करना चाहिए।

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि अन्य बहुत से विज्ञानों का नागरिकशास्त्र के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसी कारण इस शास्त्र के अध्ययन के लिए इन व अन्य सामाजिक विज्ञानों का उपयोग किया जाता है।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१. आधुनिक सामाजिक जीवन में नागरिकशास्त्र के अध्ययन का क्या महत्त्व है? नागरिकशास्त्र का राजनीति शास्त्र, इतिहास और अर्थशास्त्र के साथ जो सम्बन्ध है, उसे स्पष्ट कीजिए। (यू० पी० १९३६, १९३९)

२. नागरिकशास्त्र की क्या परिभाषा (लक्षण) है? उसका समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र और इतिहास से क्या सम्बन्ध है? (यू० पी०, १९४१)

३. नागरिकशास्त्र के अभिप्राय की स्पष्ट कीजिए और यह प्रदर्शित कीजिए कि अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र और इतिहास से इसका क्या सम्बन्ध है? (यू० पी० १९५३)

४. भूगोल और मनोविज्ञान का अध्ययन नागरिकशास्त्र के अध्ययन के लिए किस प्रकार उपयोगी होता है?

तीसरा अध्याय सामाजिक जीवन

समाज का अभिप्राय

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह अनेक बार लिखा जा चुका है। मनुष्य समाज में रहकर ही अपने हित और कल्याण का साधन करता है, और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। पर प्रश्न यह है कि समाज कहते किसे हैं। यह तो स्पष्ट ही है, कि समाज के लिए बहुत से मनुष्यों का होना आवश्यक है। एक आदमी से समाज नहीं बन सकता। पर यदि किसी स्थान पर बहुत से मनुष्य एकत्र हो, तो उस भीड़ को भी समाज नहीं कहा जा सकता। किसी बाजार या गली में बहुत-से लोग आ-जा रहे हैं, या गंगा-स्नान के लिए बहुत से लोग जमा है। मनुष्यों के इस समूह को हम 'समाज' नहीं कहते। पर जब मनुष्य किसी निश्चित प्रयोजन व उद्देश्य से परस्पर मिलकर एक 'समुदाय' (Association) के रूप में संगठित हो जाते हैं, तभी मनुष्य के सामाजिक जीवन का प्रारम्भ होता है।

समाज के लिए निम्नलिखित तत्त्वों का होना आवश्यक है—

(१) बहुत-से मनुष्यों की सदस्यता—समाज के लिए अनेक व प्रचुर संख्या में मनुष्यों का होना आवश्यक है। सबसे छोटा समुदाय कुटुम्ब या परिवार का होता है। पति और पत्नी मिलकर परिवार-रूपी समुदाय का निर्माण करते हैं, और दो व अधिक हिस्सेदार मिलकर कारोबार के लिए 'आर्थिक समुदाय' बनाते हैं। छोटे-से-छोटे समुदाय के लिए भी दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। अनेक बड़े समुदाय इस प्रकार के होते हैं, जिनमें लाखों-करोड़ों मनुष्य सदस्य रूप से सम्मिलित होते हैं। आर्य-समाज, ब्रह्मसमाज आदि धार्मिक समुदायों के सदस्यों की संख्या लाखों में है। ईसाई धर्म के सदस्यों की संख्या करोड़ों में है। राज्य मनुष्यों के राजनीतिक समुदाय को कहते हैं। आजकल जहाँ एक और सान मरीनो जैसे छोटे-छोटे राज्य हैं, जिनकी जनसंख्या कुछ हजार है, वहाँ चीन, भारत आदि विशाल राज्यों की जनसंख्या करोड़ों में है।

(२) एक निश्चित उद्देश्य व प्रयोजन की सत्ता—सामाजिक जीवन के लिए यह भी आवश्यक है कि समुदायों में सम्मिलित सब लोगों का कोई निश्चित उद्देश्य व प्रयोजन हो। धार्मिक समुदायों का संगठन धर्म प्रचार व अपने अनुयायियों के जीवन को धर्म के अनुकूल बनाने के प्रयोजन से किया जाता है। आर्यसमाज की

स्थापना वैदिक धर्म के प्रचार के लिये की गई है। बौद्ध सभ इस उद्देश्य से संगठित हुआ था, कि बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 'अष्टांगिक आर्यमार्ग' का प्रचार किया जाय। थमी सचो (Trade Unions) का संगठन इस उद्देश्य से होता है, कि मजदूर वर्ग के लोग अपने हितों की परस्पर मिलकर रक्षा कर सकें। जातीय हितों की रक्षा व जातीय उन्नति के लिए क्षत्रिय महामभा, अग्रवाल महासभा सदृश जातीय समुदायों का संगठन किया जाता है। राज्य सबसे महत्वपूर्ण समुदाय है। उसका संगठन मनुष्यों के सामूहिक हितों की रक्षा और उन्नति के लिए किया गया है। यह स्पष्ट है, कि जितने भी विविध प्रकार के समुदाय हैं, उनके सम्मुख कोई निश्चित उद्देश्य व प्रयोजन अवश्य होता है। निश्चित उद्देश्य के अभाव में मनुष्यों का समूह केवल एक 'भीड़' रह जाता है, उसे हम समुदाय नहीं कहते।

(३) केन्द्रीय संगठन—सामुदायिक जीवन के लिए जहाँ यह आवश्यक है, कि बहुत-से मनुष्य किसी निश्चित उद्देश्य व प्रयोजन को सम्मुख रखकर एकत्र हो, वहाँ यह भी जरूरी है कि वे एक संगठन में संगठित हो और वह संगठन उस समुदाय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील हो। सबक पर लड़े हुए कुछ लोग मदारी का खेल देख रहे हैं। वे मनुष्य एक निश्चित प्रयोजन से एकत्र हुए हैं, पर इन्हें हम 'समुदाय' नहीं कहते, क्योंकि ये लोग किसी संगठन में संगठित नहीं हैं। पर मदारी के खेल में दिन-चरपी लेने वाले लोग यदि आपस में मिलकर एक संगठन बना लें, और मदारी के खेलों में संगठित रूप से दिलचस्पी लेने लगे, तो एक समुदाय का निर्माण हो जायगा। अनेक क्लब इसी ढंग के प्रयोजनों से संगठित किये गये हैं। पतंगबाजी तक के लिए क्लब विद्यमान हैं। इन्हें हम समुदाय कह सकते हैं। समुदाय के लिए बहुत-से मनुष्यों की मददस्वता और एक निश्चित प्रयोजन की सत्ता के साथ-साथ एक संगठन का होना भी जरूरी है।

मनुष्य का सामाजिक जीवन तभी प्रकट होता है, जब अनेक मनुष्य परस्पर मिलकर और किसी निश्चित उद्देश्य को सम्मुख रखकर अपना संगठन बना लेते हैं। मनुष्यों के आपस में मिलकर एक साथ रहने, और एक-दूसरे के सहयोग द्वारा अपना हित व कल्याण करने तथा उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने को ही मनुष्य की 'सामाजिकता' कहा जाता है।

समाज और समुदाय—

पर इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिए कि मनुष्यों के विविध समुदायों को ही समाज नहीं कहा जाता। समाज समुदाय की अपेक्षा बहुत अधिक व्यापक होता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने हित सुख व कल्याण के लिए, और अपनी उन्नति के लिए मनुष्य जिन विविध समुदायों का निर्माण करता है, वे

सब समाज के अन्तर्गत होते हैं, और वे सब मनुष्य के सामाजिक जीवन के ही विविध रूप हैं।

समाज और समुदाय में वही भेद है, जो शरीर और उसके अंगों में होता है। शरीर बहुत-से अंगों या अवयवों से मिलकर बनता है, पर शरीर केवल अंगों के समूह को ही नहीं कहते। अवयवों से पृथक् भी अवयवों की सत्ता होती है। यही बात समाज और समुदाय के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। समाज और समुदाय के भेद को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं—

(१) समुदाय समाज का अंग भाग होता है। जैसे शरीर में बहुत-से अंग होते हैं, ऐसे ही समाज में बहुत-से समुदाय होते हैं।

(२) यह मनुष्य की इच्छा पर है, कि वह किसी समुदाय का सदस्य बने या न बने। पर मनुष्य के लिए यह अनिवार्य है कि वह समाज में रहे और उसका सदस्य बनकर अपनी उन्नति करे। समाज में रहना और दूसरों के साथ सहयोग द्वारा अपना काम करना मनुष्य की प्रकृति (Nature) है। अतः प्रत्येक मनुष्य किसी-न-किसी समाज का अंग अवश्य होता है। समाज के अन्तर्गत जो विविध समुदाय होते हैं, उनमें सम्मिलित होना या न होना मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है। पर समाज से पृथक् रहकर अपने हित व सुख का साधन कर सकना मनुष्य के लिए सम्भव ही नहीं है।

समाज का लक्षण—ऊपर समाज के सम्बन्ध में जो विचार किया गया है, उसे दृष्टि में रखकर हम समाज का लक्षण इस प्रकार कर सकते हैं—‘अपने हितों व कल्याण को सम्मुख रखकर और अपनी उन्नति के लिए मनुष्य जो दूसरों के साथ सहयोग द्वारा काम करता है और इसी प्रयोजन से जो विविध समुदाय सपठित करता है, उन सब के समूह को समाज कहते हैं।’ इसमें सन्देह नहीं, कि समाज बहुत व्यापक होता है। मनुष्यों के सब समुदाय, जिनमें राज्य भी एक है, समाज के अन्तर्गत रहते हैं। इन सब समुदायों से मनुष्य का सामाजिक जीवन प्रकट होता है।

समाज की आवश्यकता—

हमने अभी कहा है कि मनुष्य समाज के बिना अपना जीवन नहीं बिता सकता। वह किसी भी समुदाय का सदस्य हुए बिना तो रह सकता है, पर समाज से पृथक् रह सकना उसके लिए सम्भव नहीं है। इसके कारण निम्नलिखित हैं—

(१) सामाजिक जीवन मनुष्य का स्वभाव है। यह मनुष्य की प्रकृति है, कि वह अन्य लोगों के साथ मिलकर रहे और दूसरों के साथ मिलकर अपनी उन्नति करे। जिस प्रकार बोलना, अपने विचारों को प्रकट करना और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करना मनुष्य की प्रकृति है, वैसे ही समाज में रहना

भी मनुष्य की प्रकृति है। जब मनुष्य जन्म लेता है, तो वह माता-पिता के साथ रहता है। उनसे वह बहुत-सी बातें सीखता है। उसके विचार, चरित्र, अभ्यास आदि का निर्माण माता-पिता के सम्पर्क से ही होता है। जब बच्चा बड़ा होता है, तो वह अपने पड़ोस में रहने वाले अन्य बच्चों व बड़े लोगों के सम्पर्क में आता है, और उनसे बहुत-सी बातें सीखता है। यदि हम एक ऐसे मनुष्य की कल्पना करें, जिसे पैदा होते ही अकेला छोड़ दिया जाय, तो उसके लिए जिन्दा रहना भी सम्भव न होगा। यदि उसका पालन किन्हीं ऐसे आदमियों द्वारा किया जाय, जो गूंगे और बहरे हों, जिन्हें पढ़ना-लिखना न आता हो और जो अपने विचारों को किसी भी प्रकार प्रकट न कर सकें, तो ऐसा मनुष्य न बोलना सीखेगा, न उसे पढ़ना-लिखना आएगा और न उसके कोई विचार ही होंगे। उसमें और पशु में नाममात्र का ही भेद होगा।

मनोविज्ञान के पण्डितों का कहना है, कि मनुष्य में कुछ प्रवृत्तियाँ स्वभाव से ही होती हैं। प्रेम, घृणा, क्रोध, परोपकार आदि की प्रवृत्तियाँ प्रत्येक मनुष्य में पाई जाती हैं। हमें कोई आदमी अच्छा लगता है, हम उससे प्रेम करते हैं। किसी से हमें घृणा होती है किसी के प्रति हमें क्रोध आता है। किसी को दुःख में देखकर हमें उससे सहानुभूति होती है, हम अपनी शक्ति-भर उसका उपकार करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यदि कोई मनुष्य अकेला रहता हो, तो उसकी ये प्रवृत्तियाँ कैसे चरितार्थ होंगी? वह किससे प्रेम करेगा, किससे घृणा करेगा और किससे सहानुभूति रखेगा। जो आदमी अपनी किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण कुछ समय के लिए अकेले रहने को विवश होने हैं, वे किसी पशु-पक्षी में प्रेम करके ही अपनी इन प्रवृत्तियों को काम में लाने का प्रयत्न करते हैं। पर इसमें सन्देह नहीं, कि मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हैं, उनका सच्चा उपयोग समाज में रहकर ही हो सकता है। अतः समाज में रहना ही मनुष्य का स्वभाव ही है।

यह सही है, कि अनेक सन्त-महात्मा हिमालय की कन्दराओं में अकेले रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पर ये अपवाद होते हैं। इन महात्माओं ने भी बचपन में अन्य मनुष्यों के सम्पर्क में आकर अपने शरीर और मन का विकास किया था। योग-मिथि आदि की प्राप्ति के लिए भी वे गुरु की शिक्षा पर निर्भर करते हैं। पुराने समय में भारत के जो ऋषि-मुनि नगरों से बाहर जंगलों में निवास किया करते थे, वे भी वहाँ आश्रम बनाकर ही रहते थे, और इन आश्रमों में बहुत-से नर-नारी अध्यात्म-चिन्तन को लक्ष्य बनाकर एक साथ मिलकर रहते थे। जब ऋषि मुनि तक जंगलों में भी इकट्ठे होकर रहते थे, तो सर्वसाधारण मनुष्यों के लिए तो अकेले रह सकना और भी अधिक कठिन है। हम लोगों को समाज में रहने की जो आदत पड़ गई है, उसके कारण हमें कभी यह बरतना करने का अवसर ही नहीं मिलता कि यदि कभी हमें सबसे अलग अकेले छोड़ दिया जाय, तो हमारी क्या गति होगी।

(२) पर मनुष्य समाज में केवल इसीलिए नहीं रहता, क्योंकि यह उसका स्वभाव है। जीवन की आवश्यकताएँ भी मनुष्य को समाज में रहने के लिए विवश करती हैं। बच्चे के पालन-पोषण के लिए आवश्यक है, कि वह परिवार में रहे। शिक्षा के लिए जरूरी है, कि वह स्कूल में दाखिल हो। धन कमाने के लिए किसी कारखाने, दफ्तर या बाजार में काम करना आवश्यक है। अपने माल और जान की रक्षा करने के लिए भी अन्य मनुष्यों के साथ मिलकर रहना उपयोगी है। गाँव या नगर में बसकर मनुष्य जहाँ धन कमाने का अवसर प्राप्त करता है, वहाँ उसके लिए अपनी रक्षा करना भी सुगम हो जाता है। मनुष्य जो अपनी भौतिक आवश्यकताएँ पूर्ण कर सकता है, अपना मानसिक विकास कर सकता है, अधिक उत्कृष्ट जीवन बिताने के लिए सुविधाएँ प्राप्त करता है, सहानुभूति, सेवा, परोपकार आदि की नैतिक भावनाओं को क्रिया-विन कर सकता है, और सम्यक् व सुसंस्कृत जीवन बिता सकने में समर्थ होता है—इन सब के लिए उसका समाज में रहना अनिवार्य है।

(३) मानव जीवन में जो भी उत्तम गुण हैं, वे सब मनुष्य को सामाजिकता के ही परिणाम हैं। हम उस मनुष्य को अच्छा समझते हैं, जो दयालु हो, जो परोपकार के लिए तत्पर रहे, जो जाति, धर्म और देश के लिए अपने सब सुखों और जिन्दगी तक को कुर्बान कर देने के लिए उद्यत हो। तुलसीदासजी ने दया की महिमा बताने हुए क्या ही अच्छा कहा है—

“दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान ।

तुलसी दया न छोड़िये, जब मग घट में प्रान ॥

एक संस्कृत के कवि का कथन है—“परोपकार पुण्याय पाराय परपीडनम्” परोपकार ही का नाम पुण्य है, और दूसरों को पीडा देने को ही पाप कहते हैं। भगवान् कृष्ण ने कहा है—“न मुझे राज्य चाहिए, न स्वर्ग और न भोजन । मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि दुःख से पीड़ित प्राणियों के दुःख बर्द को दूर कर सकूँ।” दया, परोपकार और दूसरों की सेवा ही ऐसे गुण हैं, जिनसे मनुष्य अपने जीवन को उन्नत कर सकता है। ये गुण मनुष्य तभी अपने में विकसित कर सकता है, जब वह समाज में रहता हो। अकेले रहते हुए मनुष्य के लिए इनकी कोई भी सत्ता नहीं होती।

(४) सम्यक्ता की उन्नति के लिए भी मनुष्य का समाज में रहना उपयोगी है। जब हम प्रकृति की शक्तियों और उसके पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर उनका उपयोग अपने हित व कल्याण के लिए करते हैं, तभी हम सम्यक्ता के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। मनुष्य ने सबसे पूर्व अग्नि, जल और वायु की शक्तियों का अपने हित के लिए उपयोग शुरू किया। फिर बिजली की शक्ति का उपयोग कर उसने सम्यक्ता के क्षेत्र में बहुत उन्नति की। अब उसने परमाणुशक्ति का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और उसका प्रयोग भी वह अपने लाभ के लिए करने लगा है। सम्यक्ता के क्षेत्र में मनुष्य

ने जो भी उन्नति की है, वह सब परस्पर सहयोग का ही परिणाम है। हम अपने पुरखाओं से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे अपने प्रयत्न से और आगे बढ़ाते हैं। जिन तथ्यों का पता लगाने के लिए कोई विद्वान् अपना सारा जीवन लगा देता है, बाद के मनुष्य उसे थोड़े में समय में ही प्राप्त कर लेते हैं। यदि मनुष्य को अकेले रहकर अपना जीवन व्यतीत करना होता, तो उसे किसी भी बात को जानने के लिए स्वयं ही उद्योग करना पड़ता, और इस दशा में वह सभ्यता के मार्ग पर जरा भी आगे न बढ़ सकता। मनुष्य के पास आज जो ज्ञान का इतना भण्डार जमा हो गया है, उसका कारण यही है कि मनुष्य समाज में रहता है, और दूसरे मनुष्यों के सम्पर्क में आकर बहुत जल्दी उनसे ज्ञान प्राप्त कर लेता है।

(५) जिसे हम सांस्कृतिक जीवन कहते हैं वह समाज के बिना सम्भव ही नहीं है। मनुष्य केवल अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करके ही मनुष्ट नहीं होता। वह कला, नृत्य, मगीत आदि द्वारा अपने जीवन को अधिक सुखी भी बनाना चाहता है। पेट तो पशु भी भर लेते हैं। पर मनुष्य केवल पेट भरना ही पर्याप्त नहीं समझता। सस्कृत के एक कवि ने क्या ठीक कहा है—“साहित्य मगीतकलाविहीन साक्षात्पशु पुच्छविषाणहीन” साहित्य, मगीत और कला से विहीन मनुष्य एक ऐसे पशु के समान है, जिसके पूँछ और सींग न हों। पर साहित्य, मगीत और कला का विकास तो समाज के कारण ही होता है।

(६) समाज मनुष्य की आर्थिक उन्नति में सहायक होता है। समाज में रहने के कारण मनुष्य आर्थिक उत्पादन के लिए श्रम-विभाग (Division of Labour) का आश्रय ले सकता है। यदि प्रत्येक मनुष्य को अपनी आवश्यकता की सब चीज स्वयं ही उत्पन्न करनी हो, अनाज, कपड़े बरतन आदि स्वयं ही बनाने हों, तो वह कभी भी उतनी वस्तुओं का उपभोग करने में समर्थ नहीं होगा, जितनी वस्तुएँ कि आजकल का सभ्य मनुष्य प्रयोग में लाता है। श्रम-विभाग के कारण आज मनुष्य एक ही वस्तु का उत्पादन करता है, अन्य वस्तुओं को वह दूसरों से विनिमय (Exchange) करके प्राप्त कर लेता है। असल में तो आजकल के व्यवसाय-प्रधान देशों में एक वस्तु के उत्पादन के लिए भी कितने ही मनुष्यों के श्रम की आवश्यकता होती है। हम जिन वस्तुओं का उपभोग करते हैं, वे सब भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न-भिन्न स्थानों पर बनाई जाती हैं। सबके मिल-जुलकर काम करने, और श्रम-विभाग के विकास के कारण जहाँ मनुष्यों के लिए श्रम करना बहुत सुगम हो गया है, वहाँ मनुष्य बहुत प्रकार की वस्तुओं का भी उपभोग करने में समर्थ हो सका है।

(७) अपने सामाजिक जीवन के लिए मनुष्य जो अनेक प्रकार के समुदाय बनाता है, राज्य भी उनमें से एक है। राज्य अपने क्षेत्र में अमन चर्न कायम रखता है, बाहरी शत्रुओं के आक्रमणों से देश की रक्षा करता है, सार्वजनिक हितों को दृष्टि

में रखकर घनेक व्यवस्थाएँ करता है, और मनुष्यों के सामूहिक योगक्षेम के लिए प्रयत्न करता है। राज्य के इन विविध कार्यों पर हम अगले एक अध्याय में प्रकाश डालेंगे। राज्य द्वारा मनुष्यों को जो विविध लाभ पहुँचाते हैं, वे सब सामाजिक जीवन के ही लाभ हैं, क्योंकि राज्य भी समाज का ही एक अंग है।

व्यक्ति और समाज—

समाज का निर्माण व्यक्तियों से मिलकर ही होता है। वस्तुतः व्यक्ति और समाज एक-दूसरे से पृथक् होकर नहीं रह सकते। उनका सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ होता है। व्यक्ति के बिना समाज की और समाज के बिना व्यक्ति की सत्ता असम्भव है। जिस प्रकार शरीर में बहुत से छोटे-छोटे घटक (cell) होते हैं, वैसे ही समाज का निर्माण बहुत से व्यक्तियों से मिलकर होता है। शरीर के घटक शरीर से पृथक् अपनी कोई सत्ता नहीं रखते। इसी प्रकार मनुष्य या व्यक्ति समाज के बिना अपना कोई अस्तित्व नहीं रखता। इस दशा में यह समझ सकना कठिन नहीं है, कि व्यक्ति और समाज में कोई विरोध नहीं हो सकता। समाज की उन्नति के लिए व्यक्ति का उन्नत होना आवश्यक है, और व्यक्ति भी तभी अपनी उन्नति कर सकता है, जब समाज उन्नत हो। जो मनुष्य आस्ट्रेलिया के जंगलों में निवास करते हैं, वे आधुनिक ज्ञान-विज्ञान से सर्वथा अपरिचित हैं। इसका कारण यही है, कि उनका समाज बहुत अवनत दशा में है। इसके विपरीत जो बच्चे कलकत्ता, बम्बई जैसे बड़े शहरों में पलते हैं, वे बचपन से ही ट्राम, मोटर बस, रेडियो, टेलीफोन आदि कितने ही वैज्ञानिक साधनों से परिचित हो जाते हैं। विज्ञान के बहुत से मन्तव्यों का जो आजकल के सर्वसाधारण लोगों को भी परिचय है, और बच्चे भी जो अनेक वैज्ञानिक साधनों का सुगमता से प्रयोग कर लेते हैं, उसका कारण यही है, कि वे एक उन्नत समाज के अंग हैं। यदि हमने किसी ऐसे समाज में जन्म लिया होता, जो पत्थरों के औजारों से काम लेता हो, गुफाओं में निवास करता हो और शिकार द्वारा अपना निर्वाह करता हो, तो हम आधुनिक ज्ञान विज्ञान से कैसे परिचय प्राप्त कर सकते? इसमें सन्देह नहीं, कि व्यक्ति का हित, कल्याण व उन्नति समाज पर ही निर्भर करते हैं।

इसी प्रकार समाज भी अपनी उन्नति के लिए व्यक्तियों पर निर्भर रहता है। जिस समाज के लोग आलसी, डरपोक व निरुद्यमी होते हैं, वह समाज कदापि उन्नति नहीं कर सकता। कोई समाज तभी उन्नत हो सकता है, जब उसके अन्तर्गत विविध व्यक्ति परिश्रमी और कर्तव्यपरायण हो। वस्तुतः, समाज व्यक्तियों पर और व्यक्ति समाज पर आश्रित होने है, और दोनों के हित एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं।

व्यक्ति और समाज के सम्बन्धों पर एक अन्य दृष्टि से भी विचार किया जाता है। क्या व्यक्ति समाज के लिए है या समाज व्यक्ति के लिये है? इस प्रश्न पर दो

मन हैं। कुछ विद्वान् यह मानते हैं कि समाज का प्रयोजन केवल यह है, कि वह व्यक्ति के हितों का साधक हो, समाज अपने आपमें कोई उद्देश्य व साध्य नहीं है। वह व्यक्तियों के हित, कल्याण व उत्थिति के लिए साधन (means) मात्र है। इस सिद्धांत को व्यक्तिवाद (Individualism) कहते हैं। अन्य विचारक समाज को व्यक्तियों के हित का साधन मात्र न मानकर उसे अपने आपमें एक साध्य (end) मानते हैं। इन विचारकों के मत में व्यक्तियों के हित मासूहिक हितों व समाज के सम्मुख गौण होने चाहिएँ। समाजवादी (Socialists) इसी मत के समर्थक हैं। राज्य के कार्यक्षेत्र (Functions of the State) पर विचार करत हुए हम इन दोनों मतों पर प्रकाश डालेंगे।

अभ्यास के लिए प्रश्न

- १ 'मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है', इस कथन की धारणा कीजिए। (यू० पी०, १९३६)
२. 'मनुष्य अपने स्वभाव (प्रकृति) और आवश्यकता दोनों से एक सामाजिक प्राणी है' उदाहरण देने हुए इन कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। (यू० पी०, १९४०)
- ३ समाज का अभिप्राय समझाइए और साथ ही यह भी बताइए कि समाज के लिए किन तत्त्वों का होना आवश्यक है।
४. समाज शब्द की व्याख्या कीजिए और व्यक्ति व समाज के सम्बन्ध को स्पष्ट कीजिए। (राजपूताना १९५१)
- ५ समाज व समुदायों (Associations) में क्या भेद है ?

चौथा अध्याय विविध प्रकार के समुदाय

(Different Types of Associations)

समुदायो का वर्गीकरण—

दूसरो के साथ मिलकर सामाजिक जीवन बिताने के अपने स्वभाव के कारण और आवश्यकता से विवश होकर मनुष्यो ने अनेक प्रकार के समुदायो का निर्माण किया है। इन समुदायो का वर्गीकरण (Classification) अनेक प्रकार से किया जा सकता है—

(१) स्थायी और अस्थायी समुदाय—मनुष्यो के कुछ समुदाय स्थायी होते हैं, जो चिर काल तक कायम रहते हैं। राज्य मनुष्यो का एक ऐसा समुदाय है, जिसकी एक मुख्य विशेषता स्थायित्व (Permanence) होती है। सरकारें बदलती रहती हैं, पर राज्य स्थिर रहता है। बूबों राजवश का अन्त हो जाने से फाम की राज्य-संस्था का अन्त नहीं हो गया; अप्रेजो के चले जाने से भारत की सरकार बदल गई, पर राज्य पूर्ववत् कायम रहा। धार्मिक समुदाय राज्य के समान सदा स्थायी नहीं रहते, पर वे भी चिरकाल तक कायम रहते हैं। बौद्धसंघ छठी सदी ईस्वी पूर्व में कायम हुआ था। भारत में ही वह पन्द्रह सदियों के लगभग तक कायम रहा। रोमन कैथोलिक चर्च को कायम हुए भी बहुत-सी सदियाँ बीत चुकी है। ब्राह्मण-समाज और आर्यसमाज जैसे नये धार्मिक समुदायो को स्थापित हुए भी बहुत समय हो गया है। अनेक बैंक व कम्पनियाँ आदि धार्मिक समुदाय भी देर से कायम हैं।

अस्थायी समुदाय वे कहलाते हैं, जो किसी सामयिक समस्या को सम्मुख रखकर कायम किये जाते हैं, और उस समस्या का समाधान हो जाने पर उनकी समाप्ति कर दी जाती है। प्रकाल, भूकम्प, बाढ़ आदि के समय पीडित जनता की सहायता करने के लिए सगठित की गई संस्थाएँ अस्थायी समुदायो का उत्तम उदाहरण हैं। हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, कांग्रेस आदि के वार्षिक अधिवेशनों के प्रबन्ध के लिए जो स्वागत-समितियाँ सगठित की जाती हैं, वे भी समुदाय ही होती हैं। पर ये समुदाय स्थायी न होकर अस्थायी होते हैं, और कार्य पूरा हो जाने पर इन समुदायो का अन्त कर दिया जाता है।

(२) अनिवार्य और ऐच्छिक समुदाय—कुछ समुदाय ऐसे होने हैं, जिनका

सदस्य होना मनुष्य के लिए अनिवार्य होता है। मनुष्य चाहे या न चाहे, उसे इन समुदायों का सदस्य होना ही पड़ता है, क्योंकि ये समुदाय मनुष्य के अस्तित्व के लिए अनिवार्य होते हैं। कुटुम्ब, जाति और राज्य—इसी प्रकार के अनिवार्य समुदाय हैं। सब मनुष्य किसी-न-किसी परिवार में उत्पन्न होते हैं, उन्हें उसका सदस्य होना ही पड़ता है। इसी प्रकार जाति या जन (कबीला या Tribe) इस प्रकार का समुदाय है, जिसके साथ मनुष्य का सम्बन्ध अनिवार्य रूप से होता है। राज्य का सदस्य हुए बिना भी मनुष्य का काम नहीं चल सकता। सब मनुष्य किसी-न-किसी राज्य के अंग अवश्य होते हैं।

अनेक समुदाय ऐसे भी होते हैं, जिनका सदस्य होना या न होना मनुष्य की अपनी इच्छा पर निर्भर है। धार्मिक समुदाय, राजनीतिक दल, साहित्य समितियाँ, मनोरञ्जन के लिए संगठित बल्लव, मजदूर सघ आदि इसी प्रकार के समुदाय हैं। यह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है, कि वह आर्य-समाज का सदस्य बने, या ईसाई चर्च का या सनातनधर्म सभा का। कोई मनुष्य ऐसा भी हो सकता है, जो किसी भी धार्मिक समुदाय का सदस्य न हो। इस दृष्टि के समुदायों को 'ऐच्छिक' कहा जाता है।

(३) प्रभुत्वसम्पन्न, अर्धप्रभुत्वसम्पन्न और प्रभुत्वहीन समुदाय—किसी समुदाय की शक्ति व अधिकार-क्षेत्र क्या है, इस आधार पर समुदायों के तीन विभाग किये जाते हैं। राज्य एक ऐसा समुदाय है, जिसे पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न (Sovereign) कह सकते हैं। प्रभुता (Sovereignty) राज्य की एक विशेषता है। यह विदेशता किसी अन्य समुदाय में नहीं होती। बाहर और अन्दर, दोनों क्षेत्रों में राज्य सर्वोपरि होता है। उसकी प्रभुता व सर्वोपरिता को मर्यादित करने वाली कोई अन्य सत्ता नहीं होती।

किसी राज्य के अन्दर जो अनेक विभाग व उपविभाग होने हैं, उन्हें अर्ध-प्रभुत्व-सम्पन्न (Semi Sovereign) कह सकते हैं। भारत सम्पूर्ण-प्रभुत्वसम्पन्न है, पर उसके अन्तर्गत जो विविध राज्य हैं, उनके अधिकार व शक्ति सीमित हैं। उनकी सरकारें भी अपने आदेशों को मनवाने की शक्ति रखती हैं, पर पूर्ण रूप से नहीं। यही बात राज्य के अन्तर्गत जिलों व नगरों के शासन के सम्बन्ध में कही जा सकती है।

जो विविध धार्मिक, आर्थिक व सांस्कृतिक आदि बहुत से समुदाय हैं, उन्हें प्रभुत्वहीन (Non Sovereign) कह सकते हैं। इन समुदायों को यह शक्ति प्राप्त नहीं होती, कि वे अपने आदेशों का पालन कराने के लिए बल का प्रयोग कर सकें। आर्य-समाज का कोई सदस्य यदि उसके नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे आर्यसमाज न जेल में डाल सकता है, और न अन्य किसी प्रकार से नियम पालन कराने के लिए शक्ति का प्रयोग कर सकता है। हाँ, लोकमत व सामाजिक दबाव के बोर पर ये समुदाय अपने नियमों का पालन कराने में कुछ अंशों तक अवश्य सफल होते हैं।

(४) उद्देश्य व प्रयोजन की दृष्टि से समुदायों का वर्गीकरण—ऊपर हमने तीन प्रकार के विविध समुदायों का वर्गीकरण किया है। पर सबसे अधिक उत्तम वर्गीकरण वह है, जो समुदायों के उद्देश्य या प्रयोजन व प्रकृति की दृष्टि में रखकर किया जाता है। जिस प्रयोजन व भावना से किसी समुदाय के सदस्य परस्पर एक सूत्र में बंधे रहते हैं, उसे आधार बनाकर समुदायों को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—

(१) जो लोग अपने को एक कुल, एक वंश या एक जाति का समझते हैं, वे अपने में एक प्रकार की एकता की अनुभूति रखते हैं। कृट्टम्ब, कुल, बिरादरी, गोत्र, जाति और कबीले इसी ढंग के समुदाय हैं। इस प्रकार सजातता (Kinship) की भावना एक प्रकार के समुदायों का प्रादुर्भाव करती है।

(२) जो लोग एक प्रकार के धार्मिक विश्वास रखते हैं, वे एक धार्मिक समुदाय में संगठित हो जाते हैं। हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, जैन, पारसी, बौद्ध आदि धार्मिक समुदायों का आधार धार्मिक विश्वासों की एकता ही है। इस प्रकार धर्म की एकता दूसरे प्रकार के समुदायों का प्रादुर्भाव करती है।

(३) आर्थिक हितों की एकता के कारण भी अनेक समुदाय संगठित होते हैं। श्रमी सघ (Trade Unions), सहकारी समितियाँ (Co-operative Societies) और व्यापारी सघ (Chambers of Commerce) इस प्रकार के आर्थिक समुदायों के उत्तम उदाहरण हैं।

(४) राजनीतिक प्रयोजन से मनुष्यों ने जो समुदाय बनाये हैं, राज्य उनमें सबसे उत्कृष्ट है। प्रत्येक राज्य में अनेक राजनीतिक दल भी होते हैं, जिनका प्रयोजन राजनीतिक क्षेत्र में किसी विशेष नीति का अनुसरण करना होता है। ये भी एक प्रकार के राजनीतिक समुदाय ही होते हैं।

(५) अनेक समुदायों का निर्माण सांस्कृतिक प्रयोजन से किया जाता है। स्कूल, नालिज, पुस्तकालय, वाचनालय, अनुसंधान समितियाँ, विज्ञान परिषद् आदि संस्थाओं को हम सांस्कृतिक समुदायों के अन्तर्गत कर सकते हैं।

(६) समाज-सुधार के उद्देश्य से भी अनेक समुदाय बनाये जाते हैं। विधवा-विवाह के प्रचार के लिए, अछूतों का उद्धार करने के लिए, जात पति की प्रथा के विरुद्ध प्रचार करने के लिए व इसी प्रकार के अन्य सुधारों के उद्देश्य से जो समुदाय बनाये जाते हैं, उन्हें इस वर्ग के अन्तर्गत किया जा सकता है।

(७) कुछ समुदायों का प्रयोजन मनोरंजन होता है। नगरों में अनेक प्रकार के ऐसे क्लब संगठित किये जाते हैं, जिनका प्रयोजन केवल मनोरंजन ही होता है।

अब हम इन विविध प्रकार के समुदायों पर अधिक विस्तार के साथ प्रकाश डालेंगे।

सजातता (Kinship) पर आधारित समुदाय—

सजातता पर आधारित समुदाय अनेक है। इनमें कुटुम्ब (Family), कुल (Clan), जन या कबीला (Tribe), और जाति (Caste) मुख्य हैं।

कुटुम्ब—कुटुम्ब मनुष्यों का सबसे छोटा समुदाय है। पर छोटा होने के कारण उसका महत्त्व कम नहीं है। वह न केवल उपयोगी है, अपितु अनिवार्य भी है। प्रत्येक मनुष्य किसी-न किसी कुटुम्ब का सदस्य अवश्य होता है। यह समुदाय सबसे प्राचीन भी है। मानव-इतिहास के आदि काल में ही कुटुम्ब का निर्माण हो गया था, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति का परिणाम है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से चाहता है, कि वह अकेला न रहे, अपितु सन्तान उत्पन्न करके अपने को 'बहुस्व' कर ले। हिन्दू शास्त्रों में लिखा है—'एकोऽहं बहु स्वाम प्रजापेय इति'। मनुष्य अनुभव करता है, कि मैं अकेला हूँ, सम्मान उत्पन्न करूँ, और 'बहु' हो जाऊँ। शारीरिक सम्भोग की इच्छा, प्रेम और सन्तानोत्पत्ति करना मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्तियाँ हैं। यही प्रवृत्तियाँ कुटुम्ब की आधार हैं। मनुष्य विवाह करके जहाँ शारीरिक सुख प्राप्त करता है, वहाँ साथ ही बच्चों का पालन-पोषण करने में उस स्वाभाविक आनन्द की अनुभूति हाती है। माता पिता बच्चों के लिए कष्ट उठाते हैं। यदि बच्चे कुटुम्ब का अंग बनकर न रहें, तो उनका पालन पोषण सम्भव ही न हो। यही कारण है, कि बहुत प्राचीन काल में ही मनुष्य कुटुम्बरूपी समुदाय में संगठित होने लग गया था।

पर कुटुम्ब का जो रूप आजकल है, सदा से वही नहीं चला आया है। ऐतिहासिक लोग एक ऐसे समय की भी कल्पना करते हैं, जब पिता और माता का सम्बन्ध स्थायी नहीं होता था। उस युग में एक कुल (Clan) के सब स्त्री-पुरुष अपने को बहन-भाई समझते थे। उनका यह विश्वास था, कि हम सब एक ही पूर्वज (Ancestor) की सन्तान हैं। पर विशेष त्योहार के अवसरों पर पड़ोस में निवास करने वाले कुल के साथ मिलकर वे उत्सव मनाते, और इन अवसरों पर वे नाच गान में निमग्न हो जाते। एक कुल की स्त्रियों का दूसरे कुल के पुरुषों के साथ यौन सम्बन्ध भी इन अवसरों पर हो जाया करता था। इस प्रकार जो सन्तान उत्पन्न होती, अपने पिता का उसके साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं होता था। इस सन्तान का पालन पोषण कुल द्वारा हुआ करता था। बाद में कुटुम्ब का निर्माण हुआ, और पति-पत्नी एक साथ निवास करने लग। कुटुम्ब के विकास में पूर्व चाहे कोई ऐसा समय रहा हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्यों का यह समुदाय बहुत अधिक प्राचीन है।

यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि इतिहास में कुटुम्ब भी दो प्रकार के रहे हैं, पितृसत्ताक (Patriarchal) और मातृसत्ताक (Matriarchal)। आजकल पितृसत्ताक कुटुम्बों का ही प्राधान्य है। इन कुटुम्बों में पिता या पति की मुख्यता होती है, और स्त्री अपने पिता के परिवार को छोड़कर पति के परिवार का अंग बन जाती

है। पर इतिहास में ऐसे कुटुम्ब भी रहे हैं, और अब भी कहीं-कहीं हैं, जिनमें वंश-क्रम पिता से न होकर माता द्वारा होता है। ऐसे परिवारों को मातृसत्ताक कहा जाता है।

कुटुम्ब का स्वरूप चाहे कैसा भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि वही मनुष्य के सामाजिक जीवन का आधार है। सामाजिक जीवन का अभिप्राय यही है कि मनुष्य परस्पर मिलकर रहे, और एक साथ मिलकर अपने हित, कल्याण और उन्नति के लिए तत्पर हो। इसके लिए उन्हें अनेक अशो में अपनी स्वतन्त्र इच्छा को मर्यादित करना पड़ता है। कुटुम्ब का अंग बनकर मनुष्य अपने में उन गुणों को विकसित करता है, जो उसे सामाजिक जीवन के योग्य बनाते हैं। इसीलिये एक लेखक ने लिखा है, कि मनुष्य के सामाजिक जीवन के लिए कुटुम्ब एक शाश्वत विद्यालय के समान है। कुटुम्ब का अंग बनकर मनुष्य जिन गुणों को सीखता है, वे निम्नलिखित हैं—

(१) प्रेम—कुटुम्ब के सब सदस्यों के लिये एक दूसरे के प्रति प्रेम-भाव रखना आवश्यक है। पति पत्नी से प्रेम करता है, और पत्नी पति से, माता पिता सन्तान से और सन्तान माता-पिता से। प्रेम-भावना को कुटुम्ब की नींव माना जा सकता है। कुटुम्ब में रहता हुआ मनुष्य केवल अपने लिये ही नहीं जीता, केवल अपने सुख से ही सुखी नहीं होता, अपितु दूसरे के सुख में ही अपना सुख समझता है। माता पिता को जितना सुख स्वयं सुस्वादु भोजन खाकर या उत्तम वस्त्र पहनकर प्राप्त होता है, उससे कहीं अधिक सुख तब मिलता है, जब कि वे अपनी सन्तान को अच्छा भोजन खाते या बढ़िया कपड़े पहनते हुए देखते हैं। सबसे प्रेम करने और दूसरों के सुख में अपना सुख मानने की शिक्षा नागरिक जीवन का आधार है। पर इसका अभ्यास मनुष्य को कुटुम्ब द्वारा ही होता है।

(२) सेवाभाव—कुटुम्ब के सब सदस्य एक-दूसरे के प्रति सेवाभाव रखते हैं। कुटुम्ब का कोई व्यक्ति जब बीमार पड़ता है या विकलाङ्ग हो जाता है, तो दूसरे लोग उसे असहाय नहीं छोड़ देते, अपितु उसकी सेवा करने में प्रसन्नता अनुभव करते हैं। सामाजिक जीवन या नागरिकता का यही मूल तत्त्व है। कुटुम्ब के विविध सदस्य एक दूसरे की जो सेवा करते हैं, उसमें स्वार्थ-भावना का संघर्ष अभाव होता है। यही बात समाज के अन्य बड़े समुदायों में भी होनी चाहिये।

(३) सहयोग—कुटुम्ब के सब सदस्य परस्पर सहयोग द्वारा कार्य करते हैं। पति-पत्नी, सहयोग द्वारा ही अपनी पारस्परिक अल्पसंयुक्तताओं को पूरा करते हैं। बच्चे जहाँ खेल कूद में सहयोग से काम लेते हैं, वहाँ घर के कामों में माता-पिता से भी सहयोग करते हैं।

(४) सहिष्णुता—कुटुम्ब की सफलता के लिये सहिष्णुता अत्यन्त आवश्यक है। जो स्त्री व पुरुष एक साथ मिलकर कुटुम्ब का निर्माण करते हैं, उनकी रचि व

विचार पूर्णतया एक सट्टा हो, यह आवश्यक नहीं है। अतः उन्हें एक दूसरे की हवि व विचारों के प्रति सहिष्णु होना पड़ता है। कितने ही घरों में पति-पत्नी के धार्मिक विश्वासों में भी अन्तर होता है। पति यदि स्वतन्त्र विचार का है, देवी-देवताओं में विश्वास नहीं रखता, तो स्त्री अतः पूजा के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। पर उन्हें साथ रहते हुए एक दूसरे के विचारों व विश्वासों का आदर करना होता है। कितने ही घरों में सन्तान के विचार माता-पिता के विचारों से भिन्न हो जाते हैं, पर माता-पिता उनको सहन करते हैं। सहिष्णुता का जो यह पाठ मनुष्य कुटुम्ब में पढ़ता है, वह अधिक व्यापक समाज में उसके बहुत काम आता है। किसी भी देश में जनता के धार्मिक, राजनीतिक व आर्थिक विचारों में कितनी ही भिन्नताएँ पाई जाती हैं। पर भिन्न-भिन्न विचारों व हवियों के लोगों को एक देश में एक साथ ही रहना होता है। यदि उनमें सहिष्णुता की भावना न हो, तो वे कभी एक साथ रहकर अपनी उन्नति नहीं कर सकते।

(५) आज्ञापालन और नियन्त्रण—कुटुम्ब में बच्चे बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं। यद्यपि इसमें माता-पिता के प्रेम का भाव भी काम कर रहा होता है, पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उन्हें यह ज्ञान भी हो जाता है कि बड़ों की बात मानना उनका कर्तव्य है। माता-पिता इस बात का ध्यान करते हैं, कि बच्चे केवल उन्हीं बातों को सीखें, जो उनके भावी जीवन के लिए उपयोगी हों। उन्हें बुरी आदतों से बचाने का माता-पिता को विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिये वे बच्चों को अपने अनुशासन व नियन्त्रण (Discipline) में रखते हैं। बच्चों को आज्ञापालन और नियन्त्रण में रहने की जो आदत कुटुम्ब में पढ़ जाती है, वह बड़े होने पर उनके बहुत काम आती है। इटली के प्रसिद्ध विचारक व नेता मेज़िनी ने क्या ठीक कहा है—बच्चे नागरिकता का सबसे उत्तम पाठ माता के कुम्बन और पिता के दुलार द्वारा ही सीखते हैं।

(६) कर्तव्य-पालन—कुटुम्ब में स्त्री-पुरुष अपने-अपने कर्तव्य के पालन का ध्यान रखते हैं। यदि पुरुष धन कमाने के कर्तव्य की उपेक्षा करे और स्त्री घर के कामों पर ध्यान न दे, तो कुटुम्ब कभी सुखी नहीं रह सकता। कुटुम्ब में मनुष्य को कर्तव्य-पालन की जो शिक्षा मिलती है, वह उसके लिये समाज के व्यापक समुदायों में भी बहुत काम आती है।

(७) कुटुम्ब के प्रति भक्ति—कुटुम्ब का प्रत्येक सदस्य कुटुम्ब के प्रति भक्ति (Allegiance) रखता है। छोटे बच्चे तक भी यह भाव रखते हैं, कि उन्हें अपने कुटुम्ब के हित, कल्याण व उन्नति के लिये प्रयत्न करना चाहिये, और कुटुम्ब की बातों की चर्चा व्यर्थ में दूसरे लोगों से नहीं करनी चाहिये। किसी भी समुदाय की सफलता के लिये उसके सदस्यों की उसके प्रति भक्ति का होना अत्यन्त आवश्यक है। राज्य के सब सदस्य उसके प्रति भक्ति रखते हैं। जिस राज्य के लोगों में भक्ति की यह भावना

न हो, वे सन्तुष्टो से मिलकर अपने राज्य का अहित करने में जरा भी सज्ज नहीं करते। समुदायो के प्रति हमारी भक्ति होनी चाहिये, इसका पहला पाठ भी मनुष्य कुटुम्ब में ही पढता है।

कुटुम्ब की सफलता के लिये आवश्यक बातें—

क्योंकि कुटुम्ब एक अनिवायं समुदाय है, और उसी के द्वारा मनुष्य उन सब गुणों को सीखते हैं, जो सामाजिक जीवन की सफलता के लिये आवश्यक हैं, अतः हमें यह भी विचार करना चाहिये कि किन बातों द्वारा हम एक सफल व आदर्श कुटुम्ब बना सकते हैं। संस्कृत में एक कहावत है—“यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे”। इसका मतलब यह है, कि जो बातें एक छोटे से पिण्ड में पाई जाती हैं, वही सारे ब्रह्माण्ड या ससार में भी होती हैं। यद्यपि कुटुम्ब एक बहुत छोटा-सा समुदाय है, पर उसमें सारा सामाजिक जीवन प्रतिबिम्बित रहता है। अतः कुटुम्ब की सफलता के लिये आवश्यक बातों को जानकर हमारे लिये यह समझना भी कठिन नहीं रहेगा, कि बड़े समुदायों की सफलता के लिये कौन-सी बातें उपयोगी व आवश्यक हैं।

कुटुम्ब की सफलता के लिये आवश्यक बातों को दो भागों में बाँटा जा सकता है—(१) बाह्य परिस्थितियाँ (External Conditions) और आन्तरिक परिस्थितियाँ (Internal Conditions)। हम दोनों पर पृथक्-पृथक् विचार करेंगे।

बाह्य परिस्थितियाँ—कुटुम्ब की सफलता के लिये आवश्यक बाह्य परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं—

(१) प्रत्येक कुटुम्ब की आमदनी कम-से-कम इतनी अवश्य होनी चाहिये कि वह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। यह तो स्पष्ट ही है, कि मनुष्य की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताएँ निम्नलिखित हैं—उसे भर पेट भोजन मिल सकना चाहिए, भोजन भी ऐसा हो जो शरीर की पुष्टि करने वाला हो। पहनने के लिए कपड़ा भी प्रत्येक मनुष्य को मिलना चाहिये। कपड़ा चाहे महीन व शानदार न हो, पर वह ऐसा अवश्य होना चाहिये, जिससे मनुष्य शीत, वर्षा व गर्मी से अपने शरीर की रक्षा कर सके। पर मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकता केवल भोजन और कपड़ा ही नहीं है। मनुष्य कभी बीमार भी पड़ता है, किसी आकस्मिक दुर्घटना के कारण वह अपाहिज व विकलाङ्ग भी हो सकता है, जिसके कारण वह काम करने के योग्य नहीं रह जाता। बुढ़ापा भी सबको आता है, और बुढ़ापे में आदमी कमाई करने लायक नहीं रहता। कुटुम्ब की आमदनी इतनी अवश्य होनी चाहिये, कि जहाँ उससे भोजन और वस्त्र प्राप्त हो सकें, वहाँ रोग, बुढ़ापे आदि में भी काम चल सके।

(२) कुटुम्ब के पास अपने निवास के लिए एक अच्छे मकान का होना भी बहुत आवश्यक है। जिस तरह आत्मा के निवास के लिए शरीर होता है, वैसे ही मनुष्यो

के निवास के लिए मकान की उपयोगिता है। अलग मकान के बिना कोई कुटुम्ब अपने पारिवारिक जीवन को नहीं बिता सकता। मकान भी ऐसे होने चाहिए, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो।

आन्तरिक परिस्थितियाँ—(१) कुटुम्ब के सदस्यों की इतनी शिक्षा अवश्य होनी चाहिए, जिससे जहाँ वे आजीविका कमा सकें, वहाँ साथ ही कुटुम्ब के प्रति अपने कर्तव्यों को भी समझ सकें। अशिक्षित मनुष्य न अपने कर्तव्यों को जानता है, और न उसमें सहयोग, सहिष्णुता आदि गुण भली-भाँति विकसित हो सकते हैं। शिक्षा जहाँ मनुष्य को राज्य के उत्तम नागरिक बनने में सहायता देती है, वहाँ साथ ही कुटुम्ब का उत्तम सदस्य बनने में भी सहायक होती है।

(२) सेवाभाव, प्रेम, सहिष्णुता, आज्ञापालन आदि पारिवारिक जीवन के जिन गुणों का हमने ऊपर उल्लेख किया है, उनका होना भी कुटुम्ब की सफलता के लिए बहुत उपयोगी है।

(३) सफल कुटुम्ब के लिए एक आवश्यक बात यह भी है, कि कुटुम्ब का आकार बहुत बड़ा न हो। बहुत बच्चों का होना आजकल की परिस्थिति में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि माता पिता के लिए उनका पालन पोषण करना, उन्हें उचित शिक्षा देना और बाद में उन्हें काम में लगाना सुगम नहीं होता। इंग्लिश आज़कल अनेक देशों में 'परिवार आयोजन' (Family Planning) की व्यवस्था की जाती है, और गृहस्थों को यह सिखाया जाता है कि किस प्रकार वे अपने कुटुम्ब के आकार को मर्यादित रख सकते हैं।

कुल (Clan)—सजातता (Kinship) के आधार पर बने हुए समुदायों में 'कुल' का भी बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। कुल का रूप एक बड़े परिवार के समान होना है। एक पिता के अनेक पुत्र बड़े होकर अपने अलग अलग कुटुम्ब बना लेते हैं, पर इन विविध कुटुम्बों में यह भाव कायम रहता है, कि हम एक ही पूर्वज (Ancestor) की सन्तान हैं। उनमें अपने एक होने की अनुभूति कायम रहती है। ऐसे कुटुम्बों के समूह को, जिनमें यह विचार विद्यमान हो कि हम एक ही पूर्वज की सन्तान हैं, कुल कहते हैं। संस्कृत में इसी को 'गोत्र' भी कहा जाता है। इसी कारण एक गोत्र के स्त्री पुरुष अपने को बहन भाई समझते हैं, और उनमें विवाह सम्बन्ध नहीं होता। कुल के सदस्य भी एक दूसरे के प्रति अपने अनेक कर्तव्य समझते हैं, और परस्पर सहयोग से काम करते हैं।

जन या कबीला (Tribe)—बहुत से कुलों में मिलकर एक जन या कबीले का निर्माण होता है। कबीला एक राजनीतिक समुदाय है, पर उसका आधार सजातता ही होती है। कबीले के विविध सदस्यों में भी यह विचार पाया जाता है, कि हम सब किसी एक पूर्वज की सन्तान हैं यद्यपि उनमें यह विचार बहुत अस्पष्ट

रूप से रहता है। अपना सामुदायिक जीवन बिताते हुए मनुष्यो को यह आवश्यकता अनुभव होनी है, कि वे परस्पर मिलकर शत्रुघो का मुकाबिला करें, और किसी के नेतृत्व में रहकर अपने हितों की रक्षा करें। इसी उद्देश्य से बहुत से कुलो द्वारा एक जन या कबील का संगठन किया जाता है। मानव इतिहास में जब मनुष्य शिकार या पशु पालन द्वारा अपना निर्वाह किया करते थे, तो वे किसी स्थान पर स्थायी रूप में बस गए नहीं होने थे। पर कहीं स्थायी रूप में बसे हुए न होने पर भी उनमें सामुदायिक जीवन की सत्ता थी। जब ये जन कहीं स्थायी रूप से बस गये, तब 'जनपद' का निर्माण हुआ। जनपदों का शासन जिन सभाओं द्वारा होता था, उनमें जन के अंतर्गत विविध कुलों के 'कुलमुख्य' ही सम्मिलित हुआ करते थे।

जाति (Caste)—सजातता (Kinship) के आधार पर ही एक ग्रन्थ समुदाय का निर्माण हुआ है, जिसे जाति (Caste) कहते हैं। भारत के सामाजिक जीवन में जाति का महत्त्व बहुत अधिक है। इस देश की सब जनता बहुत सी जातियों में विभक्त है जिनकी प्रथाएँ, रीति रिवाज, मान पान व परम्पराएँ एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। ब्राह्मण, राजपूत, जाट, गूजर, अप्रवाल, रस्तोगी, कायस्थ, चमार आदि कितनी ही जातियाँ इस देश में विद्यमान हैं, जिनमें जाति के आधार पर आश्रित पृथक् सामुदायिक जीवन की सत्ता है। इन जातियों का विकास किस प्रकार और किन कारणों द्वारा हुआ, यह प्रश्न बहुत विवादग्रस्त है। यहाँ इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं। जातियों के मुख्य आधार स्थूल रूप से दो हैं, नस्ल की एकता, और एक पेशे का अनुसरण करना। कुम्हार, बड़ई, गडरिया, नाई, चमार आदि कितनी ही जातियाँ ऐसी हैं, जिनके लोग किसी एक पेशे का ही अनुसरण करते हैं। पर साथ ही, उनमें सजातता की दृष्टि से भी अपने एक होने का विचार विद्यमान है। बहुत-सी जातियों के लोग अपने को किसी एक पूज्य की ही सन्तान समझते हैं। अग्रवाल लोग अपने को राजा अग्रसेन का, रस्तोगी लोग अपने को राजा हरिश्चन्द्र का और सिसोदिया राजपूत अपने को राजा रामचन्द्र का वंशज मानते हैं। यही बात अन्य बहुत सी जातियों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है।

धर्म के आधार पर निर्मित समुदाय—

संसार में इस समय बहुत से धर्म प्रचलित हैं, जिनमें बौद्ध, ईसाई, हिंदू और मुस्लिम धर्म प्रमुख हैं। एक धर्म का अनुसरण करने वाले लोगों में परस्पर एकानुभूति हो, यह सर्वथा स्वाभाविक है। पर एक धर्म का अनुसरण करने वाले सब लोग किसी एक समुदाय में भी संगठित हो, यह आवश्यक नहीं है। इस्लाम के अनुयायी अरब, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, भारत, इण्डोनेशिया आदि कितने ही देशों में निवास करते हैं। जब तक तुर्की के मुलतान को इस्लाम का खलीफा भी माना जाता था, संसार भर

के मुसलमान उमे अरना धर्मगुरु ममझने थे, और उसके प्रति अपनी भक्ति व निष्ठा (Allegiance) प्रदर्शित करते थे। उम समय यह कहा जा सकता था, कि सत्तार भर के मुसलमान एक समुदाय मे सगठिन हैं। ईसाई लोगों के अनेक समुदाय हैं, जिनमे रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेन्ट मुख्य हैं। सत्तार भर के रोमन कैथोलिक ईसाई रोम के पोप को अपना धर्मगुरु मानते हैं, और वह सब देशों मे अपने प्रतिनिधि नियत करता है। रोमन कैथोलिक ईसाइयों का एक सुसंगठित समुदाय विद्यमान है। प्रोटेस्टेन्ट ईसाइयों के अनेक सम्प्रदाय हैं, जिन सबके अलग अलग सगठन हैं। हिन्दू धर्म का कोई एक केन्द्रीय सगठन नहीं है, पर उसके विविध सम्प्रदाय अपने-अपन सगठन बनाये हुए हैं। धर्मों के ये विविध समुदाय इस प्रयोजन से सगठित हैं, कि अपने-अपने अनुयायियों के धार्मिक विश्वासों, रीति-रिवाजों, पूजापाठ वी विधियों और आचरण को नियन्त्रित करें, और साथ ही धर्म-प्रचार द्वारा अपने अनुयायियों की सख्या को बढ़ाने का भी प्रयत्न करें। अपने मन्तव्यों के प्रचार और अपने अनुयायियों की सख्या मे वृद्धि करने के पयोजन से धार्मिक समुदाय शिक्षणालय, अस्पताल, विषया आश्रम, अनायालय आदि भी खोलते हैं और अन्य अनेक प्रकार से भी जनता की सेवा करते हैं।

ऐसे लोग बहुत कम हैं, जो किसी भी धर्म के अनुयायी न हो। प्राय सभी लोग किसी-न किसी धर्म को मानते हैं, और उसकी शिक्षा के अनुसार पूजा पाठ करने और धर्म द्वारा प्रतिपादित विधि-विधानों का अनुसरण करने का प्रयत्न करते हैं। धर्म का सम्बन्ध मनुष्य के आन्तरिक विश्वासों के साथ होता है, पर उसकी अभिव्यक्ति अनेक इस प्रकार के पूजा-पाठ व विधि विधानों द्वारा होती है, जो आन्तरिक न होकर बाह्य होते हैं। ईश्वर के पति मनुष्य का जो विश्वास है, उसे बाह्य रूप से हिन्दू लोग पूजा द्वारा और मुसलमान लोग नमाज द्वारा प्रकट करते हैं।

व्यक्ति का धार्मिक समुदाय से सम्बन्ध—व्यक्ति का धार्मिक समुदाय के साथ सम्बन्ध बहुत गहरा व घनिष्ठ होता है। इसका कारण यह है, कि धर्म से मनुष्य को अनेक लाभ पहुँचने हैं। धर्म उन नियमों व तत्त्वों का उपदेश करता है, जो मनुष्य को इहलोक मे सुखी होने और मोक्ष प्राप्त करने मे सहायक होने हैं। हिन्दू शास्त्रों के अनुसार धर्म का लक्षण इस प्रकार किया गया है—“यतो अभ्युदयनि श्रयमसिद्धि स धर्मः”। जिससे इस लोक मे मनुष्य अपना अभ्युदय (हित, कल्याण और उन्नति) कर सके, और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त कर सके, उसे धर्म कहते हैं। प्राय सभी धर्म मनुष्य को यह शिक्षा देते हैं, कि वह सदा सत्य भाषण करे, अहिंसा व्रत का पालन करे, चोरी न करे, ब्रह्मचर्यपूर्वक जीवन व्यतीत करे, परस्त्री पर कुदृष्टि न डाले और सम्पत्ति का बहुत परिग्रह (मन्चय) न करे। छत्र बपट, ईर्ष्या द्वेष, लोभ आदि मे दूर रहे, और दूसरों के प्रति दया व सहानुभूति का बरताव करे। इसमे सन्देह नहीं,

कि इन तथ्यों का अनुसरण कर मनुष्य जीवन में सुख प्राप्त कर सकता है, और अपनी उन्नति भी कर सकता है। साथ ही धर्म यह शिक्षा भी देता है, कि इस जीवन से परे भी एक जीवन है और मनुष्य को उसका भी ध्यान रखना चाहिए। हिन्दू लोग पुनर्जन्म के सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं और यह मानते हैं कि मृत्यु के साथ मनुष्य के जीवन का अन्त नहीं हो जाता। मरकर मनुष्य फिर जन्म लेता है और यह दूसरा जन्म अपने कर्मों के अनुसार होता है। इस जन्म में मनुष्य जो कर्म करता है यदि उनका फल इसी जन्म में न मिल जाय तो वह अगल जन्मों में जरूर मिलेगा। इस्लाम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता। पर उसके अनुसार भी क्यामत के दिन सब लोगों को खुदा के सामने अपने कर्मों का जवाब देना पड़ेगा। जिसके जैसे कर्म होंगे, उसी के अनुसार उसे बहिश्त में सुख या जहन्नम में तक्लीफ भोगनी पड़ेगी। विविध धर्मों की ये शिक्षाएँ मनुष्य का बुरे कर्मों में बचानी हैं और अच्छे काम करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती हैं। धार्मिक समुदाय व्यक्तियों के लिए प्रकाशस्तम्भ का काम करते हैं जो उन्हें सच्चा व सुरक्षित मार्ग दिखाने रहते हैं।

• व्यक्ति और धार्मिक समुदायों के सम्बन्ध को हम सशप से इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं—

(१) धर्म मनुष्य के अविनाशित जीवन के साथ गहरा सम्बन्ध रखता है। वह मनुष्यों को यह बताता है कि उन्हें अपने वैयक्तिक जीवन में किन आदर्शों को सम्मुख रखना चाहिए और अपने अंदर कौन से गुण विकसित करने चाहियें। वह इहलोक और परलोक में सुखी होने का एक निश्चित आदर्श मनुष्यों के सम्मुख पेश करता है, और उनके उपाय भी उन्हें बताता है।

(२) सामाजिक व सामुदायिक जीवन के साथ भी धर्म का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। एक दूसरे में धर्ताव करते हुए मनुष्य किस प्रकार का आचरण करे, यह धर्म उन्हें बताता है। हिन्दू मुसलमान ईसाई आदि सब धर्मों के सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में अपने अपने आदर्श हैं अपने अपने विचार हैं। व्यक्ति इन आदर्शों को बहुत अधिक महत्त्व देने हैं। जिन धर्मों के अनुसार बहु विवाह जायज है, उनके अनुयायियों को अनेक स्त्रियों से विवाह करन में कोई भी अनौचित्य नजर नहीं आता। भारत में अब किसी को अछूत समझना कानून के विरुद्ध है पर बहुत से हिन्दू कानून की उपेक्षा कर अब तक भी अछूत समझी जानेवाली जातियों को कुष्ठों पर चढ़ने से रोकते हैं, और उन्हें मन्दिरों में प्रविष्ट नहीं होने देते। इस सब का कारण यही है, कि मनुष्यों के सामाजिक जीवन पर धार्मिक समुदायों का बहुत अधिक प्रभाव होता है।

(३) व्यक्ति धार्मिक समुदायों के प्रति बहुत अधिक निष्ठा व भक्ति (Allegiance) रखते हैं। इस भक्ति के कारण वे अनेक बार राज्य का भी विरोध करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

(४) लोकतन्त्र शासनो के कारण वर्तमान समय में राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा गया है। पर अब से डेढ़ सौ दो सौ साल पूर्व जबकि समार के प्राय सभी देशों में राजाओं का एकतन्त्र व स्वैच्छाचारी शासन था, सरकार की ओर से न शिक्षा का प्रवर्धन होता था, न अस्पताल खोले जाते थे और न लोकहितकारी अन्य कार्य ही किये जाते थे। उस समय ये सब कार्य प्राय धार्मिक समुदाय ही किया करते थे। अब तक भी धार्मिक समुदाय इन कार्यों को करते हैं, और इनके कारण व्यक्तियों पर उनका प्रभाव अब भी बहुत अधिक है।

धर्म और सामाजिक जीवन—हमने अभी लिखा है, कि धर्म का मनुष्यों के सामाजिक जीवन के साथ भी बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। धर्म जहाँ हमारे व्यक्तिगत जीवन को मर्यादित करता है, वहाँ साथ ही हमारे सामुदायिक जीवन को भी वह एक दिशा में ले जाता है। हम अपने जीवन के लिए जितनी प्रेरणा धर्म से प्राप्त करते हैं, उतनी शायद अन्य किसी से प्राप्त नहीं करते। जहाँ तक व्यक्तिगत जीवन का सम्बन्ध है, धर्म का प्रभाव प्रायः हिनकर ही होता है। एक अदृश्य सर्वोपरि शक्ति में विश्वास मनुष्य के हृदय में बल का संचार करता है। धर्म द्वारा प्रतिपादित मयम नियम मनुष्य के जीवन को पवित्र बनाने में सहायक हाथ है। पर सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में अनेक बार धार्मिक समुदाय मनुष्यों में नकीर्णता व विद्वेष भी उत्पन्न करन हैं। अब से कुछ समय पूर्व तक यूरोप के प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक लोग आपस में घोर विद्वेष रखते थे। प्रोटेस्टेंट लोग रोमन कैथोलिकों के शत्रु थे, और रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंटों के। मुसलमानों के शिवा और सुन्नी साम्राज्य आपस में बहुत विरोध रखने रहे हैं। पाकिस्तान के मुसलमान अपने ही धर्म के अहमदिया सम्प्रदाय के प्रति विद्वेष का भाव रखते हैं। हिन्दुओं और मुसलमानों के विरोध के कारण ही भारत का विभाजन हुआ, और पाकिस्तान नाम से एक नए मुस्लिम राज्य का निर्माण हुआ। हिन्दुओं के विभिन्न सम्प्रदायों में भी बहुधा लड़ाई-भाड़े होत रहते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहाँ धर्म मनुष्य के हित, कल्याण और अम्युदय का साधन है, वहाँ साथ ही उसका कारण मनुष्य मनुष्य का शत्रु भी बन जाता है। इतना ही नहीं, अनेक धार्मिक समुदाय रुढ़िवादी बनकर अपनी कट्टरता के कारण मानव-समाज की उन्नति में बाधा भी डालते हैं। जब भारत की विधान-सभा में बाल गंगाधर तिलक के विरुद्ध कानून पेश हुआ, तो अनेक लोगों ने धर्म के नाम पर उसका विरोध किया। परदे की प्रथा के खिलाफ जो प्रचार किया जाता है, कई लोग धर्म की दूहाई लेकर उसका भी विरोध करते हैं। मनुष्यों के एक भाग को अछूत मानने का समर्थन भी कुछ लोग धर्म के नाम पर ही करते हैं। धर्म की आड़ लेकर कितने ही राजाओं ने अपनी प्रजा के उस भाग पर अन्यायिक अत्याचार किए, जो राजधर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म का अनुयायी था।

विज्ञान की उन्नति के कारण आज ससार के विविध देशों के निवासी एक-

दूसरे के बहुत समीप आ गये हैं। उन्हें अब यह भ्रमर मिलता है, कि सब देशों के विचारकों की पुस्तकों को पढ़ें, और उनके विचारों से परिचित हो। विविध धर्मों के लोग भी अब एक-दूसरे के सिद्धान्तों व मन्तव्यों से परिचय प्राप्त कर सकते हैं। इस दशा में सकीर्णता का अन्त होना और एक-दूसरे के प्रति सहिष्णुता में वृद्धि होना सर्वथा स्वाभाविक है। पर धार्मिक समुदाय बहुधा इस प्रवृत्ति में बाधक होते हैं। उनके सकीर्ण प्रचार के कारण एक देश के निवासी ही परस्पर विद्वेष रखने लगते हैं, और उनमें सहयोग हो सकना सम्भव नहीं रहता। इन्हीं बातों को दृष्टि में रखकर बहुधा इस बात की आवश्यकता अनुभव की जाती है, कि राज्य द्वारा धार्मिक समुदायों के कार्यों व नीति पर नियन्त्रण रखा जाए। यदि धार्मिक समुदायों पर उचित रीति से नियन्त्रण रखा जाए, तो वे निःसन्देह बहुत उपयोगी कार्य कर सकते हैं। धर्म का वास्तविक उद्देश्य मनुष्यों को सच्चरित्र, कर्तव्य-परायण और उन्नत आदर्शवाला बनाना है। यदि धार्मिक समुदाय अपना कार्य-क्षेत्र प्रधानतया मनुष्यों के व्यक्तिगत मामलों तक ही सीमित रखें, तो वे बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

इस समय बहुत से देशों में विवाह, विरासत आदि के कानून भी धर्म पर आश्रित हैं। इस्लाम में पुरुष चार स्त्रियों से विवाह कर सकता है। हिन्दू धर्म के अनुसार भी बहु-विवाह जायज है। तलाक उचित है या नहीं, इसका निर्णय भी धर्म-शास्त्रों के अनुसार किया जाता है। सभ्यति के उत्तराधिकार-मन्त्रन्वी नियम भी धर्म के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं। पर ऐसा करने से एक बड़ी हानि यह होती है, कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार इनमें परिवर्तन कर सकना सम्भव नहीं होता। धर्म के मन्तव्यों को प्रायः अपरिवर्तनीय और शाश्वत माना जाता है। लोग उनके प्रति पवित्रता की भावना रखते हैं, और धार्मिक विधानों को दैवी समझते हैं। पर मनुष्य ज्यों-ज्यों उन्नति करता जाता है, उसकी सामाजिक परिस्थितियों में भी परिवर्तन होता जाता है। इन परिस्थितियों के बदलने पर विरासत, विवाह आदि के नियमों में परिवर्तन होना बहुत आवश्यक हो जाता है। जब तक स्त्री-शिक्षा को बुरा माना जाता था, स्त्रियों की समाज में कोई स्वतन्त्र स्थिति नहीं होती थी। इसीलिए उस समय बहु-विवाह की प्रथा भी सम्भव थी। पर अब जब कि स्त्रियाँ भी शिक्षा प्राप्त करती हैं, समाज में उनकी स्थिति भी पुरुषों के बराबर है, बहु-विवाह को उचित मान सकना सम्भव नहीं है। पर यदि विवाह को भी धार्मिक मन्तव्यों के अन्तर्गत मान लिया जाए, तो उसके सम्बन्ध में पुरानी चली आई व्यवस्था में परिवर्तन कर सकना सुगम नहीं रहेगा। इसी कारण बहुत से विचारक सामाजिक जीवन को धार्मिक मन्तव्यों से पृथक् रखने के पक्षपाती हैं, और राज्य द्वारा धार्मिक समुदायों के नियन्त्रण का समर्थन करते हैं।

आर्थिक हितों पर आधारित समुदाय

मनुष्य अकेला अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। इस कारण वह ऐसे समुदाय बनाता है, जिनका प्रयोजन परस्पर सहयोग द्वारा सम्पत्ति का उत्पादन, वितरण व उपभोग करना होता है। वैज्ञानिक उन्नति के कारण वर्तमान समय में ऐसे बड़े बड़े कारखाने खुल गये हैं, जिनमें हजारों मजदूर एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। एक आदमी के पास इतनी पूंजी नहीं होती, कि वह करोड़ों रुपये लगाकर एक विशाल कारखाने को खोल सके। परिणाम यह होता है, कि बहुत से हिस्सेदार (Share-holders) मिलकर जॉयन्ट स्टॉक कम्पनी का निर्माण करते हैं, और अपनी सम्मिलित पूंजी से एक बड़ा कारखाना खोल लेते हैं। आर्थिक हितों (Economic interests) की एकता के कारण इस समय मनुष्यों ने बितने ही आर्थिक समुदाय बनाये हैं, जो अनेक प्रकार के हैं—

(१) सम्पत्ति के उत्पादन के प्रयोजन से बनाये हुए समुदाय—हमने अभी जॉयन्ट स्टॉक कम्पनी का जिक्र किया है। यह पूंजीपतियों का एक समुदाय है, जिसका संगठन आर्थिक उत्पत्ति के प्रयोजन से किया जाता है। इसी प्रयोजन से सहकारी समितियाँ (Co-operative Societies) भी संगठित की जाती हैं। इन समितियों का संगठन उत्पादकों (Producers) द्वारा किया जाता है। मान लीजिये, एक नगर में बहुत-से मोची रहते हैं, जो जूते बनाने का काम करते हैं। अकेले अकेले रहने पर उनके लिए सस्ती कीमत पर चमड़ा खरीद सकना भी कठिन होता है, और अपने तैयार माल को भी वे बाजार में अच्छी कीमत पर नहीं बेच सकते। पर यदि वे परस्पर मिलकर एक सहकारी समिति बना लें, तो ऐसा करने से उनकी शक्ति बहुत बढ़ जायगी। वे चमड़े के लिए इकट्ठे बड़ा आर्डर दे सकेंगे, और उसे सस्ता प्राप्त कर सकेंगे। शहर में जूतों की एक अलग दुकान भी वे खोल सकेंगे, जहाँ उनके जूते अच्छी कीमत पर बिक जाएँगे। अन्य नगरों के व्यापारियों से अपने जूतों का आर्डर प्राप्त कर सकना भी उनके लिए सुविधाजनक होगा। सम्पत्ति के उत्पादन के प्रयोजन से जहाँ आजकल पूंजीपति लोग जॉयन्ट स्टॉक कम्पनियों का संगठन करते हैं, वहाँ शिल्पी व कारीगर लोग भी सहकारी समितियों का निर्माण करते हैं।

(२) आर्थिक हितों की एकता के कारण बने हुए समुदाय—जिन लोगों के आर्थिक हित एक समान हों, वे प्रायः परस्पर मिलकर ऐसे संगठन बना लेते हैं, जिनका प्रयोजन अपने हितों की रक्षा करना होता है। श्रमी सघ (Trade Union) इस प्रकार के समुदायों का उत्तम उदाहरण है। मजदूर लोग गरीब होते हैं, और विवश दशा में अपने घर-बार छोड़कर शहरों के कारखाना में काम करने के लिए जाते हैं। जब तक श्रमी सघों का संगठन नहीं हुआ था, मिल-मालिक मजदूरों से मनमाना काम ले सकते थे। कोई समय था, जब इंग्लैण्ड में मजदूर लोग दिन-रान के २४ घण्टा

मे से १८ घण्टे कारखाना में काम किया करते थे। मिल-मालिक इस बात का जरा भी ध्यान नहीं रखते थे, कि कारखाने में हवा और रोशनी का समुचित प्रबन्ध हो। मजदूर किन् मकानों में रहते हैं, उनके स्वास्थ्य की क्या दशा है, और उनके बाल-बच्चों के रहने रहने व शिक्षा की क्या व्यवस्था है—इन सब बातों की उन्हें जरा भी फिकर नहीं होती थी। मिल-मालिक मजदूरों से अधिक-से-अधिक काम लेते थे और उन्हें कम से-कम वेतन देते थे। पर जब मजदूर श्रमी-सघों में संगठित हो गए, तो उन्होंने अपने हितों व अधिकारों की रक्षा के लिए सघर्ष शुरू कर दिया। इसी का यह परिणाम है, कि आज सरकार-द्वारा ऐसे कानून बनाए गए हैं, जिनके अनुसार यह निर्दिष्ट कर दिया गया है कि मजदूर प्रतिदिन अधिक-से-अधिक कितने घण्टे काम कर सकें, उन्हें कम से कम कितनी मजदूरी मिले, कारखानों की इमारतों का निर्माण इस ढंग से किया जाए कि उनमें हवा और रोशनी का समुचित प्रबन्ध हो, मजदूरों के निवास के लिए अच्छे मकान मुलभ हो, और यदि कारखाने में काम करते हुए किसी मजदूर की मृत्यु हो जाए या कोई विकलाङ्ग हो जाए, तो उसे मुनासिब हरजाना दिया जाए। इतना ही नहीं, अब तो श्रमी सघ यह दावा भी करने लगे हैं, कि कारखाने के प्रबन्ध में बबल पूंजीपतियों का ही हाथ नहीं होना चाहिए, अपितु श्रमी सघों को भी उनमें हाथ बटाना चाहिये, क्योंकि सम्पत्ति की उत्पत्ति के लिए पूंजी का जितना महत्व है, श्रम का महत्व उनमें किन्नी भी प्रकार कम नहीं है। कुछ विचारक तो यहाँ तक कहते हैं, कि कारखानों का संचालन पूणतया श्रमियों के गिल्डों (Guilds) द्वारा ही होना चाहिये।

श्रमी सघों के समान आजकल किसानों और शिल्पियों के भी संगठन हैं, जो अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं। इतना ही नहीं, मिल मालिकों, जमींदारों और मकान-मालिकों ने भी अपने अपने समुदाय संगठित कर लिए हैं, और ये सब अपने-अपने हितों की रक्षा के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। किसी ने ठीक कहा है, 'सबे शक्ति बली युगे'। नि मन्देह, कलियुग की सबसे बड़ी शक्ति सघ ही हैं, समुदायों द्वारा जहाँ मनुष्य अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं, वहाँ अपनी एक सम्मिलित शक्ति भी विकसित कर लेते हैं।

(३) पेशे के आघार पर संगठित समुदाय—जो लोग किन्नी एक पेशे या शिल्प का अनुसरण करते हों, वे भी अपने हितों की रक्षा के लिए अपने-अपने समुदाय बना लेते हैं। वकील, अध्यापक, पुस्तक-प्रकाशक, पुस्तक विक्रेता, लेखक, पत्रकार, वस्त्र व्यापारी, चिकित्सक आदि के समुदाय इसी प्रयोजन से बनाए गए हैं, कि एक पेशे या शिल्प द्वारा आजीविका कमाने वाले लोग परस्पर मिलकर अपने हितों की रक्षा कर सकें।

आर्थिक समुदायों के लाभ व हानियाँ—इसमें सन्देह नहीं, कि ये विविध प्रकार

के आर्थिक समुदाय बहुत उपयोगी कार्य करते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने हितों की रक्षा के लिए सदा मतकें रहना चाहिए। यदि सब लोग अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, तभी समाज का कल्याण सम्भव है। पर अनेक बार लोग अपने व्यक्तिगत हितों के सम्मुख सम्पूर्ण समाज के हितों की उपेक्षा करने लग जाते हैं। मान लीजिये, किसी नगर में बरफ बनाने के पाँच कारखाने हैं। मई का महीना आने पर वे आपस में मिलकर निश्चय करते हैं कि बरफ की कीमत बढ़ा देंगे, और कोई कारखाना चार आने से कम कीमत पर बरफ नहीं बेचेगा। लोगों को विवश होकर इसी कीमत पर बरफ खरीदनी पड़ेगी। पर कारखानों के मालिकों का यह निश्चय जनता के लिए हानिकारक होगा। एक अन्य उदाहरण लीजिये। किसी म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी अपना वेतन बढ़वाना चाहते हैं। इसके लिए वे हड़ताल करने का फैसला करते हैं। यदि इस हड़ताल में जल कल (Water works) के कर्मचारी शामिल हो जाएँ, तो शहर में पाइपों का पानी बन्द हो जायगा। इससे शहर के निवासियों को भारी कष्ट उठाना पड़ेगा।

आर्थिक समुदायों के हाथ में बहुत अधिक शक्ति होती है। वे चाह तो देश के आर्थिक जीवन को अस्त-व्यस्त कर सकते हैं। यदि रेल के कर्मचारी हड़ताल कर दें, तो व्यापार को भारी क्षति पहुँचेगी और बहुत सी वस्तुएँ तो दुर्लभ भी हो जाएँगी। इसी कारण बहुधा राज्य के लिए यह आवश्यक हो जाता है, कि वह आर्थिक समुदायों पर नियंत्रण रखे।

वस्तुतः, आर्थिक समुदायों का आधार आर्थिक क्षेत्र में मनुष्यों का परस्पर सहयोग ही होना चाहिए। वर्ग भेद के आधार पर जो समुदाय बंधनते हैं, वे सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा व संघर्ष को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा होना मनुष्यों की सामाजिक उन्नति के लिए हानिकारक है। पर जब तक सम्पत्ति के उत्पादन के साधन कुछ थोड़े से लोगों के हाथों में रहेंगे, किसानों और मजदूरों को अपने हितों की रक्षा के लिए अपने संगठन बनाने ही होंगे। ये समुदाय मनुष्यों के लिए उपयोगी भी होंगे, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक समुदाय—अनेक आर्थिक समुदाय ऐसे भी हैं, जिनका क्षेत्र किसी एक देश या राज्य तक सीमित न होकर अन्तर्राष्ट्रीय व सार्वभौम है। अनेक कम्पनियों और बैंकों की शाखाएँ ससार के बहुत से राज्यों में विद्यमान हैं। मजदूरों के भी अनेक समुदाय ऐसे हैं, जिनका क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय है। श्रमी सघों का विश्व सवर्ग (World Federation of Trade Unions) और अन्तर्राष्ट्रीय श्रमी सघ (International Labour Organisation) की शाखाएँ विश्व के बहुत से देशों में स्थापित हैं। ये समुदाय अपने सदस्य-राज्यों के मजदूरों के हितों के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।

सांस्कृतिक समुदाय—

जो समुदाय संस्कृति, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, कला आदि के प्रसार व विकास के लिए संगठित किये जाते हैं, उन्हें सांस्कृतिक समुदाय कहते हैं। इस प्रकार के समुदायों में विश्वविद्यालय, कालिज और स्कूल सबसे प्रधान हैं। इनका उद्देश्य युवकों व बच्चों को शिक्षा देना और उनके ज्ञान में वृद्धि करना होता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो केवल अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करके ही संतुष्ट नहीं हो जाता। उसके पास बुद्धि नामक एक ऐसी अद्भुत वस्तु है, जिसका प्रयोग कर वह प्रकृति के गूढ़ तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और इस ज्ञान का उपयोग अपने सुख, कल्याण व समृद्धि के लिए करता है। वह इस बात की भी जिज्ञासा रखता है, कि यह मृष्टि कैसे बनी, इसे किसने बनाया, शरीर से पृथक् कोई आत्मा है या नहीं और मृष्टि का अन्त व प्रलय कैसे होगा। अपनी बुद्धि के प्रयोग द्वारा मनुष्य ने जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह उसे अपनी संतान को प्रदान करता है और इसी प्रयोजन से स्कूल, कालिज व विश्वविद्यालय स्थापित करता है। शिक्षा संस्थाओं के अन्तर्गत व उनसे पृथक् कतिपय ऐसे समुदाय भी होते हैं जो किसी विज्ञान व विद्या के विकास को अपना ध्येय बनाकर स्थापित किये जाते हैं। ये ज्ञान के भण्डार की वृद्धि में सहायता देते हैं। पुरातत्व सम्बन्धी खोज के लिए, इतिहास के अनुशीलन के लिए, वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए, आयुर्वेद के प्रसार के लिए व इसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों से कितनी ही संस्थाएँ भारत में स्थापित हैं। पुस्तकालय, वाचनालय, साहित्य सम्मेलन, कला भवन, अजायबघर आदि संस्थाओं को भी सांस्कृतिक समुदायों के अन्तर्गत किया जाता है, क्योंकि उनका प्रयोजन संस्कृति के किसी विशिष्ट अंग को उत्तम करना ही होता है।

संस्कृति सम्बन्धी समुदायों का क्षेत्र न केवल स्थानीय व राष्ट्रीय होता है, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय भी होता है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन भारत व्यापी संस्था है, उसकी शाखाएँ भारत के प्रायः सभी राज्यों में विद्यमान हैं। रोटररी क्लब एक ऐसी सांस्कृतिक संस्था है, जिसकी शाखाएँ बहुत से देशों में स्थापित हैं। संयुक्त राष्ट्र मंच (United Nations' Organisation) के अर्धीन अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक समुदायों का भी संगठन किया गया है।

अन्य समुदाय—

समाज-सुधार के प्रयोजन से भारत में दलितोद्धार सभा, विधवा विवाह सहायक सभा, जान पांत तोड़ने मण्डल, हरिजन सेवा संघ आदि कितने ही समुदाय संगठित हैं। अनेक समुदाय सेवा के प्रयोजन से संगठित किये जाते हैं। सेवा समितियाँ इनमें मुख्य हैं। ये सेवा-समितियाँ भेलों के अवसर पर या बाढ़, भूकम्प आदि

आकस्मिक विपत्तियों के मौजों पर जनता की सेवा करती है। सेवा समितियों के अनेक केन्द्रीय मण्डल भी विद्यमान हैं।

मनोरजन के लिए जो अनेक समुदाय संगठित किये जाते हैं, मनुष्य के जीवन में उनका भी बहुत उपयोग होता है। इनमें से कुछ का प्रयोजन व्यापारिक होता है। सिनेमा, थियेटर, नाटक मण्डलियाँ आदि जहाँ मनुष्यों का मनोरजन करती हैं, वहाँ साथ ही वे अपने कार्य से धन कमाने का भी उद्योग करती हैं। पर मनोरजन के लिए संगठित कतिपय समुदाय ऐसे भी होते हैं, जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता। अनेक नगरों में तैरने का इन्तजाम करने, हॉकी, फुटबाल, क्रिकेट आदि खेलों की व्यवस्था करने या जिमनास्टिक, कुश्ती आदि द्वारा युवकों के शरीर को उन्नत करने के लिए क्लब व व्यायामशालाएँ खोली जाती हैं। ये सब समुदाय मनुष्यों के लिए बहुत उपयोगी कार्य करते हैं।

राजनीतिक सम्बन्धों पर आश्रित समुदाय—

मनुष्यों के राजनीतिक हितों के सम्पादन के लिए दो प्रकार के समुदाय हैं, राज्य और राजनीतिक दल। राज्य मानव-समुदायों में सर्वप्रधान और सर्वोत्कृष्ट है। राजनीतिक दल इस प्रयोजन में संगठित किये जाते हैं, कि जिन लोभों के सम्बन्धों विचार एक समान हो, जो मनुष्यों के हित व कल्याण के लिए किसी एक नीति व कार्यक्रम का अनुसरण करने के पक्षपाती हो, वे परस्पर मिलकर संगठित हो सकें, और सरकार के संचालन की अपने हाथों में लेकर उस नीति को क्रियान्वित कर सकें।

बसोकि राज्य मनुष्यों का सर्वप्रधान और सबसे उत्कृष्ट समुदाय है, अतः हम उस पर अगले अध्याय में विस्तार से विचार करेंगे। राज्य के शासन पर प्रकाश डालते हुए हम राजनीतिक दलों पर भी पृथक् रूप से विचार करेंगे।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१. आप समुदायों का वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे? विविध समुदायों के कार्यों का संक्षेप से वर्णन कीजिये। (पृ० पी०, १६३३)

२. समुदाय (सघ) का क्या अभिप्राय है? मनुष्य समुदाय में क्यों रहते हैं? आप समुदायों का वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे? (पृ० पी०, १६४४)

३. समुदायों के भिन्न-भिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिये। राज्य सभ्य समुदायों से किस प्रकार भिन्न है? (पृ० पी०, १६४२)

४. 'मनुष्य की उत्तरोत्तर प्रगति सकीर्ण स्वार्थों को उच्चतर व व्यापक हितों के अधीन कर देने पर निर्भर है।' इस कथन की व्याख्या कुटुम्ब, नगर व ग्राम और

देश के प्रति व्यक्ति के कर्तव्यों का विवरण देकर कीजिये । (राजप्रताप, १९४७)

५ 'कुटुम्ब सामाजिक गुणों के लिए प्रथम पग व श्रेणी है' इस कथन की पुष्टि कीजिये । (यू० पी० १९४२)

६ सामाजिक सस्यामों में आप क्या और कैसे भेद करेंगे ? उदाहरण दीजिये । (यू० पी०, १९५०)

७ 'नागरिक गुणों का प्रारम्भिक शिक्षणालय कुटुम्ब है', इस कथन को उदाहरण देकर समझाइये । (यू० पी०, १९५१)

८ मनुष्य समुदाय क्यों बनाते हैं ? आप जिन समुदायों से परिचित हों, उनका वर्गीकरण कीजिये । (यू० पी०, १९५२)

९ समुदायों का निर्माण क्यों होता है ? क्या आपकी सम्मति में उन्हें स्वाभाविक (अनिवार्य) और मनुष्यकृत (ऐच्छिक) समुदायों में विभक्त करना उचित होगा ? (यू० पी०, १९५५)

१० कुटुम्ब की सफलता के लिए कौन सी बातें आवश्यक हैं—विस्तार से लिखिये ।

पाँचवाँ अध्याय

राज्य

राज्य की आवश्यकता—

पिछले अध्याय में हमने उन समुदायों का उल्लेख किया है, जो मनुष्य के हित, बल्याण व उन्नति में सहायक होते हैं, और जिनसे मनुष्यों का सामाजिक व सामुदायिक जीवन प्रकट होता है। राज्य भी मनुष्यों का एक समुदाय ही है, मनुष्यों के राजनीतिक संगठन को ही राज्य कहते हैं। पर अन्य समुदायों और राज्य में एक मौलिक भेद है। यह भेद है, राज्य के सर्वोपरि होने का। राज्य अन्य सब समुदायों से उत्कृष्ट व ऊँची स्थिति रखता है। वह अन्य सब समुदायों के कार्य में हस्तक्षेप कर सकता है, और उनके उद्देश्य, नियम व कार्यविधि को नियन्त्रित कर सकता है। वस्तुतः, अन्य सब समुदायों का नियन्त्रण करना राज्य का एक प्रधान कार्य है।

उदाहरण के लिए भारत को ही लीजिए। इस देश के लोग अनेक धर्मों के अनुयायी हैं। इन सब धर्मों के अनेक समुदाय भारत में विद्यमान हैं। यह सर्वथा सम्भव है, कि कभी इन विविध धार्मिक समुदायों में किसी प्रश्न पर मतभेद व विवाद हो जाए। अनेक बार मुहर्रम और दशहरे के त्यौहार एक ही समय पड़ जाते हैं। मुहर्रम के अवसर पर मुसलमान लोग मालमी जुलूस निकालते हैं। हमन और दुर्मन की हत्या का शोक मुसलमानों द्वारा इस मौके पर मनाया जाता है। हिन्दू भी दशहरे का जुलूस निकालते हैं, पर यह जुलूस खुशी का होता है, क्योंकि दशहरे का त्यौहार राम द्वारा रावण को परास्त करने के उपलक्ष में मनाया जाता है। अनेक बार इन जुलूसों में भगडा हो जाने का अन्देशा होता है। यदि राज्य दोनों जुलूसों पर नियन्त्रण न रखे, तो उनमें लड़ाई-भगडा न रक सके।

प्रत्येक धर्म को अधिकार है, कि वह अपने मिद्धान्तों का प्रचार कर सके। पर कोई धार्मिक समुदाय अपने मन्तव्यों का प्रचार करते हुए ऐसी नीति भी अपना सकता है, जिससे दूसरे धर्मों के लोगों को एतराज हो। राज्य ही यह निर्धारित करता है, कि विविध धार्मिक समुदाय प्रचार-कार्य करते हुए किस नीति व विधि का अनुसरण करें।

एक अन्य उदाहरण लीजिए। कुछ लोग मकानों के मालिक होते हैं, और दूसरे उनके किरायेदार। दोनों अपने अलग अलग संगठन बना लेते हैं। किरायेदार

कोशिश करते हैं, कि मकानों के किराये की दर कम-से-कम हो। इसके विपरीत मकान-मालिक अधिक से-अधिक किराया वसूल करने का प्रयत्न करते हैं। किरायेदारों और मकान-मालिकों के इस झगड़े और हित विरोध का फंसला राज्य ही करता है। यही बात मिल-मालिकों और मजदूरों व जमींदारों और किसानों के झगड़ों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है।

मनुष्य विविध समुदायों का संगठन इसीलिए करता है, कि उनके द्वारा उमका हित हो सके। पर यदि दो समुदायों के हितों में विरोध उपस्थित हो, तो एक ऐसा समुदाय भी अवश्य होना चाहिए, जो उनके झगड़े व विवाद का फंसला कर सके। इस समुदाय की शक्ति अन्य सब समुदायों से अधिक होनी चाहिए।

राज्य की आवश्यकता केवल इसीलिए नहीं है, कि वह विविध समुदायों पर नियन्त्रण रख सके या उनके झगड़ों को निबटा सके। जिस प्रकार मनुष्यों में धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक सम्बन्ध होते हैं, वैसे ही उनमें राजनीतिक सम्बन्ध भी होता है। राज्य का संगठन इन राजनीतिक सम्बन्धों के कारण ही किया जाता है। साथ रहने हुए मनुष्यों के लिए जरूरी है, कि वे एक साथ मिलकर सब प्रकार के भयों से अपनी रक्षा करें। ये भय दो प्रकार के होते हैं—प्रान्तरिक भय और बाह्य भय। चोर डाकू व अन्य उपद्रवी लोगों का भय आन्तरिक (Internal) है, क्योंकि ये लोग देश के अन्दर ही निवास करते हैं। विदेशी शत्रु के आक्रमण के भय को बाहरी या बाह्य (External) भय कहते हैं। आन्तरिक भय से जनता की रक्षा करने के लिए राज्य पुलिस का संगठन करता है, और विदेशी शत्रु के हमलों को रोकने के लिए सेना रखता है।

पर राज्य की आवश्यकता अन्य भी अनेक कारणों से है। राज्य की आवश्यकता इसलिए भी है, कि उनमें मनुष्यों को सम्मिलित रूप से अपनी उन्नति करने का अवसर मिलता है। मनुष्यों के हित, कल्याण व उन्नति के लिए कितने ही कार्य राज्य की ओर से किये जाते हैं। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा का प्रसार करना, सफाई आदि का प्रबन्ध कर रोग के फैलने को रोकना, अस्पताल खोलकर रोगियों की चिकित्सा की व्यवस्था करना, आने-जाने की सुविधा के लिए सड़कें व रेलवे लाइनों बनवाना, खेतों की सिंचाई के लिए नहरें खुदवाना, बाढ़ से रक्षा करने के लिए नदियों पर बांध बंधवाना और हैजा, प्लेग आदि महामारियों को रोकने के लिए टीके लगवाना आदि कितने ही ऐसे कार्य हैं, जो राज्य की ओर से किये जाते हैं, और जिनसे जनता के कल्याण में बहुत सहायता मिलती है।

साथ ही राज्य ऐसी भी व्यवस्थाएँ करता है, जिनसे जनता की चौमुखी उन्नति में सहायता मिले। विदेशी माल के मुकाबिले के कारण देश के व्यवसायों को नुकसान न पहुँचे, इस प्रयोजन से राज्य विदेशी माल पर सरक्षण-कर (Protective Duties)

जगाता है, अपने देश के कल-कारणों के विकास के लिए प्रयत्न करता है, नये आविष्कारों को प्रोत्साहन देता है, और जनता की उन्नति के लिए अनेकविध कानूनों का निर्माण करता है। वस्तुतः, राज्य की आवश्यकता उन सब कार्यों के लिए है, जो मनुष्य की व्यक्तिगत व सामूहिक उन्नति में किसी भी प्रकार से सहायक हो सकते हैं।

यह सही है कि आजकल के राज्य जो अनेक विध कार्यों करते हैं, वे मनुष्यों के अन्य समुदायों द्वारा भी किये जा सकते हैं। पहले शिक्षा और चिकित्सा का कार्य प्रायः धार्मिक समुदाय ही किया करते थे। भारत में मन्दिर और मस्जिद ही शिक्षा के केन्द्र भी हुआ करते थे। यही दशा अन्य देशों में भी थी। अब भी अनेक धार्मिक समुदाय शिक्षा और चिकित्सा के कार्य करते हैं। भारत में ईसाई चर्च, आर्यसमाज, रामकृष्ण सेवा मिशन आदि धार्मिक समुदायों ने कितने ही शिक्षालय व अस्पताल खोल रखे हैं। पर इन धार्मिक समुदायों द्वारा शिक्षा व चिकित्सा आदि की सब आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं की जा सकती। जनता के हित व कल्याण के लिए यह आवश्यक है, कि इन लोकोपकारी कार्यों को एक ऐसे समुदाय द्वारा किया जाए, जो सम्पूर्ण जनता का समुदाय हो, और जो सबके हितों को अपनी दृष्टि में रखे।

क्योंकि मनुष्य समाज में रहकर और अन्य लोगों के साथ सहयोग करके ही अपनी व्यक्तिगत व सामूहिक उन्नति करता है, अतः उसके सामूहिक जीवन को सुव्यवस्थित व नियन्त्रित करने के लिए और सामूहिक हितों का सम्पादन करने के लिए एक ऐसे समुदाय की सत्ता अनिवार्य है, जो सब मनुष्यों व अन्य सब समुदायों को अपने आदेश का पालन करने के लिए विवश कर सके, और जिसके पास इतनी शक्ति हो कि कोई मनुष्य या समुदाय उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके। इसी सर्वोपरि समुदाय को 'राज्य' कहते हैं।

राज्य और अन्य समुदायों में भेद—

अन्य विविध समुदायों के समान राज्य भी मनुष्यों का एक समुदाय ही है। पर राज्य अन्य समुदायों से अनेक प्रकार से भिन्न है। ये भेद निम्नलिखित हैं—

(१) अन्य समुदायों और राज्य में सबसे बड़ा भेद यह है, कि राज्य के पास प्रभुता (Sovereignty) नाम की एक ऐसी विशेषता होती है, जो अन्य किसी समुदाय के पास नहीं होती। प्रभुता पर हम अगले एक अध्याय में विशद रूप से विचार करेंगे। इस विशेषता के कारण राज्य अपने सब सदस्यों व अपने क्षेत्र में निवास करने वाले सब व्यक्तियों को अपने आदेशों का पालन करने के लिए विवश कर सकता है। कोई अन्य समुदाय भी राज्य के आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता। सब मनुष्यों व उनके समुदायों के कार्यों पर नियन्त्रण रखने का अधिकार राज्य को होता है।

(२) राज्य की सदस्यता प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। यह सम्भव नहीं है, कि कोई मनुष्य किसी न किसी राज्य का सदस्य न हो। इसके विपरीत कुटुम्ब के अतिरिक्त अन्य किसी समुदाय की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती। यह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है, कि वह अन्य समुदायों का सदस्य बने या नहीं।

(३) राज्य का क्षेत्र एक निश्चित प्रदेश तक सीमित होता है। उसकी सीमाएँ निश्चित होती हैं। पर अन्य बहुत से समुदाय ऐसे हैं, जिनका क्षेत्र किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं होता। बहुत से समुदाय ऐसे भी हैं, जिनका विस्तार बहुत से देशों व राज्यों में होता है। क्रिश्चियन चर्च, आर्य-समाज, कम्युनिस्ट पार्टी, रोटरी क्लब जैसे कितने ही समुदाय हैं, जिनकी दाम्नाएँ अनेक देशों में विद्यमान हैं।

(४) कोई मनुष्य एक ही प्रयोजन से बनाये गये एक से अधिक समुदायों का सदस्य बन सकता है। हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, नागरी-प्रचारिणी सभा और राष्ट्र-भाषा-प्रचार-समिति ऐसे समुदाय हैं, जिनका प्रयोजन प्रायः एक ही है। कोई मनुष्य इन तीनों का सदस्य बन सकता है। पर यह सम्भव नहीं है, कि कोई मनुष्य एक समय में एक से अधिक राज्यों का सदस्य रह सके।

(५) राज्य एक स्थायी समुदाय है, क्योंकि उसकी सत्ता मनुष्यों के लिए अनिवार्य होती है। इसी कारण वह सदा कायम रहता है। अन्य समुदाय किसी विशेष प्रयोजन से बनते हैं, और उसी समय तक कायम रहते हैं जब तक उनकी आवश्यकता रहे। अनेक धार्मिक समुदाय भी चिरकाल तक स्थायी रहते हैं, पर राज्य के सदृश स्थायित्व उनमें भी नहीं पाया जाता।

(६) राज्य अपने सदस्यों पर कर लगा सकता है, जिसे अदा करने के लिए प्रत्येक मनुष्य विवश होता है। पर अन्य समुदाय अपना खर्च चन्दे से चलाते हैं, और चन्दा वसूल करने के लिए वे शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते।

(७) राज्य का क्षेत्र इतना अधिक व्यापक होता है, कि उसके कार्य क्षेत्र व शक्ति के सम्बन्ध में कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। जो कार्य लोकोपकारी हों, जिनका मनुष्यों के हित, कल्याण व उन्नति में सम्बन्ध हो, वे सब राज्य के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत होते हैं। यह विशेषता अन्य किसी समुदाय में नहीं होती।

(८) अन्य समुदायों के पाम जो भी शक्ति होती है, उसे राज्य नियन्त्रित व मर्यादित कर सकता है। वस्तुतः, ये समुदाय अपनी शक्ति राज्य से ही प्राप्त करते हैं, और उसी के द्वारा निर्धारित सीमाओं में उस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।

राज्य के आवश्यक तत्त्व—

राज्य किसे कहते हैं और उसका क्या स्वरूप है, इसे भली भाँति समझने के लिए उन तत्त्वों या अंगों का उल्लेख करना उपयोगी है, जिनसे मिलकर राज्य का

निर्माण होता है। ये तन्द निम्नलिखित हैं—

(१) जनता—(Population)—राज्य का प्रधान तत्त्व जनता है। मनुष्यों के एक समुदाय-विशेष का नाम ही राज्य है। यदि जनता न हो, तो राज्य की कल्पना भी सम्भव नहीं। जिस प्रकार मिट्टी के बिना घड़े और मूल के बिना वस्त्र का निर्माण असम्भव है, वैसे ही जनता के बिना राज्य की सत्ता असम्भव है। जनता जैसी होगी, राज्य भी वैसा ही होगा। यदि किसी राज्य की जनता परिधर्मी, देशभक्त व कर्तव्य-परमणु हो, तो वह राज्य निरन्तर उन्नति करेगा। इसके विपरीत यदि किसी राज्य की जनता आनर्मी, स्वार्थी, कर्तव्य विमुख और मातृभूमि के प्रति उपेक्षा रखने वाली हो, तो उस राज्य की अपोगति ही होगी।

जहाँ राज्य के लिए जनता का योग्य, गुणी व समर्थ होना आवश्यक है, वहाँ साथ ही जनता को बहुसंख्यक (Numerous) भी होना चाहिए। चीन, रूस, अमेरिका और भारत जैसे विशाल राज्यों में जनसंख्या बहुत अधिक है। बल्जियम, अफगानि-स्तान और लूक्समबुर्ग जैसे छोटे राज्यों की जनसंख्या बहुत कम है। यह स्वाभाविक है, कि अधिक आबादी वाले राज्यों की अधिक कम आबादीवाले राज्यों के मुकाबिले में अधिक शक्ति हो। चीन और भारत जैसे राज्यों की शक्ति का एक महत्वपूर्ण कारण वहाँ की जनता का बहुत बड़ी संख्या में होना ही है।

पुराने समय में जब आने-जाने के साधन उन्नत नहीं हुए थे, एक स्थान के समाचार दूसरे स्थान पर पहुँचने में बहुत देर लगा करती थी, तो बड़े राज्यों का निर्माण भी सुगम नहीं था। साथ ही, उस समय बड़े राज्यों में लोकतन्त्र शासन का जारी रहना भी क्रियात्मक नहीं था। अथर्व जैसे छोटे ग्रीक राज्यों में या निचले हिस्से वाले जैसे छोटे भारतीय राज्यों में तो यह सम्भव था, कि नागरिक लोग समा में एकत्र होकर अपने राज्य-कार्य को चला सकें। पर रोमन साम्राज्य या मगध के विशाल राज्य के नागरिक एक समा में एकत्र नहीं हो सकते थे। उस समय प्रतिनिधि चुनने की प्रथा भी नहीं थी। इसीलिए प्राचीन ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल ने यह प्रतिपादित किया था, कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या दस हजार के लगभग होनी चाहिए, अधिक नहीं।

पर आजकल जब वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण विविध स्थानों की दूरी बहुत कम रह गई है, और जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों रेल, मोटर व हवाई जहाज से थोड़े समय में ही राजधानी में पहुँच सकते हैं, इस बात की आवश्यकता नहीं रह गई है कि लोकतन्त्र शासनो की सफलता के लिए जनसंख्या का अधिक होना अनिवार्य हो। अधिक आबादी का होना तो आजकल के राज्यों की शक्ति के लिए बहुत लाभदायक है।

(२) भूमि (Territory)—जिस प्रकार राज्य के लिए जनता का होना

गानर ने राज्य का जो लक्षण किया है, वह अधिक स्पष्ट है। उसके अनुसार "राज्य मनुष्यों के उस समुदाय का नाम है, जो सख्या में चाहे अधिक हो या न्यून, पर जो किसी निश्चित भूखण्ड पर स्थायी रूप से बसा हुआ हो, जो किसी भी बाह्य शक्ति के नियन्त्रण से पूर्णतया व प्राय रूप से स्वतन्त्र हो और जिसमें एक ऐसी सुसंगठित सरकार विद्यमान हो, जिसके आदेश का पालन करने के लिए उस भूखण्ड के प्राय सब निवासी अभ्यस्त हो।"^१ इस लक्षण की विशेषता यह है कि इसमें राज्य के चारों तत्वों—भूमि, जनता, शासन और प्रभुता—का जहाँ स्पष्ट रूप से समावेश हो गया है, वहाँ साथ ही निम्नलिखित बातें भी स्पष्ट हो गई हैं—

(१) राज्य का जनसमुदाय जहाँ चीन, रूस, भारत आदि के जनसमुदाय के समान सख्या में बहुत विशाल हो सकता है, वहाँ बेल्जियम, अफगानिस्तान आदि की जनता के समान सख्या में बहुत कम भी हो सकता है। जनसख्या की दृष्टि से रूस और अफगानिस्तान में बहुत अधिक विषमता होते हुए भी राज्य के रूप में वे एक समान स्थिति रखते हैं।

(२) प्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है, पर इतिहास में हम ऐसे भी अनेक राज्य देखते हैं, जो 'सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न' नहीं कहे जा सकते। अतः प्रभुता को राज्य का आवश्यक तत्व मानते हुए भी गानर ने 'प्राय रूप से' प्रभुता की सत्ता को राज्य के लिए पर्याप्त माना है।

राज्य का लक्षण हम इस प्रकार कर सकते हैं—राज्य मनुष्यों के एक ऐसे समुदाय को कहते हैं, जो पृथ्वी के किसी निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से बना हुआ हो, और इस समुदाय में किसी ऐसी सरकार को सत्ता हो, जिसके आदेशों का पालन इस भूखण्ड पर बसे हुए सब लोग करते हो, और साथ ही वह समुदाय सम्पूर्ण-प्रभुत्व सम्पन्न हो, किसी बाहरी शक्ति व सत्ता का उस पर नियन्त्रण न हो।

राज्य और राष्ट्र (Nation) में अन्तर

राज्य के अभिप्राय को भली-भांति समझने के लिए यह भी जरूरी है, कि हम राष्ट्र और राज्य में जो भेद है, उस पर भी विचार करें। इन दोनों शब्दों का प्रयोग भी प्राय एक ही अर्थ में कर दिया जाता है, पर इनमें भेद है। इन भेद को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है—

(१) राष्ट्र उस राज्य को कहते हैं जिसके निवासियों में परस्पर एक होने की

1 "The State is a community of persons more or less numerous, permanently occupying a definite portion of territory, independent or nearly so of external control and possessing an organised Government to which the great body of inhabitants render habitual obedience"

—Garner

अनुभूति हो, जिनमें राष्ट्रीयता (Nationality) की भावना विद्यमान हो। जो मनुष्य भाषा, धर्म, नस्ल आदि की एकता के कारण अपने को एक समझते हैं, उन्हें एक 'राष्ट्रीयता' का अंग माना जाता है। यह जरूरी नहीं, कि जो लोग राष्ट्रीयता की दृष्टि से एक हों, उनका अपना पृथक् राज्य भी हो। १९१४-१८ के महायुद्ध के समय तक चेक, स्लोवाक, पोल आदि कितने ही ऐसे लोग थे, जिन्हें एक राष्ट्रीयता कहा जा सकता था। पर उनका अपना पृथक् राज्य कोई नहीं था। पोल लोग जर्मनी, रूस और आस्ट्रिया के अधीन होते हुए तीन हिस्सों में बँटे हुए थे। एक राज्य में अनेक राष्ट्रीयताएँ भी हो सकती हैं। १९१४-१८ के महायुद्ध तक आस्ट्रिया हंगरी एक राज्य था, पर उसमें आस्ट्रियन, हंगेरियन, चेक, स्लोवाक, पोल आदि कितनी ही राष्ट्रीयताओं की सत्ता थी। अंग्रेजी शासन के समय बरमा भी देर तक भारत का अंग रहा। पर बरमा के लोगों की राष्ट्रीय सत्ता पृथक् थी। बाद में वह भारत से पृथक् हो गया। यदि हम राष्ट्रीयता के अभिप्राय को भली-भाँति समझ लें, तो राष्ट्र का अर्थ भी हमें स्पष्ट हो जाएगा। धर्म, भाषा, नस्ल आदि की एकता के कारण जो लोग अपने को एक अनुभव करते हैं, उनकी एक राष्ट्रीयता होती है, और राष्ट्रीय दृष्टि से एक लोगों की स्वाभाविक ऋत से यह इच्छा होती है, कि वे अपना एक पृथक् व स्वतन्त्र राज्य बना लें। जब वे अपने इस प्रयत्न में सफल हो जाते हैं, तो राष्ट्रीयता के आधार पर बने हुए इस राज्य को राष्ट्र (Nation) कहते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि प्रत्येक राष्ट्र एक राज्य अवश्य होना है। पर प्रत्येक राज्य अवश्य ही राष्ट्र भी हो, यह आवश्यक नहीं होता।

(२) राज्य सरकार के बिना नहीं रह सकता। यह जरूरी है, कि प्रत्येक राज्य का अपना स्वतन्त्र राजनीतिक संगठन भी हो। पर राष्ट्रीयता केन्द्रीय राजनीतिक संगठन के बिना भी रह सकती है। उसके लिए लोगों में परस्पर एक होने की भावना ही पर्याप्त है।

(३) राज्य अपने आदेशों का बलपूर्वक पालन करा सकता है। पर राष्ट्रीयता के पास यह शक्ति नहीं होती, कि वह अपने आदेशों का पालन कराने के लिए बल का प्रयोग कर सके। राष्ट्रीयता भी लोगों से अनेक प्रकार की बातों की आशा रखती है। राष्ट्रीयता की भावना के कारण लोग बड़े-से-बड़ा त्याग करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। पर उसके पास कोई ऐसी संगठित शक्ति नहीं होती जिसमें वह लोगों को त्याग आदि के लिए विवश कर सके।

राज्य और देश (Country) —

देश एक भौगोलिक सजा है, अतः वह राज्य से भिन्न होता है। एक राज्य अनेक देशों में विस्तृत हो सकता है, और एक देश में अनेक राज्य हो सकते हैं। जर्मनी

एक देश है, पर इस समय उसमें दो राज्य हैं—पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। यही बात कोरिया और विएतनाम के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। अनेक राज्य अनेक देशों में भी विस्तृत होते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य इसका उदाहरण है। देश की सीमाओं का निर्धारण भौगोलिक कारणों से होता है। इसके विपरीत राज्य की सीमा राजनीतिक कारणों से निर्धारित होती है। पर हम यह प्रवृत्ति देखते हैं, कि प्रत्येक देश में उसका अपना पृथक् राज्य हो। पर इन दोनों में जो भेद है, उससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१. 'राज्य सर्वोच्च समुदाय है', इस कथन की विवेचना कीजिए। राज्य व अन्य समुदायों में क्या अन्तर है? (राजपूताना १९४६)

२. राज्य का लक्षण (परिभाषा) कीजिए। राज्य, समाज, राष्ट्र और सरकार (शासन) में क्या अन्तर है, स्पष्ट कीजिए। (यू० पी०, १९४०, १९४४, १९४८, राजपूताना १९५०, १९५१)

३. राज्य का क्या अभिप्राय है? उसके आवश्यक तत्त्व कौन से हैं? अन्य समुदायों और राज्य में क्या भेद है? (यू० पी०, १९५१)

४. राज्य का अभिप्राय समझाइए और लिखिए कि राज्य और सरकार में क्या अन्तर है? समाज, देश और शासन (सरकार) से राज्य के पार्यवय को स्पष्ट कीजिए। (यू० पी०, १९५३)

५. नागरिक के लिए राज्य की आत्माओं का पालन करना क्यों आवश्यक है? किम अवस्था में नागरिक को राज्य का विरोध करने का अधिकार है? (यू० पी० १९४३)

६. राज्य की आवश्यकता क्यों है? क्या अन्य समुदायों के रहते हुए भी मनुष्य के लिए राज्य की आवश्यकता है?

छठा अध्याय राज्य और व्यक्ति (State and the Individual)

राज्य मनुष्यों के एक समुदाय का ही नाम है, और उसका निमाण व्यक्तियों द्वारा ही होता है। मनुष्य की सामाजिक भावना जिन विविध समुदायों द्वारा प्रकट होती है, राज्य उनमें सबसे उत्कृष्ट और सर्वोपरि है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि राज्य और व्यक्ति में क्या सम्बन्ध रहता है। यह प्रश्न केवल राज्य के लिये ही नहीं है, अपितु अन्य समुदायों के लिये भी है। समाज और व्यक्ति परस्पर किस सम्बन्ध में रहते हैं, यह प्रश्न बड़े महत्त्व का है।

सांख्यिक सिद्धान्त (The Organic Theory) —

व्यक्ति और समाज या व्यक्ति और राज्य के सम्बन्ध का स्पष्ट करने के लिए अनेक विद्वान् शरीर का उदाहरण देते हैं। शरीर बहुत ही छोटे छोटे अणुओं या घटकों (Cells) में मिलकर बना होता है। जो सम्बन्ध इन अणुओं और शरीर में है, वही व्यक्ति और राज्य में है। हम रेत के एक डेर को देखते हैं। रेत बहुत सारे छोटे छोटे कणों में मिलकर बनती है। पर रेत की कणों से अलग कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती, क्योंकि रेत के सब कण एक दूसरे में अलग अलग होते हैं। पर शरीर के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती। शरीर केवल अणुओं या घटकों के समूह को ही नहीं कहते, उसकी सत्ता इन अणुओं से पृथक् व स्वतन्त्र भी होती है, जिनसे मिलकर उसका निमाण होता है। ठीक यही बात राज्य के विषय में कही जा सकती है।

जो विद्वान् व्यक्ति और राज्य के सम्बन्ध की तुलना अणुओं और शरीर से करते हैं, उनका मत इस प्रकार है—

(१) जिस तरह बहुत ही छोटे छोटे घटकों (Cells) से मिलकर शरीर बनता है, वैसे ही राज्य का निमाण बहुत से व्यक्तियों द्वारा होता है। शरीर की सत्ता और जीवन इन घटकों पर निर्भर करते हैं। राज्य की सत्ता और जीवन भी व्यक्तियों पर आश्रित रहते हैं।

(२) शरीर और राज्य दोनों का मूल एक ही ढंग का होता है। शरीर में इस बात का इन्तजाम रहता है, कि आमाशय खून तैयार करे और इस खून को

विविध अंगों में पहुँचाया जा सके, उसमें स्नायु-प्रणाली (Nervous System) होता है, जिसके द्वारा विविध अंग अपने कार्य करते हैं, उसमें दिमाग होता है, जो सब अङ्गों का नियन्त्रण करता है। इसी प्रकार राज्य में कुछ लोग सम्पत्ति उत्पन्न करते हैं, दूसरे उसे एक स्थान से अन्य सब जगह पहुँचाते हैं, और उसमें सरकार का केन्द्रीय मण्डल भी होता है, जो मनुष्यों के सब कार्यों पर नियन्त्रण रखता है।

(३) जिन घटकों से मिलकर शरीर बनता है, उनमें निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। पुराने घटक नष्ट होते रहते हैं, और उनका स्थान नये घटक लेते रहते हैं। इसी तरह राज्य में पुराने, वृद्ध व बीमार व्यक्ति मरने रहने हैं, और उनका स्थान नये व्यक्ति लेते रहते हैं।

(४) शरीर अपनी शक्ति के लिए अवयवों व घटकों की शक्ति पर आश्रित होता है। यदि कोई अंग या अवयव निर्बल या रूग्ण हो, तो उसका असर शरीर पर भी पड़ता है। इसी प्रकार राज्य की शक्ति और समृद्धि भी उसके सदस्यों के सामर्थ्य व शक्ति पर आश्रित रहती है।

(५) शरीर की मरता किसी एक घटक या अवयव पर निर्भर नहीं होती। किसी अंग के कट जाने पर भी शरीर जीवित रहता है। यही बात राज्य के बारे में है। किसी एक व्यक्ति या श्रेणी के न रहने पर भी राज्य कायम रह सकता है।

राज्य को शरीर के समान मानने के परिणाम—यदि व्यक्तियों और राज्य के सम्बन्ध को अवयवों और शरीर के समान मान लिया जाए, तो उसके ये परिणाम होंगे—

(१) शरीर के मुकाबिले में अंगों के कोई अधिकार नहीं होते। यदि कोई अंग गल जाए, तो सारे शरीर के हित को दृष्टि में रखकर उसे काटकर फेंका जा सकता है। जब दाँत में पस पड़ जाती है, तो वह शरीर को हानि पहुँचाने लगता है। तब उसे उखड़वा दिया जाता है। दाँत यह नहीं कह सकता, कि मुझे भी जीवित रहने का अधिकार है, और शरीर के लिये मुझे कुर्बान कर देना अनुचित है। हाथ, पाँव, पेट, फेफड़े आदि सब अंगों का प्रयोजन यही है, कि वे शरीर के सामूहिक हित के लिए साधक हों। इसी तरह राज्य में व्यक्ति के कोई पृथक् अधिकार नहीं होते। राज्य के हित के लिए व्यक्तियों को कुर्बान कर देने में कोई हानि नहीं।

(२) शरीर के विविध अवयव सभी तक जीवित रह सकते हैं, जब तक प्राण-शक्ति, स्नायु प्रणाली और दिमाग ठीक तरह से काम करते रहें। शरीर में जो स्थान प्राणों का है, वही राज्य में सरकार का है। जैसे प्राण के बिना शरीर नहीं रह सकता, वैसे ही सरकार के बिना राज्य नहीं रह सकता, और राज्य के अभाव में व्यक्तियों के लिए अपनी रक्षा व हितसाधन करना वैसे ही असम्भव है, जैसे कि शरीर के मर जाने पर उसके अंगों के लिए जीवित रह सकना।

(३) क्योंकि शरीर के जीवन पर ही अंगों का जीवन निर्भर है, अतः राज्य की मत्ता पर ही व्यक्तियों की मत्ता भी निर्भर है। इसलिए व्यक्तियों के हित व अधिकार राज्य के सम्मुख बहुत गौण हैं।

(४) यदि शरीर पर कोई आपत्ति आए, तो प्रत्येक अंग उसकी रक्षा करने का प्रयत्न करता है। शरीर को बचाने के लिए हाथ-पैर, पीठ, कंधा आदि सब अंग उद्यत हो जाते हैं, और चोटें सहकर भी शरीर की रक्षा का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार राज्य की रक्षा के लिए सब व्यक्तियों को अपनी जान तक की कुर्बानी करने के लिए सदा उद्यत रहना चाहिए।

(५) जैसे अवयवों और शरीर का सम्बन्ध प्राकृतिक होता है, कृत्रिम नहीं, ऐसे ही व्यक्तियों और राज्य का सम्बन्ध भी स्वाभाविक है।

सावयव सिद्धान्त की आलोचना—पर सब विद्वान् व्यक्ति और राज्य के सम्बन्ध को स्पष्ट करने के लिए सावयव सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते। वे जिस ढंग से इस सिद्धान्त की आलोचना करते हैं, उसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं—

(१) शरीर और राज्य में कुछ समानता अवश्य है, पर इन दोनों में अनेक भिन्नताएँ भी हैं। शरीर जिन घटकों व अवयवों से मिलकर बनता है, उनकी पृथक् व स्वतन्त्र सत्ता कोई नहीं होती। उनका एकमात्र प्रयोजन यह होता है, कि वे परस्पर मिलकर शरीर का निर्माण करें। उनमें न पृथक् चेतना होती है, और न कार्यशक्ति। वे स्वयं न विचार कर सकते हैं, और न अनुभूति ही रखते हैं। पर जिन व्यक्तियों द्वारा राज्य का निर्माण होता है, उनके सम्बन्ध में यह बात नहीं कही जा सकती। राज्य से पृथक् रहकर भी मनुष्य जीवित रह सकता है, और अपना काम कर सकता है। यह ठीक है कि समाज या राज्य के बिना मनुष्य का वैसा विकास नहीं होगा, जैसा कि राज्य में रहकर होता है। पर यह मान सकना मुमकिन नहीं है, कि मनुष्य का जीवन पूरी तरह से राज्य पर ही निर्भर है।

(२) शरीर के अवयव न कभी एक-दूसरे से अलग हो सकते हैं, और न शरीर से। यह भी कभी सम्भव नहीं, कि अवयव कभी शरीर के मुकाबिले में खड़े हो सकें। पर व्यक्ति जहाँ एक-दूसरे से अलग होकर रह सकते हैं, वहाँ समाज व राज्य से भी पृथक् रह सकते हैं। कोई व्यक्ति समाज व राज्य के विरुद्ध विद्रोह भी कर सकता है।

(३) प्रत्येक व्यक्ति पृथक् रूप में सोचता है, स्वतन्त्र रूप से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, और पृथक् रूप से ही उसका जन्म व अन्त होता है। इसके विपरीत शरीर के विविध अवयवों की न कोई स्वतन्त्र इच्छा होती है, और न कोई पृथक् मत्ता।

(४) शरीर वृद्धि करता है, पर वह अन्दर से बाहर की ओर बढ़ता है।

राज्य भी वृद्धि करता है, पर शरीर की तरह से नहीं। वह नये प्रदेश को जीतकर ही अपनी वृद्धि कर सकता है।

विवेचना—इन्हीं बातों को दृष्टि में रखकर अनेक विद्वान् व्यक्ति और राज्य के सम्बन्ध को स्पष्ट करने के लिए शरीर के उदाहरण को स्वीकार्य नहीं मानते। पर इसमें सन्देह नहीं, कि राज्य के सावयव सिद्धान्त से व्यक्ति और राज्य के सम्बन्ध को समझने में सहायता मिलती है।

(१) यह सत्य है कि अपने लाभ, कल्याण और उन्नति के लिए व्यक्ति और राज्य एक-दूसरे पर आश्रित होने हैं। राज्य के अभाव में मनुष्य न अपने हितों की रक्षा कर सकेगा, और न अपनी उन्नति ही कर सकेगा। समुदाय बनाकर ही मनुष्य अपनी रक्षा कर सकता है, और दूसरों के साथ सहयोग करके ही उसके लिए उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ना सम्भव होता है। इसी प्रकार राज्य व समाज की उन्नति के लिए भी यह आवश्यक है, कि उसके सब सदस्य सुखी, सम्पन्न, कर्तव्यपरायण व प्रगतिशील हों।

(२) पर व्यक्ति को केवल समाज के हित के लिए साधन मात्र समझना भी उचित नहीं है। व्यक्ति भी अपनी पृथक् सत्ता रखते हैं, उनकी भी अपनी आवश्यकताएँ होती हैं, और उनका भी अपना महत्त्व होता है।

सविदा सिद्धान्त (Social Contract Theory)—

राज्य की उत्पत्ति किम प्रकार हुई, इस पर विचार करते हुए हम सविदा सिद्धान्त पर विशदरूप से प्रकाश डालेंगे। पर व्यक्ति और राज्य के सम्बन्ध को स्पष्ट करने के लिए भी इस सिद्धान्त का उल्लेख करना उपयोगी है। इस सिद्धान्त के अनुसार—

(१) राज्य की स्थापना व्यक्तियों की आपस की सविदा (इकरार) द्वारा हुई है। जैसे कोई दो या अधिक मनुष्य व्यापार या किसी अन्य कारोबार के लिए परस्पर मिलकर इकरार करते हैं, और हिस्सेदार बनकर उस कारोबार को चलाते हैं, वैसे ही व्यक्तियों ने आपस के इकरार द्वारा राज्य का निर्माण किया है। इकरार को तोड़ा भी जा सकता है, उसका अन्त भी किया जा सकता है। राज्य का स्वरूप ठीक वैसा ही है, जैसा कि किसी जायन्ट स्टॉक कम्पनी आदि का होता है। मनुष्य अपने आर्थिक लाभ के लिए कोई कम्पनी खड़ी करते हैं। जब वे समझें कि कम्पनी को कायम रखना बेकार है, तो वे उस कम्पनी को तोड़ भी सकते हैं। यही बात राज्य के बारे में भी है। व्यक्तियों ने अपने कतिपय हितों के लिए उसका निर्माण किया है, और वे जब चाहे उसका अन्त कर सकते हैं।

(२) राज्य एक प्राकृतिक (Natural) सत्ता नहीं है, वह कृत्रिम है। उसे

मनुष्यो ने स्वयं बनाया है। वह उनकी प्रकृति व स्वभाव का परिणाम नहीं हैं, अपितु अपने हितों को दृष्टि में रखकर ही उसकी सृष्टि उन्होंने की है।

(३) मनुष्य कृत्रिम रूप से जिन समुदायों को बनाता है, उनमें अपने व्यक्तिगत हितों को महत्व देता है। यदि कोई समुदाय उसके व्यक्तिगत हितों वा साधन न करे, तो वह या तो उस समुदाय का अन्त कर देता है, या उस समुदाय से अलग हो जाता है। यही बात राज्य व समाज के विषय में भी है। अपने हितों की दृष्टि से व्यक्तियों ने उसका निर्माण किया है। यदि कोई समाज या राज्य व्यक्तिगत हितों का साधक न रहे तो व्यक्ति उसका अन्त कर सकते हैं।

बिबेचन—समाज या राज्य को कृत्रिम या मनुष्यकृत मानना सम्भव नहीं है। दूसरों के साथ मिलकर रहना और दूसरों के साथ सहयोग द्वारा अपनी उन्नति करना मनुष्य का स्वभाव है। सामुदायिक जीवन मनुष्य की प्रकृति है, वह कोई कृत्रिम कृति नहीं है। इसी कारण मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे राज्य व समाज का अन्त नहीं कर सकता। मनुष्य सरकार में परिवर्तन अवश्य कर सकता है, पर सरकार के परिवर्तन का अभिप्राय राज्य का अन्त होना नहीं होता। सरकार बदल जाने पर भी राज्य कायम रहता है।

सविदा सिद्धान्त में यह सचाई जरूर है, कि यह व्यक्ति के महत्त्व पर भी जोर देता है। इसमें मन्देह नहीं, कि व्यक्ति को केवल राज्य के हित के लिए साधनमात्र नहीं माना जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी पृथक् सत्ता रखता है, अपने हित व कल्याण के लिए प्रयत्न करता है, और अपनी उन्नति चाहता है। अतः राज्य के भी व्यक्तियों के प्रति अनेक कर्तव्य ही जाते हैं।

व्यक्ति और राज्य एक-दूसरे के पूरक (Complementary) हैं—

राज्य और व्यक्ति के सम्बन्ध में सही सिद्धान्त यह है, कि व्यक्ति और राज्य एक-दूसरे के पूरक होते हैं। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता, कि समुदाय बनाकर रहना मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य समाज में रहता है, क्योंकि समाज में रहना मनुष्य की प्रकृति है, और समाज में रहे बिना न वह अपने हितों का सम्पादन कर सकता है, और न उन्नति। पर साथ ही यह बात भी सत्य है, कि समाज का विकास धीरे-धीरे हुआ है, और उसके विकास में व्यक्तियों का बहुत बड़ा हाथ है। मनुष्यों का सामुदायिक जीवन जो एक विशेष दिशा में निरन्तर विकास करता गया, उसमें व्यक्तियों के विचार, प्रतिभा और चिन्तन ने बहुत काम किया है। परिवार का क्या रूप हो, सरकार का संगठन किस प्रकार का हो, आर्थिक समुदाय किस प्रकार अपना कार्य करें और धार्मिक समुदायों को क्या कुछ करना चाहिए—इन सब बातों के निर्धारण में मनुष्य का कर्तृत्व बहुत अधिक है। समाज में व्यक्ति की

सत्ता नगण्य नहीं मानी जा सकती। मनुष्य की प्रकृति जहाँ सामुदायिक जीवन बिताने की है, वहाँ मनुष्य ही स्वयं विवेकपूर्वक यह भी निश्चय करता है, कि उसके सामाजिक जीवन का क्या स्वरूप होना चाहिए।

इसलिए यह कहना अधिक सही होगा, कि समाज स्वाभाविक और कृत्रिम दोनों है। मूलतः समाज प्राकृतिक है, पर आशिक रूप से वह कृत्रिम भी है। इसी कारण यह माना जाता है, कि समाज व राज्य और व्यक्ति एक-दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक-दूसरे के कल्याण व उन्नति में सहायक होते हैं। व्यक्ति समाज की उन्नति में सहायक होते हैं, और समाज व्यक्तियों की उन्नति में। यदि व्यक्ति गुणी, सुधी परिश्रमी व कर्तव्यपरायण हों, तो समाज व राज्य की उन्नति अवश्यम्भावी है। इसी प्रकार यदि कोई समाज उन्नत हो, उसके आदर्श ऊँचे हों, उसका संगठन उत्तम हो, तो उसके कारण व्यक्तियों की उन्नति में भी अवश्य सहायता मिलेगी। एक सम्य समाज के अंग होकर जो व्यक्ति उत्पन्न होते हैं, उन्हें अपनी उन्नति की सुविधाएँ सुगमता से प्राप्त हो जाती हैं। इसके विपरीत एक असम्य और अर्धसम्य समाज के सदस्यों को अपनी उन्नति के लिए समुचित सुविधाएँ प्राप्त नहीं हो पाती। अतः यह स्वीकार करना होगा, कि व्यक्ति समाज से लाभ उठाता है, और समाज व्यक्तियों से। इसी कारण उन्हें एक-दूसरे का पूरक माना जाता है। समाज व राज्य का कर्तव्य है, कि वह व्यक्तियों के हित और उत्थरण को सदा ध्यान में रखे और उनके लिए प्रयत्नशील रहे। इसी प्रकार व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे केवल अपनी उन्नति व कल्याण के लिए ही प्रयत्न न करें, अपितु सारे समाज और सब लोगों की उन्नति के लिए तत्पर रहे।

यदि असल में देखा जाए, तो मनुष्य के व्यक्तित्व का उच्चतम विकास यही है, कि वह दूसरों के लिए जीना सीखे। मनुष्य के व्यक्तिगत गुण परोपकर, सेवा, दया और स्वार्थत्याग ही हैं। इन्हीं से मनुष्य का चरम विकास होता है। ये गुण किसी व्यक्ति में तभी विकसित होते हैं, जब वह दूसरों के प्रति अनेक कर्तव्यों को समझे। सबसे पूर्व मनुष्य कुटुम्ब के क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का पालन कर अपने इन व्यक्तिगत गुणों का विकास करता है, फिर अपनी विरादरी और ग्राम के क्षेत्र में, फिर राज्य के क्षेत्र में और अन्त में सम्पूर्ण मानव समाज में। इसलिए व्यक्ति और समाज व राज्य को एक-दूसरे का विरोधी न मानकर उन्हें एक-दूसरे का पूरक ही समझना चाहिए।

व्यक्ति और राज्य के सम्बन्ध के कारण उत्पन्न होने वाले कुछ प्रश्न

जब हम व्यक्ति और राज्य के सम्बन्ध पर विचार कर रहे होते हैं, तो कुछ प्रश्न स्वाभाविक रूप से हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं—

(१) हमने राज्य की एक विशेषता यह बताई है, कि राज्य में प्रभुत्व शक्ति होती है, वह सर्वोपरि होता है। सब व्यक्ति उसके आदेश में रहते हैं, और राज्य को यह अधिकार होता है, कि वह सब व्यक्तियों व व्यक्तियों के सब समुदायों पर अपना नियन्त्रण रख सके। यदि प्रभुता राज्य का एक आवश्यक तत्व है, तो व्यक्तियों की स्थिति उनके सम्मुख सर्वथा अगण्य हो जाती है। इस दशा में क्या राज्य का प्रभुत्व-सम्पन्न व सर्वोपरि होना उचित है ?

(२) राज्य ऐसे कानूनों का निर्माण करता है, जिनका पालन करना सब मनुष्यों के लिए अनिवार्य होता है। कानून का पालन करने के लिए राज्य दण्ड व शक्ति का भी प्रयोग करता है। इसलिए कानूनों की सत्ता क्या व्यक्तियों को सर्वथा अगण्य नहीं बना देती ?

(३) क्या राज्य के कारण व्यक्तियों की स्वतन्त्रता में बाधा नहीं पड़ती ? प्रत्येक मनुष्य स्वतन्त्र रहना चाहता है और स्वतन्त्रता के साथ ही अपनी उन्नति करने का इच्छुक होता है। क्या राज्य मनुष्य की इस स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं करता ?

(४) राज्य का निर्माण जिन व्यक्तियों द्वारा हुआ है, क्या वे सब समान स्थिति रखने हैं ?

(५) राज्य में रहता हुआ मनुष्य भी अपने व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना चाहता है। क्या मनुष्य के कोई ऐसे अधिकार भी हैं, जो राज्य से स्वतन्त्र रूप से उसे प्राप्त हैं ?

इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अब हम ऋषभ प्रभुता (Sovereignty), कानून (Laws), स्वतन्त्रता (Liberty), समानता (Equality) और अधिकार (Rights) पर विचार करेंगे, ताकि व्यक्ति और राज्य के सम्बन्ध और अधिक स्पष्ट हो सकें।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१ राज्य और व्यक्ति के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में कौन-कौन से मुख्य सिद्धान्त हैं ?

२ क्या राज्य की उपमा शरीर के साथ दी जा सकती है ? राज्य के साव-यव सिद्धान्त की विशद रूप में विवेचना कीजिये।

३ क्या राज्य एक कृत्रिम व मनुष्यकृत समुदाय है ? अपने मत का युक्ति-बुद्धक प्रतिपादन कीजिये।

सातवाँ अध्याय प्रभुता (SOVEREIGNTY)

प्रभुता का अभिप्राय—

हम पहले लिख चुके हैं कि राज्य का एक आवश्यक तत्त्व प्रभुता है। यह तत्त्व है, जो राज्य को अन्य समुदायों से पृथक् करता है। अन्य समुदाय भी ऐसे हो सकते हैं, जिनका अपना संगठन हो, जो किन्हीं नियमों का पालन करते हों, किसी निश्चित भूखण्ड पर बसे हुए हों, और अपनी इच्छा के अनुसार नियमों का निर्माण करते हों। पर इन अन्य समुदायों में 'प्रभुता' नहीं होती। जिस मानव-समुदाय में प्रभुता भी हो, उसी को राज्य कहते हैं। प्रत्येक राज्य में यह विशेषता अवश्य पाई जाती है।

प्रभुता का लक्षण—राज्य की इस प्रभुत्वशक्ति के लक्षण विविध विद्वानों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से किये हैं। बर्गेस के अनुसार "राज्य की सब व्यक्तियों और व्यक्तियों के समुदायों के ऊपर जो मौलिक, सम्पूर्ण और असौम्य शक्ति है, वही प्रभुता है।"¹ पोलक के अनुसार "प्रभुता वह शक्ति है, जो अस्थायी नहीं है, जो किसी अन्य द्वारा प्रदत्त नहीं है, जो किन्हीं ऐसे नियमों के अधीन नहीं है जिन्हें वह स्वयं न बदल सके, और जो सत्ता की अन्य किसी शक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं है।"² विलोबी के अनुसार "राज्य की सर्वोपरि इच्छा को ही प्रभुता कहते हैं।"³

विविध विद्वानों द्वारा किये गये इन लक्षणों से प्रभुता का स्वरूप भलीभाँति

1 "Sovereignty is the original, absolute and unlimited power over the individual subjects and over all associations of subjects"

—Burgess.

2 "Sovereignty is that power which is neither temporary, nor delegated, nor subject to particular rules which it cannot alter, nor answerable to any power on earth".

—Pollack

3. "Sovereignty is the supreme will of the state".

—Willoughby.

स्पष्ट हो जाता है। इसमें सन्देह नहीं, कि राज्य में एक ऐसी शक्ति होती है, जो उनमें निवास करने वाले सब व्यक्तियों, समुदायों व उसके क्षेत्र में विद्यमान सब पदार्थों पर सर्वोच्च अधिकार रखती है, जिससे कारण वह सबको अपने आदेशों का पालन करने के लिए विवश कर सकती है। इसी सर्वोपरि शक्ति को प्रभुता कहते हैं। यह शक्ति राज्य के अतिरिक्त किसी अन्य समुदाय के पास नहीं होती।

प्रभुता एक ऐसी विशेषता है, जिसके कारण (१) राज्य किसी भी बाह्य सत्ता का आदेश मानने के लिए विवश नहीं होता, और () राज्य के क्षेत्र में निवास करने वाले सब व्यक्ति उसके आदेशों को मानने के लिए विवश होने हैं।

प्रभुता की विशेषताएँ (Characteristics of Sovereignty)

प्रभुता के अभिप्राय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उसकी विशेषताओं व गुणों पर प्रकाश डालना उपयोगी है। ये विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(१) **स्थायित्व (Permanence)**—राज्य और प्रभुता का सम्बन्ध अटूट है। क्योंकि राज्य स्थायी है, अतः उसकी प्रभुता भी स्थायी होती है। प्रभुता राज्य में होती है, सरकार में नहीं। इसलिए सरकार के बदल जाने से प्रभुता का अन्त नहीं हो जाता। हाँ, यदि कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के अधीन हो जाए, तो अधीन हुए राज्य में प्रभुता नहीं रह जाती। पर प्रभुता न रह जाने के कारण उसकी सत्ता पृथक् राज्य के रूप में नहीं रह जाती।

(२) **केवलत्व या अनन्यत्व (Exclusiveness)**—राज्य में केवल एक ही प्रभुता रह सकती है, एक से अधिक नहीं। सर्वोपरि सत्ता एक ही हो सकती है। जो सबसे ऊपर हो, वही सर्वोपरि है। इसी कारण राज्य की प्रभुता की यह विशेषता होती है, कि वह अनन्य हो, कोई उसके समकक्ष न हो।

(३) **सर्वव्यापित्व (All Comprehensiveness)** राज्य की प्रभुता अपने क्षेत्र में सर्वव्यापी होती है। राज्य के अन्तर्गत जो भी प्रदेश हो, उन प्रदेशों में जो भी पदार्थ हो, वहाँ जो भी मनुष्य व समुदाय निवास करते हो, सब पर प्रभुत्वशक्ति के कारण राज्य का अधिकार व नियन्त्रण होता है।

(४) **अह्वयकरणीयत्व (Inalienability)**—राज्य अपने को नष्ट किये बिना प्रभुता को अपने से पृथक् नहीं कर सकता। जिस प्रकार कोई प्राणी आत्मविनाश किये बिना अपने जीवन को अपने से पृथक् नहीं कर सकता, वैसे ही राज्य भी आत्मविनाश के बिना प्रभुता को अपने से अलग नहीं कर सकता। प्रभुता राज्य के प्राण के समान है, अतएव जब तक राज्य रहे, प्रभुता भी उनमें कायम रहती है।

(५) **अविभाज्यता (Indivisibility)**—राज्य में जो सर्वोच्च प्रभुत्वशक्ति है, उसके विभाग कर सकता भी सम्भव नहीं है। यदि उसके विभाग कर दिये जा सकें,

यदि विधानत सरकार देर तक अपने राज्य पर अधिकार स्थापित न कर सके, तो तथ्यत सरकार ही विधानत सरकार की स्थिति प्राप्त कर लेती है।

क्या प्रभुता सीमित होती है ?

प्रभुता की जो विशेषताएँ हमने ऊपर बताई हैं, उनमें यह स्पष्ट है, कि राज्य की प्रभुत्वशक्ति असीम (unlimited) होती है। राज्य को पूर्ण अधिकार है कि वह जो चाहे आदेश दे सके, जो चाहे कानून बना सके। पर राज्य स्वयं इन कानूनों के अधीन नहीं होता। इसी कारण वह जब जाहे, इन कानूनों में परिवर्तन कर सकता है, या उन्हें रद्द कर सकता है। सरकार अवश्य इन कानूनों के अधीन होती है, पर सरकार और राज्य दो भिन्न सत्ताएँ हैं। पर राज्य अपने बनाये हुए कानूनों से भी ऊपर होता है। राज्य की प्रभुत्वशक्ति पूर्ण व असीम होती है।

पर अनेक विचारक ऐसे भी हैं, जो इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनके विचार में अनेक बातें ऐसी हैं, जो राज्य की प्रभुता को सीमित करती हैं—

(१) प्रत्येक राज्य की जनता कुछ बातों को उचित और कुछ को अनुचित समझती है। न्याय, अचित्य आदि के विचार सब जगह पाये जाते हैं। कोई भी राज्य इनके विपरीत कार्य करने का साहस नहीं कर सकता।

(२) जनता में जो प्रथाएँ देर से चली आ रही होती हैं, राज्य उनका भी उल्लंघन नहीं कर सकता।

इसी कारण अनेक विद्वानों का मत है कि राज्य को सर्वशक्तिमान् व प्रभु समझना सर्वथा अनुचित है। पर इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिए कि राज्य कानून बनाने हुए उचित अनुचित, न्याय, पुरानी प्रथाओं आदि के विचारों को ध्यान में रखे या नहीं, यह उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर है। स्वतन्त्र भारत की सरकार ने अछूत प्रथा को गैरकानूनी ठहराया है। यह प्रथा भारत में देर से चली आ रही है, पर सरकार ने उसे कोई महत्त्व नहीं दिया। क्योंकि राज्य की प्रभुत्वशक्ति जनता में निहित रहती है, अतः इस बात का फंसला करना भी जनता के ही हाथों में है, कि वह किस विचार व प्रथा को महत्त्व दे और किसे नहीं। इसलिए राज्य की प्रभुता को असीम मानना ही उचित व युक्तिमत्त है।

प्रभुता के सिद्धान्त की आलोचना—

हमने ऊपर प्रतिपादित किया है कि प्रभुता एक ऐसी विशेषता है, जो केवल राज्य में ही पाई जाती है, अन्य किसी समुदाय में नहीं। पर अनेक विद्वान् इसमें सहमत नहीं हैं। उनका मत है कि यह कोई जरूरी नहीं, कि राज्य अवश्य ही प्रभुत्वशक्तिसम्पन्न (Sovereign) हो। वे अपने मन की पुष्टि के लिए अनेक युक्तियाँ

देने हैं, जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं—

(१) अन्तर्राष्ट्रीयता (Internationalism) के विकास के कारण अब किसी राज्य के निये यह सम्भव नहीं रह गया है कि वह पूर्ण रूप से प्रभुत्वसम्पन्न हो। वर्तमान समय में विज्ञान ने जो आधारारण उन्नति कर ली है, उनके कारण अब कोई राज्य अकेले अपनी रक्षा नहीं कर सकता। अब राज्यों के लिए यह आवश्यक हो गया है, कि वे एक-दूसरे पर आश्रित होकर रहें। बीसवीं सदी के दो महायुद्धों के बाद कोई भी राज्य अपने को पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं समझ सकता और न अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मनमानी ही कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र (United Nations' Organisation) के गठन के कारण अब सभी राज्यों की प्रभुता बहुत कुछ सीमित हो गई है।

ऐसा होना उचित भी है, क्योंकि राज्यों की प्रभुता विश्वशांति के लिए हानिकारक है। जब तक संसार के विविध राज्य अपने को किसी अन्तर्राष्ट्रीय गठन के अधीन नहीं कर देंगे, और अपने को पूर्णतया 'प्रभु' समझना नहीं छोड़ देंगे, तब तक सन्तान में शान्ति की आशा रखना बिल्कुल बेकार है। प्रोफेसर लास्की के इस कथन में बहुत सच्चाई है—“किसी राज्य को अन्य राज्यों के साथ कितने सम्बन्ध से रहना चाहिए, यह विषय ऐसा नहीं है, जिसका निर्णय करने का पूर्ण अधिकार उस राज्य को ही हो। इंग्लैण्ड को यह फैसला स्वयं नहीं करना चाहिए, कि वह कितने और कौन से अस्त्र-शस्त्र रखे व कितने लोगों को बाहर से आकर अपने प्रदेशों में बसने दे।” आज सन्तान सबमुब इसी ओर जा रहा है। अस्त्र-शस्त्र आदि की सत्या को मर्यादित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किये जाते हैं, और वर्तमान समय के राज्य इस स्थिति में नहीं हैं, कि वे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूर्णतया मनमानी कर सकें।

(२) राजनीति शास्त्र में एक सम्प्रदाय है, जिसे बहुसमुदायवाद (Pluralism) कहते हैं। प्रोफेसर लास्की इसके बड़े प्रबन्ध समर्थक थे। बहुसमुदायवाद के समर्थकों का कहना है कि अपने सांस्कृतिक हितों के लिये मनुष्यों ने जो अनेक समुदाय बनाये हैं, राज्य भी उनमें से एक है। उसे अन्य समुदायों के मुकाबिले में ऊँचा व सर्वोपरि मानना किसी भी प्रकार उचित नहीं है। राज्य अन्य समुदायों के समक्ष ही है, उनमें उसकी स्थिति ऊँची नहीं है। जैसे मनुष्यों की भक्ति (Allegiance) राज्य के प्रति होती है, वैसे ही धार्मिक, आर्थिक सामूहिक आदि अन्य समुदायों के प्रति भी होती है। इसी कारण यदि कोई राज्य कभी किसी धार्मिक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई करने लगे, तो बहुत से लोग राज्य का विरोध करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। राज्य का प्रधान कार्य यही है कि वह बाहरी और अन्दरूनी शत्रुओं से देश की रक्षा करे। उसे धार्मिक, आर्थिक आदि मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये सब कार्य मनुष्यों के अन्य समुदायों के हाथों में रहने चाहियें। राज्य को यह

स्वीकार करना चाहिए, कि अन्य समुदायो के समान वह भी एक समुदाय ही है। मानव जीवन के अनेक पहलू होते हैं, इसलिए कोई एक समुदाय उसकी सब आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। अपनी विविध प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये मनुष्य अनेक प्रकार के समुदाय बनाता है। राज्य भी उनमें से एक है, वह 'सर्वोपरि' या 'प्रभु' नहीं है।

इसमें सन्देह नहीं कि बहुसमुदायवाद में सचाई का अंश अवश्य है। वह हमारे सामने इस बात को स्पष्ट रूप से ले आता है, कि राज्य कोई लोकोत्तर सत्ता नहीं है। उसका निर्माण मनुष्यों द्वारा ही किया गया है, और वह भी एक मानव समुदाय ही है। पर इस सिद्धान्त को स्वीकार कर सकना सम्भव नहीं है, क्योंकि यदि सब समुदायो को समकक्ष मान लिया जाए, तो अब कभी विविध समुदायो में मत-भेद ब भगडा हो, तो उसका निर्णय किस प्रकार हो सकेगा? समाज में व्यवस्था कायम रखने के लिए यह जरूरी है, कि उनमें कोई सर्वोपरि सत्ता विद्यमान हो। राज्य यही सर्वोपरि सत्ता है, और इसी कारण वह अन्य सब समुदायो के कार्य व नीति पर नियन्त्रण रखने का अधिकार रखता है।

उपसंहार

इसमें सन्देह नहीं, कि प्रभुता के कारण राज्य की स्थिति सब व्यक्तियों व समुदायो से ऊँची हो जाती है, और सबको उसके आदेशों में रहने के लिये विवश होना पड़ता है। पर यह बात व्यक्तियों के लिए हानिकारक नहीं होती, क्योंकि राज्य भी व्यक्तियों का ही समुदाय है। मनुष्यों की जो इच्छा हो, जो लोकमत हो, उसी के अनुसार तो राज्य कार्य करता है। लोकतन्त्र शासनो में तो मनुष्यों की यह सर्व-सामान्य इच्छा (General will) स्पष्ट रूप से राज्य की संचालन करती है, पर पुराने समय में जब राजाओं का एकतन्त्र शासन हुआ करता था, तब भी 'मनुष्यों की इस इच्छा' का अभाव नहीं था। उस समय के नीतिकार यह प्रतिपादन किया करते थे, कि प्रजा का रजन करना राजा का कर्तव्य है, और उसे धर्म के अनुसार ही शासन करना चाहिए। न्याय, अधिश्चय आदि के सम्बन्ध में मनुष्यों के जो विचार हो, उसी को 'धर्म' कहते हैं। यदि कोई राजा जनता के मत की सर्वथा उपेक्षा कर मनमानी करने का प्रयत्न करता था, तो जनता उसके विरुद्ध विद्रोह करने के लिए भी उठ खड़ी होती थी। इसलिए यह स्वीकार करना होगा, कि राज्य की प्रभुत्वशक्ति के कारण व्यक्तियों को कोई हानि नहीं पहुँचती। उसके कारण समाज में जो व्यवस्था कायम रहती है, वह मनुष्यों के हित, कल्याण व उन्नति में सहायक ही होती है।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१ प्रभुता (राज्यसत्ता या सावभौमिकता या Sovereignty) से आप क्या समझते हैं ? उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिये । (यू० पी० १९४२, १९५५)

२ प्रभुता का लक्षण कीजिए और उसकी विशेषताओं का उल्लेख कर कादूती और राजनीतिक प्रभुता के भेद को स्पष्ट कीजिये । (यू० पी०, १९४७)

३ राज्य की प्रभुता से आप क्या समझते हैं ? यह नागरिकों के अधिकारों में कहीं तक बाधा डालती है ? (राजपूताना १९४५)

४ प्रभुता से आप क्या समझते हैं ? किस अर्थ में राज्य को प्रभुत्वसम्पन्न (Sovereign) माना जा सकता है ?

५ प्रभुता के विविध रूप कौन से हैं ? उनके भेदों को स्पष्ट कीजिये ।

६ प्रभुता के सिद्धान्त की आलोचना कीजिये । बहुसमुदायवाद (Pluralism) के अनुयायी इस सिद्धान्त को किस कारण से स्वीकार नहीं करते ?

७ 'प्रभुता का सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत भयंकर सिद्ध हुआ है' क्या आप इस कथन से सहमत हैं ?

आठवा अध्याय कानून

कानून का अभिप्राय—

राज्य अपनी प्रजा को जो आदेश देता है और जिनका उल्लंघन करने पर मनुष्य को दण्ड दिया जाता है, उन्हें 'कानून' कहते हैं। कुछ कानून ऐसे भी होते हैं जिन्हें राज्य द्वारा नहीं बनाया जाता। पुरानी प्रथा व रीति रिवाज भी ऐसे हो सकते हैं जिनकी स्थिति कानून के समान ही हो, और जिनका पालन कराने के लिए भी राज्य की शक्ति का प्रयोग किया जाए।

कानून का लक्षण— विविध विद्वानों ने कानून का लक्षण भिन्न भिन्न प्रकार से किया है। प्रसिद्ध विद्वान् हाल्लेड के अनुसार "आचरण के उन सामान्य नियमों को कानून कहते हैं जिनका सम्बन्ध मनुष्यों के बाह्य आचरण के साथ हो, और जिनका प्रयोग किसी सुनिश्चित सत्ता द्वारा कराया जाए, यह सुनिश्चित सत्ता मानवी होनी है, और मानवी सत्ताओं में भी ऐसी, जो राजनीतिक समाज में सर्वोच्च है। सक्षेप में हम यो कह सकते हैं कि सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न राजनीतिक सत्ता द्वारा लागू किये जाने वाले बाह्य आचरण के सामान्य नियमों को कानून कहा जाता है।"^१

हाल्लेड द्वारा किये गये कानून के लक्षण की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(१) कानून का सम्बन्ध मनुष्य के बाह्य आचरण (External action) के साथ होता है। कोई मनुष्य दूसरे के घन से ईर्ष्या करता है, उसे अनुचित रूप से प्राप्त करने के लिए मन में सोचता रहता है। ऐसा करना नैतिक दृष्टि से चाहे उचित न हो, पर कानून की दृष्टि में वह तभी अपराधी होगा, जब कि वह चोरी करे या चोरी करने का प्रयत्न करे। कानून की दृष्टि में मनुष्यों के केवल बाह्य आचरण होने हैं, आन्तरिक विचार नहीं।

(२) कानून का प्रयोग करने वाली सत्ता मानवी होनी चाहिए। प्रायः मनुष्य

1. 'A law is a general rule of action taking cognizance only of external acts, enforced by a determinate authority, which authority is human and among human authorities is that which is a paramount in a political society, or briefly, a law is a general rule of external action enforced by a sovereign political authority'.

ईश्वरी या देवी सत्ता पर भी विश्वास रखते हैं, और यह मानते हैं कि ईश्वर मनुष्यों के कार्यों को देवता रहता है, और उनका फल देता है। पर हम कानून केवल उमे कहते हैं, जिसका प्रयोग मानवी सत्ता द्वारा किया जाए।

(३) यह मनुषी सत्ता भी सर्वोच्च होनी चाहिए। धार्मिक, आर्थिक आदि मानव समुदायों के भी अपने नियम होते हैं, और वे अनेक प्रकार से उनका पालन कराने का भी यत्न करते हैं। पर इन नियमों को कानून नहीं कहा जाता। हम कानून केवल उन नियमों को कहते हैं, जिनका प्रयोग राज्य द्वारा, जो सर्वोच्च राजनीतिक समुदाय है, किया जाए।

गैटल ने कानून का लक्षण इस प्रकार किया है—“कानून मुस्थित विचार व अभ्यास का वह अंश है, जो सरकार की शक्ति द्वारा ममान्य नियमों के रूप में सुस्पष्ट तथा विधिपरक स्वीकृति प्राप्त कर चुका हो ?”

इस लक्षण के अनुसार कानून में निम्नलिखित बातें होती हैं—

(१) मनुष्यों में कतिपय विचार, अभ्यास और प्रथाएँ चली आ रही होती हैं, जिनका वे सामान्य रूप से अनुसरण व पालन करते हैं। हिन्दू लोगों में विवाह, विरामत आदि के सम्बन्ध में कुछ प्रथाएँ देर से चली आ रही हैं, और हिन्दू लोग सामान्य रूप से उनका पालन भी करते हैं। यही बात अन्य लोगों के विषय में भी कही जा सकती है।

(२) इनमें से कतिपय विचार, अभ्यास व प्रथाएँ इतनी मुस्थित (Established) होती हैं, कि सरकार उन्हें विधिवत् स्वीकार कर लेती है और उनका पालन कराने के लिए राजशक्ति का प्रयोग करती है। इन्हीं को हम कानून कहते हैं।

यह लक्षण उन कानूनों के स्वरूप को भली-भाँति स्पष्ट कर देता है, जिन्हें सरकार नहीं बनाती, अपितु जो जनता में परम्परागत रूप से चले आ रहे होने हैं, पर जिन्हें वह विधिवत् स्वीकार कर लेती है और जनता से उसका पालन भी कराती है। भारत में हिन्दू कानून, मुस्लिम कानून आदि इसी प्रकार के हैं।

इसमें सन्देह नहीं, कि मनुष्यों के बाह्य आचरण के विषय में कतिपय ऐसे नियमों की सत्ता होती है, जिन्हें सरकार विधिपूर्वक स्वीकार कर लेती है, और जिनका पालन कराने के लिए वह राजशक्ति का भी प्रयोग करती है। ये नियम, चाहे पुरानी प्रथाओं पर आश्रित हो और चाहे जनता में विद्यमान विचारों की दृष्टि में रखकर सरकार द्वारा बनाये गये हो, कानून कहाने हैं। जिन नियमों का निर्माण सरकार

1. “Law is that portion of established thought and habit which has gained distinct and formal recognition in the form of general rules backed by the authority and power of government”

द्वारा किया जाता है, सरकार जो आदेश देती है, और मनुष्यों के जिन विचारों, अभ्यासों और प्रथाओं को सरकार ने विधिपूर्वक स्वीकार किया होता है, उन सबको कानून कहा जाता है।

कानून की आवश्यकता—

जब मनुष्य परस्पर मिलकर और कोई उद्देश्य अपने सम्मुख रखकर किसी समुदाय का निर्माण करते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि वे उस समुदाय के लिये कतिपय नियम भी बनाएँ, ताकि उन नियमों के अनुसार उस समुदाय के कार्यों का संचालन किया जा सके। ये नियम समुदाय के सदस्यों की इच्छा के अनुसार बनाये जाते हैं, पर जब एक बार इनका निर्माण हो जाता है, तो सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे इनका पालन करेंगे। राज्य भी मनुष्यों का समुदाय ही है, अतः उसके लिए भी यह आवश्यक है कि उसके कतिपय ऐसे नियम हों, जिनका पालन सब लोग करें। राज्य-रूपी मानव समुदाय के अन्तर्गत मनुष्य किस प्रकार का आचरण करें, किस प्रकार से कार्य करें, किस व्यवस्था में रहे, इस सम्बन्ध में जो नियम राज्य द्वारा बनाये जाते हैं, उन्हें ही कानून कहा जाता है। अन्य समुदायों के नियमों और राज्य के नियमों (कानूनों) में भेद यह है, कि राज्य अपने नियमों का पालन कराने के लिए शक्ति का प्रयोग कर सकता है। पर जिस प्रकार अन्य सब समुदायों को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व अपना कार्य चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता है, वैसे ही राज्य को भी है।

ऐसे किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, जिसमें कानूनों की सत्ता न हो। कानून के अभाव का अभिप्राय यह होगा कि प्रत्येक मनुष्य जो चाहे कर सकेगा, उसकी इच्छा व कार्यों पर कोई भी नियन्त्रण नहीं होगा। यह दशा 'अराजकता' (Anarchy) की होगी, राज्य की नहीं। राज्य का प्रयोजन यह है कि वह बाहरी व अन्दरूनी शत्रुओं से जनता की रक्षा करे, अमन चैन कायम रखे, सार्वजनिक हित के कार्यों की व्यवस्था करे, और मनुष्यों के हित, कल्याण व उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहे। ये सब कार्य वह तभी कर सकता है, जबकि वह किन्हीं ऐसे नियमों का निर्माण करे, जिसका पालन करने के लिए सब लोग विवश हों। व्यवस्था के बिना न तो मनुष्यों की रक्षा की जा सकती है, न उनका हित सम्पादन सम्भव है, और न उन्नति। राज्य जो व्यवस्थाएँ करता है, वे ही कानून कहाती है। अतः राज्य के लिए कानूनों की आवश्यकता असदिग्ध है।

कानून के स्रोत (Sources of Law)

वर्तमान समय में राज्य के कानूनों का निर्माण व्यवस्थापन विभाग (Legis-

lature) द्वारा किया जाता है। पर किसी भी देश में केवल वे कानून ही जारी नहीं होने, जिन्हें पार्लियामेंट ने बनाया हो। अनेक पुरानी प्रथाओं व अभ्यासों को भी कानून की स्थिति प्राप्त होती है, पार्लियामेंट उन्हें विधिपूर्वक स्वीकार मात्र कर लेती है। कानून के विविध स्रोतों को इस प्रकार परिगणित किया जा सकता है—

(१) परम्परागत प्रथाएँ (Customs)—जब वे मनुष्यों ने सामुदायिक जीवन व्यतीत करना शुरू किया, तभी वे उनमें अनेक प्रथाएँ भी विकसित होने लगीं। इन प्रथाओं का आधार इनकी उपयोगिता थी, इसीलिए सब लोग इनका पालन करते थे। विता की मृत्यु के बाद उमकी सम्पत्ति किसे मिले, उसमें लडकियों का हिस्सा हो या नहीं, लडकों में भी सब को बराबर बराबर सम्पत्ति मिले या बडे को अधिक, इन सब बातों का निर्णय पुराने समय में किसी व्यवस्थापन विभाग द्वारा या राजा द्वारा नहीं हुआ। इन बातों के सम्बन्ध में विविध कुलों और कबीलों में भिन्न-भिन्न प्रथाओं का विकास होता गया। बाद में इन प्रथाओं ने कानून का भी रूप धारण कर लिया। यही विवाह, तनाक आदि कितनी ही अन्य बातों के सम्बन्ध में हुआ।

(२) धर्म (Religion)—मनुष्य के जीवन में धर्म का बहुत महत्त्व है। धर्म के मन्त्रियों और विधि-विधानों को मनुष्य श्रद्धापूर्वक मानने हैं। जो बातें धर्म द्वारा विहित हो, उनका उल्लंघन करने का साहस लोगों को नहीं होता। पुराने समय में अनेक प्रथाओं व भी धर्म के साथ सम्बद्ध माना जाता था, और अब तक भी कितने ही रीतिरिवाजों व सामाजिक नियमों का धर्म के साथ सम्बन्ध माना जाता है। हिन्दू लोगों में विवाह के बारे में जो प्रथाएँ व नियम हैं, उन्हें वे धर्म का अंग मानते हैं। ईसाई, मुसलमान, सिख आदि लोगों में भी बहुत से सामाजिक नियमों को धर्म का अंग माना जाता है। इसीलिए भारत में कितने ही ऐसे कानून भी प्रचलित हैं, जिनका आधार धर्म है। यही बात अन्य देशों के विषय में भी कही जा सकती है।

(३) व्यवस्थापन (Legislation)—वर्तमान समय में प्रायः सभी देशों में ऐसी विधान-सभाएँ विद्यमान हैं, जो कानून बनाने का कार्य करती हैं। इन विधान-सभाओं के कारण अब पुरानी प्रथाओं व धर्म आदि का कानून के स्रोत के रूप में अधिक महत्त्व नहीं रहा है। ये विधान-सभाएँ न केवल जनता की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर नए कानून बनाती हैं, अपितु धर्म, प्रथा आदि के आधार पर चले आए पुराने नियमों को लेखबद्ध करके उन्हें विधिपूर्वक कानून का रूप भी प्रदान करती हैं।

(४) न्यायसम्बन्धी निर्णय (Judicial decisions)—जब कोई मुकदमा निर्णय के लिए न्यायाधीशों के सम्मुख पेश होता है, तो वे उसका निर्णय कानून के अनुसार करते हैं। पर अनेक बार कानून का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता। कानूनों के अभिप्राय को स्पष्ट करने व उनकी व्याख्या करने का महत्त्वपूर्ण कार्य न्यायाधीशों द्वारा ही किया जाता है। प्रदानतों के वे फैसले भविष्य के मुकदमों के लिए नज़ीर का काम


देते हैं, और ये भी राज्य के कानून की स्थिति रखने लगते हैं ।

(५) वैज्ञानिक टीकाएँ (Scientific Commentaries)—जो विद्वान् कानून का वैज्ञानिक रीति से अध्ययन करते हैं उन्हें विधानशास्त्री (Jurists) कहा जाता है । ये विधानशास्त्री विधान सभा द्वारा बनाए हुए कानूनों की वैज्ञानिक व्याख्याएँ लिखते हैं । न्यायाधीश तो किसी मामले के सम्बन्ध में कानून को लागू करते हुए ही उनकी व्याख्या करते हैं, पर विधानशास्त्री लोग कानून की तात्त्विक विवेचना करने का काय करते हैं । न्यायाधीशों की दृष्टि में इन विवेचनाओं का बहुत महत्व होता है ।

(६) औचित्य (Equity)—कई ऐसे मुकदमों में न्यायालयों में देस होते हैं, जिनके विषय में कोई स्पष्ट कानून नहीं होता । न्यायाधीश लोग इनका फँसला 'औचित्य' के सिद्धान्त के आधार पर करते हैं और इस प्रकार एक नए कानून का निर्माण हो जाता है । अन्य न्यायाधीश इसी प्रकार के मामले के पेश होने पर इस कानून का अनुसरण करने लगते हैं ।

कानून के विविध प्रकार—

कानूनों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जा सकता है । मैकर्टवर के अनुसार कानूनों के वर्गीकरण को निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है—



अब हम इन विविध प्रकार के कानूनों पर संक्षेप से प्रकाश डालेंगे—

(१) राष्ट्रीय कानून—राष्ट्रीय कानून वे हैं जिनका सम्बन्ध राज्य की भूमि, उसके निवासियों व राज्य की सीमा के अन्दर विद्यमान विविध समुदायों के साथ हो ।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय कानून—एक राज्य दूसरे राज्य के साथ किस प्रकार व्यवहार करे, इसका प्रतिपादन अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा किया जाता है । विज्ञान की उन्नति

के कारण आजकल विविध राज्यों के परस्पर-सम्बन्ध बहुत बढ़ गए हैं। अब यह बहुत आवश्यक हो गया है, कि विविध राज्य एक दूसरे के साथ बरताव करते हुए किन्हीं नियमों का पालन करें। इन्हीं नियमों को अन्तर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं। शानि और युद्ध—दोनों दशाओं में इन नियमों का पालन किया जाता है।

(३) **संवैधानिक कानून**—राष्ट्रीय कानून दो प्रकार के होते हैं, संवैधानिक और साधारण। संविधान (Constitution) में राज्य के उन आधारभूत कानूनों को अन्तर्गत किया जाता है, जिनके अनुसार सरकार के स्वरूप और मण्डल का निर्धारण किया जाता है। संवैधानिक कानून यह प्रतिपादित करता है, कि सरकार के विविध अंग कौन से हैं, इन विविध अंगों के क्या अधिकार हैं, क्या कार्य हैं और उनमें परस्पर क्या सम्बन्ध है। संवैधानिक कानून लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी। इस पर हम अगले एक अध्याय में विशद रूप में विचार करेंगे।

(४) **साधारण कानून**—जिन कानूनों का सम्बन्ध व्यक्तियों व उनके समुदायों के साथ होता है, उन्हें साधारण कानून (Ordinary Law) कहते हैं। इन्हीं कानूनों द्वारा सरकार व्यक्तियों व समुदायों के कार्यों पर अपना नियन्त्रण रखती है। साधारण कानून भी दो प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक (Public) और व्यक्तिगत (Private)।

(५) **सार्वजनिक और व्यक्तिगत कानून**—कुछ कानून ऐसे होते हैं, जो व्यक्तियों के आपस के सम्बन्धों का निर्धारण करते हैं। पति पत्नी में क्या सम्बन्ध हो, तलाक हो सके या नहीं, हो सके तो किन दशाओं में, सम्पत्ति का बंटवारा किम तरह से किया जाए, विरासत के क्या नियम हों, मनुष्यों के आपसी लेन देन के लिए किन नियमों का अनुकरण किया जाए—इन तथा इसी प्रकार की अन्य बहुत-सी बातों के विषय में, जिनका सम्बन्ध व्यक्तियों से होता है, जो कानून होते हैं, उन्हें व्यक्तिगत (Private) कानून कहते हैं। जिस प्रकार व्यक्तियों का परस्पर एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध होता है, वैसे ही राज्य के साथ भी व्यक्तियों का सम्बन्ध होता है। इस सम्बन्ध को निर्धारित करने के लिए भी कानून होते हैं, उन्हें सार्वजनिक (Public) कानून कहा जाता है। इन कानूनों द्वारा प्रायः उन बातों का प्रतिपादन किया जाता है, जो मनुष्यों को नहीं करनी चाहिए। इनका उल्लंघन करने वाले लोग राज्य के प्रति अपराधी माने जाते हैं। चोरी, डकैती, हत्या आदि इसी प्रकार की बातें हैं, जिन्हें राज्य के प्रति अपराध समझा जाता है।

(६) **प्रशासन सम्बन्धी कानून**—सार्वजनिक कानून के भी दो भेद हैं, प्रशासन सम्बन्धी (Administrative) और सामान्य (General)। संवैधानिक कानून द्वारा सरकार को जो शक्ति व अधिकार प्रदान किए जाते हैं, उनका प्रयोग वह किन प्रकार करे—इसका निर्धारण प्रशासन-सम्बन्धी कानूनों द्वारा होता है। सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारियों और अधिकारों का, जनता के साथ उनके सम्बन्ध व व्यवहार का

और उनकी विशेष शक्तियों का इन कानूनों में उल्लेख होता है। इस ढंग के कानून सब देशों में नहीं हैं। पर फ्रांस आदि यूरोप के अन्य राज्यों में ये कानून पृथक् रूप से विद्यमान हैं।

(७) सामान्य कानून—राज्य का व्यक्तियों के साथ क्या सम्बन्ध हो, इसका निर्णय सामान्य सार्वजनिक कानूनों द्वारा किया जाता है। सरकार का मुख्य कार्य देश में शान्ति और व्यवस्था कायम रखना होता है। यदि कोई मनुष्य इस कार्य में बाधा डाले, तो उसे राज्य का विरोधी माना जाता है। सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। इसी कारण इन कानूनों को फौजदारी कानून (Criminal law) भी कहते हैं। चोरी, डकैती, हत्या, राजद्रोह, बग़ावत आदि के मद्दत में राज्य में जो कानून होते हैं, वे इसी वर्ग के अन्तर्गत माने जाते हैं।

कानून और नैतिकता (Law and Morality)

कानून और नैतिकता में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। किसी मनुष्य को किस प्रकार का आचरण व व्यवहार करना चाहिए, नैतिकता द्वारा इसी बात का निर्देश किया जाता है। मत्स्य, अहिंसा, अस्त्रेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य आदि नैतिक नियम हैं। आचारशास्त्र (Ethics) हमें यह बताता है, कि हमें अपने आचरण में किन बातों को उचित व किन्हे अशुभ व ममका चाहिए। कानून हमारे इन्हीं नैतिक विचारों के अनुसार बनाए जाते हैं। नैतिक आदर्शों के अनुसार जो बातें अनुचित हों, कानून द्वारा उनका निषेध किया जाता है।

कानून और नैतिकता में घनिष्ठ सम्बन्ध होते हुए भी इन दोनों में भेद है। कानूनों का पालन करने के लिए सरकार मनुष्यों को विवश करती है। उनका उत्पन्न करने वालों को वह दण्ड भी देती है। पर नैतिक नियमों का पालन करने के लिए हमें राज्य द्वारा विवश नहीं किया जाता। कानून और नैतिकता के भेद को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं—

(१) अनेक बातें नैतिकता के विरुद्ध होती हैं, पर वे कानून के विरुद्ध नहीं होती। अनेक देशों में वेदों की वृत्ति कानून के विरुद्ध नहीं है, यद्यपि उसे नैतिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता। यही बात अनेक राज्यों में मद्यपान के विषय में कही जा सकती है।

(२) नैतिक नियमों का पालन मनुष्य आत्मा की प्रेरणा, उपदेश व लोकमत के कारण करते हैं, जबकि कानून के पीछे राजशक्ति होती है।

(३) कानून का सम्बन्ध केवल मनुष्य के बाह्य आचरण के साथ होता है। नैतिकता का क्षेत्र इससे बहुत अधिक व्यापक है। मनुष्य किसी के बारे में बुरा न सोचे, किसी से ईर्ष्या न करे, मन और वचन द्वारा भी कोई बुरी बात न करे, ये सब बातें

नैतिकता के साथ सम्बन्ध रखती है। पर कानून के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं।

(४) कानून राज्य के सब नागरिकों व देशवासियों के लिए एक समान होने हैं। पर नैतिकता के विचार सबके एक सहस्र नहीं होते। बहुत से मनुष्य पशु-हिंसा को सर्वथा उचित समझते हैं, जबकि ऐसे लोग भी हैं, जो कौट-पतग तक को भारना भी पाप मानते हैं।

(५) कानून की कतिपय बातें ऐसी भी हैं, जिनका नैतिकता से कोई सम्बन्ध नहीं होता। कानून के अनुसार मोटर आदि सवारियों को सड़क के बाईं तरफ ले जाना चाहिए। इस कानून का उल्लंघन करने पर सरकार दण्ड भी देती है। इन कानून का नैतिकता के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, इसका निर्माण केवल सुविधा को दृष्टि में रखकर ही किया जाता है।

अच्छे और बुरे कानून—

कानूनों का निर्माण इसलिए किया जाता है, ताकि वे मनुष्यों के हित, कल्याण व उन्नति में सहायक हों। वे स्वयं उद्देश्य नहीं होते, अपितु उद्देश्य-पूति के साधन-मात्र होते हैं। इस कारण हम उन कानूनों को अच्छा कह सकते हैं, जो मनुष्यों की भलाई व उन्नति में सहायक हों। अच्छे कानूनों की परख निम्नलिखित होती है—

(१) जो कानून मनुष्यों के व्यक्तिगत व सामूहिक हितों के साधन में सहायता प्रदान करें, जो उनकी नैतिक और सामाजिक उन्नति में सहायक हों, वे उत्तम होते हैं।

(२) कानून ऐसे होने चाहिए, जिनका पालन मनुष्य स्वेच्छापूर्वक करें। उनके विषय में जनता यह अनुभव करे कि उनका निर्माण सबकी भलाई के लिए किया गया है। केवल दण्ड के भय से जिन कानूनों का पालन किया जाता है, उन्हें अच्छा नहीं माना जा सकता।

(३) कानून ऐसे नहीं होने चाहिए, जोकि मनुष्यों के आधारभूत प्राकृतिक अधिकारों के विरुद्ध हों।

(४) कानूनों का निर्माण जनता की इच्छा के अनुसार किया जाना चाहिए। जिस कानूनों को कोई एक स्वेच्छावारी राजा या कोई एक वर्ग बनाता है, वे जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। इसीलिए उन्हें अच्छा कानून नहीं माना जा सकता।

कानून और व्यक्ति—

क्योंकि कानून जनता में प्रचलित विचारों, अभ्यासों और पथाओं पर निर्भर होते हैं, और व्यवस्थापन विभाग भी ऐसे ही कानून बनाता है, जोकि जनता की

इच्छा के अनुरूप हो, अतः कानून व्यक्तियों के विरोधी नहीं होते। वे उनके विचारों और इच्छाओं के मूर्तरूप होते हैं। उनके हित, लाभ, कल्याण व उन्नति को दृष्टि में रखकर ही उन्हें बनाया जाता है, और उनका प्रयोजन व्यक्तिगत व सामाजिक लाभ ही होता है। इसी कारण लोग उनका स्वेच्छापूर्वक पालन करते हैं। कोई मनुष्य यदि हिन्दू है, तो वह हिन्दू कानून को अपने ऊपर जबर्दस्ती लादा हुआ न मानकर उसे अपने लिए लाभदायक ही समझता है। चोरी, बकंती, हत्या, मानहानि आदि के बारे में जो कानून सरकार बनाती है, उनसे भी व्यक्तियों को लाभ पहुँचता है। कानून राज्य की इच्छा को प्रकट करते हैं (Law is the expression of the will of state), इस बात में सचार्ई है, पर राज्य की यह इच्छा लोकमत पर आश्रित होती है। इसी कारण यह भी कहा गया है, कि कानून लोकमत की अभिव्यक्ति करते हैं (Law is the expression of public opinion)। इन दोनों कथनों में कोई विरोध नहीं है।

कानून का पालन और दण्ड—

सब लोग राज्य के कानूनों का पालन करने के लिए विवश हो, इसलिए सरकार उन लोगों को दण्ड देती है, जो कानूनों का उल्लंघन करें। इसी कारण कुछ लोग यहाँ तक कहने में भी सकोच नहीं करते, कि कानून केवल इसलिए बनाये जाते हैं, ताकि दण्ड दिया जा सके। पर दण्ड का प्रयोजन यही है, कि जनता के लाभ के लिए जो कानून बनाये गए हैं, लोग उनकी उपेक्षा व उल्लंघन न करें। दण्ड के प्रयोजन निम्नलिखित हैं—

(१) दण्ड द्वारा अपराधी को यह चेतावनी दी जाती है, कि वह भविष्य में फिर दुबारा अपराध न करे। दण्ड का प्रयोजन मनुष्यों को कानून पालन करने की शिक्षा देना है।

(२) दण्ड द्वारा केवल अपराधी को ही चेतावनी व शिक्षा नहीं मिलती। अपराधी को जब जेल भुगतनी पड़ती है या कोई अन्य दण्ड भोगना पड़ता है, तो निरपराध लोग भी उससे शिक्षा ग्रहण करते हैं, और स्वयं अपराध करने से बचते हैं।

(३) दण्ड द्वारा अपराधी को सुधार का अवसर मिलता है।

(४) दण्ड में प्रतिशोध की भावना भी काम कर रही होती है। इसी कारण प्रायः जुर्मामने का दण्ड दिया जाता है, और हत्या आदि के अपराध में प्राणदण्ड की भी व्यवस्था की जाती है। क्योंकि दण्ड में प्रतिशोध का तत्त्व भी होता है, अतः दण्ड ऐसा होना चाहिए जो अपराध के अनुरूप हो।

दण्ड-विषयक सिद्धान्त—

दण्ड के सम्बन्ध में तीन सिद्धान्त बहुत महत्त्व के हैं—

प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त (Retributive Theory)—इस सिद्धान्त के अनुसार दण्ड का उद्देश्य प्रतिशोध करना है। 'जो जँमा करता है, वह बीमा भरता है', और 'प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म के अनुरूप फल मिलना चाहिए' ये इस सिद्धान्त के मूल-भूत विचार हैं। यदि मनुष्य के किसी कार्य में दूसरे को नुकसान पहुँचे, तो उसे उसका बदला (प्रतिशोध) लेना ही अधिकार है। मनुष्य की न्यायभावना तब तक सन्तुष्ट नहीं होती, जब तक कि वह बदला न ले ले। प्राचीन समय में दण्ड के इसी सिद्धान्त को प्रयोग में लाया जाता था। 'आँसू के बदन में आँसू और कान के बदले में कान' उस समय सबको स्वीकार्य था। अब भी अनेक लोग दण्ड के विषय में इसी सिद्धान्त को सही मानते हैं। पर आधुनिक विचारक इसे स्वीकार नहीं करते। वे इसे बरंरता का सूचक समझते हैं।

भयात्मक सिद्धान्त (Deterrent Theory)—इस सिद्धान्त के अनुसार दण्ड इसलिए दिया जाता है, ताकि अपराधी व अन्य लोगों के हृदय में भय उत्पन्न किया जा सके। लोग कानून करने से इसलिए दक सकते हैं, क्योंकि कानून को प्राणदण्ड दिया जाता है। डाका डालने से लम्बी कैद की सजा मिलती है, चोर-बागारी करने से भी जेल की सजा होती है, इन भय से सर्वसाधारण लोग अपराध करने से दकते हैं। अतः इस सिद्धान्त के अनुसार दण्ड इतना सख्त व भयावह होना चाहिए, ताकि लोग अपराध न करें।

सुधारात्मक सिद्धान्त (Reformatory Theory)—इस सिद्धान्त के अनुसार दण्ड का प्रयोजन अपराधियों का सुधार करना होना चाहिए। लोग या तो परिस्थितियों से विवश होकर अपराध करते हैं, और या कुशिक्षा व कुसंस्कारों के कारण। यदि अपराधियों को अच्छे वातावरण में रखकर उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, तो उनका सुधार कर सकता सम्भव है। जिस प्रकार कोई विद्विष्यक रोगी का इलाज करने का प्रयत्न करता है, वैसे ही अपराधियों को भी ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वे भविष्य में अपराध न करें और उत्तम नागरिकों का जीवन व्यतीत करने योग्य हो जाएँ। इसलिए अपराधियों को कठिन जीवन बिताने के लिए विवश न करके जेल-स्थानों को सुधारगृह (Reformatory) का रूप देना चाहिए।

आजकल के विचारक दण्ड के सम्बन्ध में सुधारात्मक सिद्धान्त को ही स्वीकार करते हैं। इसी कारण बहुत से लोग मृत्युदण्ड (Capital punishment) के भी विरोधी हैं, क्योंकि मृत्युदण्ड से मनुष्य का सुधार नहीं होता, उसे केवल प्रतिशोध की भावना ही प्रकट होती है।

श्रम्यास के लिए प्रश्न

- १ कानून का लक्ष्य कीजिए। उनके प्रमुख स्रोत कौन-कौन से हैं ? (पू० पी०, १९४२, राजपूताना, १९५२)
- २ कानून का क्या उद्देश्य है ? क्या आप एक ऐसे राज्य का चित्र खींच सकते हैं, जिसमें कोई कानून न हो ? (पू० पी०, १९४५)
- ३ कानून के कौन-कौन से स्रोत हैं ? अर्द्ध कानून में कौन से गुण होते हैं ? (राजपूताना, १९४३)
- ४ कानून से आप क्या समझते हैं ? कानून और स्वतन्त्रता में क्या सम्बन्ध है ? (पू० पी०, १९५४)
- ५ कानून के विविध प्रकारों का उल्लेख कर उनका वर्गीकरण कीजिए।
- ६ कानून और नैतिकता में क्या सम्बन्ध है ? उनके भेद पर भी प्रकाश डालिये।
- ७ नागरिक को राज्य की आज्ञाओं का पालन क्यों करना चाहिए ? क्या किसी दशा में राज्य की किसी आज्ञा का पालन न करना भी न्यायसंगत हो सकता है ? (पू० पी०, १९५२)
- ८ दण्ड के क्या उद्देश्य हैं ? दण्ड किन प्रयोजनों से दिया जाता है ? (पू० पी० १९४७)

नवाँ अध्याय स्वतन्त्रता

क्या राज्य और स्वतन्त्रता परस्पर विरोधी हैं ?

राज्य की एक विशेषता है, प्रभुता । राज्य में जो भी मनुष्य रहते हैं, उन सब को उसके आदेशों व कानूनों को मानना पड़ता है । राज्य उन्हें जो चाहे आदेश दे सकता है, उनके कार्यों व आवरण के सम्बन्ध में जो चाहे कानून बना सकता है । यदि कोई मनुष्य राज्य के आदेशों को मानने से इन्कार करे या उसके कानून का पालन न करे, तो उसे दण्ड दिया जाता है । सब मनुष्यों को राज्य का वशवर्ती होकर रहना पड़ता है । इस दशा में यह प्रश्न उत्पन्न होता है, कि राज्य में रहता हुआ मनुष्य स्वतन्त्र कैसे हो सकता है ? स्वतन्त्रता का मतलब यही है कि मनुष्य जो चाहे कर सके, उसके कार्यों को नियन्त्रित करने वाला कोई दूसरा न हो । पर यदि राज्य प्रभुत्व-शक्ति सम्पन्न है, तो मनुष्य स्वतन्त्र कैसे रह सकता है ? यदि मनुष्य स्वतन्त्र है, तो राज्य 'प्रभु' कैसे हो सकता है ?

स्वतन्त्रता और उच्छृङ्खलता—पर यह प्रश्न स्वतन्त्रता के अभिप्राय को ठीक प्रकार से न समझने के कारण ही उत्पन्न होता है । मनुष्य जो कुछ चाहे कर सके, इसे स्वतन्त्रता नहीं कहते । इसे तो उच्छृङ्खलता कहना ही अधिक ठीक होगा । मनुष्य के जिन कार्यों से दूसरे मनुष्यों को हानि न पहुँचे, उन्हें करने की स्वतन्त्रता ही उसे दी जा सकती है । सब कोई इस बात को स्वीकार करेंगे, कि प्रत्येक मनुष्य को यह स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए कि वह सरपट चाल से घुड़सवारी कर सके । यदि कोई मनुष्य जगल में या निर्जन पथ पर घोड़े को तेजी में भगाना है, तो उसके इस कार्य से किसी को नुकसान पहुँचाने की सम्भावना नहीं होगी । पर यदि वही मनुष्य किसी गाँव या नगर में तेजी से घोड़ा भगाने लगे, तो वह दूसरों को नुकसान पहुँचा सकता है । छोटे बच्चे घोड़े के नीचे आकर चोट खा सकते हैं, या लोगों के आने-जाने में अशुविधा हो सकती है । अतः सबके हित को दृष्टि में रखकर यह नियम बनाना पड़ता है, कि सार्वजनिक मार्गों पर कोई मनुष्य तेजी के साथ घोड़ा, मोटर या अन्य सवारी न दौड़ा सके । इस प्रकार के कानून से मनुष्यों की स्वतन्त्रता मर्यादित अवश्य होती है, पर ऐसा होना सबके लिए हितकारी होता है ।

इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को यह स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वह अपनी

वस्तुओं को जहाँ चाहे रखे, जहाँ चाहे फेंक सके। किसी के मकान के सामने खाली जगह पड़ी है। वह अपने कूड़े को उस जमीन पर फेंक सकता है। पर यदि यह मकान किसी बस्ती में है, और उसके पड़ोस में अन्य मकान भी हैं, तो यह मुमकिन है कि कूड़े के ढेर से पड़ोसियों को असुविधा हो। इस ढेर से जो दुर्गंध उठे, उससे अन्य लोगों को कष्ट पहुँचे। अतः सार्वजनिक हित के लिए यह कानून बनाना उपयोगी होगा कि कोई मनुष्य अपनी गन्दगी को जहाँ चाहे वहाँ न फेंक सके। मनुष्यों की स्वतन्त्रता को इसी दृष्टि से मर्यादित किया जाता है, ताकि वे कोई ऐसे कार्य न कर सकें, जिनसे दूसरों को नुकसान पहुँचे।

वस्तुतः, स्वतन्त्रता और उच्छृङ्खलता में बहुत भेद है। जो चाहे कर सकने को उच्छृङ्खलता कहते हैं, स्वतन्त्रता नहीं। यदि यह मान लिया जाय कि मनुष्य जो चाहे कर सकता है, जो ऐसा होने से मनुष्यों का सामुदायिक जीवन कायम ही नहीं रह सकेगा। सब मनुष्यों की शक्ति और योग्यता एक समान नहीं होती। कुछ लोग बलवान् होते हैं, कुछ निर्बल। यदि बलवानों को अपनी मनमानी करने की स्वतन्त्रता हो, तो निर्बल लोगों का जीवन ही कठिन हो जायगा। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वैसे ही बलवान् लोग निर्बल लोगों को नष्ट करने में अपने स्वार्थ के लिए उनका उपयोग करने में अपनी शक्ति का प्रयोग करने लगेंगे। शक्तिशाली लोग अपनी शक्ति को सबके हित में ही लगाएँगे, इसका क्या भरोसा हो सकता है ?

राज्य और स्वतन्त्रता—यदि सबको मनमाने कार्य करने की स्वतन्त्रता दे दी जाए, तो जो लोग सबसे अधिक शक्तिशाली होंगे, केवल वे ही अपनी स्वतन्त्रता का उपयोग कर सकेंगे। राज्य के कारण मनुष्यों के लिए उच्छृङ्खल हो सकना सम्भव नहीं रह जाता, क्योंकि राज्य मनुष्यों की स्वतन्त्रता को मर्यादित करता है, और उन्हें उच्छृङ्खल होने से रोकता है। राज्य के कारण सब मनुष्य उन सब कार्यों को करने में पूर्णतया स्वतन्त्र होने ह, जिनका सम्बन्ध केवल उनके अपने साथ हो, जिनसे दूसरे लोगों को कोई हानि न पहुँचे। पर मनुष्यों ने जिन कार्यों का प्रभाव दूसरों पर भी पड़े, उन्हें राज्य द्वारा इस ढंग से नियन्त्रित कर दिया जाता है, ताकि उनमें दूसरों को नुकसान न पहुँच सके।

इसलिए राज्य और स्वतन्त्रता परस्पर विरोधी नहीं होते। वस्तुतः, राज्य द्वारा ही मनुष्यों को स्वतन्त्रतापूर्वक अपना विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। राज्य के अभाव में स्वतन्त्रता कायम रह ही नहीं सकती। राज्य द्वारा ही वे परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं, जिनके कारण सब मनुष्य स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन बिता सकते हैं, और अपनी उन्नति में तत्पर हो सकते हैं।

स्वतन्त्रता का लक्षण—ऊपर जो विचार किया गया है, उसमें स्वतन्त्रता का

अभिप्राय भली भाँति स्पष्ट हो जाता है। स्वतन्त्रता के अभिप्राय को समझने के लिए हमें निम्नलिखित बातों को दृष्टि में रखना चाहिए—

(१) मनुष्यों के मार्ग में किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध के न होने को स्वतन्त्रता नहीं कहा जाता। किसी भी मर्यादा, प्रतिबन्ध व नियन्त्रण के अभाव में जो दशा होगी, उसे स्वतन्त्रता न बहकर उच्छृङ्खलता कहना अधिक उपयुक्त होगा।

(२) स्वतन्त्रता के लिए आवश्यक है कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाएँ, जिनमें सब मनुष्य अपनी शक्ति, योग्यता व गुणों का भली भाँति विकास कर सकें।

(३) राजा की प्रभुत्वशक्ति और स्वतन्त्रता में कोई विरोध नहीं होता। वस्तुतः, राज्य ही उन परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जिनके कारण मनुष्य स्वतन्त्रतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और अपनी शक्तियों का भली भाँति विवाम कर सकते हैं।

विविध विद्वानों ने स्वतन्त्रता के लक्षण विविध प्रकार से किये हैं। लास्की के अनुसार "स्वतन्त्रता का अभिप्राय यह है कि उस वातावरण की उत्साहपूर्वक रक्षा की जाए, जिसमें कि मनुष्यों को अपना सर्वोत्तम रूप प्रकट करने का अवसर मिलता है।"^१

मैकेनी के अनुसार "स्वतन्त्रता सब प्रकार के प्रतिबन्धों के अभाव को नहीं कहते, अपितु अयुक्तियुक्त प्रतिबन्धों के स्थान पर युक्तियुक्त प्रतिबन्धों की स्थापना को ही स्वतन्त्रता कहा जाता है।"^२

स्वतन्त्रता के विविध प्रकार—

स्वतन्त्रता के अनेक प्रकार हैं। अब हम विविध प्रकार की स्वतन्त्रताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे—

(१) नैसर्गिक स्वतन्त्रता (Natural Liberty)—प्रकृति ने मनुष्य को स्वतन्त्र उत्पन्न किया है। उसमें जो कुछ भी गुलामी या पराधीनता पाई जाती है, वह सब समाज का परिणाम है। इसी बात को दृष्टि में रखकर रूसो ने लिखा था—“मनुष्य स्वतन्त्र उत्पन्न होता है, पर सबन बन्धन में बँधा हुआ पाया जाता है।”^३ जगल म

1 "By liberty is meant the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves"
—Laski

2 "Freedom is not the absence of all restraints, but rather on substitution of rational ones for the irrational"
—Mc Kecknie

3 "Man is born free but he is everywhere in chains"

—Rousseau

रहने वाले पशु या आकाश में उड़ने वाले पक्षी एक विशेष प्रकार की नैसर्गिक स्वतन्त्रता का उपभोग करते हैं। कभी मनुष्य भी इसी ढंग से स्वतन्त्र था। तब आबादी कम थी, और मनुष्यों को अपनी आवश्यकता की सब वस्तुएँ सुगमता से प्राप्त हो जाया करती थीं। पर जब धीरे-धीरे वस्तुओं की कमी होने लगी, तो मनुष्यों में उन्हें प्राप्त करने के लिए झगड़े होने शुरू हो गये। इसी कारण राज्य की आवश्यकता हुई, ताकि लोगों के इन झगड़ों को निबटारा जा सके। राज्य द्वारा मनुष्यों की स्वतन्त्रता मर्यादित होती है, पर राज्य में समठिन होकर मनुष्य ने अपनी स्वतन्त्रता का पूर्णरूप से परित्याग नहीं कर दिया है। अपने को सरकार के शासन व नियन्त्रण में ले आने के बावजूद भी मनुष्य अपनी कुछ स्वतन्त्रताओं को वायम रखे हुए है जिन्हें वह किसी भी प्रकार राज्य से नियंत्रित नहीं करवाना चाहता। राज्य के बावजूद मनुष्य के पास कुछ ऐसे अधिकार व स्वतन्त्रताएँ बच गइती हैं, जिन्हें नियन्त्रित करने की शक्ति राज्य के पास नहीं होती। जीवन की स्वतन्त्रता इसी ढंग की है। प्रत्येक मनुष्य को इस बात की स्वतन्त्रता प्राप्त है, कि वह अपने जीवन को वायम रखे। केवल जीवन रहना ही नहीं, अपितु अपनी शक्ति व सुविधा के अनुसार सुखी जीवन बिताने की स्वतन्त्रता भी प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त है। इसे ही 'नैसर्गिक स्वतन्त्रता' कहा जाता है। आजकल के लोकतन्त्र राज्यों के संविधानों में नागरिकों के आधारभूत अधिकारों का प्रतिपादन करते हुए इन्हीं नैसर्गिक स्वतन्त्रताओं का उल्लेख किया जाता है, और सरकार को यह अधिकार नहीं दिया जाता कि वह उनको नियंत्रित कर सके।

(२) वैयक्तिक स्वतन्त्रता (Personal Liberty)—मनुष्य के कार्यों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, पहले वे जिनका सम्बन्ध केवल उसके अपने साथ हो, दूसरे वे जिनका सम्बन्ध अन्य लोगों के साथ भी हो। प्रथम प्रकार के कार्यों को व्यक्तिगत कहा जाता है। इनके धारे में मनुष्य को पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। राज्य द्वारा इन पर कोई नियन्त्रण नहीं होना चाहिए। मनुष्य क्या भोजन करे, क्या कपड़ा पहने, किस ढंग से ईश्वर की उपासना करे, किस रोजगार से अपनी आजीविका कमाये—ये सब बातें व्यक्तिगत हैं। इनकी स्वतन्त्रता को 'वैयक्तिक स्वतन्त्रता' कहते हैं।

(३) राष्ट्रीय स्वतन्त्रता (National Liberty)—जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य को स्वतन्त्र रहने का अधिकार है, वैसे ही प्रत्येक राष्ट्र को भी स्वतन्त्र रहने का अधिकार होना चाहिए। इसी को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता कहा जाता है।

(४) राजनीतिक स्वतन्त्रता (Political Liberty)—राष्ट्रीय स्वतन्त्रता उस राज्य को भी प्राप्त हो सकती है, जिसमें किसी एक व्यक्ति या एक धरणी का शासन हो। पर ऐसे राज्यों में लोगों को राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं होती। राजनीतिक

स्वतन्त्रता उन्हीं राज्यों के नागरिकों को प्राप्त होती है, जिनमें लोकतन्त्र शासन हो, जहाँ जनता को वोट का अधिकार प्रयोग में लाने के कारण यह अवसर हो कि वह लोकमत के अनुसार सरकार का निर्माण कर सके।

(५) आर्थिक स्वतन्त्रता (Economic Liberty)—राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ-साथ मनुष्यों को आर्थिक स्वतन्त्रता भी प्राप्त होनी चाहिए। यदि धन सम्पत्ति कुछ थोड़े से लोगों के हाथों में हो, तो वे उनका उपयोग कर सर्व माधारण जनता का शोषण कर सकते हैं, और लोगों के वोटों को भी खरीद सकते हैं। इस कारण समाज का संगठन ऐसा होना चाहिए, जिसमें सब लोगों को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य प्राप्त करने का अवसर मिले और कोई किसी का शोषण न कर सके। आर्थिक दृष्टि से बहुसंख्यक लोगों का कतिपय धनिकों का गुलाम बने रहना कभी वाञ्छनीय नहीं होता।

(६) नागरिक स्वतन्त्रता (Civil Liberty)—राज्यों के संविधान में अनेक प्रकार की नागरिक स्वतन्त्रताओं का प्रतिपादन किया जाता है। अपने विचारों को प्रकट करने व अपने विश्वासों के अनुसार धर्म का अनुसरण करने की स्वतन्त्रता इनमें मुख्य हैं। इन्हीं व इसी प्रकार की स्वतन्त्रताओं को 'नागरिक स्वतन्त्रता' कहते हैं।

राज्य द्वारा स्वतन्त्रता की रक्षा—

हम ऊपर लिख चुके हैं, कि वस्तुतः मनुष्य की स्वतन्त्रता की स्थापना व रक्षा राज्य द्वारा ही होती है। राज्य दो प्रकार से मनुष्य की स्वतन्त्रता की रक्षा करता है—

(१) कतिपय स्वतन्त्रताओं को राजशक्ति से अबाध्य व अनुल्लंघनीय बनाकर, और

(२) कतिपय स्वतन्त्रताओं को इस ढंग से नियन्त्रित करके कि एक मनुष्य की स्वतन्त्रता दूसरों के लिए हानिकारक न हो सके।

यदि राज्य न हो, तो इन दोनों प्रकार की स्वतन्त्रताओं की सत्ता असम्भव होगी।

स्वतन्त्रता और कानून—

क्योंकि स्वतन्त्रता के लिए राज्य की सत्ता अनिवार्य है इसी कारण उसकी रक्षा के लिए कानूनों का होना भी बहुत आवश्यक है। कानून का अभिप्राय पिछले अध्याय में स्पष्ट किया जा चुका है। राज्य जो कानून बनाता है, उनका एक महत्वपूर्ण प्रयोजन यह भी होता है, कि उनसे मनुष्यों की स्वतन्त्रता की रक्षा हो सके। यदि कानून न हो, तो मनुष्यों के ऐसे कार्यों को रोक सकना कदापि सम्भव नहीं होगा,

जो दूसरो की स्वतन्त्रता व स्वतन्त्र विकास में बाधक होते हैं। लीबॉक ने ठीक कहा है कि, 'स्वतन्त्रता द्वारा मनुष्यो को जो आत्मविकास का अवसर प्राप्त होता है, वह कानून की सत्ता के कारण ही है।' यदि कानून न हो, तो मनुष्यो को अपने विकास व उन्नति का अवसर ही प्राप्त न हो सके। व्यावसायिक क्रान्ति (Industrial Revolution) के कारण जब शुरु-शुरु में बड़े कारखाने खुलने प्रारम्भ हुए, तो उनमें मजदूरों के काम करने की परिस्थिति बहुत ही खराब हुआ करती थी। पूँजीपति लोग उन्हें कम से कम वेतन देते थे और उनसे अधिक से अधिक काम लेने थे। इस दशा में मजदूरों के लिए अपना विकास कर सकना असम्भव था। पर फेबरी कानूनों के बनने के कारण मिल-मालिकों की स्वतन्त्रता को इस ढंग से मरदादिन किया गया, जिनसे कि मजदूरों को अपने हितों की रक्षा करने व उन्नति करने का अवसर मिला। कानून मनुष्यो की उच्छृंखलता का अपहरण करते हैं, और उन परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं, जिनसे मनुष्य आत्म विकास करने में समर्थ हो सकें।

स्वतन्त्रता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ—

मनुष्य सच्चे अर्थों में स्वतन्त्रता का उपभोग कर सकें, इसके लिए निम्नलिखित परिस्थितियाँ होनी चाहिए—

(१) राज्य में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं होने चाहियें, जिन्हें किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त हो। शिक्षा प्राप्त करने, योग्य बनने और योग्यता के अनुसार कार्य प्राप्त करने का सबको एक समान अवसर मिलना चाहिए। जिन देशों में आज भी छूट-प्रछूट की प्रथा मौजूद है, जहाँ कुछ जातियों को जन्म के कारण ही नीच व कुछ को ऊँचा समझा जाता है, वहाँ मनुष्य सच्चे अर्थों में स्वतन्त्रता का उपभोग नहीं कर सकते क्योंकि नीच समझे जाने वाले लोग न तो योग्यता प्राप्त करने का अवसर पाते हैं और न योग्यता के अनुसार कार्य प्राप्त करने का।


(२) राज्य में सब लोगों के अधिकार एक समान होने चाहियें। कानून की दृष्टि में सबको एक बराबर होना चाहिए।

(३) राज्य ऐसे कानून बनाए, जिनके कारण कोई मनुष्य ऐसे कार्य न कर सके, जिनसे दूसरों की हानि पहुँचती हो या दूसरों की स्वतन्त्रता में बाधा पड़ती हो। मनुष्यो की उच्छृंखलता को नियन्त्रित करके ही सच्ची स्वतन्त्रता स्थापित की जा सकती है।

(४) कानून बनाने और व्यक्तियों के कार्यों को नियन्त्रित करने का जो अधिकार राज्य को प्राप्त है, वह उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। अतः जनता को अपने अधिकारों व स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए सतर्क व जागरूक भी होना चाहिए। लोकतन्त्र शासन में ही जनता अपनी स्वतन्त्रता के लिए सचेष्ट हो सकती है।

अभ्यास के लिए प्रश्न

- १ 'कानून स्वतन्त्रता का आधार है', इस कथन की विवेचना कीजिए।
(यू० पी०, १९४०)
- २ स्वतन्त्रता का लक्षण कीजिए और यह समझाइए कि किस प्रकार वह बन्धनों (प्रतिबन्धों) द्वारा ही रह सकती है। (यू० पी०, १९४१)
- ३ स्वतन्त्रता का लक्षण कीजिए और कानून से उसका सम्बन्ध बताइए।
(यू० पी०, १९४६)
- ४ 'न्याय स्वतन्त्रता का सहचर है', इस कथन की व्याख्या कीजिए। राजनीतिक और नागरिक स्वतन्त्रताओं का विश्लेषण कीजिए। (यू० पी०, १९५०)
- ५ सरकार हमारी स्वतन्त्रता की किस प्रकार रक्षा करती है? यदि शासन-स्थवस्था न हो, तो क्या स्वतन्त्रता कायम रह सकती है? (यू० पी०, १९५१)
- ६ आप स्वतन्त्रता और समानता से क्या समझते हैं? व्याख्या कीजिए।
(यू० पी०, १९४६)
- ७ क्या स्वतन्त्रता का अर्थ उच्छृंखलता को कम करना है? (राजपूताना १९५१)
- ८ स्वतन्त्रता के विविध प्रकारों का निदर्शन कीजिए।



दसवाँ अध्याय समानता

समानता का अभिप्राय—

व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति के लिए जिन प्रकार सब मनुष्यों को स्वतन्त्रता की आवश्यकता है, वैसे ही समानता (Equality) की भी है। पर समानता का अभिप्राय क्या है, इस विषय में अनेक भ्रम हैं। कुछ लोगों का मत है, कि सब मनुष्य एक दूसरे के समान होते हैं, अतः सबको एक बराबर वेतन मिलना चाहिए और लोगों में धन सम्पत्ति की जो भी विषमता है, उसको दूर कर सब को एक समान कर देना चाहिए।

पर सबका एक समान हो सकता सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने सबको एक समान नहीं बनाया है। कुछ बच्चे जन्म से ही हृष्ट-पुष्ट और बलवान् होते हैं, और कुछ रोगी व निर्बल। कुछ लोगों में स्वभाव से प्रतिभा होती है, वे बहुत जल्दी बात को समझ लेते हैं, और शीघ्र शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। पर ऐसे लोग भी होते हैं, जो यत्न करके भी पढ़ लिख नहीं सकते। बुद्धि, बल व प्रतिभा की दृष्टि से सब लोग एक समान नहीं होते। इस दशा में यह सम्भव ही कैसे है, कि सब को आमदनी एक समान हो, और लोगों में गरीब व अमीर का जो भेद पाया जाता है, वह पूरी तरह से दूर हो जाए।

यह ठीक है कि सब लोग बल, बुद्धि व प्रतिभा में एक बराबर नहीं होते। पर आजकल मनुष्यों में जो विषमता दिखाई देती है, उसका कारण केवल बुद्धि, बल व प्रतिभा की भिन्नता ही नहीं है। हम देखते हैं कि गरीब घरों में भी अनेक बच्चे बहुत स्वस्थ व हृष्ट-पुष्ट पैदा होते हैं, पर उनके माता-पिता उन्हें दूध आदि पुष्टिकर भोजन नहीं दे सकते। परिणाम यह होता है, कि ये बच्चे अपने शरीर का विकास भली भाँति नहीं कर पाते। गरीब घरों के बहुत से बच्चे होनहार और प्रतिभाशाली होते हैं, पर पढ़ने-लिखने का अवसर न मिलने के कारण वे अशिक्षित रह जाते हैं, और कहीं मजदूरी करने के लिए विवश होते हैं। इसके विपरीत धनी घरों के निर्बल बच्चे भी पुष्टिकर भोजन पाकर हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, और उनके बुद्धिहीन बालक भी शिक्षा की सुविधाएँ मिलने के कारण सुशिक्षित हो जाते हैं। शिक्षा की बात यदि छोड़ भी दें, तो भी हम देखते हैं कि सेठ साहूकारों के मूर्ख व बुद्धिहीन बालक भी

बड़े होकर अपार सम्पत्ति के मालिक हो जाते हैं, और यदि गरीब धरो के बालक किसी ढंग से पढ़-लिखकर योग्य भी हो जाएँ, तो भी वे साधारण वेतन की नौकरी की तलाश में भटकते फिरते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आजकल मनुष्यो में जो विषमता हमें नजर आती है, उसका कारण योग्यता, बुद्धि व बल की भिन्नता नहीं है। उसका कारण समाज की वे परिस्थितियाँ हैं, जो सब लोगों को जीवन-समर्पण में आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान नहीं करने देती। इस दशा में आजकल जो विषमता विद्यमान है, उसे न्याय्य नहीं माना जा सकता।

यदि योग्यता, बल और प्रतिभा के अनुसार लोगों में विषमता हो, तो उससे किमी की एतराज नहीं हो सकता। पर सबको योग्यता प्राप्त करने का समान अवसर न मिलने के कारण जो विषमता है, वह वस्तुतः अनुचित है।

इन सब बातों को दृष्टि में रखकर हम समानता का यह अभिप्राय समझ सकते हैं, कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाएँ, जिनके कारण सब मनुष्यों को अपने व्यक्तिगत विकास का समान अवसर मिल सके। बचपन में सबको पुष्टिकर भोजन मिले, फिर सबको एक समान शिक्षा मिले और फिर सबको अपनी योग्यता के अनुसार कार्य मिले। समानता का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि सबकी आमदनी एक बराबर हो या पद आदि में सब एक समान हो। क्योंकि प्रकृति सबको एक जैसा नहीं बनाती, कोई अधिक बलवान् होता है, कोई निर्बल, कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई मूर्ख, किमी की रुचि पाण्डित्य की ओर होती है, किमी की शिष्य में—इन कारण सबके व्यक्तित्व का विकास भी भिन्न भिन्न प्रकार से होगा। पर समान अवसर मिलने के कारण जब सब अपने अपने व्यक्तित्व का विकास कर लें, तो उन्हें अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार ही कार्य दिया जाना चाहिए। जो मनुष्य अधिक योग्य हो, उनकी आमदनी स्वाभाविक रूप से अधिक होगी। एक मनुष्य जो बड़ा वैज्ञानिक है, कुशल चिकित्सक है, योग्य इंजीनियर या प्रतिभाशाली विद्वान् है, उसकी आमदनी उन लोगों से अधिक होगी ही चाहिए, जो मामूली मजदूर या सिपाही का कार्य करते हैं। न सब लोग उच्च कोटि के वैज्ञानिक बन सकते हैं, और न उत्कृष्ट प्रकार के सेनापति व सामक ही। साहित्य, संगीत, कला आदि में भी सबकी प्रतिभा एक समान नहीं होती। पर मनुष्यो में आमदनी, पद, सम्मान आदि का जो भी भेद हो, उनका आधार उनकी योग्यता ही होनी चाहिए, और इन योग्यता को प्राप्त करने का भी सबको समान अवसर मिलना चाहिए।

समानता का लक्षण—व्यक्तित्व शक्तियों का विकास करने और योग्यता के अनुरूप कार्य प्राप्त कर सकने का समान अवसर मिलने का नाम ही 'समानता' है। लास्की के शब्दों में "मनुष्य के पास जो कोई भी शक्तियाँ हों, उनका उपयोग कर सकने के लिए जहाँ तक भी हों सके, एक समान अवसर प्राप्त करने के यत्न को ही समानता

कहते हैं।¹

समानता के विविध प्रकार—

सब लोगों को आत्मविकास का समान रूप से अवसर मिले, इसके लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में जिन समानताओं का होना आवश्यक है, वे निम्नलिखित हैं —

(१) सामाजिक समानता—किसी मनुष्य को जन्म व जाति के कारण नीचा नहीं समझना चाहिए, और समाज में सबकी स्थिति एक-सदृश होनी चाहिए। इसी को 'सामाजिक समानता' कहते हैं। मध्यकाल में ससार के प्रायः सभी देशों में कुछ लोग कुलीन माने जाते थे, और दूसरे सधारण व नीच। भारत में अब तक भी यह दशा विद्यमान है। यहाँ अब तक भी करोड़ों नर-नारी अछूत समझे जाते हैं, और वे बहुत से गाँवों में सार्वजनिक कुओं से पानी तक भी नहीं भर सकते। वे अनेक धर्मों भी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते, और अनेक स्कूलों में उनके बच्चे शिक्षा तक भी नहीं प्राप्त कर सकते। यद्यपि भारत के नये संविधान में अछूतों को गैर-कानूनी ठहरा दिया गया है, और अब कानून की दृष्टि में कोई अछूत नहीं है, पर क्रिया में अभी छूत-अछूत और ऊँच-नीच का भेद मिटा नहीं है। इसके कारण अछूत समझी जानेवाली जातियों के लोग जीवन-सघर्ष में आगे नहीं बढ़ पाते। प्रथम तो अछूत समझे जाने वाले लोगों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का समुचित अवसर ही नहीं मिल पाता, और यदि कोई अछूत बालक पढ़ लिख भी जाए, तो समाज की धारणाओं के कारण वह यथेष्ट उन्नति नहीं कर सकता।

जात-पात के कारण भी सामाजिक समानता में बाधा पड़ती है। हिन्दुओं में पुरोहित का कार्य केवल वे ही कर सकते हैं, जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हों। धर्म्य जातियों का कोई मनुष्य चाहे शास्त्रों का बितना ही विद्वान् क्यों न हो, पर वह पुरोहित नहीं बन सकता। अब से कुछ वर्ष पहले तक भारत की सेना में केवल उन जातियों के युवक ही भरती किए जाते थे, जिन्हें सैनिक जातियों (Martial Tribes) का समझा जाता था। ये सब बातें सामाजिक समानता के सिद्धान्त के विरुद्ध हैं।

(२) राजनीतिक समानता—राजनीतिक समानता के लिए आवश्यक है कि राज्य के सब लोगों को एक समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। वोट का अधिकार सबसे महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार है, जो प्रत्येक बालिग मनुष्य (स्त्री और पुरुष) को प्राप्त होना चाहिए। अब से कुछ समय पूर्व तक वोट के अधिकार को लिंग, धर्म, आमदनी आदि के आधार पर निषेधित किया जाता था। स्त्रियों को वोट का अधिकार

1 "Equality is an attempt to give as similar a chance as possible to utilize what power he may possess"

मिले अभी अधिक समय नहीं हुआ है। कई देशों में वोट के अधिकार के लिए संपत्ति की शर्त भी जरूरी समझी जाती थी। राजधर्म से भिन्न धर्म के अनुयायियों को भी वोट का अधिकार नहीं दिया जाता था। लिंग, धर्म व संपत्ति आदि के आधार पर कुछ लोगों को वोट का अधिकार न देने के कारण जनता में राजनीतिक विषमता रहती है, और सब लोग राजनीतिक दृष्टि में समान नहीं हो पाते। इसलिए आजकल लोकतंत्र राज्यों में बयस्क मताधिकार (Adult Franchise) को अपनाया जाता है।

वोट के अधिकार के साथ-साथ सरकारी पदों को ममान रूप से प्राप्त कर सकने का अधिकार भी राजनीतिक समानता के लिए आवश्यक है। किसी व्यक्ति को केवल उसके लिंग, जाति व धर्म के कारण सरकारी पद को प्राप्त करने से नहीं रोकना चाहिए।

(३) नागरिक समानता—राज्य द्वारा मनुष्यों को अनेक प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत सुरक्षा (Personal Security) का अधिकार, विचार भाषण व लेख की स्वतन्त्रता, समुदाय बनाने का अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता और स्वेच्छापूर्वक कार्य कर सकने का अधिकार इनमें मुख्य हैं। ये सब अधिकार राज्य के सब नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होने चाहिए।

(४) आर्थिक समानता—सामाजिक, राजनीतिक व नागरिक समानता के मुकाबिले में आर्थिक समानता का अधिक महत्व है। आर्थिक समानता का यह अभिप्राय नहीं कि सब मनुष्यों की आमदनी एक ममान हो, और किमी के पास दूसरे की अपेक्षा अधिक संपत्ति न हो। आर्थिक समानता का असली अभिप्राय यह है, कि आमदनी के भेद का आधार मनुष्यों की योग्यता, परिश्रम और कार्यक्षमता के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होना चाहिए, और किन्हीं मनुष्यों के पास इतनी संपत्ति संचित नहीं होनी चाहिए कि वे दूसरों का शोषण कर सकें। यदि सबको योग्यता प्राप्त करने और अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करने का समान रूप से अवसर मिले, तो आजकल जो आर्थिक विषमता दिखाई देती है, उसका स्वयमेव अन्त हो जायगा।

सबको योग्यता प्राप्त करने का समान अवसर देने के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है, कि शिक्षा निशुल्क हो। बटूत-से गरीब माता-पिता की बच्चों के पालन-पोषण के लायक भी आमदनी नहीं होती। वे लाचार होकर अपने छोटे-छोटे बालक-बालिकाओं से मजदूरी व नौकरी कराते हैं। अतः यदि राज्य की ओर से मुफ्त शिक्षा के साथ-साथ गरीब बच्चों के पालन-पोषण का भी इन्तजाम किया जाए, सभी सबको योग्यता प्राप्त करने का समान अवसर मिल सकेंगा। इस दशा में कितने ही गरीब बालक भी बड़े विद्वान् व वैज्ञानिक बन सकेंगे और अपनी योग्यता के अनुसार आमदनी भी प्राप्त कर सकेंगे। योग्यता प्राप्त करने के समान अवसर के साथ-साथ राज्य को यह प्रवन्ध भी करना चाहिए, कि सब लोग अपनी योग्यता के अनुसार कार्य

पा सकें। ये सब प्रबन्ध हो जाने के बाद लोगों की आमदना में जो विषमता रहेगी, वह अनुचित नहीं होगी।

आर्थिक समानता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यह है कि कुछ सम्पत्तिशाली लोग अपनी सक्ति का उपयोग इस ढंग से करते हैं, जिससे ग़नीय लोगों का शोषण हो। कोई मनुष्य अपने धन से जमीन खरीद लेता है, और उसे मनमाने लयान पर किमानो की खेती के लिए देता है। कोई शहर में इमारतें खरीदकर मनमाना किराया वसूल करता है। कोई कारखाना खोलकर मजदूरों के श्रम से माल तैयार कराता है, और उससे मुनाफा कमाता है। कोई रुपये के जोर पर बाजार से बहुत सा माल खरीद लेता है, और उसे अनुचित कीमत पर बेचकर रुपया कमाता है। इस प्रकार धनी लोग अधिक धनी बनते जाते हैं, और वे गरीबों का शोषण करने में समर्थ होते हैं। राज्य का यह भी कर्तव्य है कि वह ऐसे उपाय करे, जिनमें प्रथम तो किमी के पास अधिक सम्पत्ति संचित ही न होने पाए, और जो सम्पत्ति हो भी, उसका उपयोग कोई मनुष्य दूसरों के शोषण के लिए न कर सके। आर्थिक समानता के लिए यह बहुत आवश्यक है।

आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक, सामाजिक व नागरिक समानता का विशेष लाभ नहीं है। धनी लोग रुपये के जोर पर गरीबों के वोट खरीद सकते हैं, और जमींदार व पूँजीपति अपनी रेंट व मजदूरों को अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए विवश कर सकते हैं। गरीब आदमी चाहे किमी उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो, गरीबी के कारण वह किसी धनी के घर में नौकरी करने या मजदूरी करने के लिए विवश होता है। उच्च कुल में उत्पन्न होने पर भी गरीब आदमी का कुछ नहीं बन पाता। मनुष्यों को जो नागरिक अधिकार प्राप्त होने हैं, गरीबी के कारण वह उनसे विशेष लाभ नहीं उठा सकता। इसीलिए अनेक विचारक यह भी मानते हैं, कि आर्थिक विषमता क रहते हुए लोकतन्त्र शासन ढकोसलाभाज ही होत है। जनता उनसे कोई लाभ नहीं उठा सकती।

(५) सांस्कृतिक समानता—अनेक राज्य ऐसे होते हैं जिनमें अनेक जातियों व धर्मों के लोग निवास करते हैं। इन सबकी अपनी अलग-अलग संस्कृति होती है। भारत एक ऐसा ही देश है। वहाँ हिन्दू, मुसलमान ईसाई, सिक्ख, पारसी आदि कितने ही धर्मों को मानने वाले लोगों का निवास है। आर्य, द्रविड आदि कितनी ही जातियाँ यहाँ हैं। इस देश में बहुत सी उन्नत भाषाएँ बोली जाती हैं, जिनका साहित्य घसग-भ्रनग है। इन सब के कारण भारतवासियों में संस्कृति का जो भेद है, उसको कायम रखना और सब संस्कृतियों को विकास का अवसर प्रदान करना सांस्कृतिक समानता के लिए आवश्यक है।

समानता और स्वतन्त्रता

अनेक विद्वानों का मत है कि समानता और स्वतन्त्रता में परस्पर विरोध है। इसका कारण वे यह बताते हैं, कि यदि सबको आत्मविकास व उन्नति की स्वतन्त्रता हो, तो उनमें समानता कभी रह ही नहीं सकती। दो मनुष्यों को व्यापार के लिए एक एक हजार रुपया दे दिया जाता है। मुसकिन है कि उनमें से एक अपनी सूत व परिश्रम से एक हजार रुपये को बढ़ाकर पाँच हजार बना ले और दूसरा उसका अर्चनाश कर दे। समानता तभी सम्भव हो सकती है, जब कि सरकार लोगों की स्वतन्त्रता का अपहरण कर सबको कृत्रिम रूप से एक समान करने का यत्न करे। आजकल की सरकार विषमता को दूर करने के लिए जो प्रयत्न करती हैं, उनके कारण उद्यमी लोगों की स्वतन्त्रता का अपहरण ही होता है।

पर यह विचार स्वतन्त्रता और समानता के सही अभिप्राय को न समझने का ही परिणाम है। जब लोगों को योग्यता प्राप्त करने और जीवनसंधर्ष में भाग बढ़ने का समान रूप से अवसर मिलता है, तभी सच्ची स्वतन्त्रता का उपभोग किया जा सकता है। जब कुछ लोग ऊँचे माने जाते हैं और कुछ नीचे व अछूत, जब कुछ लोग जमीन पूँजी आदि के मालिक हों और दूसरे इनसे सर्वथा शून्य, तो इसका परिणाम यह होता है कि अछूत व भूमि सम्पत्ति आदि से शून्य लोगों को आत्मविकास की स्वतन्त्रता नहीं मिलती। इसमें सन्देह नहीं कि असली स्वतन्त्रता के लिए समानता का होना आवश्यक है। लास्की ने ठीक लिखा है कि आर्थिक विषमता स्वतन्त्रता के बिना घातक होती है। एक उदाहरण लीजिए। कारखाने में काम करनेवाले मजदूरों को मिल-मालिक के व्यवहार से अनेक शिकायतें हैं। वे उन शिकायतों को रफा कराने का प्रयत्न करते हैं। निराश होकर अन्त में वे हड़ताल करने का निश्चय करते हैं। पर मिल-मालिक अत्यन्त धनी है। यदि दो मास तक कारखाना बन्द रहे, तो उसे नुकसान अवश्य पहुँचता है। पर धनी होने के कारण वह नुकसान को सह सकता है। पर हड़ताल के कारण मजदूर बेकार हो जाते हैं, उन्हें मजदूरी मिलनी बन्द हो जाती है। उनके लिए अपना व अपने बच्चों का पेट पाल सकना कठिन हो जाता है, और उन्हें मिल-मालिक के सम्मुख फिर सिर झुका देने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है। यह सत्य है कि मजदूरों को इस बात की स्वतन्त्रता है कि वे चाहे तो काम करें, न चाहें तो न करें। वे उस स्वतन्त्रता का प्रयोग करते हैं, पर पूँजीपति के सम्मुख वे परास्त हो जाते हैं। जिन मजदूरों के पास कोई भी पूँजी नहीं, जिनको पेट भरने के लिए दैनिक मजदूरी पर निर्भर रहना पड़ता है, उनके लिए स्वतन्त्रता का क्या अर्थ है? स्वतन्त्रता के लिए समानता की भी आवश्यकता है। आर्थिक दृष्टि से समान लोग ही स्वतन्त्रता के साथ एक-दूसरे के प्रति बरत सकते हैं।

स्वतन्त्रता और समानता परस्पर विरोधी नहीं हैं, अपितु एक दूसरे के पूरक

हैं। यदि सब स्वतन्त्र हो, तो वे एक समान होने की प्रवृत्ति रखते हैं, और यदि सब समान हो, तभी वे स्वतन्त्रता का उपभोग कर सकते हैं। हाँ, यदि स्वतन्त्रता का यह अभिप्राय समझा जाए कि मनुष्य जो चाहे सो कर सके, तो इस स्वतन्त्रता का समानता से अवश्य विरोध होगा। पर मनमानी कर सकने को उन्मुक्तता कहते हैं, स्वतन्त्रता नहीं।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१. समानता के विविध प्रकारों का उल्लेख कीजिए। 'समानता स्वतन्त्रता को विरोधी नहीं, अपितु पूरक है', क्या आप इस कथन से सहमत हैं? (ग्र० पी०, १९४४)

२. आप स्वतन्त्रता और समानता से क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। (ग्र० पी० १९४६)

३. समानता के अभिप्राय को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में समानता की व्याख्या कीजिए। (ग्र० पी०, १९५२)

४. समानता का सही अर्थ क्या है? समाज में समानता किस प्रकार स्थापित की जाती है? (राजपूताना, १९४३)

५. आप समानता का क्या अर्थ समझते हैं? क्या समानता स्वतन्त्रता के साथ रह सकती है? (राजपूताना, १९४०)

६. लोकतन्त्र शासन का मूल सिद्धान्त है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में उन्नति करने का समान अधिकार होना चाहिए—इस कथन को स्पष्ट कीजिए। (ग्र० पी०, १९४३)

ग्यारहवा अध्याय अधिकार और कर्तव्य

अधिकार का अभिप्राय—

नागरिकशास्त्र में अधिकारों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य में जिन निवासियों को कतिपय अधिकार प्राप्त होते हैं, उन्हीं को नागरिक कहा जाता है। समाज में रहते हुए मनुष्य के जहाँ एक दूसरों के प्रति अनेक कर्तव्य होते हैं वहाँ साथ ही उसके कतिपय अधिकार भी होते हैं। अधिकार कौन-कौन से हैं, यह जानने से पूर्व यह समझ लेना जरूरी है कि अधिकार कहते किसे हैं।

जब मनुष्य जन्म लेता है, तो वह कुछ शक्तियों को साथ लेकर ससार में आता है। नवजात शिशु में भी कुछ शक्तियाँ होती हैं। वह दूध को हजम कर सकता है, आँसु में देव सकता है, कानों से सुन सकता है। उसमें कुछ शक्तियाँ अ विकसित दशा में भी होती हैं। वह अपने पैर हिला सकता है, पर पैरों से चल नहीं सकता। वह रो सकता है, पर अपने भावों को शब्दों द्वारा प्रगट नहीं कर सकता। वह दस्तुओं को देखता है, पर उनके सम्बन्ध में कुछ विचार नहीं कर सकता। जिस शक्ति द्वारा वह बड़ा होकर गणित के कठिन प्रश्नों को हल करता है, दार्शनिक सिद्धान्तों का मनन करता है, विज्ञान का आविष्कार करता है वह नवजात शिशु में भी होती है, पर अविकसित दशा में। मनुष्य इस शक्ति को साथ लेकर जन्म लेता है, पर वह इस बात की अपेक्षा रखता है कि उसे इस शक्ति की भली भाँति विकसित करने का अवसर मिले। इस शक्ति को विकसित करने के लिए दूध को जीवन की कुछ खास परिस्थितियाँ प्राप्त होनी चाहिए। यदि उसे पुष्टिकर भोजन न मिले, सेलबूद द्वारा अपने शरीर की उन्नति का अवसर उसे न प्राप्त हो, उसे शिक्षा न दी जाए, तो वह अपनी शक्तियों का भली भाँति विकास नहीं कर सकेगा। ये सब परिस्थितियाँ शिशु को समाज द्वारा ही प्राप्त होती हैं। समाज ही उन परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जिनके कारण एक बलहीन बालक सुरक्षित रूप में जीवन व्यतीत करता हुआ धीरे-धीरे अपना विकास करता है, और बाद में एक बलवान् योग्य व सुशिक्षित मनुष्य बन जाता है। समाज की ये परिस्थितियाँ जो मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक हैं, प्रत्येक बालक को अवश्य ही उपलब्ध होनी चाहिए, और इन्हें प्राप्त करना प्रत्येक बालक का अधिकार है।

इन अधिकारों को हम आदर्श रूप में अपने सम्मुख रख सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि ये सब अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत किए हुए हों। हमने अभी लिखा है कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए उसे पुष्टिकर भोजन अवश्य मिलना चाहिए। यह एक ऐसी सुविधा है, जिसके बिना बच्चे का विकास सम्भव नहीं है। पर अभी तक बहुत कम देश ऐसे हैं, जहाँ राज्य ने इस अधिकार को स्वीकार किया है। पर विचारक लोग जनता के सम्मुख इस बात की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं, और लोकमत को इसके पक्ष में करने का प्रयत्न करते हैं। इसी कारण वे कहते हैं, कि पुष्टिकर भोजन प्राप्त करना प्रत्येक बालक व मनुष्य का 'नैसर्गिक अधिकार' है। एक आदर्श समाज में मनुष्यों को अपनी शक्तियों के विकास व उन्नति की जो सुविधाएँ मिलनी चाहिएँ, उन सबको नैसर्गिक अधिकारों के अन्तर्गत किया जा सकता है। पर आजकल के राज्य अभी इन आदर्शों से बहुत पीछे हैं। भारत में अभी तक भी करोड़ों बच्चों को पुष्टिकर भोजन प्राप्त नहीं हो पाता। शिक्षा द्वारा मानसिक विकास करने की सुविधाएँ भी अभी बहुत कम हैं। पर लोगों का ध्यान इन बातों की ओर है, और वे इस प्रयत्न में हैं कि लोकमत को उद्वुद्ध करके इन अधिकारों को राज्य द्वारा स्वीकृत कराया जाए। नैसर्गिक अधिकारों का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, वे एक आदर्श की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं, और हमें एक आदर्श समाज का निर्माण करने के लिए प्रेरित करते हैं।

(२) नैतिक अधिकार—जिन अधिकारों का उपभोग मनुष्य राज्य की सत्ता के कारण न करके अपनी नैतिक भावना के कारण करता है, उन्हें 'नैतिक अधिकार' कहा जाता है। हम कहते हैं कि माता पिता व गुरुजनों को अधिकार है कि वे अपनी सन्तान व शिष्य-मण्डली से आदर प्राप्त कर और अपराध करने पर उन्हें दण्ड दे सकें। माता-पिता का यह भी अधिकार है कि जब वे बूढ़े हो जाएँ, तो सन्तान उनका पालन करें। पर ये अधिकार राज्य द्वारा मान्य नहीं हैं। यदि कोई लड़का अपने पिता का आदर न करे, उससे शिष्ट व्यवहार न करे या बुढ़ापे में उसका पालन न करे, तो उस पर अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उसे सरकार द्वारा दण्ड नहीं दिलाया जा सकता। इस प्रकार के अधिकारों की सत्ता समाज में विद्यमान नैतिक विचारों के कारण ही है।

(३) कानूनी अधिकार—सरकारी कानून द्वारा जिन अधिकारों को स्वीकृत कर लिया जाता है, उन्हें 'कानूनी अधिकार' कहते हैं। आजकल के कानून के अनुसार मनुष्य का यह अधिकार स्वीकृत है, कि वह अपने जीवन को कायम रख सके और सम्पत्ति पर अपना स्वत्व रख सके। इसलिए यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे की हत्या कर दे, उसको चोट पहुँचाए या किसी की सम्पत्ति को चोरी करे या डाका डाले, तो अदालत में उस पर मुकदमा चलाया जाता है और उसे दण्ड मिलता है।

पर बच्चों को दूध आदि पुष्टिकर भोजन प्राप्त होना, सबको शिक्षा का अवसर मिलना व रोटों कमाने के लिए भौवा मिलना आदि बातें अभी तक कानूनी अधिकारों के दायरे में नहीं आई हैं। इसलिए इनके लिए राजशक्ति का उपयोग नहीं किया जाता। पर आजकल के सम्पन्न व प्रगतिशील राज्यों में यह प्रवृत्ति है कि कानूनी अधिकारों का क्षेत्र अधिक व्यापक होता जाए, और धीरे-धीरे उन सब अधिकारों को जिन्हें नैसर्गिक माना जाता है, कानूनी अधिकार का रूप दे दिया जाए।

(४) राजनीतिक अधिकार—आजकल के लोकतन्त्र राज्यों में सरकार के कार्यों में हाथ डैटाने के जो अधिकार नागरिकों को प्राप्त होते हैं, उन्हें 'राजनीतिक अधिकार' कहते हैं। वोट देने का अधिकार, चुने जाने का अधिकार और सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार इसी प्रकार के हैं, जिन्हें राजनीतिक अधिकार कहा जाता है।

नागरिकों के प्रमुख अधिकार—

राज्य द्वारा नागरिकों के जो अधिकार आजकल के प्रायः सभी लोकतन्त्र राज्यों में स्वीकृत हैं, उनमें मुख्य निम्नलिखित हैं—

(१) जीवन का अधिकार—प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार है, कि वह अपने को जीवित रखे, और साथ ही स्वेच्छापूर्वक अपनी उन्नति करे। दाम प्रया में दाम का अपने जीवन पर अधिकार नहीं होता। उसे पूरी तरह से अपने मानिक की इच्छा पर आश्रित रहना पड़ता है। इसी कारण दाम प्रया को जीवन के अधिकार में बाधक समझा जाता है। जीवन के अधिकार में निम्नलिखित बातें शामिल रहनी हैं—

(क) किसी मनुष्य को यह अधिकार नहीं, कि वह दूसरे की हत्या कर सके।

(ख) आत्महत्या द्वारा अपने जीवन का अन्त कर सकने का भी किसी को अधिकार नहीं है।

(ग) प्रत्येक मनुष्य को अधिकार है कि वह आत्मरक्षा कर सके। यदि आयर-रक्षा के लिए मनुष्य को शक्ति का भी उपयोग करना पड़े, तो वह उचित है।

(घ) जीवन के अधिकार के साथ-साथ प्रत्येक मनुष्य को यह भी अधिकार है, कि वह पारिवारिक जीवन व्यतीत कर सके और विवाह द्वारा सम्मान उपलब्ध कर सके।

(२) व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार—प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार होना चाहिए, कि वह निश्चिन्तता और स्वतन्त्रता के साथ अपना जीवन बिता सके। कोई दूसरा मनुष्य उस पर आक्रमण न कर सके, और वह अपने जीवन को सुरक्षित रख सके। जीवित रहने के साथ-साथ प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार भी होना चाहिए, कि वह सार्वजनिक स्थानों का निर्वाह रूप से उपयोग कर सके। सड़कें, उद्यान,

जमीदार वर्ग के लोगों को अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त थे। अब उन्हें नष्ट कर दिया गया है।

ख कानून की निगाह में कोई ऊँच या नीच, दूत या अदूत नहीं माना जाता।

ग सब नागरिकों के राजनीतिक अधिकार एक समान होने हैं। सब को केवल एक वोट देने का ही अधिकार होता है, चाहे वह धनकुवेर हो या गरीब हो।

घ कानून को तोड़ने पर सब को एक ही प्रकार से दण्ड दिया जाता है।

ङ यह भी यत्न किया जाता है, कि आर्थिक विषमता को दूर किया जाए। इसके लिए विविध राज्य भिन्न भिन्न नीति का अनुसरण करते हैं। समाजवादी देशों में आर्थिक उत्पादन (Production) के साधनों को राज्य के स्वामित्व व नियंत्रण में ले आया जाता है, जो अन्य देशों में सम्पत्ति-कर (Estates Duty) व सुपर टैक्स आदि लगाकर आर्थिक समानता को स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है।

(७) सम्पत्ति का अधिकार—मनुष्य के जीवन व उन्नति के लिए यह आवश्यक है, कि वह कुछ-न कुछ सम्पत्ति अपने पास रखे। उपभोग (Consumption) के लिए मनुष्य को अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। उसे पहनने के लिए वस्त्र चाहिए रहने के लिए मकान चाहिए और भोजन पकाने के लिए बरतन चाहिए। यह स्वाभाविक है, कि उपभोग की इन वस्तुओं पर मनुष्य का स्वत्व हो। ये वस्तुएँ मनुष्य की व्यक्तिगत सम्पत्ति रहे, हम पर विशेष मत भेद नहीं है। इनके सम्बन्ध में सम्पत्ति के अधिकार को प्रायः सभी लोग स्वीकार करते हैं।

पर बहुत-सी वस्तुएँ ऐसी भी हैं, जो उपभोग के काम में न आकर आर्थिक उत्पादन के काम में आती हैं। अपनी सब आमदनी को खर्च न कर मनुष्य बचत करता है, और बचत द्वारा जो पूँजी उसके पास एकत्र हो जाती है, उसे वह जमीन, कारखाना, जायदाद आदि खरीदने के लिए काम में लाता है। हम देखते हैं, कि बितने ही लोग सम्पत्ति का संचय कर पूँजीपति बने हुए हैं, और उत्पादन के साधनों को ब्रह्म करके उन पर उन्होंने अपना स्वत्व कायम कर लिया है। इस प्रकार की सम्पत्ति पर व्यक्तियों का स्वत्व होना चाहिए या नहीं, इस सम्बन्ध में बहुत मतभेद है। समाजवादी लोगों का मत है, कि उत्पादन के साधनों पर व्यक्तियों का स्वत्व न होकर राज्य का स्वत्व होना चाहिए।

सम्पत्ति के विषय में इस मतभेद के बावजूद हम बात में इन्कार नहीं किया जा सकता, कि मनुष्यों की जो भी अपनी सम्पत्ति हो, उसकी रक्षा करने का उन्हें अधिकार होना चाहिए। राज्य व समाज द्वारा जिस सम्पत्ति पर मनुष्यों का व्यक्तिगत स्वत्व स्वीकृत हो, उसकी रक्षा की व्यवस्था सरकार द्वारा अवश्य की जानी चाहिए।

(८) राजनीतिक अधिकार—प्रत्येक राज्य में नागरिकों को कतिपय ऐसे अधिकार प्राप्त होने हैं, जिनका सम्बन्ध राज्य के शासन के साथ होता है। इन्हें

राजनैतिक अधिकार कहा जाता है। ये अधिकार निम्नलिखित होने हैं—

क वोट देना—राज्य की विधान सभा, राज्य के अन्तर्गत विविध प्रान्तों की विधान सभा और स्थानीय मन्थानों (जिला बोर्ड, म्युनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत आदि) के सदस्यों का चुनाव करने के लिए वोट देने का अधिकार प्रत्येक वयस्क स्त्री-पुरुष को अवश्य प्राप्त होना चाहिए। धर्म, जाति, निज्ज आदि के कारण किसी व्यक्ति को इस अधिकार से वंचित नहीं रखना चाहिए।

ख चुने जाने का अधिकार—प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार भी होना चाहिए, कि वह राज्य की विविध विधानमन्थानों व स्थानीय मन्थानों की सदस्यता के लिए उम्मीदवार बन सके। वह चुना जाए या नहीं, यह तो मतदाताओं की इच्छा पर निर्भर है। मतदाताओं की बहुसंख्या जिसके पक्ष में अपना वोट देगी, चुना तो वही जाएगा। पर किसी नागरिक को अपने को चुनवा सकने के अधिकार से वंचित नहीं रखना चाहिए।

ग सरकारी सेवा के लिए समान अवसर का अधिकार—राज्य के शासन के लिए जो कर्मचारीवर्ग होता है, उसके लिए व्यक्तियों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर की जाती है। इसके लिए प्रायः किसी परीक्षा की व्यवस्था की जाती है, और उसमें जो उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, उन्हें ही सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाता है। भारत में इण्डियन एड्मिनिस्ट्रेटिव सर्विस, प्रान्तीय एड्मिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जुडिशियल सर्विस, सेक्रेटरियट सर्विस आदि सभी के लिए पब्लिक सर्विस कमीशनो द्वारा परीक्षाएँ ली जाती हैं। बहुत छोटी सरकारी नौकरियों के लिए भी एक निश्चित योग्यता की आवश्यकता मानी जाती है। पर योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने के अवसर का अधिकार सब नागरिकों को समान रूप से होना चाहिए। धर्म, निज, जाति आदि के भेद को दृष्टि में रखकर किसी को इस अधिकार से वंचित नहीं रखना चाहिए।

(६) आर्थिक अधिकार—आर्थिक समानता के विचार के साथ साथ आजकल के प्रगतिशील लोकतन्त्र राज्यों में मनुष्यों के कर्तव्य आर्थिक अधिकार भी स्वीकार किए जाने लगे हैं। ये अधिकार निम्नलिखित हैं—

क. कार्य प्राप्त करने का अधिकार—मनुष्य अपना निर्वाह तभी कर सकता है, जब वह कोई काम करे। यह काम नौकरी, व्यापार, शिल्प आदि अनेक प्रकार का हो सकता है। इसमें सन्देह नहीं, कि कोई मनुष्य कोई रोजगार करे या नहीं यह बहुत कुछ उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर होता है। पर हम देखते हैं कि बहुधा इच्छा होने हुए भी मनुष्य काम प्राप्त नहीं कर पाता। कितने ही लोग रोजगार की तलाश में घर छोड़कर बाहर निकलते हैं, और दर-दर की ठोकें खाते फिरते हैं। कोशिश करने पर भी उन्हें काम नहीं मिलता। आजकल प्रायः सभी देशों में बेरोजगारी की समस्या

विद्यमान है। जिस प्रकार जीवित रहना मनुष्य का अधिकार है और राज्य उन परिस्थितियों व सुविधाओं को उत्पन्न करता है, जिनमें मनुष्य अपने जीवन की रक्षा कर सकता है, इसी प्रकार अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार काम प्राप्त करना भी मनुष्य का नैसर्गिक अधिकार है, और राज्य को ऐसी सुविधाएँ उत्पन्न करनी चाहिए जिनसे कि प्रत्येक मनुष्य काम पा सके। इसीलिए इंग्लैण्ड, फ्रांस आदि देशों में बेकार लोगों को सरकार की ओर से भत्ता दिया जाता है, और साथ ही उन्हें काम पर लगाने का प्रयत्न भी किया जाता है। बेकारी के कारण ही बहुत-से गरीब लोग भीख माँगने व अनेक अनुचित उपायों से पैसा प्राप्त करने का यत्न करते हैं। भिखारियों, बेध्याओं व गिरहकटों की सत्ता किमी भी देश के लिए कलक की बात होती है। बेकार लोग न केवल स्वयं कष्ट उठाते हैं, अपितु राज्य के लिए भी हानिकारक होते हैं। बेकार लोगों में असन्तोष, विद्रोह और अव्यवस्था की भावनाएँ सुगमता के साथ उत्पन्न हो जाती हैं। जनता के असन्तोष से बढ़कर राज्य का अन्य कोई शत्रु नहीं होता।

ख न्यूनतम आर्थिक ग्रामदानी का अधिकार—प्रत्येक मनुष्य को इतनी न्यूनतम ग्रामदानी प्राप्त करने का अधिकार है, जिससे कि वह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सके। पेट भर भोजन, तन ढकने की वस्त्र और रहने की मकान—ये मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकताएँ हैं। यदि किमी देश के लोगों की इतनी ग्रामदानी भी न हो, जिससे वे इन आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें, तो ऐसे देश की कभी उन्नति नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ के लोग कभी सुखी व सन्तुष्ट जीवन नहीं बिता सकेंगे।

ग इच्छानुसार रोजगार करने का अधिकार—प्रत्येक मनुष्य का यह अधिकार भी होना चाहिए, कि वह जिस रोजगार को करना चाहे, उसे कर सके। भारत में अछूत समझे जानेवाले लोग अब तक भी अनेक प्रकार के रोजगार नहीं कर पाते। चमार या भगी कुल में उत्पन्न हुए किसी मनुष्य के लिए यह सुगम नहीं है, कि वह भोजनशाला या हलवाई की दूकान खोल सके, या किसी सचवाँ परिवार में भोजन पकाने की नौकरी पा सके। यद्यपि कानून के अनुसार भारत में अछूतों को भी इन कामों को करने का अधिकार है, पर बहुमह्यक जनता उन्हें ये काम नहीं करने देना चाहती। शिक्षा के प्रचार और उदार विचारों के प्रसार के कारण इस दशा में परिवर्तन आ रहा है। पर अभी तक भी भारत में यह स्थिति नहीं आई है, कि अछूत समझे जानेवाले लोग अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकें।

(१०) सांस्कृतिक अधिकार—जिस प्रकार मनुष्य को अनेक भौतिक आवश्यकताएँ होती हैं, वैसे ही मानसिक व सांस्कृतिक आवश्यकताएँ भी होती हैं। यदि मनुष्य के शारीरिक विकास के लिए पुष्टिकर भोजन की जरूरत है, तो उसके

मानसिक विकास के लिए शिक्षा व संस्कृति भी आवश्यक हैं। इसलिए राज्य द्वारा उसे निम्नलिखित अधिकार भी प्राप्त होने हैं—

क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार—जब तक शिक्षा न मिले, मनुष्य अपने व्यक्ति व का विकास नहीं कर सकता। अतः प्रत्येक मनुष्य को अधिकार है, कि वह शिक्षा प्राप्त कर सके और अपनी मानसिक शक्ति का विकास कर जीवन में अपने लिए समुचित स्थान बना सके। यही कारण है कि आजकल के राज्य अपना यह कर्तव्य समझते हैं, कि न केवल बच्चों की शिक्षा का ही प्रबन्ध करें, अपितु बड़ी आयु के जो लोग अशिक्षित रह गए हैं, उनकी शिक्षा की भी व्यवस्था करें।

ख वाचनालय, पुस्तकालय आदि की उपलब्धि का अधिकार—शिक्षा का अन्त स्वरूप कालिज के साथ ही नहीं हो जाता। मनुष्य जब तक जीवित रहता है, अपने ज्ञान को बढ़ाने का यत्न करता रहता है। वाचनालय, पुस्तकालय, कला-भवन आदि इसमें बहुत सहायक होते हैं। इसीलिए नागरिकों का यह अधिकार है, कि वे राज्य से इन संस्थाओं की स्थापना की मांग करें। प्रगतिशील राज्य इसी कारण इन संस्थाओं की स्थापना के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।

ग अपनी संस्कृति का अधिकार—राज्य के सब निवासियों की एक ही संस्कृति नहीं होती। भारत जैसे विनाश राज्‍य के निवासियों की संस्कृति में बहुत-सी भिन्नताएँ हैं। इस कारण शिक्षा की व्यवस्था इस ढंग से होनी चाहिए, कि विविध लोगों की अपनी-पृथक् संस्कृति सुरक्षित रहे।

घ भाषा का अधिकार—राज्य के सब निवासियों की भाषा भी एक नहीं होती। भारत में कितनी ही भाषाएँ विद्यमान हैं, जिनका साहित्य बहुत उन्नत है। मनुष्य को अपनी भाषा द्वारा ही शिक्षा दी जानी चाहिए और व्यक्तिगत व सार्वजनिक कार्यों में सब को अपनी-अपनी भाषा का प्रयोग करने का अधिकार मिलना चाहिए।

(११) पारिवारिक जीवन का अधिकार—प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए, कि वह पारिवारिक जीवन बिता सके। पारिवारिक जीवन का आधार विवाह है। भारत में विवाह के मामले में अनेकविध मर्यादाओं का पालन किया जाता है। विवाह प्रायः अपनी ही जाति में होते हैं, और उनकी व्यवस्था माता-पिता द्वारा की जाती है। युवक व युवतियाँ प्रायः अपनी इच्छा से अपना जीवन-साथी नहीं चुनते, अपितु माता-पिता ही उनके विवाह सम्बन्ध का निश्चय करते हैं। पाश्चात्य देशों में स्थिति इससे भिन्न है। वहाँ युवक युवतियाँ प्रेम-भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छापूर्वक विवाह करती हैं। वर समय के साथ-साथ भारत में भी इस विषय में परिवर्तन हो रहा है। अब लोग जात-पात की उपेक्षा करके भी विवाह करने लगे हैं, और विवाह-सम्बन्ध का निश्चय करते हुए वर-वधू की इच्छा को भी महत्त्व दिया

जाने लगा है। विवाह का ढग प्रायः प्रत्येक देश में और एक देश के भी विविध सम्प्रदायों व जातियों में भिन्न भिन्न होता है। पर यह निश्चित है, कि प्रत्येक स्त्री पुरुष को विवाह करके पारिवारिक जीवन बिताने का अधिकार अवश्य प्राप्त होना चाहिए।

विवाह के साथ ही तलाक का भी प्रश्न आता है। ईसाई और मुसलमानों में तलाक की प्रथा है। बहुमत्यक हिन्दू जातियों में विवाह सम्बन्ध का उच्छेद सम्भव नहीं होता। पर नये हिन्दू कानून के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में तलाक की अनुमति दे दी गई है। विवाह का रूप चाहे कंसा ही क्यों न हो, पारिवारिक जीवन मनुष्य के विकास, कल्याण और सुख के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इसीलिए उसे बिता सकने का अधिकार सब मनुष्यों को प्राप्त होना चाहिये।

अधिकारों की सख्या अनिश्चित है—हमने ऊपर मनुष्यों के कतिपय अधिकारों का उल्लेख किया है। पर इनके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से ऐसे अधिकार हैं, जिन्हें आजकल के राज्य स्वीकृत करते हैं। वस्तुतः, अधिकारों की सख्या अनिश्चित है, और उसमें निरन्तर वृद्धि हो रही है। मनुष्य को अपनी शक्ति व व्यक्तित्व के विकास के लिए जिन सुविधाओं की आवश्यकता हो, उन सब को प्राप्त करना उसका अधिकार है। सम्यता के विकास के साथ साथ इन सुविधाओं में भी वृद्धि होती जा रही है, और इसी कारण मनुष्यों के अधिकारों की सख्या भी निरन्तर बढ़ रही है। पुराने जमाने में जब कि एकतन्त्र राजाओं का निरकुश शासन हुआ करता था, तब मनुष्यों के अधिकार बहुत कम माने जाते थे। पर आजकल के सम्यक व प्रगतिशील लोकतन्त्र राज्यों में मानव-अधिकारों का क्षेत्र निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

भारत के नये संविधान में स्वीकृत आधारभूत अधिकार—

स्वराज्य प्राप्त करने के बाद भारत का जो नया संविधान बना है, वह अत्यन्त उच्च सिद्धान्तों पर आधारित है। उसमें नागरिकों के निम्नलिखित आधारभूत अधिकारों का प्रतिपादन किया गया है—

(१) कानून की दृष्टि में सब बराबर हैं, सब को कानून का एक समान संरक्षण प्राप्त होगा। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग व जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों में कोई भेद नहीं किया जायगा। दूकान, रेस्तराँ, होटल, मनोरंजन के स्थान, कुएँ जलाशय, स्नान के घाट, सड़क, पार्क, उद्यान आदि सार्वजनिक स्थानों का उपयोग सब नागरिक धर्म, जाति, लिङ्ग आदि के भेद भाव के बिना कर सकेंगे।

(२) कार्य प्राप्त करने और सरकारी नौकरी पाने के सम्बन्ध में सब नागरिकों को एक समान अवसर प्राप्त रहेगा।

(३) अछूतपन को किसी भी रूप में मानना या क्रिया में लाना राज्य द्वारा निषिद्ध समझा जायगा।

(४) सब नागरिकों को भाषण द्वारा व अन्य प्रकार से अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतन्त्रता होगी। सब नागरिकों को अधिकार होगा कि वे अपने विचारों को प्रकट करने में स्वतन्त्र हों, शान्तिपूर्वक मभाएँ कर सकें, अपने समुदाय व मध बना सकें, भारत में सर्वत्र स्वतन्त्रतापूर्वक या ना सकें, भारत के किसी भी प्रदेश में रह सकें व बस सकें, सम्पत्ति को प्राप्त कर सकें व बच सकें, और जो पेशा करना चाहें व जो व्यापार व कारोबार करना चाहें उसे कर सकें।

(५) कोई व्यक्ति तब तक किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जायगा, जब तक कि वह किसी कानून का भंग न करे और तब तक उसे मजा नहीं दी जा सकेगी, जब तक कि न्यायालय में उसे दोषी न सिद्ध कर दिया जाए और वहाँ उसे दण्ड न दिया जाए।

(६) मनुष्यों का श्रय विक्रय, बेगार व अन्य किसी प्रकार से जबरदस्ती श्रम लेना कानून के अनुसार दण्डनीय अपराध माना जायगा।

(७) चौदह वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक या बालिका को किसी कारखाने, खान व अन्य मक़दमय कार्य में नहीं लगाया जा सकेगा।

(८) सब को अधिकार होगा, कि वे अपने विद्वान के अनुसार किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकें और उनका प्रचार कर सकें।

(९) राज्य द्वारा संचालित व सरकारी आमदनी से चलाई जाने वाली किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायगी।

(१०) भारत में निवास करने वाले जिन लोगों की कोई अपनी भाषा लिपि व संस्कृति हो, उन्हें इनके संरक्षण व कायम रखने का अधिकार होगा।

(११) किसी मनुष्य को कानून द्वारा अभिमत रीति के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार में उनकी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकेगा। सार्वजनिक प्रयोजन से कानून द्वारा व्यक्तिगत सम्पत्ति राज्य द्वारा प्राप्त की जा सकेगी, पर मुतासिब मुसा-बजा देकर।

भारत के नये संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धान्त—

भारत के नये संविधान में जहाँ आधारभूत नागरिक अधिकारों का विस्तार रूप से प्रतिपादन किया गया है, वहाँ साथ ही उन सिद्धान्तों का भी निर्देश कर दिया गया है, जिसके अनुसार राज्य को अपनी नीति का निर्माण करना है। ये सिद्धान्त निम्नलिखित हैं—

(१) प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है।

(२) देश में जो भी भौतिक साधन (Material resources) विद्यमान हैं,

उनका स्वामित्व व नियन्त्रण इस प्रकार बँटा हुआ हो, जिससे कि सबका हित हो सके, और उनका प्रयोग कतिपय व्यक्तियों के हित में न होने पाए ।

(३) आर्थिक व्यवस्था ऐसी न हो, जिससे कि आर्थिक उत्पादन के साधन और सम्पत्ति कुछ थोड़े से लोगों के हाथ में एकत्र हो जाएँ और ऐसा होना सार्वजनिक दृष्टि से हानिकारक हो ।

(४) पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले ।

(५) श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य का दुरुपयोग न हो, और आर्थिक आवश्यकता से लाचार होकर नागरिकों को ऐसे काम न करने पड़े, जो उनकी आयु और शक्ति के लिहाज से उनको नहीं करने चाहिये ।

(६) रोजगार प्राप्त करना, बेकारी को दूर करना, बेकारों को सहायता देना, बुढ़ापे, बीमारी और अपाहिज होने की दशा में मदद करना और शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य है । अपनी शक्ति के अनुसार राज्य इन सब बातों की व्यवस्था करेगा ।

(७) राज्य यह प्रबन्ध करेगा कि सब प्रकार के श्रमिकों को उनके श्रम का उचित पारिश्रमिक मिले, और कारखानों, खानों आदि में कार्य करने की परिस्थितियाँ ऐसी हों, जिनमें श्रमिक लोग उचित पारिश्रमिक पाते हुए अपने जीवन को इस ढंग से बिता सकें कि उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति का भी यथोचित अवसर मिले ।

(८) चौदह साल की आयु तक बच्चों को नि शुल्क व बाधित रूप से शिक्षा दी जाए ।

(९) झूठ समझी जाने वाली और पिछड़ी हुई जातियों में शिक्षा-प्रसार करने और उनकी आर्थिक दशा को सुधारने का विशेष रूप से उद्योग किया जाए ।

(१०) लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य को उन्नत करना राज्य का एक मुख्य कर्तव्य समझा जाए ।

भारत के संविधान में प्रतिपादित मानव अधिकारों और राज्य के नीति-विषयक सिद्धान्तों का अनुशीलन करने से यह भली भाँति स्पष्ट हो जाता है कि आजकल के प्रगतिशील राज्यों के कर्तव्य कितने व्यापक हैं, और उनमें मनुष्यों को कितने अधिकार प्राप्त रहते हैं ।

कर्तव्य का अभिप्राय—

हम ऊपर लिख चुके हैं कि अधिकार के साथ कर्तव्य का घनिष्ठ सम्बन्ध है, और अधिकार व कर्तव्य एक ही वस्तु के दो पार्श्व व पहलू हैं । जब हम कहते हैं कि हमारा इस वस्तु पर अधिकार है, तो दूसरे शब्दों में हम यह कह रहे होते हैं कि

अन्य सब लोगों का कर्तव्य है कि उन वस्तुओं को अपना न समझें। अतः अधिकार के विचार के साथ ही कर्तव्य का विचार भी हमारे सम्मुख आ जाता है। अधिकार उन सुविधाओं को कहते हैं, जो समाज या राज्य द्वारा मनुष्यों को अपने हित, कल्याण व विकास के लिए प्राप्त होती हैं। अधिकारों की सत्ता इसीलिये है, क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है। जब मनुष्य समाज व राज्य से अपनी उन्नति के लिए अनेक सुविधाएँ प्राप्त करता है, तो उसके लिये यह भी आवश्यक हो जाता है कि वह समाज या राज्य के प्रति कतिपय कर्तव्यों का भी पालन करे। इसीलिए भारत के पुराने ग्रन्थों में कर्तव्य पर बहुत जोर दिया गया है, और यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने 'स्वधर्म' पर सदा दृढ़ रहना चाहिए और कर्तव्यपालन से कभी विमुख नहीं होना चाहिए।

कर्तव्यों के दो भेद—कर्तव्य दो प्रकार के होते हैं, नैतिक (Moral) और कानूनी (Legal)। नैतिक कर्तव्य वे हैं, जिनका पालन करना मनुष्य के व्यक्तिगत व सामूहिक हित के लिए उपयोगी है, पर जिनका पालन न करने पर सरकार द्वारा दण्ड नहीं दिया जाता। मनुष्य का कर्तव्य है, कि वह साफ रहे, सदाचारपूर्वक जीवन व्यतीत करे, किसी के विषय में बुरा न सोचे, माना-पिता व गुरुजनों का आदर कर और सबसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करे। ये सब मनुष्य के कर्तव्य हैं। पर यदि कोई मनुष्य इनका पालन न करे, तो सरकार द्वारा उसे दण्ड नहीं दिया जाता। इसीलिए इन्हें नैतिक कर्तव्य कहते हैं।

कानूनी कर्तव्य उन्हें कहते हैं, जिनका पालन करने के लिए सरकार मनुष्यों को विवश करती है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह दूसरों के ज्ञान माल को नुकसान न पहुँचाए चोरी न करे, किसी पर हमला न करे, टैक्सों को समय पर अदा कर और बिक्री के माल में मिलावट न करे। यदि कोई इनका पालन न करे, तो कानून के अनुसार उसे दण्ड दिया जायगा। इसीलिए इन्हें कानूनी कर्तव्य कहा जाता है। पर मनुष्य को नैतिक और कानूनी—दोनों प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्यों की वैयक्तिक व सामूहिक उन्नति में सहायता मिलती है, और ऐसा न करने से उन परिस्थितियों व सुविधाओं के उत्पन्न होने में बाधा पड़ती है, जिनका होना मनुष्य की शक्तियों के विकास के लिए आवश्यक है।

कर्तव्यों का वर्गीकरण एक अन्य प्रकार से भी किया जाता है। कुछ कर्तव्य विधिपरक (Positive) होते हैं, और कुछ निषेधपरक (Negative)। नियमपूर्वक टैक्स देना, माता-पिता की सेवा करना आदि विधिपरक कर्तव्य हैं। चोरी न करना, मूठ न बोलना आदि निषेधपरक कर्तव्य हैं।

कर्तव्य के क्षेत्र—

मनुष्यों के कर्तव्य के क्षेत्र अनेक हैं। व्यक्ति, परिवार, ग्राम, समाज, राज्य और मनुष्य जाति—सबके प्रति मनुष्यों के अनेक प्रकार के कर्तव्य होते हैं।

अपने प्रति कर्तव्य—मनुष्य के अपने प्रति भी अनेक कर्तव्य हैं। अपने-आपको स्वस्थ, सुशिक्षित, सभ्य व सुमस्कृत बनाना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। समाज मनुष्यों से भिन्नकर ही बनता है। जो स्थान शरीर में अवयवों व घटकों का होता है, वही समाज व राज्य में व्यक्तियों का होता है। जिस समाज में अवयवस्वरूप व्यक्ति स्वस्थ, सुशिक्षित, साहसी, सभ्य व परिश्रमी होंगे, वह अवश्य ही उन्नति करेगा। अतः प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, कि वह अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए शरीर को स्वस्थ रखे, प्रतिदिन व्यायाम करके शरीर को सुदृढ़ बनाये, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, सद्गुणों को ग्रहण करे और सभ्य बने।

परिवार के प्रति कर्तव्य—मनुष्यों के सामुदायिक जीवन की सबसे छोटी इकाई परिवार होता है। परिवार का अग होने के कारण मनुष्यों के एक-दूसरे के प्रति अनेक प्रकार के कर्तव्य हैं। माता-पिता का कर्तव्य है, कि सन्तान का पालन करें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उन्हें अच्छी शिक्षा दें और उनकी शक्तियों का विकास करने की महत्त्व दें। सन्तान का कर्तव्य है, कि अपने माता-पिता की आज्ञा मानें और बुढ़ापे में उनकी सेवा करें। इसी प्रकार पति के पत्नी के प्रति और पत्नी के पति के प्रति भी अनेक प्रकार के कर्तव्य होते हैं। जब परिवार के सब सदस्य अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तभी परिवार सुखी व समृद्ध हो सकेगा।

ग्राम, जाति व विविध समुदायों के प्रति कर्तव्य—मनुष्य किसी-न किसी ग्राम, कस्बे व नगर में निवास करते हैं। इस कारण अपने साथ रहने वाले अन्य मनुष्यों के प्रति उनके अनेक प्रकार के कर्तव्य हो जाते हैं। मान लीजिये, किसी गाँव में आग लग गई। अभी आग आपके मकान से बहुत दूर है। पर प्रत्येक ग्रामवासी का यह कर्तव्य है, कि आग बुझाने में सहयोग दे और उसे फैलने न दे। बीमारी फैलने के समय भी सब ग्रामवासियों के अनेक कर्तव्य हो जाते हैं। गाँव में सफाई रखने में सहयोग देना भी सबका कर्तव्य है। क्योंकि मनुष्य दूसरों के साथ मिलकर रहना है, अतः दूसरों के कष्ट व दुर्दशा का उस पर भी अमर पड़ता है। यदि गाँव के रास्ते गन्दे हों, उसके बुएँ का पानी कीटाणुओं से परिपूर्ण हो और जगह-जगह पर गन्दगी के ढेर लगे हों, तो इससे सभी ग्रामवासियों को नुकसान पहुँचेगा। अतः सबका कर्तव्य है, कि वे गाँव की सफाई पर ध्यान दें और रोग आदि से गाँव को मुक्त रखें।

मनुष्य अनेक धार्मिक, आर्थिक, मास्कृतिक व अन्य प्रकार के समुदायों का सदस्य होता है। इन समुदायों के प्रति भी मनुष्य के अनेक प्रकार के कर्तव्य होते हैं।

यदि मनुष्य अपने इन कर्तव्यों की अपेक्षा करे, तो समुदाय कभी उन्नति नहीं कर सकेंगे।

पर मनुष्यों के कर्तव्यों का क्षेत्रफल केवल परिवार, ग्राम व विविध समुदायों तक ही सीमित नहीं होता। अपने देश व राज्य के प्रति भी मनुष्य के बहुत से कर्तव्य होते हैं। इन कर्तव्यों पर हम अभी अधिक विस्तार से विचार करेंगे। विज्ञान की उन्नति के कारण अब ससार के विविध देश एक दूसरे के इतने समीप आ गए हैं, कि अब मनुष्य के सामुदायिक जीवन का क्षेत्र बहुत विशाल हो गया है। सम्पूर्ण मानव-समाज ही अब एक विशाल समुदाय की सी स्थिति रखता है। चीन, अफ्रीका आदि दूरस्थ देशों में जो घटना घटती है, उसका प्रभाव अब सारे ससार पर पड़ता है। इसी कारण अब मनुष्यों के सम्पूर्ण मानव-समाज के प्रति भी अनेक कर्तव्य हो गये हैं। ससार भर में शान्ति बनाए रखना दूसरों के धर्म व संस्कृति का आदर करना दूसरे देशों के निवासियों को भी अपने समान ही मनुष्य समझना—ये व इसी ढंग के कितने ही कर्तव्य हैं जो मनुष्यों के सम्पूर्ण मानव समाज के प्रति हैं।

राज्य के प्रति कर्तव्य—

मनुष्य ने अपनी उन्नति के लिए जो विविध समुदाय बनाए हैं, उनमें राज्य सबसे उत्कृष्ट है। अतः राज्य के प्रति मनुष्य के जो कर्तव्य हैं, वे अधिक महत्व के हैं। ये कर्तव्य निम्नलिखित हैं—

(१) राजभक्ति (Allegiance)—प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी राज्य का नागरिक होता है। राज्य के कारण ही वह निरिबन्धता के साथ स्वतन्त्रता व अधिकारों का उपभोग कर सकता है। अतः प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, कि वह अपने राज्य के प्रति भक्ति रखे। राजभक्ति के कारण मनुष्य के अनेक कर्तव्य हो जाते हैं। सरकार के साथ सहयोग करना, सरकारी कर्मचारियों की उनके कार्य में सहायता करना, और विदेशी आक्रमण की दशा में देश की रक्षा के लिए सब प्रकार की कुर्बानियाँ करने के लिए तैयार हो जाना इनमें मुख्य हैं। देश में अमन चैन कायम रखना पुलिस का काम है। पुलिस चोरों व डाकुओं को पकड़ती है, और उन्हें कानून के अनुसार सजा दिलाती है। पर यदि देशवासियों का सहयोग पुलिस को प्राप्त न हो, तो वह अपना काम कभी ठीक ढंग से नहीं कर सकेगी। यदि किसी गाँव में डाका पड़े, तो ग्रामवासियों का कर्तव्य है कि वे डाकुओं को पकड़वाने में पुलिस की सहायता करें। इसी प्रकार जब कोई शत्रु देश पर आक्रमण करे तो सबको धन, जन और जीवन से सरकार की सहायता करनी चाहिए। युद्धों का ऐसे समय में यह कर्तव्य है, कि वे सेना में भरती हों, घनिष्ठ कर्तव्य है कि वे अपनी धैर्यता सरकार की सहायता के लिए खोल दें, और अन्य सबका भी यह कर्तव्य है कि जिस तरह भी सम्भव हो, शत्रु के पराजय

के लिए सरकार के साथ सहयोग करें।

(२) आज्ञापालन (Obedience)—राज्य अपने नागरिकों को जो आदेश दे, उनका पालन करना भी प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। लोकतन्त्र राज्यों में आदेश देने या कानून बनाने का कार्य उन लोगों के सुपुर्द होता है, जिन्हें जनता इन्हीं कामों के लिए चुनती है। वस्तुतः कानून जनता की इच्छा व लोकमत को ही प्रकट करते हैं। उनका निर्माण इसी प्रयोजन से किया जाता है, कि लोगों का हित ही और उनसे जनता की उन्नति में सहायता मिले। अतः राजकीय आदेशों और कानूनों का पालन करना सबका कर्तव्य है। यह सम्भव है कि राज्य के कतिपय कानूनों से कुछ लोग सहमत न हों, वे उन्हें अपने व समाज के लिए हानिकारक समझते हों। इस दशा में उन्हें यह चाहिये, कि लोकमत को अपने पक्ष में करके उन कानूनों को बदलने का यत्न करें। वैधानिक ढंग से कानूनों को बदलवाने का यत्न करना सर्वथा उचित है। पर जब तक कोई कानून विहित हो, तब तक उनका पालन प्रत्येक मनुष्य को करना ही चाहिए।

(३) टैक्स प्रदान करना (Payment of Taxes)—सरकार का कार्य चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। यह धन जनता से टैक्स वसूल करके ही प्राप्त किया जा सकता है। जनता से कौन से टैक्स लिए जाएँ, इस बात का निर्णय व्यवस्थापन विभाग (Legislature) द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। अतः जनता के प्रतिनिधि जिन टैक्सों को निर्धारित करें, उन्हें नियमपूर्वक प्रदान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हो जाता है।

(४) मताधिकार का उपयोग—लोकतन्त्र शासनो की सफलता के लिए एक आवश्यक शर्त यह है, कि सब नागरिक राज्यकार्य में हाथ बटाएँ। इसलिए उन्हें वोट देने के अपने अधिकार का सोच-समझकर उपयोग करना चाहिए। कानून बनाने व शासक-वर्ग पर नियंत्रण रखने का कार्य पार्लियामेंट के जो सदस्य करते हैं, वे जनता द्वारा ही चुने जाते हैं। पार्लियामेंट के सदस्य यदि सच्चे अर्थों में जनता के प्रतिनिधि होंगे, तभी असल में लोकतन्त्र शासन धायम हो सकेगा। अतः प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, कि वह वोट के अधिकार का प्रयोग करे और इन अधिकार का प्रयोग सोच-समझकर व निर्भीकता के साथ करे।

(५) सार्वजनिक सेवा के लिए तत्परता—प्रत्येक नागरिक का यह भी कर्तव्य है, कि वह सदा सार्वजनिक सेवा के लिए तत्पर रहे। मनुष्य को अपनी योग्यता का उपयोग केवल अपनी सुख-समृद्धि के लिए ही नहीं करना चाहिए, अपितु सार्वजनिक हितों के लिए भी उसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसलिए योग्य व्यक्तियों को ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, जिन्ना बोर्ड, पार्लियामेंट आदि का सदस्य बनने में सक्रिय नहीं करना चाहिए, और यदि सरकार किसी व्यक्ति की सेवा से लाभ उठाना चाहे,

नी वैयक्तिक नुकसान उठाकर भी सरकारी सेवा के लिए तत्पर हो जाना चाहिये।
मार्बजनिक सेवा के लिये तत्परता प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१. अधिकारों और कर्तव्यों से आप क्या समझते हैं ? नैसर्गिक (प्राकृतिक) अधिकार कौन से होते हैं ? (यू० पी०, १९४६)
२. राज्य के प्रति नागरिक के क्या कर्तव्य हैं ? राज्य कहां तक उसे इनका पालन करने के लिए विवश कर सकता है ? (यू० पी० १९५३)
- ३ 'अधिकार' के अभिप्राय को स्पष्ट कीजिए। लोकतन्त्र राज्यों में नागरिकों के प्रमुख अधिकार कौन से होते हैं ? (यू० पी०, १९४६)
४. नागरिकों के मुख्य-मुख्य अधिकार और कर्तव्य कौन से हैं ? (यू० पी० १९४८)
५. अधिकारों के विविध प्रकारों पर संक्षेप से प्रकाश डालिए।
६. भारत के नये संविधान में नागरिकों के किन मूलभूत अधिकारों को स्वीकार किया गया है।
७. मूलभूत अधिकारों से आप क्या समझते हैं ? उनका वर्णन कीजिए, और यह बताइये कि आजकल के लोकतन्त्र राज्यों में उन्हें इतना महत्त्व क्यों दिया जाता है ? (राजपूताना, १९४३)
८. विचारों के प्रचार व प्रकट करने का अधिकार किस आधार पर अधिकृत है ? क्या उसके लिए कोई सीमाएँ होना आवश्यक हैं ? (राजपूताना, १९४६)
९. 'अधिकार और कर्तव्य का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है' स्पष्ट कीजिए।
१०. कर्तव्य के अभिप्राय को स्पष्ट करके यह बताइए कि मनुष्य के कर्तव्य के विविध क्षेत्र कौन-कौन से हैं ?

करे। उसका कर्तव्य तो केवल आज्ञापालन करना ही है। ईश्वर जो करता है, हम उसकी आज्ञा-लोचना नहीं करते। यदि कभी भूकम्प आ जाए, बाढ़ व तूफान आ जाए, और उसके कारण हजारों मनुष्यों का सहार हो जाए तो उसके लिए हम ईश्वर को दोष न देकर अपने कर्मों को दोष देते हैं। इसी तरह यदि राजा कभी क्रोध में आकर प्रजा पर अत्याचार करे, तो उसे दैवी विधान मानकर चुपचाप सहन कर लेना ही मनुष्य का कर्तव्य है।

दैवी सिद्धान्त बहुत पुराना है। प्राचीन रोमन साम्राज्य में राजा को देवता माना जाता था, और अन्य देवताओं के समान उनकी भी पूजा होती थी। एक पुराने भारतीय विचारक के अनुसार "यदि राजा बालक हो, तो भी बच्चा समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजा एक 'महती देवता' होता है, जो मनुष्य के आकार में रहता है।"

अब तक भी अनेक ऐसे राजा विद्यमान हैं, जिन्हें 'दैवी' या 'सोकोत्तर' माना जाता है। जापान में लोग राजा के प्रति विशेष भक्ति रखते हैं, और उसे सोकोत्तर मानते हैं। तिब्बत के लामा, नेपाल के राजा आदि की स्थिति भी साधारण मनुष्यों की तुलना बहुत ऊँची समझी जाती रही है।

दैवी सिद्धान्त की आज्ञा-लोचना—इस समय शायद ही कोई ऐसा विचारक हो, जो राजा को दैवी मानता हो या राज्य की उत्पत्ति का कारण 'ईश्वर की इच्छा' को स्वीकार करता हो। वर्तमान युग में जब राजाओं की सत्ता ही नष्ट हो गई है, और बहुसंख्यक राज्यों में लोकतन्त्र गणराज्य (Democratic Republics) कायम हो गये हैं, तो राजा को दैवी मानने का प्रश्न ही नहीं रह जाता। इस सिद्धान्त के विरोध में निम्नलिखित युक्तियाँ दी जाती हैं—

(१) इस सिद्धान्त के कारण स्वेच्छाचार और अत्याचार बढ़ता है। राजा के अनुचित कार्यों का विरोध कर सकना भी असम्भव हो जाता है, और मनुष्यों के हित व कल्याण के उद्देश्य से राज्य का संचालन कर सकना सम्भव नहीं रहता।

(२) विज्ञान के विकास के कारण आजकल तो सृष्टि की उत्पत्ति भी विकासवाद (Theory of Evolution) द्वारा मानी जाती है। अब यह सिद्धान्त पुराना पड़ गया है, कि मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सब ईश्वर ने बनाये थे। सृष्टि के शुरु में ईश्वर ने मनुष्य घोड़े, पक्षी आदि सबके एक-एक जोड़े बना दिये, और उन्हीं से अन्य सब उत्पन्न हुए, इस बात को आज के वैज्ञानिक स्वीकार नहीं करते। वे यह मानते हैं, कि मनुष्य आदि सब प्राणी विकास द्वारा अपने वर्तमान रूप में आये हैं। इस दशा में कोई वैज्ञानिक यह कैसे स्वीकार कर सकता है, कि राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया है।

(३) मनुष्यों की सस्थाओं में निरन्तर परिवर्तन होने रहते हैं, वे अपरि-

वर्तनीय नहीं होती। यदि देवी सिद्धान्त सही होता, तो आज भी मसार के सब राज्यों में ऐसे राजाओं का शासन होता, जिन्हें जनता देवी या ईश्वर का प्रतिनिधि मानती हो। लोकतन्त्र शासन का विकास ही इस बात का प्रमाण है, कि यह सिद्धान्त ठीक नहीं है।

सामाजिक संविदा का सिद्धान्त (Theory of Social Contract)—

इस सिद्धान्त के अनुसार एक ऐसा समय था, जब कि राज्यस्या का अभाव था। उस समय मनुष्य राज्य के बिना ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। इस काल को 'अराजक दशा' (State of Nature) कह सकते हैं। बाद में एक ऐसा समय आया, जब कि मनुष्यों ने राज्य की आवश्यकता अनुभव की, और उन्होंने आपस में मिलकर एक संविदा (इकरार या Contract) की, जिसके द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई। राज्य की उत्पत्ति का कारण यह इकरार, संविदा या सामाजिक समझौता ही है, जिसे मनुष्यों ने मोच-समझकर स्वेच्छापूर्वक आपस में किया था।

अराजक दशा में मनुष्यों की क्या हालत थी, इस सम्बन्ध में दो मत हैं—

(१) कुछ की सम्मति में यह एक आदर्श दशा थी, जब कि सब मनुष्य 'धर्म' द्वारा एक-दूसरे के साथ बरताव करते थे। उस समय न कोई राजा था, न प्रजा, न कोई दण्ड देने वाला था और न दण्डविधान ही था। सब मनुष्य आपस में एक दूसरे में बरतते हुए धर्म का पालन करते थे, और सब के साथ न्याय व औचित्य का बरताव करते थे।

(२) कुछ की सम्मति में अराजक दशा बहुत भयंकर थी। जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वैसे ही बलवान् लोग निर्बलों को निरन्तर सताने रहते थे।

अराजक दशा का स्वरूप चाहे क्या ही हो, पर बाद में एक ऐसा समय आया, जब कि लोगों को राज्यस्या की आवश्यकता अनुभव हुई, और उन्होंने आपस में समझौता करके राज्य की उत्पत्ति की। यह समझौता मनुष्यों ने किस ढंग से किया, और इस समझौते की क्या शर्तें थीं, इस विषय पर भी विविध विचारकों में मतभेद है। पर इस बात पर सब सहमत हैं, कि एक ऐसा समय आया, जब कि अराजक दशा का अन्त होकर संविदा द्वारा राज्य की उत्पत्ति की गई।

संसार के अनेक प्राचीन विचारकों ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। प्राचीन ग्रीस में विचारकों का एक सम्प्रदाय था, जिसे 'सोफिस्ट' कहते थे। वे मानते थे, कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक संविदा द्वारा ही हुई है। भारत में आचार्य चाणक्य के 'अर्थशास्त्र' में यह सिद्धान्त पाया जाता है। महाभारत में इसका विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया है।

आधुनिक समय में टामम हॉब्स (१५८८-१६७९), लॉक (१६३२-१७०४) और ह्यूगो (१७१२-१७७८) ने वैज्ञानिक ढंग से इस सिद्धान्त की व्याख्या की। इन तीनों विद्वानों ने किस ढंग से इस मन का प्रतिपादन किया, इस पर मक्षेप से प्रकाश डालना जरूरी है।

हॉब्स (Hobbs)—हॉब्स इंग्लैण्ड का रहने वाला था। उसके समय में इंग्लैण्ड की जनता ने अपने राजा जेम्स प्रथम के खिलाफ जो विद्रोह किया था, उसे उसने अपनी आंखों से देखा था। विद्रोह के कारण सारे देश में जो अराजकता पैदा हो गई थी, उसे देखकर हॉब्स ने अनुभव किया, कि यदि देश में शासन करने वाला राजा न रहे, तो उसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है।

हॉब्स ने कहा कि राज्यसंस्था की उत्पत्ति से पहले जो अराजक दशा (State of Nature) थी, वह बहुत भयंकर थी। मनुष्य स्वभाव से ही लोभी, स्वार्थी और झगडालू होता है। इसलिए जब कोई राजा नहीं था, तो लोग आपस में निरन्तर लड़ते-झगड़ते रहते थे। उस समय प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक अन्य मनुष्य का शत्रु था।

लोग इस दशा से तंग आ गये। उन्होंने अपनी रक्षा के उपायों पर विचार किया, और आपस में इकरार करके अराजक दशा का अन्त किया। पहले उन्होंने आपस में यह समझौता किया, कि सबकी सहमति से एक ऐसी शक्ति को उत्पन्न करें, जो सबको अपने वश में रखे, और जो सबको अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए विवश कर सके। यह समझौता करके फिर उन्होंने एक मनुष्य को अपनी सब शक्ति—अपने माल और जान की स्वयं रक्षा करने की शक्ति—सुपुर्द कर दी। उन्होंने यह निश्चय किया, कि अब से हम इन मनुष्य की सब आज्ञाओं का आज्ञा भीचकर पालन करेंगे और अपने सब अधिकार इसे दे देंगे। इस प्रकार राजा की उत्पत्ति हुई। जब सब मनुष्य आपस में समझौता करके राजा के साथ यह इकरार कर चुके हैं, कि अब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तब उसके विरुद्ध आवाज उठाने का उन्हें कोई अधिकार रह ही नहीं गया है। राजा जिस ढंग से चाहे प्रजा का शासन कर सकता है, और सबको उसकी आज्ञा में रहना ही चाहिए।

लॉक (Locke)—हॉब्स के समान लॉक भी इंग्लैण्ड का निवासी था। पर वह उस समय में हुआ, जब कि इंग्लैण्ड से स्टुअर्ट वंश के स्वच्छाचारी राजाओं के शासन का अन्त होकर वैव राजसत्ता (Constitutional Monarchy) की स्थापना हो चुकी थी। स्टुअर्ट वंश का अन्त करके जनता ने विलियम और मेरी को अपना राजा बनाया था, और उन्होंने पार्लियामेंट के इच्छानुसार देश का शासन करना स्वीकार कर लिया था।

लॉक के अनुसार अराजक दशा में मनुष्य शान्ति के साथ निवास करते थे। उस समय मनुष्य पूर्णतया स्वतन्त्र था, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिताता था,

और अपनी जान व मालकी रक्षा भी स्वयं करना था। उस समय न कोई राजा था, न कोई प्रजा; न कोई शासक था, और न कोई शासित। मनुष्यों में उचित-प्रनुचित, पुण्य-माय व धर्म-अधर्म के जो विचार स्वाभाविक रूप से होते हैं, उन्हीं के अनुसार सब लोग एक-दूसरे के साथ व्यवहार करने थे। मनुष्य स्वभाव से ही शान्ति पसंद करता है, और एक-दूसरे के साथ सहयोग से रहना चाहता है।

पर यह दशा देर तक नहीं रह सकी। इसके दो कारण हुए। उचित-प्रनुचित क्या है, इस प्रश्न पर लोगों में मतभेद होने लगे। ऐसे मतभेद होने पर यह आवश्यकता अनुभव होने लगी, कि इनका निर्गुण बनने वाला कोई निष्पादक अवश्य होना चाहिए जिसके फैसले को सब स्वीकार करें। दूसरा कारण यह था, कि अराजक दशा में कोई ऐसा न्यायालय नहीं था, जो अपराधियों को दण्ड दे सकता।

अराजक दशा का अन्त करने के लिए मनुष्यों ने दो इकरार किए—(१) एक आपस में, और (२) दूसरा शासकवर्ग के साथ। आपस में इकरार करके मनुष्यों ने यह तय किया, कि अब मैं सब लोग मिलकर ही उन कानूनों को बनायेंगे, जिन्हें सबको पालन करना है। अब से हम उचित-प्रनुचित के विचारों पर निर्भर न रहकर ममाज द्वारा बनाए गए नियमों व कानूनों का पालन किया करेंगे। आपस में यह इकरार करने के बाद मनुष्यों से एक व्यक्ति के साथ यह दूसरा इकरार किया, कि वह समाज द्वारा बनाये गए कानूनों का सबसे पालन कराया करेगा। यह इकरार करते हुए उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया, कि यदि यह व्यक्ति (राजा) अपने कर्तव्य का ठीक तरह में पालन नहीं करेगा, तो उसे अपने पद से हटाकर भी किया जा सकेगा। इस प्रकार यह बात स्पष्ट है, कि लोक के अनुसार (१) कानून बनाने का कार्य मनुष्यों के अपने हाथों में रहना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं। (२) यदि राजा अपने कर्तव्यों का पालन न करे, तो उसे पदच्युत करके किसी अन्य को राजा बनाने का अधिकार भी जनता को प्राप्त है।

रूसो (Rousseau)—रूसो फ्रांस का निवासी था। अठारहवीं सदी में फ्रांस में अनेक क्रांतिकारी विचारक हुए। रूसो उनमें प्रमुख था। १७६२ ई० में उसने 'सामाजिक संधि' (Social Contract) नाम की एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसमें उसने अपने सिद्धांत का बड़े विस्तार के साथ प्रतिपादन किया।

रूसो के अनुसार अराजक दशा में मनुष्य बहुत सरलता, सादगी और स्वतंत्रता के साथ रहते थे। न वे स्वार्थी, जगली व झगडालू थे, और न ही पूती तरह से न्यायी व धार्मिक। उस समय सभ्यता का विकास भली-भांति नहीं हुआ था। मनुष्यों की आवश्यकताएँ बहुत कम थीं। अपने निर्वाह की वस्तुओं को प्राप्त कर लेने में मनुष्यों को श्वास कठिनाई नहीं होती थी। इसलिए वस्तुओं के प्रति ममता का भाव लोगों में नहीं था, और वे वैयक्तिक सम्पत्ति (Private Property) को विशेष महत्त्व

नहीं देते थे। लोग आनन्द से मिल-जुलकर रहते थे। जिन कारणों से लोगों में ईर्ष्या, द्वेष व भगड़े पैदा होने हैं, वे उस समय में थे ही नहीं।

पर धीरे-धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी, और जनसंख्या के बढ़ने के कारण वस्तुओं की कमी अनुभव होने लगी। लोगों में यह प्रवृत्ति पैदा हुई, कि वे जमीन, पशु आदि को अपनी सम्पत्ति बनाकर रखने लगे। इस दशा में मनुष्यों के लिए आपस में मिल-जुलकर रह सकना मुगम नहीं रहा। वे आपस में लड़ने-भगड़ने लगे।

इस दशा का यह परिणाम हुआ, कि लोगों ने अपने को एक राज्यसंस्था में संगठित कर लेने की आवश्यकता अनुभव करनी शुरू की। उन्होंने विचार किया, कि कौन सा ऐसा तरीका है, जिससे कोई मनुष्य एक-दूसरे के साथ ज्यादाती न कर सके, और अपनी स्वतन्त्रता को कायम रखने हुए सब मनुष्य अपने जान-माल की रक्षा कर सकें। इसके लिए उन्होंने आपस में यह इकरार किया, कि प्रत्येक मनुष्य अपनी स्वतन्त्रता अधिकार व शक्ति को समाज के सुपुर्द कर दे। समाज मनुष्यों से ही बनता है, सब मनुष्य समाज के अंग होते हैं। मनुष्य अपनी जिस स्वतन्त्रता व शक्ति को समाज के सुपुर्द करता है उसे वह समाज का अंग होने के कारण फिर से प्राप्त कर लेता है। यह एक हाथ से अपनी स्वतन्त्रता समाज को प्रदान करता है, पर दूसरे हाथ से (समाज का अंग होने के कारण) उसे अपने पास वापस ले लेता है। इसलिए इकरार द्वारा मनुष्य ने अपने अधिकारों व शक्ति का परित्याग नहीं कर दिया, वह इकरार के बाद भी मनुष्य के ही पास रही। इस इकरार के कारण मनुष्यों के माल व जान की रक्षा की जिम्मेवारी अकेले-अकेले मनुष्य के पास न रहकर सारे समाज के सिर पर आ जाती है। अब यह सारे समाज का कर्तव्य हो गया है, कि वह सब मनुष्यों के अधिकारों व जान-माल की रक्षा करे।

इस प्रकार हमने ने सामाजिक सविदा के सिद्धान्त द्वारा लोकतन्त्र शासन का समर्थन किया। उसका कहना था, कि क्योंकि मनुष्यों ने इकरार द्वारा अपनी शक्ति समाज को ही प्रदान की है, अतः किसी एक राजा का शासन न होकर देश का शासन जनता की सामूहिक इच्छा (General will) द्वारा होना चाहिए।

संविदा सिद्धान्त की आलोचना—

इस सिद्धान्त की आलोचना निम्न प्रकार से की गई है—

(१) इतिहास में कोई ऐसा समय नहीं था, जबकि मनुष्य किसी प्रकार के समुदाय में संगठित न हो। समुदाय व समाज में रहना मनुष्य का स्वभाव है। अमीका और आस्ट्रेलिया में जो जंगली व असभ्य जातियाँ बसती हैं, वे भी समुदाय बनाकर रहती हैं, और किसी सरदार के आदेशों का पालन करती हैं। इस दशा में यह कल्पना करना कि कोई ऐसा समय था, जबकि मनुष्य पूरी तरह से स्वतन्त्र था, जबकि पूर्ण-

रूप से अराजक दशा थी, युक्तिसंगत नहीं है।

(२) मनुष्यो ने स्वयं अपनी इच्छा से इकरार करके राज्य की उत्पत्ति की है, यह स्वीकार कर लेने का यह परिणाम होगा कि यदि कोई मनुष्य चाहे तो वह राज्य-संस्था में शामिल होने से इन्कार भी कर सकता है। वह कह सकता है, कि मैं इस इकरार से सहमत नहीं हूँ, अतः मैं राज्य द्वारा बनाये गए कानूनों को मानने से इन्कार करता हूँ। पर यह बात सम्भव नहीं है, क्योंकि कोई मनुष्य राज्य-संस्था से पृथक् होकर नहीं रह सकता। बर्क ने ठीक लिखा था—“यह नहीं समझना चाहिए कि मिचिंगमसाले, काफी, तमाखू या इसी तरह की अन्य वस्तुओं के व्यापार के लिए इकरार द्वारा जो साम्भेदारियाँ की जाती हैं, राज्य भी उसी तरह की एक साम्भेदारी है, जिसे कि लोगो को इच्छा के अनुसार वर्खास्त किया जा सकता है।”

(३) राज्य-संस्था के अभाव में कोई भी इकरार मुमकिन नहीं हो सकता। किसी इकरार के लिए यह भी आवश्यक है, कि उमका पालन करानेवाली कोई शक्ति भी विद्यमान हो।

(४) इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य मनुष्यो द्वारा बनाई हुई एक कृत्रिम संस्था है। यह बात सही नहीं है, क्योंकि मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह समुदाय बनाकर रहे। इसी स्वभाव के कारण ही उसने शुरू से ही समुदाय बनाकर रहना शुरू किया, और धीरे-धीरे विकास द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई।

विकासवादी सिद्धान्त (Evolutionary Theory) —

राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो सिद्धान्त आजकल स्वीकृत किया जाता है, उसे ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धान्त कहते हैं। इसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति किसी निश्चित समय पर या किसी निश्चित योजना के अनुसार नहीं हुई है। राज्य ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका स्वभाव है, कि समुदाय बनाकर रहे। जैसे बोलना, विचार करना और वाणी द्वारा अपने विचारों को प्रकट करना मनुष्य की प्रकृति (Nature) है, वैसे ही समुदाय बनाकर रहना भी है। एक समय था, जब मनुष्य की भाषा भी बहुत अविकसित थी। संसार में अब भी ऐसे मनुष्य हैं, जिनकी भाषा का शब्द-कोष कुछ सौ शब्दों से अधिक नहीं है। भाषा का विकास धीरे-धीरे हुआ। ठीक यही बात राज्य के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है।

प्रारम्भ के मनुष्य भी समुदाय बनाकर रहा करते थे। अफ्रीका व आस्ट्रेलिया के जंगलो में जो असभ्य लोग आजकल बसते हैं, वे भी एक प्रकार के समुदाय (Pack या रेयड) बनाकर रहते हैं। समुदाय बनाकर रहने की इस प्रकृति का ही यह परिणाम हुआ, कि धीरे-धीरे मनुष्यो ने राज्य का विकास किया। पहले मनुष्य परिवार में

संगठित हुआ, फिर जन या वदीले (Tribe) में। जब यह वदीला किसी एक स्थान पर स्थिर रूप से बस गया, तो जनपद या राज्य का विकास हुआ। छोटे छोटे जनपदों से बड़े राज्य विकसित हुए। इस प्रकार राज्य मनुष्यों के सामुदायिक जीवन के विकास का ही परिणाम है।

राज्यसभ्या के विकास में सहायक तत्व (Factors in State Building)

राज्य सभ्या के विकास में जिन तत्वों ने सहायता दी, वे निम्नलिखित हैं—

(१) सजातता (Kinship)—जो लोग अपने-बो सजात समझते हों, उनमें परस्पर साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति होती है। इसी के कारण बड़े कुलों व जनों (वदीलों) का संगठन हुआ।

(२) धर्म की एकता—सजातता या खून की एकता के कारण जो साथ रहने की प्रवृत्ति पैदा हुई, उसे धर्म की एकता ने और अधिक दृढ़ किया। शुरू में वदीले आदि के रूप में मनुष्यों के जो समुदाय बने, वे एक देवी-देवताओं की ही पूजा किया करते थे।

(३) आर्थिक आवश्यकताएँ—धरणी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह जरूरी होता है, कि लोग परस्पर सहयोग से काम करें। जब मनुष्य शिकार द्वारा अपना निर्वाह करने थे, तब भी वे शिकार को बाँटते हुए किन्हीं नियमों का पालन किया करते थे। जगो-जगो वे पशुपानन, कृषि आदि कार्य करने लगे, उनके लिए इन नियमों का पालन और भी अधिक आवश्यक हो गया। इन नियमों के लिए किसी संगठन में संगठित हो जाना उनके लिए बहुत उपयोगी हो गया।

(४) युद्ध—मनुष्यों के विविध वदीलों में लड़ाई भी होती रहती थी। युद्ध के समय में वदीले किसी नेता की अधीनता में रहकर लड़ाई करना उपयोगी समझते थे। लड़ाई खत्म हो जाने पर भी इन नेता का महत्त्व कायम रहता था।

(५) राजनीतिक चेतना—मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। वह इस बात को भली भाँति समझता है, कि अपनी रक्षा व उन्नति के लिए संगठन बनाकर रहना बहुत उपयोगी है। इस ज्ञान ने, जिसे राजनीतिक चेतना कह सकते हैं, राज्य के विकास में बहुत सहायता पहुँचाई।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१ राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में मुख्य सिद्धान्त कौन से हैं। (पृ० पी० १९४०)

२ सामाजिक सभ्यता के सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं? उसकी घासोचना कीजिए। (पृ० पी० १९४६)

३ 'हमें राज्य की धीरे-धीरे विकास का परिणाम समझना चाहिए,' इस मत को स्पष्ट रूप से समझाइए । (यू० पी० १९४५)

४ 'राज्य विकास का परिणाम है, वह कृत्रिम नहीं है,' इस कथन की विवेचना कीजिए । (राजपूताना १९४१?)

५ राज्य की उत्पत्ति के विषय में हॉब्स, लॉक और रुसो के विचारों का निदर्शन, उनको तुलना और आलोचना कीजिए । (राजपूताना १९४८)

६. राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपदन कर उन बातों का निर्देश कीजिए, जिन्होंने राज्य के निर्माण में हाथ डटाया है ।

७ राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विविध मनो का उल्लेख कर यह बतनाइए कि आपकी सम्मति में कौन सा सिद्धांत स्वीकार्य है ।

TEXT BOOK



तेरहवाँ अध्याय राज्य का कार्यक्षेत्र (The Functions of the State)

राज्य के क्या-क्या कार्य होने चाहिए, यह प्रश्न बड़े महत्त्व का है। इस विषय में मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित हैं—

- (१) व्यक्तिवाद (Individualism),
- (२) समाजवाद (Socialism),
- (३) आदर्शवाद (Idealism)।

हम इन तीनों सिद्धान्तों पर क्रमशः संक्षेप से प्रकाश डालेंगे।

व्यक्तिवाद (Individualism)

व्यक्तिवादी विचारक यह मानते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई (Necessary evil) है। उसकी आवश्यकता अवश्य है, पर एक ऐसी बुराई के तौर पर, जिसका रहना अनिवार्य है। इस दृष्टि में राज्य का क्षेत्र कम से-कम होना चाहिए। देश में अमन-चैन कायम रखने और विदेशी हमलों से देश की रक्षा करने के लिए जो बातें आवश्यक हों, उन्हीं को राज्य का कार्यक्षेत्र समझना चाहिए। राज्य की आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि अभी मनुष्यों में बहुत से दोष हैं। वे सबके लाभ की अपेक्षा स्वार्थ की अधिक महत्त्व देते हैं। यदि सब मनुष्य स्वार्थ के मुकाबिले में सबके लाभ की अधिक महत्त्व देने लगे, तो राज्य की आवश्यकता ही न रहे। उस दशा में कोई आदमी अपराध ही क्यों करेगा? जब अपराध न रहेंगे, तो राज्य की जरूरत ही क्यों रहेगी।

इसलिए व्यक्तिवादियों का यह कहना है, कि राज्य का कार्य केवल यह होना चाहिए कि वह अमन-चैन बनाए रखे और शत्रुओं के हमलों से देश की रक्षा करे। आज कल के राज्यों की धोर से जो, रेलवे, मोटर, हवाई जहाज आदि चलाये जाते हैं, डाक तार, टेलीफोन, रेडियो आदि का संचालन किया जाता है, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोले जाते हैं, कारखाने आदि चलाए जाते हैं, और व्यापार व व्यवसाय में हस्तक्षेप किया जाता है—यह सब अनुचित है। ये काम राज्य के नहीं हैं। इन कामों को अपने हाथ में लेकर राज्य मनुष्यों की स्वतन्त्रता में टक्कावट डालता है।

उपर्युक्त और सत्य व्यक्तिवादी—व्यक्तिवादी विचारक दो प्रकार के हैं एक वे

जो अपने विचारों में बहुत उग्र हैं, दूसरे वे जो अपने विचारों में सयत, मध्यमार्गी या उग्र हैं।

उग्र व्यक्तिवाद का सबसे प्रबल समर्थक हबर्ट स्पेन्सर था। उसके अनुसार राज्य के कार्य केवल निम्नलिखित होने चाहिए—

- (१) बाहर के शत्रुओं से राज्य की रक्षा करना।
- (२) देश के अन्दर के शत्रुओं से मनुष्यों की रक्षा करना।
- (३) कानून के अनुसार किये गए इकरारों का पालन कराना।

जनता के हित व उन्नति के लिए जो अनेक प्रकार के कार्य राज्य की ओर से किए जाते हैं, उग्र व्यक्तिवादियों के मत में वे राज्य को नहीं करने चाहिए।

मरण या मध्यमार्गी विचारकों में जॉन स्टुअर्ट मिल सबसे प्रधान है। उसने मनुष्य के कार्यों को दो भागों में विभक्त किया है—

- (१) वे कार्य जिनका सम्बन्ध केवल अपने साथ होता है।
- (२) वे कार्य जिनका सम्बन्ध अपने निवा अन्त व्यक्तियों से भी होता है।

मिल का मत है, कि राज्य को पहले प्रकार के कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनके विषय में मनुष्यों को पूरी पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। पर दूसरे प्रकार के कामों में राज्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। मध्यमार्गी व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य के कार्य निम्नलिखित होने चाहिए—

- (१) बाहर के शत्रुओं से राज्य की रक्षा करना।
- (२) अन्दर के शत्रुओं से मनुष्यों की रक्षा करना, लूटमार को रोकना और उन लोगों का दमन करना, जो मनुष्यों की जान व माल को नुकसान पहुँचाते हों।

(३) प्रत्येक मनुष्य की अन्य सब मनुष्यों से रक्षा करना। कोई मनुष्य किसी अन्य मनुष्य के माल व जीवन को नुकसान न पहुँचा सके, इस बात की व्यवस्था करना।

(४) कानून के अनुसार किये गए इकरारों का पालन कराना और भूठे इकरारों से मनुष्यों की रक्षा करना।

- (५) अपाहिण असहाय व असमर्थ लोगों की रक्षा व सहायता करना।
- (६) महामारियों व अन्य विपत्तियों से मनुष्यों की रक्षा करना।

व्यक्तिवाद के मुख्य मन्त्र—व्यक्तिवाद के मुख्य मन्तव्य निम्नलिखित हैं—

(१) राज्य एक साधन (Means) मात्र है, अपने-आप में साध्य व उद्देश्य

(End) नहीं है। उसकी स्थापना केवल इसलिए हुई है, ताकि मनुष्यों को उससे लाभ पहुँच सके। इस कारण उसे इतना अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिए, कि उसके कारण मनुष्यों की स्वतन्त्रता में रुकावट पैदा होने लगे।

(२) राज्य एक आवश्यक बुराई (Necessary evil) है। वह आवश्यक होते

हुए भी एक बुराई जरूर है। अतः उसके कार्यक्षेत्र को कम-से-कम रखना चाहिए।

व्यक्तिवाद के पक्ष में युक्तियाँ—

(१) हम देखते हैं, कि प्रकृति में कुछ नियम काम कर रहे हैं। सूर्य नियम से उदय होता है और नियम से अस्त होता है। ऋतुएँ नियम से होती हैं। फसलों व फलों का पकना भी नियम से होता है। मनुष्य इन नियमों को जानकर इनसे लाभ उठा सकता है, पर इनके विरुद्ध जाने पर वह नुकसान ही उठाता है। इसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में भी कुछ प्राकृतिक नियम काम कर रहे हैं। वस्तुओं की कीमतें माँग और उपलब्धि के नियम (Law of Demand and Supply) से तय होती हैं। मजदूरों की उन्नति में जो भेद है, उसका कारण भी प्राकृतिक नियम ही हैं। मनुष्य का हित इसी में है, कि वह आर्थिक जीवन के इन नियमों का ज्ञान प्राप्त करे और इनका उल्लंघन न करे।

जब राज्य आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करता है, मजदूरों के कार्य करने का समय, उनकी मजदूरी की दर आदि को निर्धारित करने का प्रयत्न करता है, तो वह प्राकृतिक नियमों में हस्तक्षेप कर रहा होता है। इससे मनुष्यों का कभी हित नहीं हो सकता। अतः राज्य को चाहिए कि आर्थिक मामलों में 'छुला छोड़ दो, जैसा होता है होने दो' की नीति का अनुसरण करे, और उनमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करे।

(२) विज्ञान का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है, कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सभ्य होता रहता है। इस सभ्य में कमजोर नष्ट हो जाते हैं, और बलवान् जीवित रहते हैं। कमजोर वृक्ष स्वयं सूख जाते हैं। जंगल में केवल वे वृक्ष ही रहने पाते हैं, जिनमें जीवनशक्ति अधिक हो। इसी को सबसे सभ्य के बचे रहने' (Survival of the fittest) का सिद्धान्त कहा जाता है। मनुष्यों में भी यही सिद्धान्त काम करता है। हम देखते हैं कि कुछ मनुष्य बुद्धि, बल व योग्यता से शून्य होने हैं, और कुछ में ये गुण बहुतायत से होते हैं। यह स्वाभाविक है, कि बलवान् और बुद्धिमान् लोगों के सामने कमजोर और मूल लोग न टिक सकें। इस दशा में राज्य क्यों यह कोशिश करे कि अयोग्य और निर्बल लोग भी समाज में विद्यमान रहें, और उन्हें धन्य अनेक प्रकार से सहायता दे।

(३) प्रत्येक मनुष्य को अपने विकास के लिए पूरा पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। कोई मनुष्य अपना विकास तभी भली भाँति कर सकता है, जब राज्य उसके उचित कार्यों में कोई हस्तक्षेप न करे। मनुष्य जैसे चाहे शिक्षा पाए, जैसे चाहे रोजगार करे। सब मनुष्यों की योग्यता एक जैसी नहीं होती। राबकी रचि भी अलग-अलग होती है। इसलिए सबको अपनी योग्यता व रचि के अनुसार अपना

विक्रम करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।

व्यक्ति अपना विक्रम तभी कर सकते हैं, जब उनमें खुली प्रतिस्पर्धा (Open Competition) हो। खुली प्रतिस्पर्धा होने पर सब कोई अपनी उन्नति कर सकते हैं। राज्य जब अपने कानूनों द्वारा व्यवसाय व व्यापार में हस्तक्षेप करने लगता है, तो खुली प्रतिस्पर्धा का हो सकना मुमकिन नहीं रहता।

(४) राज्य को रेल, टांग, डाक आदि का सञ्चालन नहीं करना चाहिए, और न ही अपनी ओर से कोई क्लब-कारखाने ही खोलने चाहिए। जो लोग यह समझते हैं कि सरकार सब प्रकार के काम कर सकती है, वे भ्रम कर रहे हैं। हमारे शरीर में फेफड़े आमाशय का काम नहीं कर सकते, और पेट हाथ-पैर का काम नहीं कर सकता। इसी तरह ने सरकार भी व्यवसायों का सञ्चालन नहीं कर सकती। राज्य का मॉडर्न राजनीतिक दृष्टि से होना है, टमका नेतृत्व उन्ही लोगों के हाथों में रहता है, जो राजनीतिज्ञ हैं। यह जरूरी नहीं कि ये लोग व्यापार व्यवसाय आदि में भी कुशल हों। ये सब कार्य मनुष्यों के अन्य समुदायों के हाथों में रहने चाहिए।

व्यक्तिवाद की आलोचना—

(१) राज्य को एक आवश्यक बुराई मानना ठीक नहीं है। यदि मनुष्य पूरी तरह से मदाचारी हो जाए और कभी कोई अपराध न करे, तो भी मनुष्यों की सामूहिक उन्नति के लिए राज्य की आवश्यकता रहेगी ही। समुदाय बनाकर रहना मनुष्य का स्वभाव है, और वह परस्पर सहयोग द्वारा ही अपनी उन्नति करता है। अरिस्टो-टल ने ठोक कहा था—“राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई थी, पर उनकी सत्ता अधिक उत्तम जीवन के लिए रहनी है।”

(२) सम्पत्ता के विक्रम के साथ-साथ यह जरूरी होता जाता है, कि राज्य मनुष्यों के कार्यों में अधिक हस्तक्षेप करने लगे। यदि यह भी मान लिया जाए, कि मनुष्यों को उन बातों में पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए, जिनका सम्बन्ध केवल उनके अपने साथ हो, तो भी इस बात में इन्कार नहीं किया जा सकता, कि सम्पत्ता की उन्नति की वर्तमान दशा में ऐसे कार्य बहुत कम रह गए हैं, जिनका प्रभाव दूसरों पर न पड़े। एक आदमी अपने घर की गन्दगी साफ करके कूड़े को बाहर फेंक देता है। यह उसका अपना व्यक्तिगत कार्य है। पर यदि घर के बाहर गन्दगी का ढेर लगा हो, तो पड़ोस के लोगों को उसमें नुकसान पहुँच सकता है। इस दशा में सरकार को यह नियम बनाना होगा, कि कोई आदमी कूड़े को गली या सड़क में न फेंक सके। कारखानों की बात को लीजिए। एक मिल-मालिक ऐसे स्थान में मशीनें लगाता है, जिनसे धुआँ या बदबू बाहर नहीं निकलने पाती। वहाँ जो मजदूर काम करते हैं, उनके स्वास्थ्य को हानि पहुँचनी है। इस दशा में सरकार को यह कानून बनाना ही चाहिए, कि

कारखानों की इमारतों इस ढंग की हो, जिससे मजदूरों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके।

(३) यह विचार गलत है, कि राज्य-संस्था स्वतन्त्रता की विरोधी है। राज्य के कारण मनुष्यों की स्वतन्त्रता नष्ट नहीं होती, अपितु सबको यह भौका मिलता है कि वे शक्तिशाली लोगों के अनुचित दबाव से छुटकारा पाकर स्वतन्त्रता के माथ उन्नति कर सकें।

(४) सरकार व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा आदि के कार्य भली भाँति नहीं कर सकती, इस बात को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। सरकार का असली कार्य वे स्थिर कर्मचारी ही करते हैं, जो अपने-अपने काम में निपुण होते हैं। जिस प्रकार कारखानों के मालिक इन्जीनियर, कैमिस्ट आदि विशेषज्ञों (Experts) को वेतन देकर उनसे काम कराते हैं, वैसे ही सरकार भी कर सकती है।

(५) 'जिसकी लाठी, उसकी भैंस' 'सबसे समर्थ के बचे रहने' (Survival of the fittest) के सिद्धान्त जगली दशा या पार्श्विक जीवन के सिद्धान्त हैं। मनुष्य एक बुद्धिमान् व विवेकशील प्राणी है। वह यह कभी नहीं चाहता, कि निर्बल लोग नष्ट हो जाएँ। वह समाज में इस ढंग में रहना चाहता है, कि सब साथ रहे और सब मिलकर अपनी उन्नति करे। यदि मनुष्यों के लिए भी 'जिसकी लाठी, उसकी भैंस' के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया जाय, तो केवल वे ही लोग बच पाएँगे, जो बहुत बलवान् हों या जो उचित-अनुचित सब प्रकार के उपायों का प्रयोग कर दूसरों का शोषण करने में समर्थ हों।

इन्हीं कारणों से आज के सम्य उन्नत राज्यों में व्यक्तिवाद का पूर्ण रूप से अनुसरण नहीं किया जाता। वर्तमान समय के राज्य अपना कर्तव्य केवल यही नहीं समझते कि देश में अमन-चैन कायम रखें और विदेशी हमलों से राज्य की रक्षा करें। वे ऐसे अनेक कार्य भी करते हैं, जिनसे मनुष्यों का हित व कल्याण हो।

समाजवाद (Socialism)—

समाजवाद एक विशाल विचारधारा है। इसके अन्तर्गत बहुत-से सम्प्रदाय हैं, जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं—(१) कम्युनिज्म, (२) राजकीय समाजवाद (State Socialism), (३) सिन्डिकलिज्म (Syndicalism) और, (४) गिल्ड सोशलिज्म (Guild Socialism)। इन सब पर अलग-अलग विचार करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। जिन बातों पर सब समाजवादी सम्प्रदाय एकमत हैं, वे निम्नलिखित हैं—

(१) व्यक्ति के मुकाबिले में समाज का अधिक महत्त्व है। अतः सबके हित के सम्मुख एक व्यक्ति के लाभ को तुच्छ समझना चाहिए। इसी बात को यों भी कहा जा सकता है, कि हमें केवल अपनी उन्नति से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए।

(२) पूँजीपति लोग अपने धन के कारण मजदूरों का शोषण करने में समर्थ हो जाने हैं, और उन्हें अपनी मेहनत का उचित पारिश्रमिक (उजरत) नहीं प्राप्त करने देते। इसलिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे या तो पूँजीवाद (Capitalism) का अन्त हो जाए, और या सरकारी कानूनों द्वारा पूँजीपतियों को इस बात के लिए विवश किया जाए कि वे मजदूरों का शोषण न कर सकें। इसके लिए जरूरी है, कि सम्पत्ति के उत्पादन (Production) और वितरण (Distribution) पर सरकार का नियन्त्रण हो।

(३) समाजवाद खुली प्रतिस्पर्धा (Open Competition) के बजाय सहयोग (Co-operation) पर विश्वास करता है। जब पूँजीपति लोग पूर्ण स्वतन्त्रता से आर्थिक उत्पादन करते हैं, तो वे प्रतिस्पर्धा के कारण विज्ञापनबाजी, माल की किस्म को हल्का कर देना आदि अनेक अनुचित उपायों को प्रयोग में लाते हैं। इस प्रतिस्पर्धा के स्थान पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे सब उत्पादक (Producers) आपस में सहयोग से काम करें।

(४) समाजवाद गरीब और अमीर के भेद व आर्थिक विषमता को दूर कर समानता की स्थापना का पक्षपाती है। इसके लिए समाजवादी यह चाहते हैं, कि सब लोगों को शिक्षा व योग्यता प्राप्त करने का समान अवसर मिले, और फिर सबको अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार कार्य मिले। यह ठीक है, कि 'पाँचों उँगलियाँ एक बराबर नहीं होतीं'। सब अनुप्य भी योग्यता में एक समान नहीं होते। इस कारण उनकी आमदनी में भी अन्तर रहेगा ही। पर यदि सबको योग्यता प्राप्त करने का समान अवसर मिले, सब अपनी योग्यता के अनुरूप काम पा सकें और कोई किसी का शोषण न कर सके, तो वह आर्थिक विषमता नहीं रह जायगी, जो आजकल दिखाई देती है।

समाजवादी व्यवस्था—समाजवादी लोग जिस ढंग की व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, उसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं—

(१) उत्पत्ति के सब साधनों पर राज्य का स्वामित्व व नियन्त्रण रहे। जमीन राज्य की सम्पत्ति हो, कल-कारखाने, खानें व अन्य बड़े व्यवसाय भी राज्य के अधिकार में रहे।

(२) मजदूरी की दर माँग और उपलब्धि के नियम (Law of Demand and Supply) द्वारा निर्दिष्ट न हो, अपितु मजदूरी की दर निर्दिष्ट करते हुए न्याय और औचित्य को ध्यान में रखा जाए।

(३) खुली प्रतिस्पर्धा न रहे। किसी व्यापार व व्यवसाय में केवल उतने ही लोग काम करें, जितने उसके लिए आवश्यक हो। सरकार यह निश्चय करे, कि कौन सा माल कितनी मात्रा में उत्पन्न किया जाए और किस कारखाने में किस ढंग का

माल तैयार हो। जनता की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर आर्थिक उत्पत्ति बीजाए, केवल मुनाफे के लिए नहीं।

(४) व्यक्तिगत मुनाफे के स्थान पर सार्वजनिक सेवा व सबकी आवश्यकता के सिद्धान्त को काम में लाया जाए।

समाजवाद के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र—जहाँ व्यक्तिवाद राज्य के कार्यक्षेत्र को कम-से-कम रखने का पक्षपाती है, वहाँ समाजवाद के अनुसार उसके कार्यक्षेत्र की कोई सीमा व भर्थादा नहीं होनी चाहिए। राज्य का कार्य केवल यही नहीं है, कि वह देश में अमन चैन कायम रखे और विदेशी शत्रुओं के हमलों से देश की रक्षा करे, उसका यह भी कर्तव्य है, कि मनुष्यों के हित, लाभ और कल्याण के लिए जो कोई भी काम उपयोगी या आवश्यक हो, उन सबको करे। यदि जमीन को व्यक्तियों की मलबियन में न रखना और उसे राज्य के स्वामित्व में ले आना सार्वजनिक लाभ की दृष्टि से उपयोगी समझा जाए, तो राज्य को ऐसा करने में ज़रा भी सकोच नहीं करना चाहिए। यही बात खानों, कल कारखानों और उत्पत्ति के अन्य साधनों के विषय में है। शिक्षा का प्रसार करना, स्वास्थ्य-रक्षा के लिए सफाई व चिकित्सा का प्रबन्ध करना आदि तो राज्य के काम होने ही चाहिए पर साथ ही जनता की भलाई व उन्नति के लिए आर्थिक जीवन को नियन्त्रित करना भी राज्य को अपना कर्तव्य समझना चाहिए।

आर्थिक मामलों के विषय में राज्य किस नीति का अनुसरण करे, इन प्रश्नों पर समाजवाद के सब सम्प्रदाय एकमत नहीं हैं। एक ओर जहाँ कम्युनिस्ट लोग आर्थिक उत्पत्ति के सब साधनों को राज्य के स्वामित्व में ले आना चाहते हैं, वहाँ अन्य समाजवादी इतने में ही सलुष्ट हैं, कि राज्य को ओर से ऐसे कानून बना दिये जाएँ, जिनके कारण पूँजीपति लोग मजदूरों का शोषण न कर सकें।

समाजवाद की आलोचना—

व्यक्तिवाद के पक्ष में जो युक्तियाँ पेश की जाती हैं, उन्हें समाजवाद के विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सकता है। समाजवाद के विरोध में मुख्य युक्तियाँ निम्नलिखित हैं—

(१) मनुष्य इसलिए मेहनत करता है, ताकि उसका फल भी उसे मिले। लोग जो पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, व्यापार के लिए दूर दूर तक भटकते फिरते हैं, नये आविष्कार करते हैं, और बल-कारखानों के लिए योजनाएँ बनाने हैं, उसका मूल कारण यही है कि वे अधिक धन प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। समाजवादी व्यवस्था में मनुष्यों को मेहनत करने और अपनी सुझ-बूझ से काम लेकर नये उद्योग प्रारम्भ करने की प्रेरणा नष्ट हो जाती है। उसमें बुद्धिमान्, परिश्रमी और योग्य मनुष्यों की स्थिति प्रायः वही रहती है, जो मूर्खों, घालसियों और

अयोग्य मनुष्यों की।

(२) समाजवादी लोग राज्य से इतने और इतने प्रकार के काम लेना चाहते हैं, जो उसकी शक्ति में नहीं होते। राज्य सर्वशक्तिमान् नहीं है, जो सब कामों को संभाल सके।

(३) राज्य द्वारा व्यापार, व्यवसाय, कृषि आदि के मंचालन का परिणाम यह होगा, कि राजकर्मचारी वर्ग (Bureaucracy) की शक्ति बहुत बढ़ जायगी। रिरवत, पञ्चायत आदि के जो शोध आज़कल भी सरकारी कर्मचारियों में पाये जाते हैं, वे आर्थिक क्षेत्र में भी उत्पन्न हो जायेंगे, और इसका परिणाम आर्थिक उत्पत्ति के लिए अच्छा नहीं होगा।

(४) समाजवाद मनुष्यों की मनोवृत्ति के अनुकूल नहीं है। मनुष्य का यह स्वभाव है, कि वह अपने व्यक्तिगत हित को अधिक महत्त्व दे। पर समाजवाद यह मानकर चलता है, कि मनुष्य व्यक्तिगत हित की अपेक्षा मार्बज्जितिक हित को अधिक महत्त्व देता है।

(५) समाजवादी व्यवस्था में मनुष्य की स्थिति बड़ी मशीन में एक छोटे-से पुर्जे के समान रह जायगी, उसकी स्वतन्त्रता नष्ट हो जायगी, और वह प्रत्येक बात में दूसरों पर निर्भर हो जाएगा।

समाजवाद का भविष्य—

वर्तमान समय में समाजवाद की शक्ति निरन्तर बढ़ रही है। रूस, चीन, कोलंबिया, चेकोस्लोवाकिया आदि कितने ही देशों में कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित हो चुकी है। कम्युनिज्म समाजवाद का सबसे उग्र रूप है। इंग्लैंड का मजदूर दल भी समाजवाद में विश्वास रखता है। वहाँ उसकी शक्ति निरन्तर बढ़ रही है। फ्रान्स, इटली आदि अन्य कितने ही देशों में अनेक राजनीतिक दल समाजवाद के विविध सम्प्रदायों के अनुयायी हैं। भारत में जहाँ कम्युनिस्ट और प्रजा सोशलिस्ट पार्टियाँ संगठित हैं, वहाँ कांग्रेस ने भी 'समाजवादी व्यवस्था' को वायम करना अपना आदर्श बनाया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि संसार में समाजवाद का प्रचार निरन्तर बढ़ रहा है। समाजवाद की किसी न किसी रूप में अपनाना अब प्रायः सभी देशों के लिए आवश्यक हो गया है। इसके कारण निम्नलिखित हैं—

(१) उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक व्यक्तिवाद बहुत प्रचल था। उन्नेके कारण पूर्वीपति लोग मजदूरों का मतमाने ठीके से गोपण कर सकत थे। वे मानव श्रम को भी एक 'वस्तु' (Commodity) समझत थे, जिसकी कीमत 'माँग और उपलब्धि' के नियम द्वारा निश्चित होनी थी। इससे मजदूरों के प्रति घोर अन्याय होता था। यदि धनी व शक्तिशाली लोगों से साधनहीन व निर्धन मजदूरों की रक्षा न की जाए,

तो उनकी स्थिति दासों से अच्छी नहीं रह जायगी। यदि राज्य मनुष्यों का एक ऐसा समुदाय है, जिसका प्रयोजन व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना है, तो आर्थिक क्षेत्र में भी उसका यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह पूंजीपतियों के शोषण से मजदूर-वर्ग की रक्षा करे।

(२) आधुनिक युग में ज्ञान-विज्ञान का जिस ढंग से विकास हुआ है, उसके कारण बहुत-से ऐसे यन्त्रों का आविष्कार हो गया है, जो बहुत अधिक उत्पात्ति करते हैं। उत्पात्ति के इन साधनों पर यदि कुछ व्यक्तियों का स्वामित्व रहे, और वे अपनी इच्छा के अनुसार अपने स्वार्थ के लिए इनका उपयोग कर सकें, तो मानव समाज का कभी कल्याण नहीं हो सकता।

(३) शिक्षा के प्रसार के कारण अब गरीब लोग अपनी गरीबी को न ईश्वर की इच्छा मानकर सन्तोष करते हैं, और न अपने कर्मों का फल समझकर। अब वे इसके लिए समाज के दूषित सगठन को ज़िम्मेवार मानते हैं। वे सोच समझकर समाज के सगठन में ऐसे परिवर्तन करना चाहते हैं, जिनसे आर्थिक विषमता दूर हो सके।

(४) समाजवाद पर जो आक्षेप किये जाते हैं, उनका उत्तर भी इस विचार-धारा के अनुयायियों द्वारा दिया जाता है। उनका कहना है, कि समाजवाद में यह जरूरी नहीं है, कि सबकी आमदनी एक समान हो। मनुष्यों की योग्यता के अनुसार आमदनी में भेद रहने से कोई हानि नहीं। पर सबको योग्यता प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिए, और प्रत्येक मनुष्य को अपनी योग्यता के अनुरूप काम करने व आमदनी प्राप्त करने का भी मौका मिलना चाहिए। समाजवादी यही चाहते हैं, कि आमदनी में भेद का आधार योग्यता का भेद हो, किसी को दूसरों का शोषण करने का अवसर न मिले, और कोई अनुपाजित आमदनी (*Unearned income*) न प्राप्त कर सके। भूमि, खान, मशीनरी आदि पर व्यक्तियों का स्वामित्व होने के कारण ये व्यक्ति ऐसी आमदनी प्राप्त करने में सपर्य हो जाते हैं, जो इन द्वारा उपाजित नहीं की जाती। समाजवाद भ्रम को ही आमदनी का प्रधान आधार मानता है। यह सही है, कि राज्य सर्वशक्तिमान् नहीं है। पर समाजवाद के अनुसार राज्य को जो काम करने हैं, वे सब मनुष्यों को ही करने हैं। जो मनुष्य जिस कार्य के योग्य होगा, राज्य द्वारा उसे उसी कार्य को करने के लिये नियत किया जायगा। भेद केवल इतना होगा, कि राज्य द्वारा आर्थिक जीवन का संचालन होने पर कोई किसी का शोषण नहीं कर सकेगा। समाजवाद मनुष्यों की मनोवृत्ति के प्रतिरूप नहीं है, क्योंकि उससे जहाँ मनुष्यों के सार्वजनिक हितों का साधन होता है, वहाँ व्यक्तिगत हितों को भी कोई हानि नहीं पहुँचती। उसमें भी योग्य व्यक्तियों को ऊँचे पद पाने और अधिक वेतन पाने का अवसर मिलता है।

राज्य के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में आदर्शवादी सिद्धान्त (Idealistic Theory of State Functions)—

राज्य का कार्यक्षेत्र क्या हो, इस सम्बन्ध में एक अन्य सिद्धान्त भी है, जिसे आदर्शवाद (Idealism) कहते हैं। इसके प्रतिपादकों में टी० एच० ग्रीन का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उनका मत है, कि राज्य का कार्य यह है कि वह उत्तम जीवन के मार्ग की बाधाओं को दूर करे (To hinder the hindrances of good life)। राज्य से मनुष्य यह आशा करना है, कि वह स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी उन्नति कर सके और अपने हित व कल्याण का साधन कर सके। पर ऐसा करने हुए उसके मार्ग में अनेक बाधाएँ आती हैं। ये बाधाएँ शिक्षा का अभाव, गरीबी, नशे की आदत आदि हैं। यदि कोई आदर्शी शिक्षित न हो, तो वह न अगन लान हानि को भली भाँति समझ सकता है, और न अपनी उन्नति ही कर सकता है। राज्य शिक्षा का प्रसार कर मनुष्यों के उन्नति व मार्ग की इस बाधा को दूर कर सकता है। गरीबी भी मनुष्य की उन्नति में बहुत बड़ी बाधा है। गरीब मनुष्य न उन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जो राज्य न उसे प्रदान किम्बे है, और न सम्मानपूर्वक अपना जीवन ही बिता सकता है। वह अपना वोट तक किसी धनी व प्रभावशाली व्यक्ति के प्रभाव में आकर उमके कहने के अनुमति दे देता है। गरीबी मनुष्य को दीन व असहाय बना देती है। गरीब मनुष्य की सारी शक्ति अपने पेट की ज्वाला को शान्त करने में ही लग जाती है। कला संगीत, साहित्य आदि की तरफ उसका ध्यान जा ही नहीं सकता। राज्य ऐसी व्यवस्था कर सकता है, जिसमें गरीबी दूर हो और सब मनुष्य इतनी आमदनी अवश्य प्राप्त कर सकें, जो उनकी शून्यतम आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त हो।

इसी प्रकार राज्य यह यत्न कर सकता है, कि शराबखोरी, बालविवाह, परदा आदि की कुतियों को दूर किया जाए। ये सब प्रथाएँ मनुष्य की उन्नति व योगक्षेम में बाधक होती हैं। इन इनको दूर कर उन्नति के मार्ग को निष्कण्टक बनाना राज्य का कर्तव्य है।

आदर्शवाद व्यक्तिवाद और समाजवाद के बीच का मार्ग है। वह राज्य को आवश्यक बुराई (Necessary evil) न मानकर उसे एक प्राकृतिक व नैतिक सत्ता मानता है। राज्य के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में उसके मुख्य मन्तव्य निम्नलिखित हैं—

(१) मनुष्य की उन्नति के मार्ग में जो बाधाएँ उपस्थित हों, उन्हें दूर करना राज्य का प्रधान कार्य है। कौन-सा कार्य राज्य को करना है और कौन सा नहीं, इसका निर्णय करने के लिए यही सबसे उत्तम कसौटी है।

(२) देश में अमन चैन कायम रखना और विदेशी हमलों से देश की रक्षा करना तो राज्य के कार्य हैं ही, क्योंकि ऐसा न करने में मनुष्य कभी अपनी उन्नति नहीं कर सकेंगे। पर साथ ही राज्य को वे सब कार्य भी करने चाहिए, जिनके कारण

मनुष्यों की उन्नति का मार्ग निष्कण्टक बनता हो ।

(३) राज्य को आर्थिक जीवन का स्वयं मचालान नहीं करना चाहिए । पर वह मजदूरों की भलाई के लिए कानून बना सकता है । यदि पूंजीपति लोग मजदूरों का मनमाने तरीके से शोषण कर सकें, तो इससे मजदूरों की उन्नति में बाधा उपस्थित होती है । अतः राज्य फैक्टरी कानून बनाकर पूंजीपतियों को इस बात के लिए विवश कर सकता है, कि वे मजदूरों का शोषण न करें और उनके प्रति न्याय व औचित्य का बरताव करें ।

आदर्शवाद की आलोचना—आदर्शवाद की आलोचना इस आधार पर की जाती है, कि राज्य के लिए केवल यही पर्याप्त नहीं है, कि वह मनुष्यों की उन्नति के मार्ग में जो बाधाएँ आती हैं, उन्हें दूर करे । राज्य को वे सब कार्य भी करने चाहिए, जिनमें जनता का हित व कल्याण होना हो । राज्य मनुष्यों का सबसे उत्कृष्ट समुदाय है । उसका सगठन मनुष्यों ने अपने लाभ के लिए व उत्कृष्ट जीवन बिताने के लिए किया है । जो कार्य भी मनुष्यों के लाभ, हित व उत्थरण में सहायक हो, उन सबकी व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य है । बाजारों को दूर करना एक नकारात्मक (Negative) कार्य है । राज्य को जहाँ बाधाओं को दूर करना चाहिए, वहाँ साथ ही ऐसे सब कार्य भी करने चाहिए, जो मनुष्य के कल्याण व उन्नति में सहायक हो ।

राज्य के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में आधुनिक सिद्धान्त (The Modern Theory of the Functions of the State)

राज्य के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में जो सबसे अधिक आधुनिक सिद्धान्त है, उसे संक्षेप से इस प्रकार लिख सकते हैं—

(१) राज्य के कार्य दो प्रकार के हैं, अनिवार्य और ऐच्छिक ।

(२) अनिवार्य कार्य ये हैं—(क) देश में शान्ति और व्यवस्था कायम रखना (ख) बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करना, और (ग) न्याय व्यवस्था अर्थात् मनुष्यों के आपसी झगड़ों और राज्य व व्यक्तियों के विवादों को निबटाना ।

(३) ऐच्छिक कार्य वे हैं, जिन्हें किये बिना राज्य की सत्ता कायम रह सकती है, पर जिन्हें करना मनुष्यों के कल्याण और उन्नति के लिए उपयोगी है । ये कार्य राज्य के नागरिकों को सुखी, समृद्ध व उन्नत बनाने में सहायक होते हैं । इसी कारण आजकल के प्रायः सभी राज्य इन्हें करते हैं । ये कार्य हैं, शिक्षा, आर्थिक उन्नति का प्रयत्न, सार्वजनिक हित के कार्यों का सम्पादन, सामाजिक सुधार, सफाई और स्वास्थ्य-रक्षा, निर्धन तथा अपाहिणों की रक्षा, मुद्रा पद्धति का संचालन, यातायात व संचार के माधनों की व्यवस्था और इसी प्रकार के अन्य कार्य ।

(४) राज्य को यह यत्न करना चाहिए, कि उसके द्वारा जनता के कल्याण व

हितो का सम्पादन हो, और वह सच्चे प्रर्थों में लोकहितकारी बन सके।

हम इस सिद्धान्त पर अगले अध्याय में विस्तार से प्रकाश डालेंगे।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१ उन कार्यों का उल्लेख कीजिये, जो राजकरण के राज्यो द्वारा किये जाने हैं। आपके विचार में उनमें से कौन से कार्य प्रधान हैं और क्यों ? (पू० पी० १९४१)

२ राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में व्यक्तिवादी सिद्धान्त का वर्णन कीजिये और उसकी प्रालोचना कीजिये। (पू० पी० १९४१ १९४२,)

३ राज्य के मुख्य कार्यों का वर्णन व विवेचना कीजिये। (पू० पी० १९४३)

४ राज्य को निर्धनो की चिन्ता क्यों करनी चाहिये ? क्या यह व्यापपूर्ण है कि एक मनुष्य के बच्चों की शिक्षा में सहायता देने के लिये दूसरे मनुष्य पर कर लगाया जाय ? (पू० पू० १९४५)

५ राज्य के अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों का वर्णन कीजिये। (पू० पी० १९४७)

६ जो सरकार सबसे कम शासन करती है, वही सबसे उत्तम है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? अपने उत्तर के लिये कारण बताइये। (पू० पी० १९४८)

७ आपकी सम्मति में राज्य का समुचित कार्यक्षेत्र क्या है ? (पू० पी० १९४०)

८ राज्य शिक्षा क्यों दे और जनता की स्वास्थ्य की रक्षा व उन्नति क्यों करे ? क्या आपकी सम्मति में राज्य को विज्ञान ललित कला माहिम्न आदि को प्रोत्साहन देना चाहिये ? (पू० पी० १९५०)

९ उन सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए जिनके आधार पर राज्य के कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया जाना चाहिये। क्या राज्य मनुष्यों को ईमानदार शिक्षित व मदिरा का सेवन न करने वाला बना सकता है ? (पू० पी० १९५१)

१० समाजवाद में आप क्या समझते हैं ? आधुनिक राज्यों के कार्य क्षेत्र को समाजवाद के सिद्धान्त में कहाँ तक प्रभावित किया है ? (पू० पी० १९५३)

११ राज्य के कार्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में आधुनिक सिद्धान्त क्या हैं ?

१२ राज्य के कार्य-क्षेत्र के विषय में व्यक्तिवादी और समाजवादी सिद्धान्तों में क्या अंतर है ? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की सहायता करना और उन्हें पुनर्वास की सुविधा देना राज्य का कर्तव्य है ? क्यों ? (राजपूताना १९५६)

१३ 'राज्य का उद्देश्य अधिकतम मनुष्यों को अधिकतम सुविधाएँ देना है।' बताइये कि उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये राज्य को क्या-क्या कार्य करने चाहियें।

कीमत पर बेच देने के लिये विवश कर सकते हैं। इस दशा में राज्य का यह कर्तव्य भी हो जाता है, कि वह ऐसे कानून बनाए, जिनके कारण धनी लोग गरीबों का शोषण न कर सकें।

इसी दृष्टि से आधुनिक समय में राज्य के कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में विचारकों की यह धारणा नहीं रह गई है, कि राज्य को केवल 'पुलिम स्टेट' ही रहना चाहिये और उसका एक-मात्र कार्य बाहरी व अन्दरूनी शत्रुओं से देश की रक्षा करना ही होना चाहिये। अब यह माना जाता है, कि राज्य को 'लोकहितकारी' बनना चाहिये और वे सब कार्य राज्य के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत हैं, जिनमें जनता का हित व कल्याण होता है। ये कार्य निम्नलिखित हैं—

(१) शिक्षा का प्रसार—मनुष्यों की उन्नति के लिये यह आवश्यक है, कि वे शिक्षित हों। शिक्षा के बिना मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। अतः शिक्षा के प्रसार के लिये राज्य को विशेष रूप से यत्न करना चाहिये। इसी कारण बहुत-से राज्यों में प्रारम्भिक शिक्षा का संचालन राज्य की ओर से होता है और यह प्रबन्ध किया जाता है कि बालकों और बालिकाओं को निःशुल्क व बाध्य (Compulsory) शिक्षा दी जाए। शिक्षणालय खोलकर और पुस्तकालय, वाचनालय, म्यूजियम आदि की स्थापना कर राज्य जनता में शिक्षा के प्रचार का यत्न करता है।

(२) सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा—जनता को रोग व महामारियों से बचाने के लिए राज्य की ओर से अनेक प्रबन्ध किये जाते हैं। रोगों की रोक याम के लिए राज्य नगरो और ग्रामों में सफाई का इन्तजाम करता है, और छून की बीमारियों का टीका लगवाता है। इसी कारण राज्य की ओर से यह प्रबन्ध भी किया जाता है, कि बाजार में शुद्ध भोज्य पदार्थ ही विक्रय के, और स्वच्छ पानी पीने की मिले। बीमारी का इलाज करने के लिए राज्य की ओर से चिकित्सालय खोले जाते हैं, जहाँ निःशुल्क रूप से या उचित मूल्य पर चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है।

(३) व्यापार का नियन्त्रण—व्यापार को नियन्त्रित करने के लिए राज्य जहाँ मुद्रा पद्धति (Currency) का संचालन करता है, वहाँ साथ ही यह भी व्यवस्था करता है, कि व्यापारी लोग नाप तोल के लिए सच्चे व सही परिमाणों का ही उपयोग करें। राज्य इस बात पर भी ध्यान देता है, कि व्यापारी लोग माल में मिलावट न करें और वस्तुओं को उचित मूल्य पर ही बेच सकें। युद्ध, अकाल आदि असाधारण अवसरों पर राज्य की ओर से वस्तुओं की कीमतें निर्दिष्ट कर दी जाती हैं, और कोई मनुष्य कितना माल खरीद सके, यह भी तय कर दिया जाता है।

(४) कल कारखानों का नियन्त्रण—मजदूरों की दशा को उन्नत करने के लिए राज्य की ओर से अनेक प्रकार के कानून बनाए जाते हैं। मजदूर अधिक-से-अधिक कितने घण्टे काम कर सकें उन्हें कम से-कम कितना वेतन दिया जाए, वार-

सानो की इमारतें हवादार व स्वच्छ हो, यदि काम करते हुए कोई मजदूर चोट खा जाए तो उसके इलाज का उचित प्रबंध हो, रोग व बुढ़ापे के कारण जब मजदूर काम करने लायक न रहे, तो उसके गुजारे का सुनिश्चित इंतजाम हो, उसके बच्चे शिक्षा पा सकें—इस प्रकार की कितनी ही बातों के सम्बन्ध में राज्य की ओर से कानून बनाए जाने हैं। इन सब बातों का यही प्रयोजन होता है, कि पूर्व पति लोग मजदूरों का शोषण न करन पाएँ।

(५) कृषि की उन्नति—खेती की उन्नति के लिए राज्य विचारों का प्रबन्ध करता है, नहर व टुएँ बनवाना है, और साथ ही यह यत्न भी करता है कि किसानों को अच्छे बीज व खाद मिल सकें। बिखरे हुए खेतों को एकत्र करना, जमींदारों के मुकाबिले में किसानों के हितों की रक्षा करना या जमींदार प्रथा का नाश कर किसानों को जमीन का स्वामी बना देना आदि कार्य भी इसी प्रयोजन से किए जाते हैं ताकि खेती की उन्नति हो और किसानों का जीवन सुखी व सम्पन्न बन सके। इसी उद्देश्य से राज्य यह प्रयत्न करता है, कि किसानों की सहकारी समितियों (Co-operative Societies) में संगठित किया जाए, ताकि जहाँ व थड़िया बीज व खाद प्राप्त कर सकें, वहाँ अपनी फसल को भी उचित कीमत पर बन सके।

(६) व्यवसायों की उन्नति—कोई देश केवल खेती व पशु पालन पर निर्भर रहकर समृद्ध व सम्पन्न नहीं हो सकता। आर्थिक उन्नति के लिए व्यवसायों (Industries) का उन्नत होना बहुत जरूरी है। दुनर देशों का प्रतिस्पर्धा (Competition) में अपने देश के व्यवसायों की रक्षा करने के लिए राज्य विदेशी माल के आयात पर आयात-कर (Import duty) लगाना है, और स्वदेशी कल कारखानों को अन्य अनेक प्रकार से सहायता पहुँचाता है। जो व्यवसाय राष्ट्रीय दृष्टि में बहुत महत्व के हों, जिन पर देश की रक्षा व उन्नति निर्भर हो, उनका संचालन राज्य अपनी ओर ले करता है। रेलवे के इंजनों और अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण लोहे व इस्पात के कारखाने आदि जिनके ही ऐसे व्यवसाय हैं, जो राष्ट्रीय महत्त्व के हैं। बहुत से देशों में आत्रकल मह प्रवृत्ति है कि इनका संचालन राज्य की ओर से ही किया जाये।

(७) यातायात—नौगों के आने-जाने और सामान को ले जा सकने की सुविधा के लिए राज्य की ओर से रेलवे और सड़क बनवाई जाती हैं, और जलमार्गों की व्यवस्था की जाती है। मोटर बस सर्विमें और हवाई सर्विमें भी अनेक देशों में सरकार की अधीनता में हैं, क्योंकि इनका मनुष्यों की भलाई व लाभ के साथ गहरा सम्बन्ध है।

(८) संचार—(Communications) डाक, तार, टेलीफोन, रेडियो आदि ऐसे साधन हैं, जिनके द्वारा मनुष्य अपने संदेश व सूचना अथवा पहुँचाते हैं। इन सबका संचालन भी राज्य की अधीनता में ही होना चाहिए।

(९) समाज सुधार—राज्य यह यत्न भी करता है कि समाज में जो अनेक प्रकार की बुराईयाँ हैं, उनको दूर करे। इसीलिए वह बालविवाह के विरुद्ध कानून बनाता है, मद्य-मेवन को रोकने का प्रयत्न करता है और किसी वर्ग को अछूत मानने आदि को भी कानून के विरुद्ध ठहराता है।

(१०) कला और विनोद—मनुष्य के जीवन में कला और विनोद का बहुत महत्त्व है। मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करके ही सन्तुष्ट नहीं होता, वह यह भी चाहता है, कि उसके जीवन में कला और सौन्दर्य का भी स्थान हो। इसीलिए राज्य कला और सभ्यता के विविध अंगों को प्रोत्साहन देता है, और जनता के विनोद के लिए अनेक व्यवस्थाएँ करता है।

(१०) असहाय और अपाहिज लोगों की सहायता—अनेक मनुष्य ऐसे होते हैं, जो रोगी, अपाहिज व असहाय होने के कारण स्वयं अपनी अजीबिका नहीं बना सकते। इन्हें भीख माँगने के लिए विवश होना पड़ता है। राज्य इनके लिए दरिद्र गृहों (Poor houses) की व्यवस्था करता है, जहाँ रहकर ये अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, और अपनी शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार काम भी करते हैं।

लोकहितकारी राज्य के जिन कार्यों का हमने ऊपर उल्लेख किया है, उनके अनिश्चित अन्य भी अनेक कार्य ऐसे हैं, जिन्हें आजकल के राज्य करते हैं। वस्तुतः, आधुनिक युग में राज्य का कार्यक्षेत्र निरन्तर बढ़ रहा है। सभ्यता के विकास के साथ-साथ मनुष्य का जीवन अब निरन्तर अधिक अधिक जटिल होता जाता है। आजकल की परिस्थितियों में कोई भी मनुष्य केवल अपने ही प्रयास से अपने हितों का सम्पादन नहीं कर सकता। अपने जीवन को सुखी व सम्पन्न बनाने के लिए उसे अन्य मनुष्यों के सहयोग की आवश्यकता होती है। क्योंकि राज्य मनुष्यों का सबसे उत्कृष्ट समुदाय है, अतः उसका यह कर्तव्य हो जाता है, कि वह मनुष्यों के हित व कल्याण के लिए कार्य करे। राज्य को मनुष्यों के कल्याण के लिए जो जो कार्य करने चाहिएँ, उनकी सूची तैयार कर सकता सम्भव नहीं है, क्योंकि समय के साथ-साथ इन कार्यों में लगातार वृद्धि होती जा रही है।


एक समय था, जबकि राज्य आर्थिक जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। उस समय कारीगर लोग अपने घर पर रहने हुए विविध प्रकार की वस्तुओं को तैयार किया करते थे। पर विज्ञान की उत्थिति के कारण जब बड़े-बड़े कारखाने खुलने लगे, और हजारों मजदूर एक छल के नीचे एकत्र होकर काम करने लगे, तो राज्य के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह ऐसे कानून बनाए, जो मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले हों। अब जबकि विज्ञान ने और अधिक उन्नति कर ली है, यह अनुभव किया जाने लगा है कि बड़े आधारभूत व्यवसायों (Basic industries) का संचालन राज्य के हाथों में ही रहना चाहिए। यदि ये आधारभूत व्यवसाय कतिपय पूँजी-

पतियों के हाथों में रहेंगे, तो इनका उपयोग आर्थिक हित के लिये कदापि नहीं किया जा सकेगा। साथ ही, अन्य व्यवसायों पर भी राज्य का इस ढंग का नियन्त्रण होना चाहिए, जिससे मजदूरों को अपने श्रम का उचित पारिश्रमिक मिल सके, और पूँजीपति उनका शोषण न कर सकें।

आजकल के विचारक इस बात को स्वीकार करते हैं, कि राज्य को 'लोकहितकारी' बनने का आदर्श अपने सामने रखना चाहिए और, वे सब कार्य उसे करने चाहिएँ, जो जनता के हित, कल्याण और समृद्धि में सहायक हों।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१. लोकहितकारी राज्य का अर्थ क्या अभिप्राय समझते हैं ?
२. राज्य के अनिवार्य (Essential) और लोकहितकारी कार्यों में क्या भेद है ? राज्य के किन कार्यों को आप लोकहितकारी कहेंगे ?
३. क्या यह सत्य है कि आजकल के राज्यों में अनिवार्य और लोकहितकारी कार्यों में भेद कर सकना कठिन है ? क्यों ?



अन्य देशों में बहुत से छोटे-छोटे राज्य हुआ करते थे, जिन्हें नगर-राज्य (City State) कहते थे। कुछ राज्य ऐसे थे, जिनमें एक राजा का शासन था। कहीं कतिपय कुलीन श्रेणियाँ शासन करती थीं, और कुछ राज्य ऐसे भी थे, जिनमें सब नागरिक लोग सभाओं में एकत्र होकर अपने शासकों का स्वयं चुनाव किया करते थे। पर आजकल के राज्यों व सरकारों का अरिस्टोटल के ढंग से वर्गीकरण कर सकना सम्भव नहीं है।

इसलिए आजकल के विचारक राज्यों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर करते हैं—

(१) राजशक्ति कितने व्यक्तियों के हाथों में है, इस आधार पर सरकार के तीन भेद किये जाते हैं, एकतन्त्र (Monarchy), श्रेणितन्त्र (Aristocracy) और लोकतन्त्र (Democracy)

वर्तमान समय में सत्तार के बहुसंख्यक देशों में लोकतन्त्र शासन विद्यमान है। पर अब से कुछ साल पूर्व तक तुर्की, चीन, अफगानिस्तान आदि कितने ही देशों में एकतन्त्र शासन की सत्ता थी। श्रेणितन्त्र शासन भी अब सत्तार से प्रायः नष्ट हो चुके हैं, पर अनेक देश अब तक भी ऐसे हैं, जिनमें कतिपय कुलीन परिवारों व धनी वर्ग को शासन में विशेष अधिकार प्राप्त हैं।

(२) सरकार का स्वरूप एकात्मक (Unitary) है, या सवर्गात्मक (Federal)। फ्रान्स, इटली, इङ्ग्लैण्ड आदि राज्य एकात्मक हैं, उनका शासन एक केन्द्रीय सरकार के हाथों में है, जो सारे राज्य के लिए कानून बनाती है। इसके विपरीत संयुक्तराज्य अमेरिका, स्विट्जरलैण्ड आदि अनेक राज्य सवर्गात्मक हैं। इनमें अनेक राज्यों ने परस्पर मिलकर अपना एक सवर्ग (Federation) बना लिया है। जहाँ सम्पूर्ण सवर्ग की एक केन्द्रीय सरकार है, वहाँ साथ ही सवर्ग के अन्तर्गत राज्यों की भी अपनी-अपनी पृथक् पृथक् सरकारें हैं। शासनसम्बन्धी कुछ विषय विविध राज्यों की सरकारों के हाथ में रखे गये हैं, और कुछ सवर्ग की सरकार के।

(३) राजशक्ति का उपयोग पार्लियामेण्ट के प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल करता है या ऐसा राष्ट्रपति, जो पार्लियामेण्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इङ्ग्लैण्ड, भारत, फ्रान्स आदि अनेक राज्यों में ऐसी सरकारें हैं, जिन्हें 'मन्त्रिमण्डल के अधीन' कह सकते हैं। इसीको अंग्रेजी में 'कैबिनेट सिस्टम' कहते हैं। इसमें मन्त्रिमण्डल पार्लियामेण्ट के प्रति उत्तरदायी होता है, और तभी तक अपने पद पर रह सकता है, जब तक पार्लियामेण्ट के बहुमत का विश्वास उसे प्राप्त हो। इसके विपरीत 'राष्ट्रपति के अधीन' शासन में राजशक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और वह राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए किसी पार्लियामेण्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। वह एक निश्चित काल के लिए चुना जाता है, और पार्लियामेण्ट उसे अपने पद से नहीं हटा सकती। संयुक्तराज्य अमेरिका में अनेक राज्यों में इन ढंग का शासन विद्य-

मान है, और इसे अंग्रेजी में 'प्रेसिडेन्शियल सिस्टम' कहते हैं।

सरकार के विविध भेद—

इस प्रकार वर्तमान युग की विविध सरकारों के निम्नलिखित भेद किये जा सकते हैं—

(१) एकतन्त्र, श्रेणितन्त्र और लोकतन्त्र।

(२) एकात्मक (Unitary) और मन्वर्गात्मक (Federal)।

(३) मन्त्रिमण्डल के अधीन (Cabinet or Parliamentary), और राष्ट्रपति के अधीन (Presidential) सरकारें।

एकतन्त्र सरकार के विविध प्रकार—

एकतन्त्र सरकार के दो मुख्य प्रकार हैं—(१) स्वेच्छाचारी एकतन्त्र शासन और (२) बंध (Constitutional) या मर्यादित (Limited) एकतन्त्र शासन।

प्राचीन और मध्य कालों में बहुत-से देशों में स्वेच्छाचारी एकतन्त्र राजाओं का शासन था। भारत के अफगान और मुगल बादशाह, इंग्लैण्ड के ट्यूडर और स्टुअर्ट वंशी राजा, फ्रांस के बूबों वंश के राजा और चीन के मधु वंश के सम्राट् सब स्वेच्छाचारी एकतन्त्र शासक ही थे। इन राजाओं की इच्छा ही कानून थी, और इनकी शक्ति को मर्यादित करने वाली कोई पार्लियामेन्ट या राजसभा उस समय विद्यमान नहीं थी।

जिन राजाओं की राजशक्ति किसी मन्त्रिमण्डल द्वारा या किसी पार्लियामेन्ट द्वारा मर्यादित हो, उन्हें 'बंध' या 'मर्यादित' कहते हैं। इंग्लैण्ड का राजा इसी प्रकार का बंध शासक है। वहाँ अब भी एक राजा का शासन है। इंग्लैण्ड में सब कानून राजा द्वारा प्रचारित होते हैं, और सब शासन-कार्य उसीके नाम पर किया जाता है। पर उसकी राजशक्ति पार्लियामेन्ट द्वारा नियन्त्रित होती है, और वह देश के विधान या कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसी कारण इंग्लैण्ड की सरकार को स्वेच्छाचारी एकतन्त्र शासन न कहकर बंध व मर्यादित एकतन्त्र शासन कहा जाता है।

एकतन्त्र शासन का एक अन्य प्रकार है, जिसे दैवतन्त्र (Theocracy) कहते हैं। जिस राज्य में राजशक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में हो, जिसे साक्षात् भगवान् या पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता हो, उसे 'दैवतन्त्र' कहते हैं। प्राचीन समय में रोमन साम्राज्य के सम्राटों को 'दैवी' या 'साक्षात् देवता' माना जाता था। तुर्कों के सुलतान जहाँ तुर्क साम्राज्य के सम्राट् होते थे, वहाँ साथ ही वे मुस्लिम जगत् के खलीफा या धर्माचार्य भी हुआ करते थे। वस्तुतः, दैवतन्त्र भी स्वेच्छाचारी एकतन्त्र शासन का ही एक भेद है, क्योंकि ऐसे राज्य में राजा की शक्ति मर्यादित

नहीं होती और न वह किसी सविधान के अधीन होता है।

श्रेणितन्त्र के विविध प्रकार—

श्रेणितन्त्र शासन के भी अनेक भेद होने हैं। कुछ राज्यों में राजशक्ति कतिपय कुलीन परिवारों के हाथों में होती है, और कुछ में कतिपय धनी परिवार अपने धन के कारण शासन करते हैं। जिस समय रोम में रिपब्लिक (गण शासन) की सत्ता थी, वहाँ की जनता दो भागों में विभक्त थी, पेट्रिसियन और प्लेबियन। पेट्रिसियन लोग कुलीन माने जाते थे, और प्लेबियन सर्वसाधारण लोगों को कहते थे। रोम की रिपब्लिक में प्लेबियन लोगों को शासनसम्बन्धी कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था, सब राजशक्ति कुलीन पेट्रिसियन परिवारों के हाथों में थी। रोम की प्राचीन रिपब्लिक कुलीनता पर आश्रित 'श्रेणितन्त्र' का उत्तम उदाहरण है। मध्यकालीन यूरोप में अनेक ऐसे छोटे छोटे राज्य थे, जिनमें धनी व्यापारी लोगों का शासन था। हेमेटिक लीग में सम्मिलित विविध राज्य इसके उदाहरण हैं। इन राज्यों का शासन कतिपय धनिक कुलों के ही हाथों में था।

लोकतन्त्र के विविध प्रकार—


लोकतन्त्र शासन के मुख्य भेद दो हैं—(१) शुद्ध या प्रत्यक्ष (Pure or direct) और (२) प्रतिनिधिसत्तात्मक या परोक्ष (Representative)। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र शासन वे होते हैं, जिनमें सब नागरिक राजसभा में एकत्र होकर अपनी इच्छा को प्रगट करें, स्वयं कानूनों को बनाएँ और स्वयं शासकों का चुनाव करें। इस प्रकार का प्रत्यक्ष लोकतन्त्र शासन उन्हीं राज्यों में सम्भव है, जो आकार में बहुत छोटे हों, जिनके नागरिकों के लिए राजसभा में एकत्र हो सकना मुमकिन हो। प्राचीन ग्रीस में एथेन्स ऐसा राज्य था, जहाँ सब नागरिक राजसभा (एनीजिया) में एकत्र होकर अपने राज्यकार्य को किया करते थे। इस समय भी स्विट्जरलैण्ड में अनेक राज्य (कॉन्टन) ऐसे हैं, जिनके सब नागरिक राजसभा में एकत्र होकर वे सब कार्य करते हैं, जो बड़े राज्यों में विधान सभाएँ या पार्लियामेंट करती हैं।

प्रतिनिधिसत्तात्मक या परोक्ष लोकतन्त्र शासन वे होते हैं, जिनमें नागरिक लोग प्रतिनिधियों का चुनाव करके प्रतिनिधियों द्वारा ही अपनी इच्छा को प्रगट करते हैं। आजकल के बड़े राज्यों में यह मुमकिन नहीं रह गया है, कि सब नागरिक एक स्थान पर एकत्र हो सकें। इसलिए वे पार्लियामेंट के सदस्यों के रूप में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। ये प्रतिनिधि जो सम्मति प्रगट करें, उसे ही नागरिकों की सम्मति मान लिया जाता है। आजकल के प्रायः सभी लोकतन्त्र राज्य 'प्रत्यक्ष' न होकर 'प्रतिनिधिसत्तात्मक' व 'परोक्ष' लोकतन्त्र ही हैं।

आधुनिक सरकारों का वर्गीकरण—

ऊपर हमने सरकारी के जो विविध भेद व प्रकार बताए हैं, वे वर्तमान समय के राज्यों की दृष्टि में रखकर उपयुक्त नहीं समझे जा सकते। आजकल न एकतन्त्र राज्य रहे हैं, और न श्रेणीतन्त्र। वर्तमान समय में प्रायः सभी राज्यों में लोकतन्त्र शासन स्थापित हो गए हैं। इंग्लैण्ड जैसे कुछ राज्यों में यद्यपि आजकल भी वंश क्रम से भाये हुए राजाओं का शासन है, पर उनकी शक्ति नाममात्र की ही है। असल में वहाँ भी अब लोकतन्त्र शासन ही विद्यमान है। इस समय लोकतन्त्र शासन मुख्यतया दो प्रकार के हैं—(१) जिनमें कोई वंशक्रमानुगत राजा शासन करता है, पर जो नाममात्र की ही राजा होता है, असल में राजसक्ति जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में रहती है। (२) गणराज्य या रिपब्लिक, जिनमें कोई वंशक्रमानुगत राजा नहीं होता, जहाँ सरकार का प्रधान व राष्ट्रपति भी निर्वाचित ही होता है।

इस प्रकार वर्तमान समय की सरकारों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है—



अभ्यास के लिए प्रश्न

१. विविध शासन-पद्धतियों (Forms of Government) का वर्गीकरण कीजिए। प्रत्येक की विशेषताएँ बताते हुए व्याख्या कीजिए। (राजपूताना १९४१)।
२. राज्यों के कौन से भेद व प्रकार हैं? एकात्मक और संवर्गात्मक शासन के अन्तर को स्पष्ट कीजिए। (यू० पी० १९४८)
३. राज्यों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है?
४. एकतन्त्र सरकार के विविध प्रकारों का उल्लेख कीजिए।
५. लोकतन्त्र सरकार के विविध प्रकारों का वर्णन कीजिए।

सोलहवाँ अध्याय विविध शासन-पद्धतियों के गुण और दोष

एकतन्त्र शासन का हास—इतिहास में एकतन्त्र शासन-पद्धति सबसे पुरानी है, और हजारों वर्षों तक रही है। उन्नीसवीं सदी तक एशिया और यूरोप के बहु-संख्यक देशों में यही शासन पद्धति विद्यमान थी। पर बीसवीं सदी में सत्तार के कब्जे की देशों से वंशक्रम से आये हुए राजाओं के शासन का अन्त हो गया है। १९१४-१८ के महायुद्ध द्वारा लोकतन्त्र भावना को बहुत बल मिला, और जर्मनी, रूस, आस्ट्रिया-हंगरी, तुर्की आदि के पुराने राजवंशों का अन्त हो गया। १९३६-४५ के महायुद्ध के बाद तो ऐसे राज्य और भी कम रह गए हैं, जिनमें राजाओं का शासन है।

एकतन्त्र शासन के गुण—

जब हम एकतन्त्र शासन के गुण-दोषों पर विचार करते हैं तो बंध या मर्यादित एकतन्त्र शासन को अपनी दृष्टि में नहीं रखते। बंध राजाओं का शासन लोकतन्त्र सरकार का ही एक रूप है। यहाँ हम निरंकुश व स्वेच्छाचारी राजाओं के एकतन्त्र शासन के गुण-दोषों पर ही विचार करेंगे। एकतन्त्र शासन के ये गुण माने जाते हैं—

(१) एकतन्त्र शासन के कारण राज्य का कार्य चलाना बहुत सुगम होता है। किसी बिकट समस्या के सम्मुख आने पर मतभेद व वादविवाद की आवश्यकता नहीं होती। युद्ध के अवसर पर सेनापति अपनी सूझ से काम लेते हैं, सिपाहियों व जनता की राय लेने का यत्न नहीं करते। इसी कारण वे युद्ध में विजयी होते हैं। इसी प्रकार जब राज्य का शासन एक व्यक्ति के हाथ में रहता है, तो वह अपनी समझ के अनुसार ऐसा निर्णय करता है, जो सबके लिए लाभकारी हो। वह व्यर्थ के वाद-विवाद में समय नष्ट नहीं करता।

(२) एकतन्त्र शासन में राज्य की नीति एक जैसी रहती है। लोकतन्त्र शासन में कभी किसी एक दल का प्रभुत्व रहता है, कभी किसी दूसरे दल का। इन राजनीतिक दलों की नीति व आदेश भिन्न-भिन्न होते हैं। एक दल चाहता है, कि व्यवसायों पर सरकार का नियन्त्रण हो, दूसरा दल आर्थिक जीवन पर सरकार के नियन्त्रण का विरोधी होता है। विचारों के इस विरोध के कारण जनता को व्यर्थ में परेशानी उठानी पड़ती है। इसके विपरीत एकतन्त्र राज्यों में सरकार की नीति

सदा एक-सी रहती है, और जनता को यह भय नहीं होता, कि सरकारी नीति में अचानक परिवर्तन हो जाने से उसे नुकसान उठाना पड़ेगा।

(३) एकतन्त्र शासन का एक विशेष रोष होता है। प्रजा अपने राजा को सम्मान की दृष्टि से देखती है। विदेशों में भी राजा के प्रभाव को स्वीकार किया जाता है।

(४) एकतन्त्र राज्यों में कानूनों का पालन अधिक सुगमता से होता है, क्योंकि राजा अपनी इच्छा से योग्य व्यक्तियों को सरकारी पदों पर नियुक्त करता है। ये राजकर्मचारी केवल राजा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अतः जनता में दबने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती। वे अपने कर्तव्य का पालन अधिक अच्छी तरह से कर सकते हैं।

(५) एकतन्त्र राज्यों में राजा सब दलबन्धियों से ऊपर होता है। इसी कारण वह न्यायपूर्वक शासन करने में समर्थ होता है।

(६) जिन देशों की जनता शिक्षित व उन्नत नहीं है, उनमें तो एकतन्त्र शासन और भी उपयोगी होते हैं। सब मनुष्य राजशक्ति के प्रयोग में हाथ बटाएँ इसके लिए जनता को बहुत शिक्षित, उन्नत व समझदार होना चाहिए। पर ऐसे राज्य बहुत कम हैं, जिनकी जनता में ये गुण विद्यमान हैं। इसलिए मनुष्यों के हित की दृष्टि से एकतन्त्र शासन बहुत उपयोगी है, और इसी कारण वे हजारों वर्षों तक कायम रहे हैं।

एकतन्त्र शासन के दोष—

(१) जब सारी राजशक्ति किसी एक मनुष्य के हाथ में केन्द्रित हो, तो यदि वह मनुष्य अध्याधारण शक्तिमत्पन्न, अर्थात्, न्यायी और सदाचारी हो, तब तो वह अपने कार्य को भली भाँति कर सकेगा। अन्यथा, एक साधारण मनुष्य राज्य की जिम्मेवारी को अकेला नहीं संभाल सकता। यदि इतिहास में राम, अशोक और अकबर जैसे न्यायी और योग्य राजा हुए हैं, जिन्होंने अपनी प्रजा के हित के लिए काम किया, तो ऐसे राजाओं के उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है, जिन्होंने प्रजा को भलाई पर जरा भी ध्यान न देकर अपनी शक्ति का उच्छ्वलता के साथ प्रयोग किया। रोम का नीरो, भारत का मुहम्मद तुगलक, स्पेन का फिलिप द्वितीय आदि कितने ही ऐसे राजाओं के नाम पेश किए जा सकते हैं, जिन्होंने प्रजा पर मनमाना अत्याचार किए और अपनी नाममन्त्री से जनता को हानि पहुँचाई।

(२) एकतन्त्र शासन में राजा प्रायः वंशक्रम से होते हैं। यह सही है, कि पिता के गुण पुत्र में आते हैं, और इस कारण यह आशा की जा सकती है, कि उत्तम राजा का पुत्र भी उत्तम होगा। पर इस नियम के अपवाद भी होते हैं। हम देखते

हैं, कि योग्य पिता क पुत्र बहुधा निकम्मे व अयोग्य भी होते हैं। गुप्तवशी सचाट चन्द्रगुप्त और समुद्रगुप्त जैसे वीरा के वंश में रामगुप्त जैसा निर्बल राजा हुआ, जो अत्यन्त कायर था। अकबर यदि धर्म के मामले में सहिष्णु था, तो उसका वंशज औरङ्गजेब धर्मान्ध था। एकतन्त्र शासना में यह भरोसा कभी नहीं हो सकता, कि किसी वंश के सभी राजा वीर, योग्य व सदाचारी हाने।

(३) यदि यह मान भी लें, कि एकतन्त्र शासनों में सभी राजा योग्य व वीर हाने, तो भी ऐसे शासन को अच्छा नहीं माना जा सकता। कारण यह कि इस शासन पद्धति में जनता का कोई हाथ नहीं होता। एकतन्त्र शासन में जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न नहीं हो पाती, और वह यह अनुभव नहीं करती कि राज्य की रक्षा व उन्नति उसका अपना कर्तव्य है। कोई राज्य तभी उन्नति कर सकता है, जब सारी जनता का सहयोग उसे प्राप्त हो। यदि हम यह भी मान लें, कि प्रशोक और अकबर जैसे सुयोग्य राजा सब राज्यों को सब काल में प्राप्त होने रहेंगे, तो भी ऐसे राज्य कभी शक्तिसम्पन्न व उन्नत नहीं हो सकते, क्योंकि राज्य की वास्तविक शक्ति इसी धान पर निर्भर है, कि उसकी जनता उद्वुद्ध हो, वह अपने कर्तव्य और अधिकारों को अभीभाति समझती हो, और राज्य की रक्षा व उन्नति के लिए कुर्बानी करने को उद्यत हो। एकतन्त्र राज्यों की जनता में यह कर्तव्य भावना विकसित ही नहीं हो सकती।

श्रेणितन्त्र शासन के गुण—

श्रेणितन्त्र शासन के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं—

(१) श्रेणितन्त्र शासन में गुण को महत्त्व दिया जाता है, सख्या को नहीं। साखा मूर्खों की अपेक्षा कुछ थोड़े-से विद्वानों की सम्मति का मूल्य अधिक होता है। श्रेणितन्त्र शासन में राजशक्ति कतिपय ऐसे मनुष्यों के हाथों में रहती है, जो विद्या, ज्ञान व कुलीनता आदि की दृष्टि से अन्य लोगों के मुकाबिले में अधिक उत्कृष्ट हो। यह स्पष्ट है, कि ऐसे थोड़े से मनुष्य सर्वसाधारण जनता की अपेक्षा राज्यकाय को अधिक अच्छा कर सकते हैं।

(२) श्रेणितन्त्र शासन में राज्य का कार्य उन लोगों के हाथों में रहता है, जो अपने काय में दक्ष व योग्य होने हैं। राजा लोग जो हजारों सालों तक शासन करने में समर्थ रहे, उसका कारण यही था, कि वे कतिपय कुलीन लोगों की सहायता से अपना काय किया करते थे। भारत के मुगल बादशाहों ने राजपूत और मुगल सरदारों की सहायता प्राप्त की हुई थी, जो देश की रक्षा के लिए अपना खून तक बहा देने में जरा भी सकोच नहीं करते थे।

(३) श्रेणितन्त्र शासन में शासक लोग प्रथाओं व मर्यादाओं का भली भाँति पालन करते हैं। उसमें जल्दी जल्दी शासन-नीति में परिवर्तन नहीं होता रहता।

श्रेणितन्त्र शासन के दोष—

(१) किसी खान कुल में जन्म लाने के कारण कोई मनुष्य राज्यकार्य के लिए अधिक योग्य हो जाता है, इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह जरूरी नहीं, कि योग्य इंजीनियर व प्राक्तेमर का पुत्र भी योग्य इंजीनियर व योग्य प्रोफेसर हो। जब हम किसी प्रोफेसर की नियुक्ति करने लगते हैं, तो उसकी योग्यता देखते हैं। किसी प्रोफेसर का पुत्र होने के कारण ही कोई मनुष्य प्रोफेसर पद के योग्य नहीं हो जाता। इसी प्रकार शासन के कार्य के लिए किन्हीं मनुष्यों को केवल इस कारण योग्य नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वे किसी कुलीन व शासकवर्ग के परिवार में पैदा हुआ है। मुगल बादशाहत में सेनापति व सूबेदार आदि पदों पर बंशक्रम के अनुसार नियुक्ति की जाने लगी थी। यह बात मुगलों के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुई। मराठा साम्राज्य के प्रधान मंत्री को पेशवा बहते थे। पर जब पेशवा का पद भी पिता व बाद पुत्र को मिलने लगा, तो अनेक अयोग्य व्यक्ति इस पद पर नियुक्त हुए, और मराठों की शक्ति के नष्ट होने में इस बात ने बहुत सहायता पहुँचाई।

(२) श्रेणितन्त्र शासन में यदि शासक श्रेणियों का आधार जन्म या कुल को न मानकर धन या विद्या को माना जाए, तो भी ऐसी धनी व विद्वान् श्रेणियों के लोगों का शासन उचित नहीं होगा। धन कमान की योग्यता और शासनकार्य की योग्यता दो भिन्न बातें हैं। यह जरूरी नहीं कि जो आदमी धनी हो, वह अच्छा शासक भी हो। यही बात विद्या के सम्बन्ध में भी है। विद्वान् होना एक बात है, और अच्छा शासक होना दूसरी बात है। केवल विद्या या धन के कारण किन्हीं लोगों को शासन का कार्य देना कभी ठीक नहीं माना जा सकता।

(३) श्रेणितन्त्र शासन में जनता का राज्यकार्य में हाम नहीं होता। इस कारण सर्वमाधारण लोगों में राजनीतिक चेतना विकसित नहीं होने पाती। वे यह नहीं अनुभव करते, कि राज्य की रक्षा करना व उनकी उन्नति के लिए यत्न करना उनका अपना कर्तव्य है।

(४) सर्वमाधारण जनता में जो योग्य मनुष्य होते हैं, श्रेणितन्त्र शासन में उनकी योग्यता का राज्य की भलाई के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता।

(५) श्रेणितन्त्र शासन में राजशक्ति जिन लोगों के हाथों में रहती है, वे अपनी शक्ति का उपयोग सबके हित व कल्याण के लिए करेंगे, इसकी कोई गारण्टी नहीं होती।

य सब दोष हान हुए भी इसमें सन्देह नहीं, कि राजशक्ति के प्रयोग का अधिकार उन्हीं लोगों के हाथों में रहना उचित है, जो अत्यन्त योग्य हों। पर प्रश्न यह है, कि यह कैसे निश्चय किया जाए कि कौन लोग योग्य हैं। यदि इस बात का निर्णय जनता के हाथ में हो, तो वह शासनपद्धति श्रेणितन्त्र न रहकर लोकतन्त्र हो जाएगी।

लोकतन्त्र शासन—

आजकल लोकतन्त्र शासन सबसे अधिक प्रचलित है। मसार के प्राय सभी उन्नत व सम्य देश इसी का अनुसरण कर रहे हैं। लोकतन्त्र शासन उसे कहते हैं, जिनमे प्रत्येक नागरिक राजशक्ति के प्रयोग में हाथ बटाता हो, या हाथ बटाने का अधिकार रखता हो। अब्राहम लिंकन ने लोकतन्त्र शासन का जो लक्षण किया था, वह बहुत प्रसिद्ध है—“लोकतन्त्र शासन वे होते हैं, जिनमे जनता का शासन हो, जो जनता के लिए हो, और जनता द्वारा हो।”

लोकतन्त्र शासन के जो दो मुख्य भेद हैं, प्रत्यक्ष और प्रतिनिधिसत्तात्मक शासन, उनका जिक्र हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। प्राचीनकाल के प्राय सभी लोकतन्त्र शासन 'प्रत्यक्ष' थे। उस समय प्रतिनिधि चुनने की प्रथा नहीं थी। उस समय इसकी आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि राज्य बहुत छोटे-छोटे हुषा करते थे। उनका स्वरूप नगर-राज्यो (City States) का होता था। पर आजकल के विचाल राज्यो में यह आवश्यक हो गया है, कि जनता अपने प्रतिनिधियो को चुनकर उनके द्वारा शासन-कार्य में हाथ बटाए। वर्तमान समय के लोकतन्त्र राज्यो में शासन जनता का होता है, पर चुने हुए प्रतिनिधियो द्वारा।

लोकतन्त्र शासन के गुण—

(१) लोकतन्त्र ही एक ऐसी शासनपद्धति है, जिसमें इस बात की गारण्टी दी जा सकती है, कि शासन जनता की इच्छा के अनुसार किया जाएगा। चाहे कोई नागरिक अमीर हो चाहे गरीब, लोकतन्त्र में सबके समान अधिकार होते हैं। इस कारण सब नागरिक अनुभव करते हैं, कि राज्य हमारा अपना है। इसलिए नागरिको में राज्य के प्रति एक ऐसी भक्ति, प्रेम व निष्ठा उत्पन्न हो जाती है, जिससे वे उसके लिए बड़ी से-बड़ी कुर्बानी करने को तैयार हो जाते हैं।

(२) किसी शासनपद्धति की सफलता के लिए केवल यही पर्याप्त नहीं है, कि शासक लोग अपने कार्य में निपुण हों। कोई सरकार तभी सफल हो सकती है, जब उसके शासको को जनता की इच्छा व आवश्यकताओं का भी ज्ञान हो। जनता की इच्छाओं और आवश्यकताओं को जाने बिना योग्य-से योग्य शासक भी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। लोकतन्त्र ही एक ऐसी शासनपद्धति है, जिसमें शासक लोग जनता की इच्छा व आवश्यकताओं से परिचित रहते हैं।

(३) कोई मनुष्य अपने अधिकारों की रक्षा और अपने हितों का सम्पादन नहीं भली-भाँति कर सकता है, जब वह स्वयं उसके लिए प्रयत्नशील हो। यदि हम अपने माल की रक्षा का भार किसी दूसरे पर छोड़कर स्वयं निश्चिन्त हो जाएँ, तो हम शायद कभी अपने धन की रक्षा नहीं कर सकेंगे। इसी प्रकार यदि राज्य के नाग-

रिक अपनी रक्षा व हित के सम्पादन के कार्य को किसी एक राजा या किसी एक श्रेणी के हाथ में सौंपकर स्वयं उस और ध्यान न दे, तो वे भारी भूल करेग। लोकतन्त्र शासन ही ऐसा है, जिसमें मनुष्य अपनी जान व माल की रक्षा करने व अपने योगक्षेम की स्वयं चिन्ता करते है।

(४) एकतन्त्र और श्रेणितन्त्र शासनो मे जनता मे यह विचार उत्पन्न हो जाता है—'कोउ नृप होय हमे का हानी, चेरि छाडि नहि होउव रानी।' इस विचार के कारण मनुष्य न अपने अधिकारो के लिए मर्षण कर पाते हैं, और न अपने कर्तव्यो का ज्ञान ही प्राप्त कर सकते हैं। इन शासनो मे सर्वसाधारण लोग अपने को दीन व हीन अनुभव करने लगते हैं। वे शासको की उचित व अनुचित सब प्रकार की आज्ञाओ का पालन करने मे ही अपनी भनाई समझने लगते हैं। इसके विपरीत लोकतन्त्र शासन मे प्रत्येक मनुष्य को यह अनुभव करने का अवसर मिलता है, कि उसकी भी समाज मे कोई स्थिति है, वह भी राजशक्ति के प्रयोग मे हाथ बटा सकता है। अपने अधिकारो का ज्ञान होने के साथ-साथ मनुष्यो को अपने कर्तव्यो का भी बोध होता है। अपने अधिकारो के लिए लड़ने की भावना, राज्य के प्रति अपने कर्तव्यो का पानन करने की इच्छा, और राजशक्ति के प्रयोग मे हाथ बटाने का अवसर मनुष्यो को अपनी उन्नति करने मे सहायता प्रदान करते हैं।

(५) लोकतन्त्र शासन मे जनता को नागरिकता की शिक्षा मिलती है। जनता राजनीतिक दृष्टि से जागृत हो जाती है, और अपने विचारो को स्वतन्त्रता व स्पष्टता के साथ प्रगट करने लगती है। इससे जनता की मानसिक शक्तियो का विकास होता है।

(६) शासन की क्षमता की दृष्टि से भी लोकतन्त्र शासन-पद्धति सर्वश्रेष्ठ है। कारण यह कि इमने शासन का कार्य उन लोगो के हाथो मे रहता है, जिन्हे जनता का विश्वास प्राप्त हो। यदि मन्त्री व गन्ध शासक लोग अपने कर्तव्यो का पालन न करें या किसी अनुचित नीति का अनुसरण करें, तो जनता उन्हे अपने पद से हटा सकती है। इसके विपरीत एकतन्त्र व श्रेणितन्त्र शासनो मे शासको को अपने पदो से हटाया नही जा सकता। यदि वे अपने कार्य मे कुगत्र हो तो राज्य का सौभाग्य है। पर यदि वे अयोग्य व निर्बल हो, तो राज्य का दुर्भाग्य है।

लोकतन्त्र शासन के दोष—

(१) सब मनुष्य बराबर हैं, शिक्षित व अशिक्षित, सच्चरित्र व दुराचारी— सब एक समान है, यह बात कभी स्वीकार नही की जा सकती। पाँचो जँगलियाँ कभी बराबर नहीं हो सकतीं। लोकतन्त्र शासन मे सहाय को महत्त्व दिया जाता है, गुण को नही। हो सकता है, कि लाखो मूर्ख लोगो के मुकाबिले मे एक बुद्धिमान् जो

(१) लोकतन्त्र राज्यों में धन का महत्त्व बहुत अधिक है। धनी लोग अपने अपार धन को प्रयोग में लाकर सरकार को अपने असर में बर लेते हैं।

(२) लोकतन्त्र राज्यों में राजनीति कुछ लोगों का पेशा बन जाता है।

(३) लोकतन्त्र शासन बहुत खर्चीला होता है।

(४) लोकतन्त्र राज्यों में समानता के सिद्धान्त का दुरुपयोग भी होता है।

(५) लोकतन्त्र राज्यों में राजनीतिक दलों की शक्ति अनुचित रूप से बढ़ जाती है।

(६) पार्लियामेंट के सदस्यों में यह प्रवृत्ति होती है, कि वे वोट प्राप्त करने के लिए प्रभावशाली लोगों से सौदे करें।

सार्ड ब्राइस के अनुसार दो ऐसे खतरे हैं जो लोकतन्त्र शासनों के लिए बहुत भयावह हैं—

(१) राजशक्ति उन लोगों के हाथों में आ जाए, जो स्वार्थी हों और जो अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने में मकौच न करें।

(२) राजनीतिक नेताओं में यह प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, कि वे मतदाताओं के सम्मुख असत्य व अर्धसत्य बातों को पेश करके उन्हें अपने पीछे लगा लें।

विवेचना—लोकतन्त्र शासन-प्रवृत्ति में जो दोष ऊपर दिखाये गए हैं, उनमें बहुत कुछ सच्चाई है। पर ये दोष मनुष्या की कमजोरी के कारण हैं। यह बात बिल्कुल सच है, कि मनुष्य अपने हितों की रक्षा तभी कर सकता है, जब वह स्वयं उनके लिए सजग हो। किसी एक राजा या किसी एक श्रेणी के हाथों में अपने हित व कल्याण को सुपुर्ण कर स्वयं निश्चिन्त बैठ जाने से जनता का कभी भला नहीं हो सकता। मनुष्य जब एक बार स्वतन्त्रता, समानता व अधिकारों का अनुभव कर लेता है, तो वह उन्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। यही कारण है, जो पिछली डेढ़ सदी में लोकतन्त्र शासन का निरन्तर विकास हुआ है, और अब सत्तर के प्रायः सभी राज्यों में लोकतन्त्र शासन कायम हो गए हैं। यह सम्भव नहीं है, कि अब मनुष्य अपने स्वशासन को छोड़कर फिर से किसी एक राजा या एक श्रेणी की अधीनता में रहना स्वीकार कर ले।

लोकतन्त्र शासन की सफलता के लिये आवश्यक शर्तें—

इसमें सन्देह नहीं, कि लोकतन्त्र शासन जैसे वर्तमान समय में बहुत लोकप्रिय है, वैसे ही वह भविष्य में भी रहेगा। पर उसकी सफलता के लिए निम्नलिखित शर्तें बहुत आवश्यक हैं—

(१) नागरिकों को ईमानदार व प्रलोभनों से ऊपर होना चाहिए। यदि किसी राज्य के नागरिक कुछ रूपों के लोभ से या किसी अन्य प्रभाव में आकर अपने

वोट को बेच देने के लिए तैयार हो जाएँ, तो उसमें लोकतन्त्र शासन कभी सफल नहीं हो सकेगा ।

(२) लोकतन्त्र शासन की सफलता के लिए जनता में नागरिकता का विचार मनी भाँति विकसित हुआ होना चाहिए । प्रत्येक नागरिक को यह समझना चाहिए, कि उसके क्या अधिकार और कर्तव्य हैं । लोकतन्त्र शासन की सफलता की मुख्य शर्त यह है, कि नागरिकों का सहयोग उसे प्राप्त हो । कानून का पालन करना, टैक्सों को ईमानदारी के साथ अदा करना, अनराधियों की गिरफ्तारी में सरकार के साथ सहयोग करना और रिश्वत देकर अपने स्वार्थ को सिद्ध करने का प्रयत्न न करना—ये ऐसी बातें हैं, जो लोकतन्त्र की सफलता के लिए नागरिकों में अवश्य होनी चाहिए ।

(३) लोकतन्त्र शासन की सफलता के लिए जनता का शिक्षित होना भी बहुत जरूरी है । यहाँ शिक्षा का अभिप्राय यह नहीं कि सब कोई विद्वान् हो, पर उनमें यह योग्यता अवश्य होनी चाहिए कि वे भले-बुरे में तमीज कर सकें और अपने सच्चे व भूठे नेता को पहचान कर सकें । किम राजनीतिक दल के विचार व नीति उनके लिए लाभदायक है, यह समझ सकने की योग्यता जनता में अवश्य होनी चाहिए ।

(४) लोकतन्त्र शासन की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है, कि जनता में एकता की भावना हो । जिस राज्य की जनता जात बिरादरी, सम्प्रदाय और प्रान्त आदि के भेदों को बहुत महत्त्व देती हो, उसमें लोकतन्त्र शासन का सफल हो सकना कठिन है ।

(५) लोकतन्त्र शासन की सफलता की एक महत्वपूर्ण शर्त यह है, कि सब नागरिक सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी एक समान हो । जिन राज्यों की जनता में कुछ लोग बहुत अधिक धनी होते हैं और दोष जनता बहुत गरीब, उनमें भी लोकतन्त्र शासन सफल नहीं हो सकता । इसका कारण यह है, कि धनी लोग अपने धन के जोर में राजशक्ति को अपने हाथों में कर लेते हैं । गरीब लोग साधारण मजदूर व हिमान की हैसियत में जमींदारों व पूँजीपतियों के वशवर्ती होने हैं, और चुनाव के अवसर पर अपने मानिकों के खिलाफ नहीं जा सकते । जिस राज्य की जनता में अमीर और गरीब का भेद कम होगा, वतिपय जमींदार व पूँजीपति किसानों व मजदूरों को अपने अधीन रख सकने में समर्थ नहीं होंगे, वहाँ जनता अपने वोट के अधिकार को स्वतन्त्रता के साथ प्रयोग में ला सकेगी, और स्वतन्त्र रूप में ऐसे प्रतिनिधियों को चुन सकेगी, जो असल में योग्य होंगे ।

तानाशाही (Dictatorship) का उदय—

वर्तमान समय के लोकतन्त्र राज्यों में जो अनेक कमियाँ हैं, उन्हीं के कारण

१९१४-१८ के महायुद्ध के बाद तानाशाही का उदय हुआ। जर्मनी में हिटलर ने और इटली में मुसोलिनी ने लोकतन्त्र शासनो का अन्त कर सारी राजशक्ति को अपने हाथों में कर लिया, और वे तानाशाह (Dictator) के रूप में शासन करने लगे। रूस आदि अनेक देशों में समाजवादी (Communist) शासन की स्थापना हुई, और कम्युनिस्ट लोगो ने फ्रांस, इंग्लैण्ड व अमेरिका के ढंग के लोकतन्त्र शासन के मुनाबिले में ऐसी सरकारें कायम की, जिनमें राजनीतिक स्वतन्त्रता की अपेक्षा आर्थिक समानता या गरीब और अमीर के भेद को दूर करने पर अधिक जोर दिया गया। यद्यपि जर्मनी और इटली से नाजीज्म और फॅसिज्म का अब अन्त हो गया है, पर कम्युनिज्म का प्रचार अब निरन्तर बढ़ रहा है। रूस के समान पूर्वी यूरोप के अनेक देशों और चीन में अब कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हो गई है। यद्यपि ये कम्युनिस्ट लोकतन्त्र शासन में विश्वास रखते हैं, पर इनका लोकतन्त्र इंग्लैण्ड, फ्रांस आदि के लोकतन्त्र से बहुत भिन्न है।

लोकतन्त्र शासन का भविष्य—लोकतन्त्र शासन की सफलता के लिए जिन शर्तों का होना आवश्यक है, उनका उल्लेख हमने ऊपर किया है। यदि ये शर्तें विद्यमान हो, तो लोकतन्त्र से अच्छी कोई अन्य शासनपद्धति नहीं हो सकती। इनमें भी आर्थिक समानता की शर्तें बहुत महत्त्व की हैं। जब तक जनता में गरीब और अमीर का भेद उग्र रूप से बना रहेगा, लोकतन्त्र शासन सफल नहीं हो सकेगा। कम्युनिज्म का प्रसार इसीलिए हो रहा है, क्योंकि कम्युनिस्ट लोग आमदनी के भेद का आधार योग्यता के भेद को मानते हैं। वे समाज में न्याय चाहते हैं। जिस मनुष्य की योग्यता अधिक हो, उसे यदि आमदनी भी अधिक हो—तो इसे अनुचित नहीं समझा जा सकता। पर दिक्कत तो यह है, कि पूंजी के कारण कुछ धनी लोग गरीब मजदूरों के शोषण का अवसर प्राप्त कर लेते हैं। इसी कारण लोकतन्त्र शासन की सफलता में बाधा उपस्थित होती है। यदि समाज का सगठन न्याय पर आधारित हो, और उन शर्तों को पूरा किया जाए, जिनका जिक्र ऊपर किया गया है, तो लोकतन्त्रवाद के उज्ज्वल भविष्य में कोई सन्देह नहीं हो सकता।

वर्तमान युग में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र शासन—

विद्यमान अध्याय में प्रत्यक्ष (Direct) और परोक्ष या प्रतिनिधिसत्तात्मक (Representative) लोकतन्त्र शासन का भेद स्पष्ट किया जा चुका है। पुराने समय में जब राज्य छोटे-छोटे हुआ करते थे, लोकतन्त्र शासन का प्रत्यक्ष रूप से हो सकना सम्भव था, क्योंकि उन राज्यों के नागरिक राजसभा में एकत्र होकर अपना राज्य-काय चला सकते थे। तब प्रतिनिधि चुनने की आवश्यकता नहीं थी। वर्तमान समय में भी स्विट्जरलैण्ड के कतिपय कैंटनों (प्रान्तों व राज्यों) में प्रत्यक्ष शासन विद्य-

मान हैं।

पर आजकल के कनिषय बड़े राज्यों में भी प्रत्यक्ष लोकतन्त्र शासन को आंशिक रूप में जारी करने का प्रयत्न किया गया है। इसके लिए जो ढंग उपयोग में लाये गये हैं, वे निम्नलिखित हैं—

(१) रिफरेन्डम (Referendum)—इस पद्धति के अनुसार पार्लियामेन्ट द्वारा स्वीकृत किसी कानून को तभी अन्तिमरूप से स्वीकार हुआ माना जाता है, जब कि राज्य के मतदाताओं व निर्वाचकों द्वारा उसके पक्ष में वोट ले लिए जाएँ। यदि मतदाताओं की एक निश्चित संख्या पार्लियामेन्ट द्वारा स्वीकृत किसी कानून को पसन्द न करे, तो वह प्रार्थनापत्र भेजकर यह माँग कर सकती है, कि जब तक उस कानून पर रिफरेन्डम न ले लिया जाए, उसे अमल में न लाया जाए। इस प्रार्थनापत्र के पेश होने पर एक दिन निश्चित करके उस कानून पर निर्वाचकों की राय ली जाती है, और यदि बहुसंख्यक मतदाता उसके खिलाफ वोट दें, तो उसे रद्द कर दिया जाता है।

(२) प्लेबिसिट (Plebiscite)—इसके अनुसार महत्त्वपूर्ण मामलों पर मतदाताओं की सम्मति ली जाती है, और पार्लियामेन्ट के सदस्य अपना निर्णय करते हुए प्लेबिसिट में प्रकट हुए लोकमत को ममुचित महत्त्व प्रदान करते हैं।

(३) इनीशिएटिव (Initiative)—इसका अभिप्राय यह है, कि यदि मतदाता लोग किसी कानून को उपयोगी समझें, तो वे उसका मसविदा तैयार करके उस पर एक निश्चित संख्या में मतदाताओं के हस्ताक्षर करा लेते हैं, और फिर उस मसविदे को पार्लियामेन्ट के सम्मुख पेश कर देते हैं। ऐसा होने पर पार्लियामेन्ट के लिए उस मसविदे पर विचार करना अनिवार्य हो जाता है।

(४) रिकाल (Recall)—इसके अनुसार यदि निर्वाचक लोग चाहें, तो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके कार्य की अवधि के समाप्त होने से पहले ही वापस बुला सकते हैं। यदि एक निश्चित संख्या में मतदाता इस प्रार्थनापत्र पर हस्ताक्षर करके सरकार के पास भेज दें, कि उन्हें अपने चुने हुए प्रतिनिधि पर विद्वेष नहीं रह गया है, तो सरकार के लिए यह आवश्यक होता है, कि वह उस प्रतिनिधि के पक्ष और विपक्ष में निर्वाचकों के वोट ले। यदि बहुसंख्या उस प्रतिनिधि के विपक्ष में वोट दे, तो वह प्रतिनिधि नहीं रहने पाता और नया चुनाव किया जाता है।

स्विट्जरलैण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका के अलग-अलग कनिषय राज्यों और अन्य अनेक छोटे राज्यों में रिफरेन्डम, प्लेबिसिट, इनीशिएटिव और रिकाल की इन पद्धतियों का अनुसरण किया जाता है। इन पद्धतियों के कारण वर्तमान समय के राज्यों में भी प्रत्यक्ष लोकतन्त्र शासन की अनेक विशेषताएँ क्रियाविधित हो सक रही हैं।

अभ्यास के लिए प्रश्न

- १ एकतन्त्र शासन का क्या अभिप्राय है ? उसके गुणों व दोषों का विवेचन कीजिये ।
- २ लोकतन्त्र शासन की व्याख्या कीजिये । लोकतन्त्र शासन में भाषण और समाचार-पत्र की स्वतन्त्रता का क्या महत्त्व है ? इस पर प्रकाश डालिये । (यू० पी० १९४२)
- ३ लोकतन्त्र शासन और तानाशाही में क्या अन्तर है ? दोनों के गुण-दोषों की तुलना कीजिये । (यू० पी० १९४४)
- ४ श्रेणितन्त्र से आर क्या समझते हैं ? उसके गुणों और दोषों का उल्लेख कीजिये ।
- ५ लोकतन्त्र शासन का क्या अभिप्राय है ? उसके गुणों और दोषों पर प्रकाश डालिये ।
- ६ लोकतन्त्र शासन की सफलता के लिये कौन सी शर्तें आवश्यक हैं ? ये शर्तें भारत में कहाँ तक पाई जाती हैं ?
- ७ 'लोकतन्त्र शासन की सफलता के लिए व्यापक शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है', विवेचना कीजिये । (राजपूताना १९४४)
- ८ लोकतन्त्र में ध्राप क्या समझते हैं ? उसकी सफलता के लिए किन शर्तों की आवश्यकता है ? (यू० पी० १९५२)
- ९ 'शिक्षा से विहीन लोकतन्त्र शासन सबसे निकृष्ट शासनपद्धति है', विवेचना कीजिये । (यू० पी० १९५१)

सत्रहवाँ अध्याय एकात्मक और संवर्गात्मक शासन (Unitary and Federal Governments)

एकात्मक और संवर्गात्मक शासनों का अभिप्राय—

राज्य की राजसक्ति का प्रयोग एक सरकार द्वारा होता है, या अनेक (केन्द्रीय और प्रादेशिक) सरकारों द्वारा, इस आधार पर शासन के दो भेद किये जाते हैं, एकात्मक (Unitary) और संवर्गात्मक (Federal)। एकात्मक शासन में राज्य की सरकार एक ही होती है। इन राज्यों में शासन की सुविधा के लिए राज्य को अनेक प्रान्तों व जिलों में अवश्य विभक्त कर दिया जाता है, और इन विभागों को शासन सम्बन्धी अनेक अधिकार भी दे दिये जाते हैं, पर अमली राजसक्ति एक केन्द्रीय सरकार के पास ही रहती है। यह केन्द्रीय सरकार प्रान्तों और जिलों के शासन के लिए स्वेच्छापूर्वक व्यवस्था करती है, और इन विभागों के अधिकारों को कम व अधिक भी करती रह सकती है। इंग्लैण्ड, फ्रान्स, इटली, बल्जियम आदि राज्यों की सरकारें एकात्मक हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस को लीजिये। शासन की सुविधा के लिए फ्रान्स को बहुत से प्रान्तों में विभक्त किया हुआ है, पर ये प्रान्त केवल शासन की सुविधा के लिए हैं। उनका शासन पूरी तरह से फ्रांस की केन्द्रीय सरकार के अधीन है। यही बात इंग्लैण्ड आदि अन्य एकात्मक राज्यों के विषय में भी कही जा सकती है।

संवर्गात्मक शासन वे होते हैं, जिनमें प्रादेशिक सरकारों के अधिकार व शक्ति केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं करते। मर्ग (Federation) के अन्दर जो अनेक राज्य शामिल होते हैं, उनकी सरकारें अपनी शक्ति मर्ग सरकार (Federal Government) से नहीं प्राप्त करतीं। इन (सर्वगं के अंतर्गत) राज्यों की सरकारों की क्या शक्ति हो, क्या अधिकार हो—ये बातें संविधान (Constitution) द्वारा निर्धारित कर दी जाती हैं। संविधान द्वारा यह भी निश्चित कर दिया जाता है कि मर्ग सरकार का क्षेत्र क्या हो, और सर्वगं के अन्तर्गत विविध राज्यों की सरकारों का क्षेत्र क्या हो। सर्वगं सरकार विविध राज्यों की सरकारों के इस क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

संयुक्त राज्य अमेरिका मर्ग सरकार का सबसे उत्तम उदाहरण है। उसके

रहते हैं। इस कारण राज्य के विविध अंगों के अधिकारों और शक्ति के विषय में कोई विवाद या संघर्ष उत्पन्न नहीं होता। वहाँ इस मवाल के पैदा होने की गुंजाइश ही नहीं होती कि कौन-सा विषय मन्त्र सरकार का है, और कौन-सा प्रादेशिक सरकारों का।

(३) एकात्मक सरकारों के काम कम खर्च में चल जाते हैं, क्योंकि उन्हें दोहरे राजकर्मचारी नहीं रखने पड़ते। मन्त्रों में प्रत्येक स्थान पर दो प्रकार के कर्मचारी होते हैं, एक केन्द्रीय मन्त्र सरकार के और दूसरे मन्त्रों के अन्तर्गत राज्यों की सरकारों के, इससे दोहरा खर्च पड़ता है।

(४) अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एकात्मक सरकारें अधिक शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि उनकी नीति स्पष्ट और निश्चित होती है। इसके विपरीत मन्त्रों को अपनी विदेशी नीति का निर्धारण करते हुए यह ध्यान में रखना पड़ता है, कि विविध राज्यों की सरकारें उसके विरुद्ध न हों।

एकात्मक शासन के दोष (Defects of Unitary Government) —

(१) एकात्मक शासन में सारी राजशक्ति एक केन्द्रीय सरकार के हाथों में रहती है, जिसके कारण राजधानी से दूर के प्रदेशों की स्थानीय समस्याओं पर भली भाँति ध्यान नहीं दिया जा सकता। राज्य के विविध प्रदेशों की कितनी ही ऐसी समस्याएँ होती हैं, जिन्हें वहाँ के लोग ही भली भाँति समझ सकते हैं। जब इनके बारे में निर्णय करना भी एक केन्द्रीय सरकार के हाथों में होता है, तो वह केन्द्रीय सरकार इनके विषय में ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती।

यह सही है, कि बड़े एकात्मक राज्यों को शासन की सुविधा के लिए अनेक प्रान्ता में और फिर प्रान्ता को अनेक जिलों में विभक्त किया जाता है। इन प्रान्तों और जिलों की भी अपनी सरकारें होती हैं। पर ये स्थानीय सरकारें केन्द्रीय सरकार के हाथ में कठपुतली के समान होती हैं, इन्हें कानून बनाने का जो योद्धा बहुत अधिकार दिया जाता है, उस पर केन्द्रीय सरकार बँडोर नियन्त्रण रखती है। स्थानीय सरकारें जो कानून बनाती हैं, या जिस नीति को अपनाना चाहती हैं, उसके लिए उन्हें प्रायः केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है, जिसमें बहुधा बहुत देर लग जाती है।

(२) लोकतन्त्र शासन एकात्मक राज्यों में सफल नहीं हो पाते। लोकतन्त्र शासन में राज्यव्यापक जनता के हाथों में होना चाहिए। यह तभी सम्भव है, जब शासन में विकेन्द्रिकरण (Decentralization) की नीति का अनुसरण किया जाए। प्रत्येक ग्राम, कस्बे व नगर की अपनी पंचायतें हों, और इन पंचायतों को ठोस अधिकार प्राप्त हों। इनकी स्थिति छोटी-छोटी स्वतन्त्र रिपब्लिकों के समान हो, और इनकी जनता

अपने साथ सम्बन्ध रखने वाले मामला का स्वयं ही निराकरण किया करे। साथ ही, राज्य के विविध प्रदेशों में भी स्वायत्त शासन विद्यमान हो। एकात्मक शासन में ये बातें सम्भव नहीं होतीं।

(३) एकात्मक शासन छोटे-छोटे राज्यों के लिए चाहें उपयुक्त हो, पर बड़े राज्यों के लिए वह कदापि उपयुक्त नहीं हो सकता।

(४) जिन राज्यों की जनता म भाषा, नसल, धर्म आदि की विभिन्नताएँ हो, जिनके विविध प्रदेशों में भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलने वाले या विभिन्न नसलों के लोगो का निवास हो, उनमें तो एकात्मक शासन कभी सफल हो ही नहीं सकता। उनके लिए तो संवर्गात्मक शासन ही उपयुक्त होता है।

संवर्गात्मक शासन के गुण (Merits of Federal Government) —

(१) संघ (Federation) के कारण छोटे-छोटे राज्यों को यह अवसर मिलता है, कि वे परस्पर मिलकर शक्तिशाली व विशाल राज्य का निर्माण कर सकें। वर्तमान युग में सघशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण जिन बहुत से राज्यों से मिलकर हुआ है, यदि वे पृथक्-पृथक् रहते, तो आज उनकी वह शक्ति कहाँ होती, जो अमेरिकन संघ के कारण उन्हें प्राप्त है। भारत भी एक प्रकार का संवर्गात्मक राज्य ही है, जिसमें बंगाल, बिहार, पंजाब, आन्ध्र मध्यप्रदेश आदि कितने ही राज्य सम्मिलित हैं। यदि ये सब राज्य पूर्णतया स्वतन्त्र हो जाएँ, तो इनकी शक्ति व महत्त्व कम हो जायँगे। एक मगठन में मगठिन हो जाने से राज्यों का बल बढ़ना है, और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उनके महत्त्व में वृद्धि होती है।

(२) संवर्गात्मक शासन के कारण छोटे-छोटे राज्यों को यह अवसर मिलता है, कि वे अपनी विभिन्नताओं और विशेषताओं को कायम रखने हुए एक विशाल व शक्तिशाली राज्य के अंग बन सकें। भारत के मध्य (यूनियन) में जो राज्य शामिल हैं, उन्हें इस बात का पूरा अवसर दिया गया है, कि वे अपनी भाषा, मस्कृति आदि को न केवल कायम रख सकें, अपितु उनका विकास भी कर सकें।

(३) संवर्गात्मक शासन लोकतन्त्र के अधिक अनुकूल होते हैं, क्योंकि उनमें जनता को अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं शासन करने का मौका मिलता है। संघ में जो अनेक छोटे-छोटे राज्य शामिल होते हैं, वे अपने साथ सम्बन्ध रखने वाले मामलों में स्वतन्त्र रहते हैं। अपने लिए कानून बनाने व अपनी नीति का निर्धारण करने की उन्हें स्वतन्त्रता रहती है।

(४) संवर्गात्मक शासन में नारी राजशक्ति एक केन्द्रीय सरकार में निहित नहीं होती। इस कारण केन्द्रीय सरकार का बोझ हलका हो जाता है, और वह अपनी सारी शक्ति ऐसे मामलों में लगा सकती है, जिनका सम्बन्ध सारे राज्य की रक्षा व

अठारहवाँ अध्याय

मन्त्रिमण्डल के अधीन शासन और राष्ट्रपति के अधीन शासन

(Parliamentary or Cabinet form of Government and Presidential form of Government)

मन्त्रिमण्डल के अधीन शासन (Cabinet form of Government)—

व्यवस्थापन विभाग (Legislature) और शासन विभाग (Executive) में क्या सम्बन्ध है, इस आधार पर सरकार के दो भेद किये जाते हैं, मन्त्रिमण्डल के अधीन शासन और राष्ट्रपति के अधीन शासन ।

जिन सरकारों में शासन विभाग या मन्त्रिमण्डल व्यवस्थापन विभाग (पार्लियामेंट) के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उन्हें 'मन्त्रिमण्डल के अधीन शासन' कहते हैं । इसी को ममदात्मक (Parliamentary) शासन भी कहा जाता है । इस पद्धति की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं—

(१) इस शासन पद्धति में मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की नियुक्ति पार्लियामेंट के सदस्यों में से ही की जाती है । पार्लियामेंट में जिस दल की बहुसंख्या हो, उसके नेता को प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है और वह अपने दल के सदस्यों में से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है । यदि प्रधान मंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहे, जो उस समय पार्लियामेंट का सदस्य न हो, तो उसे सामयिक रूप से मंत्री बनाया जा सकता है । पर कुछ समय (प्रायः छ महीने) के अन्दर अन्दर ऐसे व्यक्ति को पार्लियामेंट का सदस्य अवश्य बन जाना चाहिए । इस प्रकार 'मन्त्रिमण्डल के अधीन' शासन में व्यवस्थापन विभाग और शासन विभाग का सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ रहता है ।

(२) मंत्रियों की संयुक्त जिम्मेवारी (Joint Responsibility) इस शासन-पद्धति की दूसरी विशेषता है । इस पद्धति में सारा मन्त्रिमण्डल संयुक्त रूप से पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता है । यदि पार्लियामेंट किसी एक मंत्री के प्रति भी अविश्वास का प्रस्ताव (Motion of No-confidence) स्वीकृत कर दे, तो सारा मन्त्रिमण्डल त्यागपत्र दे देता है ।

(३) इस पद्धति में मन्त्रिमण्डल ही उन सब कानूनों व प्रस्तावों के समविशी को तैयार करता है, जिन्हें सरकारी तौर पर पार्लियामेन्ट के सामने पेश करना होता है। सरकार के सब कार्यों के लिए मन्त्रिमण्डल को जिम्मेवार माना जाता है। इस कारण शासन का जो मुखिया हो, चाहे वह बशरत से आया हुआ राजा हो और चाहे चुना हुआ राष्ट्रपति उसके सम्बन्ध में यह सिद्धान्त मान लिया जाता है, कि वह कोई गलती नहीं कर सकता। सरकारी नीति व कार्यों में यदि कोई गलती हो, तो उसका जिम्मेवार मन्त्रिमण्डल को समझा जाता है, सरकार के प्रधान—राजा या राष्ट्रपति—को नहीं।

(४) इस पद्धति की चौथी विशेषता यह है, कि इसमें मन्त्रिमण्डल की कोई अवधि निश्चित नहीं होती। जब तक उसे पार्लियामेन्ट के बहुमत का विश्वास प्राप्त रहे, वह अपने पद पर रह सकता है। जब कभी पार्लियामेन्ट में मन्त्रिमण्डल के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाए, या उसके द्वारा पेश किया गया कोई कानून व महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाए, तो मन्त्रिमण्डल अपने पद से त्यागपत्र दे देता है। पर यदि मन्त्रिमण्डल का यह विचार हो, कि पार्लियामेन्ट जनता का सच्चे अर्थों में प्रतिनिधित्व नहीं करती और जनता उनकी अपनी नीति के पक्ष में है, तो उसे यह अधिकार होता है कि वह पार्लियामेन्ट को बर्खास्त करा दे और नया चुनाव कराये।

राष्ट्रपति के अधीन शासन (Presidential form of Government)—

जिन सरकारों में शासन विभाग (Executive) व्यवस्थापन विभाग (Legislature) में सर्वथा पृथक् हो, और शासन विभाग का मुखिया एक ऐसा व्यक्ति हो जो अपने कार्यों के लिए पार्लियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी न हो, उन्हें 'राष्ट्रपति के अधीन' शासन कहते हैं। इस सरकार की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं—

(१) व्यवस्थापन विभाग और शासन विभाग का पृथक्त्व (Separation of Executive from Legislature) इस पद्धति की पहली विशेषता है। इस पद्धति में मन्त्रियों के लिए यह जरूरी नहीं होता कि वे पार्लियामेन्ट के भी सदस्य हों। साथ ही यह भी जरूरी नहीं होता, कि मन्त्री केवल उस दल के हों, जिसका पार्लियामेन्ट में बहुमत है। मसुकराज्य अमेरिका में, जहाँ की सरकार राष्ट्रपति के अधीन है, केवल ऐसे लोगों को ही मन्त्री बनाया जाता है, जो वहाँ की पार्लियामेन्ट के सदस्य न हों।

(२) राष्ट्रपति के अधीन शासन में शासन विभाग पार्लियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। इस पद्धति में शासन विभाग का मुखिया राष्ट्रपति होता है, जिसे मतदाता लोग सीधे चुनते हैं। राष्ट्रपति मतदाताओं द्वारा चुना हुआ होता है, और पार्लियामेन्ट के सदस्य उसे अपने पद से नहीं हटा सकते। शासन-कार्य में सहायता के

लिए वही मन्त्रियों की नियुक्ति करता है, और ये मन्त्री राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे इन मन्त्रियों को अपने पदों से हटा सकता है।

(३) शासन विभाग के मुखिया (राष्ट्रपति) को एक निश्चित अवधि (Fixed Term) के लिए चुना जाता है। इस अवधि में उसे अपने पद से नहीं हटाया जा सकता।

(४) पार्लियामेंट में जो कानून व प्रस्ताव पेश होते हैं, मन्त्री लोग न उन्हें तैयार करते हैं, और न उन्हें पेश करते हैं। मन्त्री लोग यदि कोई कानून या प्रस्ताव पार्लियामेंट में पेश करना चाहें, तो वे पार्लियामेंट के किसी ऐसे सदस्य से उसे पेश कराते हैं, जो उनके अपने दल का हो और उस कानून व प्रस्ताव का समर्थक हो।

(५) मन्त्री लोग पार्लियामेंट में उपस्थित हो सकते हैं, और वहाँ भाषण भी कर सकते हैं। पर वे वोट नहीं दे सकते, क्योंकि वे पार्लियामेंट के सदस्य नहीं होते।

मन्त्रिमण्डल के अधीन शासन के गुण

(१) इस पद्धति में व्यवस्थापन और शासन विभागों में घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है, और ये दोनों विभाग परस्पर सहयोग से कार्य करते हैं। इस पद्धति में पार्लियामेंट के सदस्यों को यह ज्ञात रहता है, कि शासन वर्ग की क्या कठिनाइयाँ हैं, उसका क्या दृष्टिकोण है, और वह किन बातों को व किस नीति को राज्य के लिए उपयोगी समझता है। मन्त्रियों को भी इस पद्धति में यह जानने का अवसर मिलता रहता है, कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उनके कार्यों को किस दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार सरकार के इन दोनों महत्त्वपूर्ण विभागों में सहयोग और सौमनस्य बना रहता है।

(२) इस पद्धति में मन्त्री लोग तभी तक अपने पदों पर रह सकते हैं, जब तक कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का विश्वास उन्हें प्राप्त रहे। इस कारण मन्त्रिमण्डल के अधीन सरकार लोकतन्त्रवाद के अधिक अनुकूल होती है। राष्ट्रपति के अधीन शासन में जनता को यदि राष्ट्रपति पर विश्वास न भी हो, वह उसके कार्यों व नीति को चाहे अनुचित भी समझती हो, तो भी निश्चित अवधि से पूर्व उसे अपने पद से पृथक् नहीं किया जा सकता।

(३) मन्त्रिमण्डल के अधीन शासन में अनुभवी व योग्य व्यक्तियों को शासन कार्य सँभालने का अवसर मिलता है। जो योग्य व्यक्ति हो, पहले वे जनता के हृदयों में अपने लिए स्थान प्राप्त करके पार्लियामेंट के सदस्य चुने जाते हैं। फिर वे पार्लियामेंट में अपनी योग्यता का सिद्धा जमाते हैं। धीरे धीरे जब वे अपने दल में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लेते हैं, तभी उन्हें मन्त्री बनने का मौका मिलता है।

(४) मन्त्रिमण्डल के अधीन शासन का एक मुख्य गुण यह है, कि वे जनता की इच्छा या लोकमत के अधिक अनुकूल होते हैं। यदि राष्ट्रीय विपत्ति के किसी असाधारण अवसर पर जनता यह अनुभव करे, कि सरकार में परिवर्तन होना जरूरी है और प्रधान मन्त्री के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिये, जिसे सब दलों का सहयोग प्राप्त हो, तो इस पद्धति में मन्त्रिमण्डल को बदल सकना बहुत सुगम होता है।

मन्त्रिमण्डल के अधीन शासन के दोष

(१) लोकतन्त्र की सफलता के लिए यह जरूरी माना जाता है, कि सरकार की तीन मुख्य शक्तियाँ—व्यवस्थापन, शासन और न्याय एक हाथ में न रहकर पृथक्-पृथक् हाथों में रहे। पर इस पद्धति में व्यवस्थापन और शासन की शक्तियाँ एक दूसरे से पृथक् नहीं रहती। मन्त्रिमण्डल की स्थिति पार्लियामेंट की एक उपसमिति के सदस्य होने के कारण 'राजशक्ति के विभाजन' (Separation of Power) के सिद्धान्त को अमल में नहीं लाया जा सकता।

(२) मन्त्रिमण्डल के अधीन शासन में किसी एक राजनीतिक दल का ही शासन रहता है। इस कारण अन्य राजनीतिक दलों के योग्य व्यक्तियों का शासन में सहयोग नहीं मिलता।

(३) जिन देशों में बहुत से राजनीतिक दल होते हैं, उनमें मन्त्रिमण्डल जल्दी-जल्दी बदलते रहते हैं। यह बात शासन की स्थिरता के लिए बहुत हानिकारक होती है। फ्रांस में प्रायः एक साल में चार-पाँच मन्त्रिमण्डल बदलते रहे हैं। इस कारण वहाँ कोई सरकार चैन व निश्चिन्तता से अपना कार्य कर सकने में समर्थ नहीं रहती रही।

(४) इस पद्धति में पार्लियामेंट की स्थिति मन्त्रिमण्डल के हाथों में कठपुतली के समान हो जाती है। मन्त्रिमण्डल जिन कानूनों को पेश करता है व जिस नीति का निर्धारण करता है, उसके दल के सब लोग आँव मीचकर उसके पक्ष में वोट दे देते हैं, और पार्लियामेंट किसी प्रश्न पर स्वतन्त्रता से विचार नहीं कर पाती।

राष्ट्रपति के अधीन शासन के गुण

(१) इस पद्धति में राष्ट्रपति व उसके मन्त्री अपना सब समय शासन-कार्य में लगा सकते हैं। उन्हें इस बात की जरूरत नहीं होती, कि वे अपने को लोकप्रिय बनाये रखने के लिए जगह-जगह पर व्याख्यान देते फिरें व इसी प्रकार के अन्य कार्य करें। वे अपनी शक्ति राज्य के सुशासन के लिए लगा सकते हैं।

(२) इस पद्धति में शासन विभाग को यह भरोसा रहता है, कि एक निश्चित अवधि से पूर्व उसे अपने पद से पृथक् नहीं किया जा सकता। इस कारण राष्ट्रपति व

उसके मन्त्री ऐसी योजनाएँ भी बना सकते हैं, जिन्हें पूरा करने में कई वर्षों का समय लग जाए।

(३) इस पद्धति में दलबन्दी की बुराइयाँ भ्रष्ट नहीं होने पाती।

(४) शासन और व्यवस्थापन विभागों के पृथक् होने के कारण यह पद्धति लोकतन्त्रवाद के अधिक अनुकूल है।

राष्ट्रपति के अधीन शासन के दोष

(१) इस पद्धति में शासन और व्यवस्थापन विभागों में मतभेद उत्पन्न होते रहने की बहुत गुंजाइश रहती है। ऐसा हो सकता है, कि राष्ट्रपति किसी एक दल का हो और पार्लियामेन्ट में उसके विरोधी दल का बहुमत हो। इस दशा में उन कानूनों को पार्लियामेन्ट द्वारा स्वीकृत करा सकना सुगम नहीं होता, जिन्हें राष्ट्रपति राज्य के लिए हितकारी समझता हो।

(२) इस पद्धति में यह मुश्किल नहीं होता, कि समय के अनुसार शासकवर्ग में परिवर्तन हो सके। शान्ति के समय में एक आदमी राष्ट्रपति चुना जाता है, पर उसके कार्य की अवधि में ही महायुद्ध शुरू हो जाता है। वह आदमी शान्ति के काल के लिए बहुत योग्य था, पर युद्ध के समय देश का नेतृत्व करने की उसमें योग्यता नहीं। इस पद्धति में यह बड़ा दोष है, कि समय की आवश्यकता के अनुसार शासन विभाग में परिवर्तन कर सकना सुगम नहीं होता।

(३) इस पद्धति में राष्ट्रपति की स्थिति एक निरकुश राजा के समान हो जाती है, क्योंकि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उसके कार्यों पर अकुश नहीं रख सकते।

अधिक प्रचलित शासन-पद्धति—संयुक्त राज्य अमेरिका ही एक ऐसा बड़ा व शक्तिशाली राज्य है, जिसमें राष्ट्रपति के अधीन शासन की सत्ता है। अर्जेंटिना, ब्राजील आदि अमेरिकन महाद्वीप के कतिपय अन्य राज्यों में भी इसी पद्धति का अनुसरण किया है। पर यूरोप, एशिया, आस्ट्रेलिया आदि के अन्य प्रायः सभी राज्यों में मन्त्रिमण्डल के अधीन शासन की पद्धति प्रचलित है। इङ्ग्लैण्ड, इटली आदि अन्य सभी शक्तिशाली राज्यों में इसी ढंग की सरकारें हैं, जिनमें मन्त्रिमण्डल पार्लियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी है। भारत के नये संविधान में भी इसी पद्धति का अनुसरण किया गया है।

उत्तम शासन-पद्धति को परख (Test of Good Government)

विद्यमान चार अध्यायों में हमने उन बहुत-सी शासन पद्धतियों पर संक्षेप से प्रकाश डाला है, जो इस समय संसार के विविध राज्यों में प्रचलित हैं, या पुराने

जनता में प्रचलित रही है। इनमेंसे कौन-सा पद्धति सर्वोत्तम है, यह कह सकना बहुत कठिन है। इनका कारण यह है, कि सरकार की उत्तमता की कोई ऐसी परख नहीं है, जो सर्वमान्य हो। साथ ही यह भी सत्य है, कि किसी एक शासनपद्धति को सब वालों में व सब राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं समझा जा सकता। गार्नर ने ठीक लिखा है, 'कि जैसे कपड़े का कोई एक ऐसा नाप नहीं हो सकता, जो सब मनुष्यों को ठीक बैठ जाए, वैसे ही कोई एक शासन पद्धति ऐसी नहीं हो सकती, जो सब राज्यों के लिए उपयुक्त हो।'

जिन राज्यों की जनता सुशिक्षित हो, अपने कर्तव्यों और अधिकारों को भली-भाँति समझती हो, और सरकार के साथ सहयोग करने के लिए नबेष्ट हो, उनके लिए लोकतन्त्र शासन उपयुक्त होता है। इसके विपरीत जहाँ जनता अशिक्षित हो, छोटे-छोटे प्रभोभनों में आकर अपने वोट के अधिकार का दुरुपयोग करने में सकोच न करे, और जिसे अपने कर्तव्यों का ज्ञान न हो, वहाँ लोकतन्त्र शासन सफल नहीं हो सकता। ऐसे राज्यों के लिए सम्भवत एकात्मक या श्रेणितन्त्र शासन पद्धति अधिक उत्तम होगी।

उन राज्यों के लिए स्वर्ग शासन अधिक उपयुक्त है, जिनमें अनेक नसनों, घसों, भाषाओं और सभ्यताओं के लोगों का निवास हो। एकात्मक शासन ऐसे राज्यों के लिए उत्तम है, जो आकार में बहुत विशाल न हो और जिनके सब निवासी राष्ट्रीय दृष्टि से पूर्णतया एक हों।

मन्त्रिमण्डल के अधीन शासन उन राज्यों के लिए अधिक उपयुक्त है, जिनमें दो या तीन सुसंगठित राजनीतिक दलों की सत्ता हो। कुछ विशेष दंगलों में ताना-शाही शासन को भी उपयोगी माना जा सकता है। जब किसी देश पर कोई सख्त आशा डूभा हो, तो किसी एक योग्य व्यक्ति के हाथों में सरकार की बागडोर दे देने में भी लाभ हो सकता है। इसीलिए एक विद्वान् का मत है, कि सरकार एक मकान के समान होती है। जिस प्रकार किसी मकान का निर्माण उत्तम रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर किया जाता है, वैसे ही किसी राज्य की शासन-पद्धति का निर्माण भी उसकी जनता की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर करना चाहिए।

इसमें मन्नेह नहीं, कि कोई एक शासन पद्धति सब राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती, पर साथ ही जॉन स्टुअर्ट मिल के इस कथन में भी बहुत सचाई है, कि "उत्तम सरकार के लिए पहली शर्त यह है, कि वह जनता में उत्तम गुण और बुद्धिमत्ता उत्पन्न करे।" इन लिहाज से लोकतन्त्र शासन के मुकाबिले में अन्य किसी शासन-पद्धति को उत्तम नहीं माना जा सकता, क्योंकि लोकतन्त्र ही ऐसा शासन होता है, जिसमें जनता में उत्तम गुणों और बुद्धिमत्ता का विकास हो सकता है।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१. मन्त्रिमण्डल के अधीन (मन्त्रिमण्डल-प्रधान) और राष्ट्रपति के अधीन (राष्ट्रपति-प्रधान) शासन-पद्धतियों में क्या अन्तर है ? उनके गुण-दोषों का विवेचन कीजिये । (राजपूताना, १९५१)

२. मन्त्रिमण्डल के अधीन और राष्ट्रपति के अधीन सरकारों के गुणों और दोषों का वर्णन कीजिए । (यू० पी०, १९४७)

३. मन्त्रिमण्डल के अधीन शासन (Parliamentary Executive) की क्या मुख्य विशेषताएँ हैं ? यह बताइये कि राजनीतिक दलों की सत्ता इसकी सफलता के लिए क्यों आवश्यक है ? (यू० पी०, १९४०)

४. राष्ट्रपति के अधीन शासन की क्या मुख्य विशेषताएँ हैं ? इस पद्धति के गुणों और दोषों की विवेचना कीजिये ।

५. उत्तम शासन-पद्धति की परख क्या है ? कौन-सी शासन-पद्धति किस प्रकार के राज्य के लिए अधिक उपयुक्त होती है ?

६. 'शासन-पद्धति के विषय में मूर्ख लोग भगडा करते हैं । जिसका शासन सर्वश्रेष्ठ हो, वही सर्वोत्तम शासन-पद्धति है ।' इस कथन की विवेचना कीजिये । (अजमेर, १९५२)

उन्नीसवाँ अध्याय राज्य का संविधान (Constitution)

संविधान की आवश्यकता—

प्रत्येक राज्य के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है, विशेषतया उन राज्यों के लिए जिनमें लोकतन्त्र शासन हो। सरकार का संगठन सारे राज्य में विद्यमान होता है। उसके सब कर्मचारी किन्हीं निश्चित नियमों व व्यवस्थाओं के अधीन होते हैं। गांव के चौकीदार से लेकर राष्ट्रपति तक सब इस संगठन के अन्दर रहते हुए ही अपना-अपना कार्य करते हैं। इसलिए यह जरूरी होता है, कि इन सब सरकारी कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य भली भाँति स्पष्ट हो, ताकि कोई भी कर्मचारी न अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सके, और न अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर सके। साथ ही, राज्य में प्रत्येक नागरिक के भी कतिपय अधिकार व कर्तव्य होते हैं। जब लोकतन्त्र शासनो में सब लोग राजशक्ति के प्रयोग में हाथ बटाते हैं, तो उन्हें यह भी भली भाँति मालूम होना चाहिए कि उनके शासन में क्या-क्या अधिकार हैं, और क्या-क्या कर्तव्य हैं। संविधान में इन्हीं सब बातों का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया जाता है। यदि संविधान न हो, तो सरकारी कर्मचारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकेंगे, और जनता के अधिकार सुरक्षित नहीं रहने पाएँगे।

संविधान का अभिप्राय—

संविधान का लक्षण अनेक प्रकार से किया गया है। सर जेम्स मैकिनटॉश के अनुसार “संविधान उन लिखित व अलिखित आधारभूत कानूनों के समूह को कहते हैं, जो कि उच्च पदाधिकारियों के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों और जनता के सबसे महत्वपूर्ण विधेयाधिकारों (Privileges) को नियमबद्ध करते हैं।”

स्विट्जरलैण्ड के विद्वान् बोजों (Borgeaud) ने संविधान का जो लक्षण किया है, वह अधिक स्पष्ट है—“संविधान उस आधारभूत कानून को कहते हैं, जिसके अनुसार राज्य की सरकार का संगठन किया जाता है, और जिसके अनुसार व्यक्तियों और समाज का पारस्परिक सम्बन्ध निश्चित होता है।”

जेमीनेक के अनुसार “संविधान उन कानूनों का नाम है, जिनके द्वारा राज-

शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रधान साधनों का स्वरूप निश्चित होता है, और इन विविध साधनों का निर्माण किस ढंग से किया जाए, इनमें परस्पर क्या सम्बन्ध हो, इनका कार्यक्षेत्र क्या हो, और इनमें से प्रत्येक का राज्य के साथ क्या सम्बन्ध हो— ये बातें जिनसे निर्धारित होती हैं।”

इन प्रकार यह स्पष्ट है, कि संविधान द्वारा निम्नलिखित बातें प्रतिपादित की जाती हैं—

(१) किसी राज्य की सरकार के कौन कौन से अंग हैं।

(२) इन विविध अंगों की क्या शक्ति है, क्या कार्यक्षेत्र है, उनके परस्पर क्या सम्बन्ध हैं, और राज्य के साथ उनका क्या सम्बन्ध है।

(३) जनता के कौन से ऐसे आधारभूत अधिकार हैं, जिनका सरकार अति-उत्तम नहीं कर सकती, और वे कौन से ऐसे साधन हैं, जिनसे जनता अपने इन अधिकारों की रक्षा कर सकती है।

संविधानों के भेद व प्रकार (Types of Constitutions)—

संविधानों का वर्गीकरण (Classification) अनेक प्रकार से किया जाता है। मुख्य वर्गीकरण निम्नलिखित हैं—

(१) विकसित (Evolved) और विहित (Enacted)—जिन राज्यों की शासनपद्धति धीरे-धीरे विकसित हुई हो, जिनकी शासनपद्धति का आधार पुरातन परम्पराएँ व प्रथाएँ हो, जिनकी शासनपद्धति का निर्माण किसी संविधान परिषद् (Constituent Assembly) द्वारा न किया गया हो, उनके संविधान को 'विकसित' (Evolved) कहते हैं। इंग्लैण्ड इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। वहाँ के संविधान का निर्माण किसी संविधान परिषद् द्वारा नहीं किया गया। वहाँ राजा, मन्त्रिमण्डल, पार्लियामेंट आदि की शक्ति व अधिकारक्षेत्र आदि किसी एक कानून द्वारा लेखबद्ध भी नहीं कर दिये गये हैं। वे ऐतिहासिक विकास के परिणाम हैं। इसीलिए वहाँ के संविधान को 'विकसित' कहा जाता है। इस समय तक भी इंग्लैण्ड का संविधान लेखबद्ध नहीं हुआ है। उनमें यदि कोई परिवर्तन करना हो, तो उसके लिए किसी संविधान परिषद् की आवश्यकता नहीं समझी जाती। अब भी उसमें विकास जारी है, और जनता के विचारों और समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है। नई परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर इंग्लैण्ड में नई परम्परा का विकास हो जाता है, और इस प्रकार वहाँ का संविधान निरन्तर विकसित होता रहता है।

विहित संविधान (Enacted Constitution) वह संविधान है, जिसका निर्माण किसी संविधान परिषद् (Constituent Assembly) द्वारा हुआ हो। इस प्रकार के संविधान लेखबद्ध होते हैं, और उनमें सब बातें स्पष्ट रूप से लिखित रहती

है। भारत, संयुक्तराज्य अमेरिका आदि कितने ही राज्यों के सविधान 'लिखित' ही हैं।

(२) लिखित और अलिखित सविधान (Written and Unwritten Constitutions)—लिखित सविधान वे कहते हैं, जो पूर्णतया या अधिकांश रूप से लेखबद्ध हो। इनका निर्माण पार्लियामेंट या सविधान-परिषद् द्वारा किया जाता है। लिखित सविधान में एक या एक-से-अधिक ऐसे विधानों (Acts) का समावेश होता है, जिनमें शासन की विधि का स्पष्ट व विशद रूप से प्रतिपादन किया गया हो। सरकार का संगठन किस प्रकार का हो, उसके विविध विभागों के क्या अधिकार और कर्तव्य हो, उनकी रचना किस प्रकार की जाए, और नागरिकों के आधारभूत (Fundamental) अधिकार कौन से हों—इन सब बातों का लिखित सविधान में समावेश किया जाता है।

अलिखित सविधान वे होते हैं, जिनमें सरकार के संगठन की अधिकांश बातें किसी एक जगह पर लेखबद्ध नहीं होतीं। इन सविधानों में लिखित कानून के मुकाबिले में परम्परागत रिवाजों, प्रथाओं और न्यायालय के निर्णयों का महत्व अधिक होता है। इंग्लैण्ड का सविधान अलिखित सविधान का सबसे उत्तम उदाहरण है। इंग्लैण्ड में मन्त्रिमण्डल (कैबिनेट) का महत्व बहुत अधिक है, वही वहाँ के शासन का मंचालन करता है। पर इंग्लैण्ड के लिखित कानूनों में उसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। उसकी मत्ता, अधिकार व कर्तव्य उस परम्परा पर आधारित हैं, जिसका इंग्लैण्ड में धीरे धीरे विकास हुआ है। इंग्लैण्ड के कानूनों के अनुसार राजा अब भी सर्वसत्तित-सम्पन्न व निरंकुश है। वह जो चाहे, कर सकता है। पर परम्परा के अनुसार वह कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता, जो पार्लियामेंट को स्वीकार न हो।

संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, फ्रांस आदि राज्यों के सविधान 'लिखित' हैं। इनका निर्माण सविधान-परिषद् द्वारा ही हुआ है।

लिखित और अलिखित सविधानों के विषय में विचार करने हुए यह ध्यान में रखना चाहिये, कि इनमें भेद पूरी तरह से वास्तविक नहीं होता। इसके दो कारण हैं—

(क) जिन राज्यों के सविधान लिखित हैं, उनमें भी बहुत-सी ऐसी परम्पराओं व प्रथाओं का विकास हो जाता है, जो लिखित न होते हुए भी कानून का महत्व रखती हैं।

(ख) इंग्लैण्ड का सविधान अलिखित कहा जाता है। पर वह भी अब पूरी तरह से अलिखित नहीं रह गया है। वहाँ जो बहुत-सी बातें पहले परम्परागत रूप से चलती आती थीं, उनमें से बहुत-सी अब पार्लियामेंट द्वारा स्वीकृत लेखबद्ध कानूनों के रूप में आ चुकी हैं।

(३) सुपरिबर्तनीय और दुष्परिवर्तनीय सविधान (Flexible and Rigid

Constitutions) — जिस सविधान को कानून बनाने के साधारण तरीके से बदला जा सके, उसे 'सुपरिवर्तनीय' (Flexible) कहते हैं। राज्य के कानूनों का निर्माण व्यवस्थापन विभाग (पार्लियामेण्ट) द्वारा किया जाता है। वही राज्य के लिए नये कानून बनाता है, और पहले बने हुए कानूनों में परिवर्तन व सशोधन करता है। यदि यही व्यवस्थापन विभाग सविधान में भी परिवर्तन व सशोधन कर सके, तो ऐसे सविधान को 'सुपरिवर्तनीय' कहेंगे। इङ्ग्लैण्ड का सविधान सुपरिवर्तनीय है। वहाँ कानून बनाने का कार्य पार्लियामेण्ट (हाउस ऑफ़ कामन्स और हाउस ऑफ़ लार्ड्स) के हाथों में है। यही पार्लियामेण्ट साधारण कानून बनाती है, और यही उन कानूनों को भी, जिन्हें 'संवैधानिक कानून' (Constitutional Law) कहा जाता है। हाउस ऑफ़ कामन्स का चुनाव कितने सालों के लिए हो, वोट का अधिकार किन व्यक्तियों को हो, हाउस ऑफ़ लार्ड्स के क्या अधिकार हो—इन बातों का सम्बन्ध संवैधानिक कानून से है। इङ्ग्लैण्ड की पार्लियामेण्ट इनमें भी परिवर्तन कर सकती है।

जिस सविधान को बदलने के लिये असाधारण तरीकों को बरतना पड़े, उसे 'दुष्परिवर्तनीय' कहते हैं। जो व्यवस्थापन विभाग (पार्लियामेण्ट) साधारण कानूनों को बनाता है या उनमें सशोधन करता है, उसे जब यह अधिकार न हो, कि वह सविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन कर सके, तो ऐसे सविधान को दुष्परिवर्तनीय कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत आदि के सविधान इसी ढंग के हैं। इन राज्यों में संवैधानिक कानून को साधारण कानून की अपेक्षा ऊँचा माना जाता है, और उसमें परिवर्तन करने के लिए कुछ विशेष उपायों की आवश्यकता होती है।

भारत के सविधान में यदि परिवर्तन करना हो, तो एक विशेष पद्धति का अनुसरण किया जाता है। सविधान में सशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव को पहले सघ (Union) की पार्लियामेण्ट के दोनों सदनों (Chambers) में पृथक् पृथक् स्वीकार किया जाता है और इस स्वीकृति के लिए यह जरूरी है, कि सदस्यों की बहुसंख्या या उपस्थित सदस्यों का दो तिहाई भाग उसके पक्ष में वोट दे। सविधान की जिन धाराओं का सम्बन्ध भारतीय सघ के अन्तर्गत राज्यों के साथ हो, उनमें परिवर्तन करने के लिए यह भी आवश्यक है, कि बहुसंख्यक राज्य भी उस परिवर्तन के पक्ष में हो।

दुष्परिवर्तनीय सविधानों के गुण और दोष—

दुष्परिवर्तनीय सविधानों के गुण निम्नलिखित हैं—(१) इनमें परिवर्तन करना सुगम नहीं होता, अतः इनके कारण देश के शासन में स्थायित्व रहता है। इन्हें एक सविधान-परिपद बहुत सोच-समझकर बनाती है। राज्य की पार्लियामेण्ट में कभी किसी दल का बहुमत होता है, कभी किसी का। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी

देश का शासन अपने विचारों के अनुसार करने का यत्न करती है। यदि सविधान को भी साधारण कानून के सामान सुगमता से बदला जा सके, तो देश के शासन में स्थिरता या स्थायित्व नहीं आने पाएँगे। मान लीजिये, एक पार्टी सम्पत्ति को व्यक्तियों से लेकर राज्य के स्वामित्व में ले आने के पक्ष में है, और दूसरी वैयक्तिक सम्पत्ति (Private property) की पक्षपाती है। पर यदि सविधान में सम्पत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार को स्वीकार किया गया है, तो सम्पत्ति पर वैयक्तिक अधिकार का विरोधी समाजवादी दल तब तक वैयक्तिक सम्पत्ति का अन्त कर देने के लिए कोई कानून पास नहीं करा सकेगा, जब तक कि वह पहले सविधान में परिवर्तन न करा ले। पर क्योंकि सविधान में परिवर्तन कराना सुगम नहीं होता, अतः समाजवादी पार्टी पार्लियामेण्ट में बहुमत प्राप्त करके भी देश की आर्थिक व्यवस्था में भी सुगमता से परिवर्तन नहीं कर सकेगी।

(२) दुष्परिवर्तनीय सविधानों में नागरिकों के अधिकारों का स्पष्ट रूप में उल्लेख रहता है। सरकार का कोई अंग (व्यवस्थापन या शासन) उनका उल्लंघन करने की शक्ति नहीं रखता। इसलिए नागरिकों की स्वतन्त्रता इस प्रकार के सविधानों में अधिक सुरक्षित रहती है।

(३) अल्पसंख्यक (Minorities) लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी इस प्रकार के सविधानों में व्यवस्था की जाती है। इस कारण बहुसंख्यक जातियों के लोग, जिनका स्वाभाविक रूप से पार्लियामेण्ट में बहुमत होता है, केवल अपने बहुमत के कारण अल्पसंख्यक लोगों के लिए हानिकारक कानूनों को पास नहीं कर पाते।

दुष्परिवर्तनीय सविधान में कतिपय दोष भी होते हैं—

(१) मनुष्यों के विचारों और आवश्यकताओं में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। आज मनुष्य जिन विचारों को ठीक समझता है, कल वे पुराने पड़ जाते हैं। समाज के संगठन और शासनपद्धति के विषय में भी मनुष्यों के विचार सदा एक से नहीं रहते। अतः यदि सविधान को बहुत दुष्परिवर्तनीय बना दिया जाए, तो जनता क्रान्ति के अतिरिक्त किसी अन्य उपाय से उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। उसे नये सामाजिक संगठन को लाने के लिए हिंसा के उपायों का प्रयोग करना पड़ता है।

(२) अनेक बार ऐसे अवसर भी आ जाते हैं, जब किसी कानून को तुरन्त बनाने की आवश्यकता हो। महायुद्ध के अवसर पर नागरिकों की अनेक स्वतन्त्रताओं व अधिकारों को छीन लेने की जरूरत हो सकती है। पर यदि सविधान में सुगमता से परिवर्तन कर सकना सम्भव न हो, तो ये जरूरी कानून समय पर नहीं बनाये जा सकते।

सुपरिवर्तनीय सविधान के गुण और दोष—

सुपरिवर्तनीय सविधान के गुण निम्नलिखित हैं—

(१) जनता के विचारों में जैसे-जैसे परिवर्तन आते जाएँ, सविधान को भी उसी के अनुसार बदलते रहना चाहिए। सुपरिवर्तनीय सविधान होने पर समाज के मगठन व शासनपद्धति में परिवर्तन लाने के लिए क्रान्ति व हिंसात्मक उपायों की आवश्यकता नहीं रह जाती।

(२) किन्हीं विशेष दशाओं में शासन-व्यवस्था की अनेक बातों में परिवर्तन की जरूरत पड़ जाती है। संयुक्तराज्य अमेरिका के सविधान के अनुसार हर चार साल बाद राष्ट्रपति और कांग्रेस (पार्लियामेण्ट) का नया चुनाव होना चाहिये। यदि महायुद्ध आदि के कारण नया चुनाव कर सकना सम्भव न हो, या उसे उचित न ममभा जाए, तो भी अमेरिका में नया चुनाव करना ही होगा, बशर्ते कि सविधान में संशोधन न किया जाए। पर क्योंकि वहाँ सविधान में परिवर्तन करना आसान नहीं है, अतः ऐसी दशा में वहाँ एक बिकट समस्या उपस्थित हो जायगी।

सुपरिवर्तनीय सविधान के कुछ दोष भी हैं—

(१) इसके कारण पार्लियामेण्ट के सदस्यों के हाथ में बहुत शक्ति आ जाती है। वे अपने इच्छानुसार नागरिकों के आधारभूत अधिकारों तक का अपहरण कर सकते हैं।

(२) राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की शक्ति भी इससे बहुत बढ़ जाती है, और कोई ऐसी मर्यादा नहीं रह जाती, जिसका पालन करना उनके लिए अनिवार्य हो। बहुमत वाली पार्टी अपनी इच्छानुसार बिना किसी मर्यादा के जो चाहे कानून बनवा सकती है।

उपसंहार—इसमें सन्देह नहीं, कि सुपरिवर्तनीय और दुष्परिवर्तनीय दोनों प्रकार के सविधानों में अनेक गुण और अनेक दोष हैं। सविधान को इतना दुष्परिवर्तनीय भी नहीं होना चाहिए, कि समय के अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकना कठिन हो जाए। एक विद्वान् ने ठीक कहा है, कि दुष्परिवर्तनीय सविधान उस वस्त्र के समान है, जिसे मनुष्य के शरीर के नाप का बनाया जाना है, पर जिसे बनाते समय यह ध्यान में नहीं रखा जाता कि मनुष्य का शरीर बढ़ता भी है। उसे घटाने-बढ़ाने की उसमें गुन्जाइश नहीं रखी जाती।

साम ही यह भी सत्य है, कि सर्वधानिक और साधारण कानूनों में कोई भी भेद न करना भी उचित नहीं है। यदि सविधान में भी साधारण कानून के समान ही सुगमता से परिवर्तन किये जा सकें, तो पार्लियामेण्ट में जिस दल का बहुमत होगा, उसे मनमानी करने का अवसर मिल जायगा, उसकी शक्ति अमर्यादित हो जायगी। अतः सविधान को न पूरी तरह से सुपरिवर्तनीय ही होना चाहिए, और न बहुत दुष्परिवर्तनीय ही। भारत का सविधान संयुक्तराज्य अमेरिका के सविधान के समान

दुष्परिवर्तनीय नहीं है, यद्यपि यहाँ नैसर्गिक कानून और साधारण कानून में परिवर्तन करने के लिए एक खास प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। पर वह इंग्लैण्ड के सविधान के समान सुपरिवर्तनीय भी नहीं है। आजकल के राज्यों की प्रवृत्ति यही है, कि सविधान दुष्परिवर्तनीय हो, पर उनमें परिवर्तन करना बहुत बठिन न हो।

सविधान के आवश्यक अंग—

आजकल सविधानों में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया जाता है—

(१) नागरिकों के आवागमन अधिकार—राज्य में नागरिकता का अधिकार किन्हे प्राप्त हो, यह बताकर सविधान में नागरिकों के उन आधारभूत अधिकारों का उल्लेख किया जाता है, जिनका उल्लंघन सरकार नहीं कर सकती। ये अधिकार प्रायः निम्नलिखित होते हैं—सब नागरिकों की समानता, धर्म की स्वतन्त्रता, सम्पत्ति पर व्यक्तियों का स्वामित्व, भाषण लेख व अन्य प्रकार से अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतन्त्रता, न्यायालय द्वारा सजा दिये बिना किसी नागरिक का जेल में बन्द न रख सकता और अल्पसंख्यक समुदायों (Minorities) के हितों की रक्षा।

(२) राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धान्त—भारत के सविधान में उन सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन किया गया है जिन्हे सरकार को अपनी नीति का निर्धारण करते हुए सम्मुख रखना चाहिए। ये सिद्धान्त निम्नलिखित हैं—(क) सब नागरिकों को आजीविका कमाने के साधन व अवसर प्राप्त करने का अधिकार है। (ख) आर्थिक उत्पादन के साधनों पर व्यक्तियों के स्वामित्व को इस तरह से नियन्त्रित करना चाहिए, जिससे उनका उपयोग सब के हित के लिए हो सके। (ग) ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाए। (घ) प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह शिक्षा प्राप्त कर सके, और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी व अपाहिज होने की दशा में राज्य से सहायता पा सके। (ङ) प्रत्येक श्रमिक को इतनी मजदूरी अवश्य मिले जिससे कि वह न केवल अपना भरण-पोषण कर सके, अपितु अपने रहन-सहन को भी समुचित स्तर पर ला सके।

(३) शासन व्यवस्था—राज्य के शासन का रूप ढाँचा हो, सरकार के विविध अंगों या विभागों के क्या अधिकार व कर्तव्य हो, उनका निर्माण कैसे किया जाए, और यदि राज्य का शासन मन्वगत्मक (Federal) हो, तो मन्वग सरकार और उसमें शामिल हुए राज्यों की सरकारों का क्षेत्र क्या हो—इन सब बातों को सविधान में स्पष्ट किया जाता है।

(४) सविधान में परिवर्तन—सविधान में परिवर्तन करने का ढग भी सविधान में भली भाँति स्पष्ट कर दिया जाता है।

ये कर्मचारी मन्त्रिमण्डल के निरीक्षण व नियन्त्रण में कार्य करते हैं। पार्लियामेंटरी सिस्टम वाले राज्यों में यह मन्त्रिमण्डल पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता है। जिन राज्यों में प्रेजिडेंशियल सिस्टम होता है, उनमें मन्त्री लोग राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रायः सब राज्यों में न्याय विभाग व्यवस्थापन और शासन विभागों से पृथक् होता है, ताकि वह कानूनों की व्याख्या करने और अपराधियों को दण्ड देने के कार्य को बिना किसी दबाव के स्वतन्त्रतापूर्वक कर सके।

राजशक्ति के पृथक्करण का सिद्धान्त—

व्यवस्थापन, शासन और न्याय—सरकार के ये तीनों कार्य अलग-अलग विभागों के हाथ में रहें, इनमें से प्रत्येक विभाग अपने अपने दायरे में रहे, और दूसरे विभाग के दायरे में हस्तक्षेप न करे—इस सिद्धान्त को 'राजशक्ति के पृथक्करण का सिद्धान्त' (Theory of Separation of Power) कहते हैं। इसके अनुसार सरकार के किसी एक विभाग या अंग के पास यह शक्ति नहीं होनी चाहिए, कि वह दूसरे किसी विभाग पर नियन्त्रण रख सके या उसके काम में हस्तक्षेप कर सके।

मातस्व्यू (Montesquieu) द्वारा इस सिद्धान्त का प्रतिपादन—

राजशक्ति को अनेक विभागों में बांटा जा सकता है, यह विचार प्राचीन समय में भी विद्यमान था। अरिस्टोटल ने राजशक्ति को तीन भागों में बांटा था— एसेम्बली, मजिस्ट्रेट और न्याय विभाग। ये विभाग व्यवस्थापन, शासन और न्याय विभागों को ही सूचित करते हैं। पर ये तीनों विभाग पूरी तरह से एक-दूसरे से अलग रहने चाहिए, इन सिद्धान्त का प्रबलता के साथ प्रतिपादन पहले पहल मातस्व्यू ने किया। मातस्व्यू फ्रांस का निवासी था और अठारहवीं सदी में हुआ था। अपने देश में राजा लुई चौदहवें के शासन को वह अपनी आँखों से देख चुका था। लुई चौदहवाँ बड़ा स्वेच्छाचारी और निरकुश राजा था, और अपनी 'इच्छा को ही कानून' मानता था। राज्य के शासन में जनता की इच्छा का भी कोई स्थान होता है, और राजशक्ति में कोई अन्य भी राजा का हाथ बटा सकता है, यह बात लुई चौदहवें की कल्पना से भी परे थी। ऐसे समय में मातस्व्यू ने 'राजशक्ति के पृथक्करण' के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। उसका यह मत था, कि राज्य के व्यवस्थापन, शासन और न्याय विभागों को पूर्णतया पृथक्-पृथक् होना चाहिए। वह कहता था कि यदि ये तीनों शक्तियाँ या इनमें से कोई दो भी एक ही हाथों में रहे, तो उसका परिणाम निरकुश व स्वेच्छाचारी शासन होगा। उदाहरण के लिए यदि कानून बनाना और उनको क्रियान्वित कराना एक ही व्यक्ति या व्यक्ति-समूह को दे दिया जाए, तो शासक ऐसे कानून बनायेगा, जिनसे उनके हाथों में अनियन्त्रित शक्ति आ जायगी। यदि

शासन विभाग को न्याय का काम भी सुपुर्ण कर दिया जाए, तो उसका यह परिणाम होगा कि मुद्दई (अभियोक्ता) ही जुर्म का फंसला करने वाला भी हो जायगा।

मातस्व्यू के राजशक्ति के पृथक्करण के सिद्धान्त ने अठारहवीं सदी की राजनीति पर बहुत असर डाला। मैमिडोन नामक अमेरिकन लेखक ने लिखा, कि यदि व्यवस्थापन, शासन और न्याय की शक्तियाँ एक ही हाथों में केन्द्रित हो जाएँ, तो इससे बढ़कर निरकुशता और कोई हो ही नहीं सकती। इस युग के प्रायः सभी विचारक यह मानने लगे थे, कि शक्ति का पृथक्करण एक स्वयंसिद्ध सत्य सिद्धान्त है।

इसलिए जब अठारहवीं सदी के अन्त में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बना, तो उसमें इस सिद्धान्त का पूरी तरह से उपयोग किया गया।

राजशक्ति के तीन विभाग हैं या कम अधिक—

मातस्व्यू के अनुसार राजशक्ति के तीन विभाग होते हैं, पर कुछ विद्वानों का मन इसमें भिन्न है। कुछ विद्वान् राजशक्ति के केवल दो विभाग मानते हैं, और कुछ उसे पाँच विभागों में विभक्त करना उचित समझते हैं।

जो लोग राजशक्ति के केवल दो विभाग करने के पक्ष में हैं, उनका कहना है कि असल में राजशक्ति के दो ही विभाग होते हैं, व्यवस्थापन (Legislature) और शासन (Executive)। व्यवस्थापन विभाग राज्य की इच्छा का निर्माण करने और उसे प्रकट करने का कार्य करता है, और शासन विभाग उस इच्छा को न्याय में परिणत कराता है। न्याय विभाग की कोई अलग सत्ता नहीं होती, क्योंकि उसका कार्य यही है कि वह व्यक्तियों को कानूनों का पालन करने के लिए विवश करे। यह सही है, कि न्याय विभाग का संगठन पृथक् व स्वतन्त्र होना चाहिए। पर असल में यह विभाग शासन विभाग का ही अंग होता है।

इन विचारकों के अनुसार शासन विभाग के तीन उप-विभाग होते हैं—

(१) कार्यकारिणी (Executive)—यह उप-विभाग शासन सम्बन्धी कार्यों का निरीक्षण व नियन्त्रण करता है, और सरकार की नीति का निर्धारण करता है।

(२) प्रशासन (Administrative)—यह उप-विभाग कार्यकारिणी के निरीक्षण में शासन का असली काम करता है।

(३) न्याय (Judicial)—यह उप-विभाग कानूनों को व्याख्या करके और कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दण्ड देकर शासन के काम में सहायता पहुँचाता है।

अनेक विचारक ऐसे भी हैं, जो राजशक्ति को पाँच भागों में बाँटते हैं। ये विभाग निम्नलिखित हैं—

(१) व्यवस्थापन विभाग (Legislature)—यह विभाग कानून बनाता है,

श्रीर सरकार की नीति की रूपरेखा तैयार करता है ।

(२) निर्वाचक मण्डल (Electorate)—लोकतन्त्र शासन में निर्वाचकों का स्थान बड़े महत्त्व का है । चुनाव के समय निर्वाचक (मतदाता या वोटर) ही यह निर्णय करते हैं, कि कौन पार्लियामेण्ट का सदस्य हो । रिफ़रेन्डम, इनीशिएटिव और रि कॉल द्वारा भी निर्वाचक लोग ही राज्य की इच्छा को प्रकट करते हैं ।

(३) कार्यकारिणी (Executive)—यह विभाग कानूनों व सरकारी नीति को क्रिया में परिणत कराने के लिए उत्तरदायी होता है, और साथ ही जिन लोगों के हाथ में शासन का असली काम हो, उनका भी निरीक्षण व मार्ग-प्रदर्शन करता है ।

(४) प्रशासन विभाग (Administrative)—जो लोग स्थायी रूप से सरकारी सेवा में रहते हैं, और शासन का असली काम संभालते हैं, वे इस विभाग में शामिल होते हैं ।

(५) न्याय विभाग (Judiciary)—कानूनों की व्याख्या करना, इस बात का फैसला करना कि किसी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया है या नहीं, और कानून तोड़ने वालों को दण्ड देना इस विभाग का काम है ।

राजशक्ति के पृथक्करण सिद्धान्त की आलोचना—

मातस्न्यू द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त की आलोचना में निम्नलिखित बातें कही जा सकती हैं—

(१) इस सिद्धान्त को पूरी तरह से क्रियान्वित कर सकना सम्भव नहीं है । कोई भी शासनपद्धति ऐसी नहीं हो सकती, जिसमें राजशक्ति के विविध विभागों को पूरी तरह से अलग-अलग रखा जा सके । असल में व्यवस्थापन, शासन और न्याय—ये तीनों विभाग एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं । सरकार की उपमा शरीर से दी जा सकती है । शरीर में भी अनेक अंग होते हैं । सब अंगों के काम भी अलग-अलग हैं । पर शरीर के इन अंगों को एक-दूसरे से अलग रख सकना सम्भव नहीं है । यदि शरीर का एक अंग बिगड़ जाए, तो उसका असर दूसरे अंगों पर भी पड़ता है । यही बात सरकार के विषय में भी है । सरकार के इन तीन या पाँच अंगों का एक-दूसरे के साथ इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है, कि उन्हें पूरी तरह से अलग रखा ही नहीं जा सकता ।

(२) यदि यह मान भी लें कि राजशक्ति को अनेक विभागों में बाँट सकना सम्भव है, तो भी ऐसा करना उचित नहीं होगा । व्यवस्थापन और शासन विभागों को लीजिये । यदि इन्हें पूरी तरह से अलग कर दिया जाए, तो अर्द्ध कानूनों का बना सकना सुगम नहीं होगा । शासन का कार्य जिन लोगों के सुपुर्दे होता है, वेही यह भी भली भाँति समझ सकते हैं, कि राज्य को जिन कानूनों की आवश्यकता है ।

यदि शासक लोग अनुभव करते हो, कि देशद्रोहियों का दमन करने के लिए एक खास कानून बनाना जरूरी है, और पार्लियामेण्ट उस कानून को बनाने के लिए तैयार न हो, तो सरकार के काम में भारी रकावट पैदा हो सकती है। यही बात टैक्सों के बारे में भी कही जा सकती है। राज्य के काम को भली भाँति चलाने के लिए कितना धन चाहिये, और उस धन को किन टैक्सों द्वारा प्राप्त करना चाहिए—इस बात को ठीक तरह से शासक लोग ही समझ सकते हैं। इस कारण शासन और व्यवस्थापन विभागों में घनिष्ठ सम्बन्ध का होना बहुत आवश्यक है।

(३) राजशक्ति के पृथक्करण सिद्धान्त में यह मान लिया जाता है कि राजशक्ति के तीनों रूप—व्यवस्थापन, शासन और न्याय—एक समान महत्त्व रखते हैं। पर लोकतन्त्र राज्यों के सम्बन्ध में यह बात सच नहीं मानी जा सकती। आजाबल के लोकतन्त्र शासनों में जनता का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर जहाँ कानून बनाने में हाथ बटाती है, वहाँ साथ ही शासन के कार्य पर भी अपना नियन्त्रण रखती है। मन्त्रिमण्डल के अमीन (कैबिनेट सिस्टमवाले) शासनों में कार्यकारिणी तभी तक आने पर रह सकती है, जब तक कि जनता का (या उस द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के बहुमत का) उन पर विश्वास रहे। इसलिए शासक वर्ग पर जनता का प्रभाव कायम रखने के लिए यह जरूरी है, कि शासन विभाग को पार्लियामेण्ट या व्यवस्थापन विभाग से संबंध पृथक् न रखा जाये।

(४) इसमें सन्देह नहीं, कि न्याय-विभाग को शासक-वर्ग के प्रभाव से स्वतन्त्र रहना चाहिये। पर इस विभाग को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र कर देने का केवल यही उपाय हो सकता है, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति न मन्त्रिमण्डल द्वारा हो और न पार्लियामेण्ट द्वारा। इन दशा में पार्लियामेण्ट के सदस्यों के समान न्यायाधीशों की नियुक्ति भी मतदाताओं के वोटों द्वारा की जाने लगेगी। यह बात कितनी हानिकारक होगी, यह लिखने की आवश्यकता नहीं। इसलिए न्याय विभाग में कार्य करने वाले न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रायः शासन विभाग द्वारा ही की जाती है, और इन दोनों विभागों का एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है।

इन्हीं सब कारणों से शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त कहीं भी पूरी तरह से काम में नहीं आ सका है। संयुक्तराज्य अमेरिका की शासनपद्धति के विषय में यह समझा जाता है, कि वहाँ व्यवस्थापन, शासन और न्याय विभागों को पूरी तरह से एक-दूसरे से पृथक् रखा गया है। पर यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि—

(१) संयुक्तराज्य अमेरिका के व्यवस्थापन विभाग (कांग्रेस) को न्याय-सम्बन्धी अनेक अधिकार प्राप्त हैं। उच्चतम (सुप्रीम) कोर्ट के न्यायाधीश पर महाभियोग (Impeachment) चलाने का काम कांग्रेस ही करती है। साथ ही वहाँ न्यायालयों को भी यह अधिकार दिया गया है, कि वे कांग्रेस द्वारा पास किये गये

किसी कानून को संविधान के विरुद्ध (Unconstitutional) घोषित कर सके।

(२) संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति (जो शासन विभाग का प्रधान होता है) को व्यवस्थापन सम्बन्धी अनेक अधिकार प्राप्त हैं। वह कांग्रेस द्वारा पास किये हुए कानूनों पर अपनी सहमति देने में इन्कार कर सकता है।

सरकार में श्रम-विभाग—

ऊपर हमने जिन मुद्दों को पेश किया है, उनके कारण आजकल 'राज-शक्ति के पृथक्करण' के सिद्धान्त को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता। आजकल सरकार के लिए श्रम-विभाग (Division of Labour) को अत्यन्त स्वीकार किया जाता है, पर पृथक्करण को नहीं। जिस प्रकार सभ्यता के विकास के साथ-साथ मनुष्यों में श्रम-विभाग का विकास हो गया है, वैसे ही राज्य के कार्यों में वृद्धि के कारण अब सरकार के क्षेत्र में भी श्रम-विभाग विकसित हो गया है। अब यह मुमकिन नहीं रहा, कि कोई एक मनुष्य या कुछ थोड़े-से मनुष्य सम्पूर्ण राजशक्ति का प्रयोग कर सके। व्यवस्थापन, शासन और न्याय विभाग सरकार के काम में श्रम-विभाग का सा ही स्थान रखते हैं। वे ऐसे अलग-अलग मनुष्यों को सुपुर्द किये जाने चाहिये, जो कि इन कामों में विशेष योग्यता रखते हों। पर श्रम-विभाग के साथ-साथ उनमें सहयोग का रहना भी बहुत उपयोगी है।

नियन्त्रण और संतुलन का सिद्धान्त

राजशक्ति के पृथक्करण के सिद्धान्त का एक ससोचित रूप आजकल के विद्वान् स्वीकार करते हैं, जिसे 'चेक और बैलन्स का सिद्धान्त' कहते हैं। इस सिद्धान्त का अभिप्राय यह है—

(१) सरकार के विविध अंगों—व्यवस्थापन, शासन और न्याय—का क्षेत्र पृथक् रूप से निर्धारित रहना चाहिए।

(२) पर साथ ही ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिए, जिसमें एक अंग दूसरे अंग पर रोक-थाम रख सके, उसका नियन्त्रण कर सके। उदाहरण के लिए व्यवस्थापन विभाग को लीजिये। उसका काम कानून बनाना है। पर इसका यह अभिप्राय नहीं, कि शासन विभाग का कानून बनाने के साथ कोई सम्बन्ध रहे ही नहीं।

शासन-विभाग निम्नलिखित रीति से व्यवस्थापन कार्य के साथ सहयोग कर सकता है—

(१) जिन कानूनों को वह देश के लिए उपयोगी समझे, उन्हें पेश करके।

(२) यदि पार्लियामेण्ट ने कोई ऐसा कानून बनाया हो, जो शासन विभाग की दृष्टि में सर्वथा अनुचित हो, तो विशेष दशा में राष्ट्रपति द्वारा उसे वीटो करा के।

इसी प्रकार व्यवस्थापन विभाग भी शासन विभाग पर चेक रख सकता है—

(१) मन्त्रिमण्डल व शासक वर्ग की आलोचना करके और उनके कार्यों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछकर ।

(२) मन्त्रिमण्डल के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पाम करके ।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१. राज्य शक्ति के प्रयत्नकारण के सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं ? इसके क्या लाभ हैं ? (यू० पी०, १९४१, भजमेर, १९५२)

२. राजशक्ति के प्रयत्नकारण के सिद्धान्त को विशद रूप से समझाइये । नागरिकों की स्वतन्त्रता के लिए न्याय विभाग को प्रयत्न रखना क्यों उचित माना गया है ? (यू० पी०, १९४५)

३. वे आवश्यक अंग कौन-से हैं, जिनके द्वारा आधुनिक सरकारें अपने कार्यों का सम्पादन करती हैं ? (यू० पी०, १९४२)

४. शक्तियों के प्रयत्नकारण के सिद्धान्त का अर्थन कीजिये । क्या आपकी सम्मति में स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए शक्तियों को पूर्णतया प्रयत्न कर देना व्यावहारिक, उचित व आवश्यक है ? (राजपूताना, १९५१)

५. मातस्वयू ने राजशक्ति के प्रयत्नकारण के सिद्धान्त का जिस ढंग से प्रतिपादन किया है, उस पर प्रकाश डालिये ।

६. राजशक्ति के तीन विभाग होते हैं या कम अधिक ? विवेचना कीजिये ।

७. नियन्त्रण और सतुलन के सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं ?

८. 'व्यवस्थापन, शासन और न्याय इन तीनों को एक ही व्यक्ति के हाथों में सौंप देने का अर्थ होगा निरकुश शासन', क्या आप इस विचार से सहमत हैं ?

इक्कीसवाँ अध्याय सरकार का व्यवस्थापन विभाग (Legislature)

सरकार के तीन अंग या विभाग होने हैं, यह विद्यले अध्याय में लिखा जा चुका है। इन तीनों अंगों में 'व्यवस्थापन विभाग' विशेष महत्त्व का है।

व्यवस्थापन विभाग के कार्य (Function of the Legislature)—

लोकतन्त्र राज्यों में व्यवस्थापन विभाग के कार्य निम्नलिखित होते हैं—

(१) कानून बनाना—व्यवस्थापन विभाग कानूनों के मसविदों पर विचार करके उन्हें स्वीकार करता है। समय के साथ-साथ देश को नये कानूनों की जरूरत पड़ती रहती है। पुराने कानूनों में भी संशोधन की आवश्यकता होती है। इस महत्त्वपूर्ण कार्य को सरकार का व्यवस्थापन विभाग ही करता है।

(२) शासन का नियन्त्रण—मन्त्रिमण्डल के अधीन (कैबिनेट सिस्टम वाले) शासन में मन्त्रिमण्डल तभी तक अपने पद पर रह सकता है, जब तक कि पार्लियामेण्ट का विश्वास उसे प्राप्त रहे। इस कारण शासन विभाग व्यवस्थापन विभाग के नियन्त्रण में रहता है। मन्त्री लोग पार्लियामेण्ट में उपस्थित होते हैं, वहाँ उनसे प्रश्न किये जाते हैं, उनकी शासन नीति पर बहस होती है। बजट पर बहस के समय जब मन्त्री लोग अपने विभाग के लिए रुपये की माँग पेश करते हैं, तो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को शासक वर्ग के कार्यों की आलोचना का मौका मिलता है। किसी महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिए पार्लियामेण्ट को कारंवाई को स्थगित करने का प्रस्ताव भी उपस्थित किया जा सकता है। साथ ही, पार्लियामेण्ट में मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (Motion of No-Confidence) भी पेश हो सकता है। इन सब उपायों से व्यवस्थापन विभाग शासन-कार्य का नियन्त्रण करता है।

(३) राजकीय आय-व्यय पर नियन्त्रण—सरकार अपने खर्च के लिए रुपये किस ढंग से प्राप्त करे कौन-से नये टैक्स लगाये और रुपये को किस ढंग से खर्च करे—ये सब बातें पार्लियामेण्ट के सम्मुख पेश की जाती हैं। वहाँ आय-व्यय के लेखे (बजट) पर विचार होता है, और जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को सर-

कारी धान-व्यय पर नियन्त्रण रखने का अवसर मिलता है।

(४) न्याय सम्बन्धी कार्य—अनेक राज्यों में व्यवस्थापन विभाग को न्याय-सम्बन्धी अनेक कार्य भी करने होते हैं। भारत के संविधान के अनुसार यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए, तो उसका निर्णय समझ (पार्लियामेंट) द्वारा ही किया जायगा।

(१) चुनाव सम्बन्धी कार्य—भारत, पास आदि अनेक राज्यों में राष्ट्रपति का चुनाव व्यवस्थापन विभाग (पार्लियामेंट) के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, यद्यपि इसके लिए एक विशेष विधि का अनुसरण किया जाता है। कुछ राज्यों में सेनापति, न्यायाधीश आदि बड़े राजकीय पदों के लिए भी पार्लियामेंट द्वारा चुनाव करने की व्यवस्था की गई है।

(६) लोकमत को प्रकट करना—व्यवस्थापन विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है, कि वह लोकमत को प्रकट करे। जनता को शासन के विषय में जो भी शिक्षायत्न हो, शासकों के कार्यों को जनता जिस दृष्टि से देखती हो, शासक वर्ग के सामने इन सब बातों को लाना व्यवस्थापन विभाग का ही कार्य है।

व्यवस्थापन विभाग का संगठन (Constitution of the Legislature)

व्यवस्थापन विभाग का संगठन दो प्रकार से होता है, या तो उसमें एक सदन (House या Chamber) हो और या दो। कुछ विद्वान् दो सदनों वाले व्यवस्थापन विभाग (Bicameral Legislature) के पक्ष में हैं, और अन्य एकसदनात्मक व्यवस्थापन विभाग (Unicameral Legislature) के। जिन राज्यों में व्यवस्थापन विभाग में दो सदन होते हैं, उनमें से एक सदन का नाम 'निचला सदन' (Lower House) होता है, और दूसरे का 'द्वितीय सदन' या 'उच्च सदन' (Second Chamber या Upper House)।

दूसरे सदन की रचना का ढंग प्रायः निचले सदन की रचना से भिन्न होता है। निचले सदन के सदस्यों का चुनाव सर्वसाधारण मतदाताओं द्वारा किया जाता है, और दूसरे सदन में जनता के अनिपक्ष विशेष वर्गों की प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की जाती है। यह समझा जाना है कि विद्या, धन, विशेष योग्यता, कुलीनता आदि के कारण जो लोग अपने में कुछ विशेषताएँ रखते हैं, उनकी योग्यता व अनुभव से लाभ उठाने के लिए उन्हें दूसरे सदन का सदस्य बन सकने का विशेष रूप से अवसर दिया जाना चाहिए।

विभिन्न राज्यों में द्वितीय सदन की रचना निम्नलिखित आधारों पर की जाने ली व्यवस्था की गई है—

(१) कुलीन वर्ग के लोगो द्वारा—इङ्ग्लैण्ड के द्वितीय सदन को 'हाउस आफ लार्ड्स' कहने हैं। वहाँ के वंशक्रमानुगत कुलीन लार्ड लोग इस सदन के अपने अधिकार से सदस्य होत हैं।

(२) नाम निर्देशन (Nomination) द्वारा—भारत में राष्ट्रपति और राज्यपालो को यह अधिकार दिया गया है कि वे विद्या, कला, विज्ञान, समाजसेवा आदि में विशिष्टता प्राप्त करने के कारण कुछ व्यक्तियों को द्वितीय सदन के लिए मनोनीत कर सकें।

(३) परोक्ष चुनाव द्वारा—कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जिनमें द्वितीय सदन के सदस्यो का चुनाव परोक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। भारत में विविध राज्यों (प्रान्तो) की विधान सभाएँ केन्द्रीय पार्लियामेन्ट के द्वितीय सदन के लिए सदस्यो का चुनाव करती हैं। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य जनता द्वारा सीधे नहीं चुने जाते, अपितु उनके चुने हुए प्रतिनिधियो द्वारा चुने जाते हैं।

(४) चुनाव द्वारा—अनेक राज्यों में द्वितीय सदन के सदस्यो का भी मत-दाताओ द्वारा चुनाव होना है।

द्विसदनात्मक पद्धति के पक्ष में युक्तियाँ—

व्यवस्थापन विभाग में दो सदन होने के पक्ष में ये युक्तियाँ दी जाती हैं —

(१) दो सदनो के कारण कोई कानून जल्दबाजी में पास नहीं होने पाता। प्रत्येक विषय दूसरे सदन में भी पेश होता है। यदि किसी बात को निचले सदन में जल्दी में या धावपेश में आकर पास कर दिया हो, तो दूसरे सदन के कारण उस पर फिर से विचार करने, उसे दोहराने व उसमें संशोधन करने का मौका मिल जाता है।

(२) जब एक सदन में कोई मामला पेश होना है, तो उसके सदस्य यह जानने हैं कि उनका निम्न ब्राह्मण में भी पेश होगा। इस कारण वे अधिक गम्भीरता से विचार करते हैं।

(३) राज्यों में किसान मजदूर आदि साधारण स्थिति वाले लोगो की सख्या बहुत अधिक होती है। क्योंकि सबको एक ही वोट देने का अधिकार होता है, अतः ऐसे लोगो के लिए प्रतिनिधि चुना जा सकता आसान नहीं होता, जो विद्या, विज्ञान, कला, व्यवसाय आदि में विशेष योग्यता रखते हों। दूसरे सदन द्वारा इनको भी व्यवस्थापन विभाग का सदस्य बनने का अवसर मिल जाता है, और सरकार इनकी योग्यता व अनुभव से लाभ उठा सकती है।

(४) सबर्गात्मक (Federal) राज्यों के लिए तो दूसरे सदन का लाभ और भी अधिक है। सबर्गो में प्रायः यह व्यवस्था की जाती है, कि दूसरे सदन में सब राज्यों को एव बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाए, और उनकी जनसख्या व आकार को दृष्टि में न रखकर दूसरे सदन के लिए सबकी हैसियत एक बराबर मानी जाए।

द्विसदनात्मक पद्धति के विरुद्ध युक्तियाँ—

(१) यह पद्धति लोकतन्त्र के विरुद्ध है। धन, कुलीनता आदि के कारण कुछ लोगों को विशेष प्रतिनिधित्व देना लोकतन्त्रवाद के अनुकूल नहीं समझा जा सकता।

(२) व्यवस्थापन विभाग का कार्य यह है, कि लोकमत के अनुसार कानून बनाए या राज्य की नीति तय करे। लोकमत एक ही हो सकता है, दो नहीं। इसलिये उसका प्रतिनिधित्व करानेवाला सदन भी एक ही होना चाहिए।

(३) जल्दबाजी को रोकने के लिए भी द्वितीय सदन की आवश्यकता नहीं है। कारण यह कि एक सदन होने पर भी कोई कानून एक दिन में या थोड़े समय में पास नहीं किया जाता। प्रायः सब जगह यह व्यवस्था है, कि प्रस्तावित कानून की तीन बार पेश किया जाए।

अनेक बार प्रस्तावित कानून को जनता की सम्मति के लिये भी भेज दिया जाता है, व अधिक गम्भीरता से विचार करने के लिए उसे प्रवर समिति (Select Committee) के सुपुर्द कर दिया जाता है।

(४) द्वितीय सदन यदि निचले सदन के निर्णय का समर्थन ही करता रहे, तो उसका होना बेकार है। यदि वह उसका विरोध करे, तो व्यवस्थापन विभाग में व्यर्थ के मतभेद व जटिल समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

(५) दो सदन रखने से राज्य के खर्च में बेकार वृद्धि होती है।

द्विसदनात्मक पद्धति का उपयोग—

इसमें सन्देह नहीं, कि द्विसदनात्मक पद्धति के विरुद्ध जो युक्तियाँ दी जाती हैं, उनमें बहुत कुछ सच्चाई है। इसी कारण आजकल के बहुत-से राज्यों में एकसदनात्मक पद्धति को अपनाया गया है। पर साथ ही इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता, कि द्विसदनात्मक पद्धति के भी अनेक उपयोग हैं—

(१) सवर्ग राज्यों में यह पद्धति बहुत उपयोगी होती है। उनके निचले सदन में सारे मवर्गों की जनता का प्रतिनिधित्व रहता है। पर द्वितीय सदन में सवर्गों के अन्तर्गत सब राज्यों को एक बराबर प्रतिनिधित्व मिलने के कारण उनमें समता की अनुभूति कायम रहती है।

(२) बड़े राज्यों के लिए भी यह पद्धति उपयोगी है, क्योंकि दूसरे सदन के कारण कानून बनाने व राज्य सम्बन्धी नीति के निर्धारण में अधिक सावधानी से काम लिया जा सकता है। पर इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिए, कि आजकल जिन राज्यों में दो सदन हैं, उनमें भी यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि दूसरे सदन के मुनाबिले में निचले सदन के अधिकार व महत्त्व अधिक रहे।

व्यवस्थापन विभाग की अवधि (Term of the Legislature)—

व्यवस्थापन विभाग के सदस्यों का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिये होता है। यह अवधि कितनी रखी जाए, इस विषय में कोई एक नियम नहीं है। इस अवधि को अधिक लम्बा रखना उचित नहीं होता, क्योंकि यदि प्रतिनिधियों का चुनाव लम्बे समय के लिए कर दिया जाए, तो वे जनता की सम्मति की विशेष परवाह नहीं करेंगे। इस अवधि को बहुत छोटा भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से बार-बार चुनाव करना पड़ेगा, और उसमें खर्च बहुत होगा। साथ ही, चुने हुए प्रतिनिधियों को यह मौका भी नहीं मिलेगा कि वे अपने विचारों व नीतियों को क्रियान्वित कर सकें। इसलिये यह उचित माना जाता है, कि व्यवस्थापन विभाग के सदस्यों का चुनाव तीन, चार या पाँच सालों के लिए किया जाए।

निर्वाचक लोग (Electorate)—

व्यवस्थापन विभाग के साथ ही निर्वाचक वर्ग (Electorate) और मताधिकार (Franchise) के प्रश्न जुड़े हुए हैं, क्योंकि विधान सभाओं का चुनाव निर्वाचक वर्ग ही करता है। प्रतिनिधि चुनने या मत (वोट) देने का अधिकार किन लोगों को हो, और वोट देने के लिये किस पद्धति का अनुसरण किया जाए, हम अब इन प्रश्नों पर विचार करेंगे।

निर्वाचक कौन हो, इस बारे में आजकल के लोकतन्त्र शासनो में यह प्रवृत्ति है कि सब बालिग स्त्रियों और पुरुषों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। केवल उन लोगों को इस अधिकार से वञ्चित रखा जाए, जो पागल हो या सजायापता (राजदण्डित) हो, या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से जिन्हें वोट देने के योग्य न समझा जाए।

यद्यपि आजकल प्रायः सभी उन्नत व प्रगतिशील लोकतन्त्र राज्यों में वयस्क मताधिकार (Adult Franchise) की पद्धति को अपना लिया गया है, पर जिन आधारों पर अनेक राज्यों में वोट के अधिकार को मर्यादित किया जाता रहा है, वे निम्नलिखित हैं—

(१) धार्मिक—यह शर्त रखना कि केवल वे लोग ही वोट दे सकें, जो सरकार को टैक्स देते हों या जमीन, मकान आदि सम्पत्ति रखते हों।

(२) धार्मिक—यूरोप के अनेक राज्यों में कुछ लोगों को इस आधार पर भी वोट के अधिकार से वञ्चित रखा जाता रहा है, क्योंकि वे राजधर्म के अनुयायी नहीं थे।

(३) शिक्षा—अनेक राज्यों में वोट के अधिकार के लिये शिक्षा की शर्त भी रही है।

(४) लिंग विषयक—स्त्रियों को उनके लिंग के कारण बहुत-से राज्यों में वोट का अधिकार नहीं दिया जाता था। अब तक भी कुछ राज्य ऐसे हैं, जहाँ स्त्रियों को वोट का अधिकार नहीं है। पास तक में स्त्रियों को वोट का अधिकार अब से कुछ साल पूर्व ही दिया गया था।

(५) नसल—दक्षिणी अफ्रीका व अन्य अनेक राज्यों में अब तक भी ह्वी लोको को उनकी नसल के कारण वोट का अधिकार नहीं मिला है।

व्यस्क मताधिकार के लाभ—आजकल प्रायः सभी लोकतन्त्र राज्यों में प्रत्येक बालिग स्त्री-पुरुष को वोट का अधिकार दे दिया गया है। इसके पक्ष में निम्नलिखित मुक्तियाँ दी जाती हैं—

(१) किसी मनुष्य को सम्पत्ति के अभाव के कारण वोट के अधिकार से वञ्चित रखना उचित नहीं है, क्योंकि सम्पत्ति को किसी मनुष्य की योग्यता की कमी नहीं माना जा सकता। आज जो लोग धनी हैं, उसका कारण उनकी योग्यता नहीं है। बहुत-से लोग वेईमानी व झूठ से धनी बन जाते हैं, और कुछ लोग केवल इसलिए धनी हैं, क्योंकि उनके बाप-दादा ने उचित व अनुचित उपायों से धन कमा लिया था।

(२) शिक्षा के अभाव के कारण भी किसी मनुष्य को वोट के अधिकार से वञ्चित रखना उचित नहीं है। केवल अक्षरज्ञान को ही शिक्षा नहीं माना जा सकता। बहुत-से लोग निरक्षर होने हुए भी अच्छे सिन्धी होते हैं। वे अपने गिल्प में बहुत कुशल होते हैं, और उनकी समझ बूझ भी पढ़े-लिखे लोगों से कम नहीं होती। वोट के अधिकार के लिए पढ़ा लिखा होने के बजाय राजनीतिक प्रश्नों को समझ सकने की योग्यता का होना अधिक उपयोगी है। अशिक्षित लोग भी सुगमता से इन बातों को समझ सकते हैं। वोट देने के लिए मनुष्यों में साधारण समझ-बूझ का होना काफी है, पढ़ाई लिखाई की उसके लिए आवश्यकता नहीं। पागलों के अतिरिक्त अन्य सब लोगों को यह समझ-बूझ होती है कि वे विविध उम्मीदवारों के गुण-दोषों पर विचार कर सकें और यह जान सकें, कि कौन-सा उम्मीदवार उनका प्रतिनिधित्व कर सकेगा।

(३) राज्य में सब मनुष्य एक समान स्थिति रखते हैं। व्यस्क मताधिकार मनुष्यों की इस समानता को स्वीकार करता है।

(४) कोई राज्य तभी उन्नति कर सकता है, जब कि सब नागरिकों का सह-योग उसे प्राप्त हो। जब सब मनुष्यों को वोट का अधिकार मिल जाता है, तो वे यह अनुभव करने लगते हैं, कि सरकार में हमारा भी हाथ है। राजसक्ति का प्रयोग किन लोगों के हाथों में रहे, इसका निर्णय करने में हमें भी हाथ बँटाना है। इससे उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान होता है, और साथ ही उनमें आत्मगौरव की अनुभूति

भी उत्पन्न होती है। वे राज्य को अपना समझने लगते हैं, और इस कारण राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों के पालन में भी तत्पर होते हैं।

(५) सर्वसाधारण जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने में निर्वाचन द्वारा बहुत सहायता मिलती है। चुनाव के समय विविध राजनीतिक दल अपने अपने विचारों का प्रचार करते हैं, और सब मतदाताओं को अपनी बात समझाने का यत्न करते हैं। वे सब मतदाताओं के पास अपना सन्देश पहुँचाते हैं, और सबको राजनीतिक शिक्षा देने का यत्न करते हैं। यदि वोट का अधिकार सब वयस्क लोगों को न दिया जाए, सम्पत्ति शिक्षा आदि के आधार पर बहुत-से लोगों को इस अधिकार से वञ्चित रखा जाए, तो सर्वसाधारण जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न कर सकना सम्भव नहीं रहेगा, और यह बात राज्य की रक्षा व उन्नति के लिए भी हानिकारक होगी।

(६) लोकतन्त्र शासन के पक्ष में जो युक्तियाँ हम पिछले एक अध्याय में देख चुके हैं, उन सबका प्रयोग वयस्क मताधिकार के पक्ष में भी किया जा सकता है। लोकतन्त्र शासन की स्थापना के लिए यह बहुत जरूरी है, कि वोट का अधिकार सब स्त्री-पुरुषों को दिया जाए। इसके बिना शासन कभी लोकतन्त्र नहीं हो सकता।

वयस्क मताधिकार की हानियाँ—वयस्क मताधिकार से जहाँ इतने लाभ हैं, वहाँ उसकी कुछ हानियाँ भी हैं, जो उसके विरुद्ध युक्ति के रूप में पेश की जाती हैं—

(१) बहुत-से देशों में बहुसंख्यक जनता अशिक्षित व भ्रूख होती है। चुनाव के समय ये अशिक्षित मतदाता जात विरादरी, धर्म आदि को अधिक महत्त्व देते हैं। उम्मीदवार लोग भी वोट लेने के लिए जात विरादरी आदि की भावनाओं को उत्तेजित करते हैं। अशिक्षित मतदाताओं के लिए यह सुगम नहीं होता, कि वे विविध राजनीतिक दलों के विचारों व नीति के सम्बन्ध में ठीक-ठीक विचार कर सकें। जो दल अपने कार्यक्रम को अधिक आकर्षक रूप में पेश करे, जो सभाओं, जुलूसों आदि द्वारा एक तूफान-सा खड़ा कर दे, अशिक्षित मतदाता उसके असर में आ जाते हैं, और उसी के पक्ष में अपने वोट दे देते हैं। यदि वोट का अधिकार कुछ थोड़े से पढ़े-लिखे व योग्य व्यक्तियों को ही दिया जाए, तो यह बात नहीं होने पाएगी।

(२) गरीब मतदाता धनियों के प्रभाव में आ जाते हैं। जिन देशों में धनी और गरीब का भेद विद्यमान है, जहाँ जमींदारों और पूँजीपतियों की सत्ता है, वहाँ साधारण किसान व मजदूर लोग स्वतन्त्रतापूर्वक अपना वोट नहीं दे पाते। किसान जमींदारों के असर में होते हैं, और मजदूर मिल मालिकों के। चुनाव के समय जमींदार व मिल मालिक अपने किसानों व मजदूरों पर अनुचित दबाव डालते हैं। बहुत से धनी लोग तो रुपये द्वारा वोटों की खरीदने में भी सकोच नहीं करते। इसका परिणाम यह होता है, कि ऐसे प्रतिनिधि पार्लियामेंट में चुन लिये जाते हैं, जो जमींदारों, मिल-

मालिकों व धनियों को अभीष्ट हों।

(३) वोट का अधिकार केवल अधिकार ही नहीं है, वह एक कर्तव्य भी है। हम कोई कार्य उसी आदमी के सुपुर्न करने हैं, जो उसे कर सकने की योग्यता रखता हो। वोट देने का कर्तव्य भी उसी को दिया जाना चाहिए, जो उसे सुचाह रूप से कर सके।

वयस्क मताधिकार की लोकप्रियता—इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता, कि जिन देशों की बहुसंख्यक जनता अधिक्षित हो, व जिनमें गरीब-अमीर का भेद बहुत अधिक हो, उनमें सब वयस्क लोगों को वोट का अधिकार दे देने में अनेक हानियाँ भी हो सकती हैं। पर इसके बावजूद आजकल के लोकतन्त्र राज्यों में यही प्रवृत्ति है, कि किसी वयस्क स्त्री-पुरुष को वोट के अधिकार में वञ्चित न रखा जाए। मनुष्य और पशु में मुख्य भेद यही है, कि मनुष्यों के पास बुद्धि नामक एक ऐसी वस्तु होती है, जो पशुओं के पास नहीं होती। जो लोग पढ़े-लिखे व धनी नहीं हैं, उनके पास भी बुद्धि होती है, और वे भी अपने भले-बुरे को समझने की शक्ति रखते हैं। कौन-सा उम्मीदवार उनका प्रतिनिधित्व अधिक अच्छी तरह से कर सकता है, और किस राजनीतिक दल के विचार व कार्यक्रम उनके लिए लाभदायक हैं, यह समझ सकता किसी भी मनुष्य के लिए कठिन नहीं होता। वोट का अधिकार मिल जाने से प्रत्येक मनुष्य यह अवश्य समझने लगता है, कि राज्य में मेरा भी कुछ स्थान है, और सरकार को मेरे योगक्षेम व उन्नति के लिए भी कुछ करना चाहिए। इस अधिकार के कारण सर्वसाधारण लोगों को राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान होता है, और राज्य को इससे बहुत लाभ पहुँचाता है। इन्हीं कारणों से आजकल वयस्क मताधिकार बहुत लोकप्रिय होना जाता है, और प्रायः सभी लोकतन्त्र राज्यों ने उसे अपना लिया है।

स्त्रियों को मताधिकार—

बहुत से विचारक निम्नलिखित कारणों से स्त्रियों को वोट का अधिकार देने का विरोध करने हैं—

(१) प्रकृति ने स्त्री को माता बनने के लिए बनाया है। उसका कार्यक्षेत्र घर है, राज्य नहीं। यदि वह भी राजनीति के भगडों में पँस जायगी, तो घर के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकेगी। बच्चों का पालन करना, उन्हें अच्छा नागरिक बनाना और अपने पति की सेवा करना स्त्री के मुख्य कार्य हैं। स्त्री को अपनी सब शक्ति इन्हीं कर्तव्यों के पालन में लगानी चाहिए। चुनाव के भगडों में उसे नहीं पठना चाहिए।

(२) यदि स्त्रियों को वोट का अधिकार दे दिया जाए, तो वे इस अधिकार

का प्रयोग दो प्रकार से ही कर सकती है। या तो वह उसी उम्मीदवार को वोट दें, जिसे उसके पति ने भी अपना वोट दिया हो। इस दशा में स्त्री को पृथक् वोट का अधिकार देना बेकार है। यदि स्त्री किसी ऐसे उम्मीदवार को वोट दे, जिसे उसके पति ने अपना वोट न दिया हो, तो घर में कलह उत्पन्न होगी। चुनाव के अवसर पर बहुत कुछ राजनीतिक विद्वेष उत्पन्न हो जाता है, उसका प्रवेश घर में भी हो जायगा और परिवार की शान्ति व एकता में इसमें बहुत बाधा पड़ेगी।

(३) राज्य-सम्बन्धी अनेक प्रकार के कार्य करने के लिए स्त्रियाँ उपयुक्त नहीं होती। वे न सेना में भरती होती हैं, और न पुलिस में। जब ये महत्वपूर्ण कार्य पुरूप ही करते हैं, तो स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार क्यों दिए जाएँ।

(४) प्रायः यह देखा जाता है, कि स्त्रियाँ शिक्षा में पुरुषों से पीछे होती हैं, जीवन सघर्ष में वे पुरुषों के बराबर अनुभव नहीं रखती। सम्प्रदाय, जात-विरादरी आदि का असर भी उन पर अधिक होता है। इस दशा में यदि स्त्रियों को भी वोट का अधिकार दे दिया जाए, तो ऐसे उम्मीदवारों को अधिक वोट मिलने लगेंगे, जो नये विचारों के विरोधी हो और प्रगतिशील न हो।

(५) स्त्रियों में कोमलता, सज्जा आदि के जो गुण हैं, राजनीतिक भगड़ों में पड़ने में उनका अन्त हो जायगा।

इन सब युक्तियों के बावजूद आज प्रायः सभी लोकतन्त्र राज्यों में स्त्रियों को भी वोट का अधिकार दे दिया गया है। स्त्री-भताधिकार के पक्ष में निम्नलिखित युक्तियाँ दी जाती हैं—

(१) जैसे समाज में पुरुषों के अपने हित हैं, वैसे ही स्त्रियों के भी हैं। राज्य द्वारा स्त्रियों के लिए भी कानून बनाये जाते हैं। सरकार के आदेश व कानून स्त्रियों पर भी लागू होते हैं, अतः उन्हें जारी करना जिन लोगों के हाथों में हो, उनके चुनाव में स्त्रियों का भी भाग होना चाहिए।

(२) स्त्रियों को भी यह अधिकार है, कि वे पुरुषों के समान जमीन-जायदाद व अन्य सम्पत्ति रख सकें, अपना स्वतन्त्र रोजगार कर सकें, कहीं भजदूरी या नौकरी कर सकें, और अन्य लोगों के साथ इकरार व व्यवहार कर सकें। जब स्त्रियों को इन सब कामों के योग्य समझा जाता है, तो केवल वोट देने की योग्यता का ही अभाव उनमें क्या माना जाए।

(३) स्त्रियाँ स्वभाव से ही कोमल होती हैं। मातृभावना भी उनमें स्वाभाविक रूप से होती है। वे इस प्रश्न पर अधिक सहानुभूति के साथ विचार कर सकती हैं, कि कौन से कानून जनता के लिए हितकर हैं। उनके प्रभाव व सहयोग से राजनीतिक जीवन में भी माधुर्य आ सकेगा, और राजनीति का संचालन युद्ध व सत्यानाश के लिए न होकर मनुष्यों के लाभ व शान्ति के लिए होने लगेगा।

(४) यदि यह मान भी लिया जाए कि स्त्रियाँ अपने पतियों की सम्मति के अनुरोध ही वोट देंगी, तो भी इससे कोई हानि नहीं होगी। जिस प्रकार पुरुषों को वोट का अधिकार मिलने के कारण उनमें राजनीतिक चेतना उत्पन्न होती है, और वे उत्तम नागरिक बन नकने हैं, वैसे ही वोट के अधिकार से स्त्रियों को भी लाभ होगा।

(५) आजकल के युग में स्त्रियों के कार्य का क्षेत्र केवल घर ही नहीं रह गया है। अब स्त्रियाँ भी नौकरी व मजदूरी करने लगी हैं, और स्वतन्त्र रोजगार द्वारा भी रपया कमाने लगी हैं। वे पुलिस में भी भरती होती हैं, और अनेक उच्च सरकारी पदों पर भी नियुक्त होती हैं। इस दशा में उन्हें वोट के अधिकार से वचित रखना बर्दाश्त उचित नहीं है।

निर्वाचन का ढंग—

मतदाना लोग निर्वाचन (चुनाव) किस ढंग में करते हैं, इस विषय में कुछ बातें जानने योग्य हैं—

(१) प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए राज्य को बहुत-से निर्वाचन क्षेत्रों (Constituencies) में बाँट दिया जाता है। यदि इस क्षेत्र से केवल एक ही सदस्य चुना जाता हो, तो इसे 'एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र' (Single-member Constituency) कहते हैं। यदि किसी क्षेत्र से एक से अधिक सदस्य चुने जाते हों, तो उसे 'बहु-सदस्य निर्वाचन क्षेत्र' (Multi member Constituency) कहा जाता है।

(२) प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र में मतदाताओं की सुविधा के अनुसार अनेक 'चुनाव स्थान' (Polling Station) बनाये जाते हैं। जो अफसर चुनाव की देख-रेख करता है, उसे 'चुनाव अधिकारी' (Polling Officer) कहते हैं।

(३) प्रत्येक मतदाता को एक-एक पर्ची (Ballot paper) दे दी जाती है। चुनाव-स्थान पर यह उम्मीदवारों के अलग-अलग बक्से रखे रहते हैं। इन बक्सों पर उम्मीदवार का नाम व चुनाव निशान बिपका दिया जाता है। पढ़े-लिखे मतदाता उम्मीदवारों के नाम पढ़ नकने हैं, और निरक्षर मतदाना चुनाव निशानों को देखकर यह जान सकते हैं कि कौन सा बक्सा किस उम्मीदवार का है। मतदाना जिस उम्मीदवार को अपना वोट देना चाहे, उसके बक्से में अपनी पर्ची डाल देता है। या एक ही पर्ची पर सब उम्मीदवारों के नाम छाप दिए जाते हैं, और उनके नाम के साथ उनके चुनाव चिह्न भी छाप दिये जाते हैं। जिस मतदाना को जिस उम्मीदवार के पक्ष में वोट देना हो, वह उसके नाम के सामने निशान लगा देता है, और अपनी पर्ची को बक्से में डाल देता है।

(४) चुनाव के समय इस बात का ध्यान रखा जाता है, कि मतदाता अपनी पर्ची इस ढंग से डाल नकने, जिससे कोई अन्य आदमी उसे देख न पाए। इन्हें 'गुप्त मत

प्रदान प्रथा' (Secret Ballot Voting) कहते हैं। इस प्रथा के वारण मतदाता लोग किसी दबाव व डर के बिना स्वतन्त्रता से अपना वोट दे सकते हैं।

(५) प्रत्येक उम्मीदवार का एक चुनाव एजेंट (Election agent) होता है, जो सारे निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक होता है। उमकी सहायता के लिए प्रत्येक चुनाव स्थान पर प्रत्येक उम्मीदवार की तरफ से एक या अधिक 'पोलिग एजेंट' होते हैं, जो इस बात का खयाल रखते हैं, कि कोई भ्राम्यी गलत नाम से अपना वोट न डाल दे। ये एजेंट मतदाताओं की शनासत करने में मदद करते हैं, और साथ ही यदि कोई भ्राम्यी गलत नाम से वोट दे रहा हो, तो उसकी ओर चुनाव अधिकारी का ध्यान आकृष्ट करने हैं।

निर्वाचन की विविध पद्धतियाँ (Various Methods of Election)—

आजकल के लोकतन्त्र राज्यों में चुनाव का महत्त्व बहुत अधिक है। इसीलिये निर्वाचन की उन विविध पद्धतियों पर भी संक्षेप से विचार करना उपयोगी है, जो आजकल के राज्यों में प्रयोग में लाई जाती हैं।

एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र पद्धति (Single-member Constituency System)—इस पद्धति में राज्य को ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है, जिन सब में एक-एक प्रतिनिधि चुना जाना हो। प्रत्येक मतदाता को एक वोट देने का अधिकार होता है। चुनाव के लिए जो उम्मीदवार खड़े हों, उनमें जिसको सबसे अधिक वोट मिलें, वही निर्वाचित समझा जाता है।

बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र पद्धति (Multi member Constituency System)—इस पद्धति में राज्य को अनेक ऐसे बहुत से बड़े-बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है, जिनसे दो, तीन या अधिक प्रतिनिधि चुने जाने हो। उस क्षेत्र से जितने प्रतिनिधि चुने जाने हो, प्रत्येक वोटर को उतने ही वोट देने का अधिकार रहता है। यदि निर्वाचन-क्षेत्र से तीन प्रतिनिधि चुने जाने हो तो प्रत्येक मतदाता तीन वोट दे सकेगा। जिन तीन उम्मीदवारों को सबसे अधिक वोट मिलें, वे ही निर्वाचित हो जाते हैं।

एक-सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के लाभ—(१) इस पद्धति में निर्वाचन-क्षेत्र छोटे-छोटे होते हैं। मतदाता लोग यह भली भाँति जान सकते हैं, कि कौन सा एक व्यक्ति पार्लियामेंट में उनका प्रतिनिधि है। निर्वाचित प्रतिनिधि भी यह भली भाँति जानता है, कि क्षेत्र के मतदाताओं ने उसे चुना है। वह उनके दृष्टिकोण व विचारों का ध्यान रखता है, और उनसे सम्बन्ध कायम रखता है। मतदाता लोग भी अपने सुख-दुःख को प्रतिनिधि से कह सुन सकते हैं।

(२) निर्वाचन क्षेत्रों के छोटे होने के कारण कुछ क्षेत्र ऐसे बन जाते हैं, जिनमें कल-कारखानों की प्रधानता हो। अन्य निर्वाचन क्षेत्र ऐसे होते हैं, जिनमें

व्यापारी, गिल्पी या किसान अधिक सख्या मे वसते हो । ये सब विभिन्न प्रकार के मत-दाना ऐसे प्रतिनिधि चुनवा सकते हैं, जो उनके दृष्टिकोण को समझते हो ।

(३) यह पद्धति बहुत सरल है । एक मतदाता और एक वोट, एक निर्वाचन क्षेत्र और एक प्रतिनिधि, सब इसे भली भाँति समझ सकते है ।

एक-सदस्य निर्वाचन क्षेत्र की हानियाँ—(१) इन पद्धति मे बहुत मे मतदाता ऐसे रह जाते हैं, जिनका कोई भी प्रतिनिधि पार्लियामेण्ट मे नहीं जाने पाता । मान लीजिये कि परवा दून के निर्वाचन-क्षेत्र मे एक प्रतिनिधि चुना जाना है । वहाँ चार उम्मीदवार खड़े हुए हैं, एक कांग्रेस पार्टी का, एक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का, एक जनस्य का और एक स्वतन्त्र । मतदाताओं की कुल मर्या ३६ हजार है, जिनमे से २० हजार मतदाताओं ने वोट दिए । चुनाव मे ८००० वोट कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले, ६००० प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को ४००० स्वतन्त्र उम्मीदवार को और २००० जनस्य के उम्मीदवार को । सबसे अधिक वोट मिलन के कारण कांग्रेस का उम्मीदवार निर्वाचित हो गया । पर उसे केवल ८००० वोट मिले थे । शेष १२००० मतदाताओं का प्रतिनिधित्व इन पद्धति मे नहीं हुआ । उनके वोट बकार गये ।

(२) इन पद्धति मे योग्य उम्मीदवारों के लिए चुना जा सकना कठिन होता है, क्योंकि छोटे छोटे देहाती निर्वाचन क्षेत्रों मे ऐसे व्यक्ति कठिनता से मिलने हैं, जो पार्लियामेण्ट के सदस्य बनन के लिए उपयुक्त हो । यदि बड़े शहरों मे लाकर इन निर्वाचन-क्षेत्रों मे उम्मीदवार खड़े किए जाएँ, तो उनका अपने निर्वाचकों से कोई सम्पर्क नहीं होता ।

बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र पद्धति के गुण-दोष—एक-सदस्य निर्वाचन पद्धति के जो गुण हैं वे ही बहु-सदस्य निर्वाचन क्षेत्र पद्धति के दोष है । इस पद्धति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण युक्ति यह दी जाती है, कि इनमे मतदाताओं के लिए यह निर्णय कर सकना कठिन हो जाता है, कि वे किन किन उम्मीदवारों के पक्ष मे अपने वोट दें । निर्वाचन-क्षेत्र के बड़ा होने के कारण मतदाना लोग उम्मीदवारों से प्राय अपरिचित होते हैं, और उनके गुण-दोषों को भली भाँति नहीं जान सकते । इस दशा मे राजनीतिक दलों के बिने यह सुगम हो जाता है, कि वे मतदाताओं को इस बात के लिये प्रेरित करें कि वे आँख मीचकर अपने दल के उम्मीदवारों के लिए वोट दे दें ।

बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र पद्धति आजकल बहुत लोकप्रिय नहीं है । प्राय सभी देशों मे आमतौर पर एक सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र पद्धति का ही अनुसरण किया जाता है ।

अल्पसंख्या के लोगों के प्रतिनिधित्व का प्रदन (Representation of Minorities)—

एक प्रतिनिधि बाने छोटे निर्वाचन-क्षेत्रों का सबसे बड़ा दोष यह है कि

उनमें बहुतसे ऐसे मतदाता रह जाते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि जिनका प्रतिनिधित्व नहीं करता। जिन राजनीतिक दलों के लोग अल्पसंख्या (Minority) में हों, या धर्म, भाषा, संस्कृति आदि के लिहाज से जो अल्पसंख्यक जातियाँ हों, उन्हें अपने प्रतिनिधि चुन मगाने का इस पद्धति में अवसर नहीं मिलता। इस दोष को दूर करने के लिए अनेक अन्य पद्धतियाँ हैं, जिन पर विचार करने की आवश्यकता है—

(१) अनुपाती प्रतिनिधित्व की पद्धति (Proportional Representation)—

इस पद्धति के लिए निर्वाचन-क्षेत्र का आकार बड़ा होना चाहिए और उससे चार, पाँच, छ या दस बारह तक प्रतिनिधि चुने जाने चाहियें। प्रत्येक मतदाता को इस बात की स्वतन्त्रता होनी चाहिये, कि वह जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक अच्छा समझे, उसके नाम के आगे (१), जिसे दूसरा स्थान देना चाहे उसके नाम के आगे (२) और इस प्रकार अपनी पसन्द के अनुसार ३, ४, ५, ६ आदि संख्याएँ लिख सके। यदि एक मतदाता ने जिस उम्मीदवार को अपनी पसन्द में पहला स्थान दिया हो, उसे उस मतदाता के वोट की आवश्यकता न हो, इस मतदाता के वोट के बिना गिने ही उसे इतने वोट मिल गए हों कि वह चुन लिया गया हो, तो इस मतदाता ने जिस उम्मीदवार को दूसरा स्थान दिया हो, उसके लिये उसका वोट इस पद्धति के अनुसार काम में ले आया जाता है।

मान लीजिए कि एक निर्वाचन-क्षेत्र से पाँच प्रतिनिधि चुने जाने हैं। उम्मीदवारों की संख्या ६ है। कुल वोटों की संख्या १२००० है। इस दशा में कौन प्रतिनिधि चुना जायगा, यह जानने के लिए पहले वह 'क्वोटा' निकाला जायगा, जिसे सफल उम्मीदवार के लिए प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह क्वोटा इस ढंग से निकाला जाता है—

$$\text{क्वोटा} = \frac{\text{हाले गए वोटों की कुल संख्या}}{\text{जितने प्रतिनिधि चुने जाने हों, उनका संख्या} + १} + १$$

जो उदाहरण हमने ऊपर लिया है, उसके अनुसार क्वोटा यह होगा—

$$\frac{१२०००}{५ + १} + १ = २००१$$

जिन उम्मीदवारों को २००१ वोटों का क्वोटा प्राप्त हो जाए, उन्हें चुना हुआ समझ लिया जायगा। अब यदि १२००० मतदाताओं में किसी पार्टी के २००१ भी समर्थक हैं, तो वे उस पार्टी के उम्मीदवार को अपनी पहली पसन्द देकर उसे चुनवा सकने में समर्थ हो जायेंगे, और उस पार्टी का एक प्रतिनिधि पार्लियामेंट में पहुँच जायगा। यदि उस पार्टी के समर्थकों की संख्या २००१ से कम भी हो, पर कुछ मतदाताओं ने उसके उम्मीदवार को अपनी दूसरी या तीसरी पसन्द दी हो, तो भी उसके चुने जाने की सम्भावना हो सकेगी।

अनुपाती प्रतिनिधित्व की इन पद्धति को एकल सक्रमणीय मत पद्धति (Single Transferable vote system) कहते हैं।

(२) सूची पद्धति (List system)—अनुपाती प्रतिनिधित्व के लिये ही एक अन्य पद्धति को अपनाया जाता है, जिस सूची पद्धति कहते हैं। इसमें भी निर्वाचन-क्षेत्र का आकार बड़ा रखा जाता है, और उसमें अनेक (५ से २० तक) प्रतिनिधि चुने जाते हैं। चुनाव के लिये जो उम्मीदवार सभे हो, उन्हें पार्टी के अनुसार अलग अलग सूचियों में रखा जाता है। यदि कुल तीन पार्टियों के उम्मीदवार हों, तो तीन लिस्टें बनाई जाएंगी। वोट देते समय मतदाता एक पार्टी के उम्मीदवारों की सारी सूची को वोट देगा। विविध पार्टियों के हक में कुल जितने वोट आएँ, उन्हें गिन लिया जाता है, और फिर इन वोटों के आधार पर सब राजनीतिक पार्टियों को उतने ही स्थान दे दिए जाते हैं।

मान लीजिए कि चुनाव में कांग्रेस, प्रजा सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियों ने उम्मीदवार खड़े किये हैं। तीनों के उम्मीदवारों की अलग-अलग लिस्टें बना ली गईं। कुल मिलाकर १२००० मतदाताओं ने वोट दिया। कांग्रेस की लिस्ट को ६००० वोट मिले, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की लिस्ट को ४००० और कम्युनिस्ट पार्टी की लिस्ट को २०००। कुल छ प्रतिनिधि चुने जाने थे। इस दसा में कांग्रेस के ३, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के २ और कम्युनिस्ट पार्टी का १ प्रतिनिधि चुना हुआ माना जायगा। जिन उम्मीदवारों के नाम पार्टी की लिस्ट में सबसे ऊपर हो, इस पद्धति में उन्हें ही प्राप्त हुए वोटों के आधार पर निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है।

(३) एकत्रीभूत मत-पद्धति (Cumulative vote system)—यह भी अनुपाती प्रतिनिधित्व की ही एक पद्धति है। इस पद्धति में भी एक निर्वाचन क्षेत्र में अनेक प्रतिनिधि चुने जाने होते हैं। प्रत्येक मतदाता को उतने वोट देने का अधिकार होता है, जितने प्रतिनिधि चुने जाने हों। इन वोटों को मतदाता बाँटकर भी दे सकता है, और चाहे तो किसी एक ही उम्मीदवार को सारे वोट दे सकता है।

मान लीजिये, एक निर्वाचन-क्षेत्र में छ प्रतिनिधि चुने जाने हैं। कुल मिलाकर ६००० मतदाता वोट देते हैं। इनमें से १००० मतदाता कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। यदि साधारण रीति से वोट लिए जाएँ, तो ये १००० मतदाता कभी कम्युनिस्ट दल के उम्मीदवार को नहीं चुनवा सकेंगे। पर यदि ये सब मतदाता अपने छ-छ वोट एक कम्युनिस्ट उम्मीदवार को ही दे दें, तो उनके पक्ष में ६००० वोट मिल जाएँगे। अब यदि कांग्रेस ने पूरे ६ उम्मीदवार खड़े किये हों, और अन्य राजनीतिक दलों की ओर से भी चुनाव लड़ा जा रहा हो, तो कम्युनिस्ट लोग अपने उम्मीदवार को आसानी से चुनवा लेंगे।

प्रत्यक्ष और परोक्ष निर्वाचन (Direct and Indirect Election)—

मतदाता लोग दो प्रकार से प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। जब मतदाता स्वयं अपने वोटों से पार्लियामेण्ट के लिए प्रतिनिधियों को चुनते हैं, तो ऐसे चुनाव को 'प्रत्यक्ष' कहते हैं। इसके विपरीत जब मतदाता अपने वोट द्वारा एक ऐसी 'निर्वाचक सभा' (Electoral College) को चुनें, जिसके सदस्यों के हाथ में पार्लियामेण्ट के सदस्यों के चुनाव का अधिकार हो, तो ऐसे चुनाव को 'परोक्ष' कहा जाता है।

इङ्ग्लैण्ड के हाउस आफ कामन्स, भारत की लोक सभा (House of the People) और फ्रांस के चेम्बर आफ डेपुटीज आदि का चुनाव प्रत्यक्ष पद्धति से होता है। भारत में पार्लियामेण्ट के द्वितीय सदन (राज्य सभा) का चुनाव परोक्ष रीति से किया जाता है। इस चुनाव के लिये विविध राज्यों की विधान सभाएँ (Legislative Assemblies) निर्वाचन-सभाओं का काम करती हैं। फ्रांस और भारत में राष्ट्रपति का चुनाव भी परोक्ष रीति से होना है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जिस निर्वाचन द्वारा किया जाता है, उसके सदस्य निम्नलिखित होते हैं—(१) पार्लियामेण्ट के दो सदस्य, जो चुनाव द्वारा सदस्य बने हों, और (२) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य।

दोनों पद्धतियों के गुण व दोष—प्रत्यक्ष चुनाव का सबसे बड़ा गुण यह माना जाता है, कि पार्लियामेण्ट के सदस्य अपने को सर्वसाधारण जनता के प्रति उत्तरदायी समझते हैं, और उसके साथ सम्पर्क बनाये रखने का यत्न करते हैं। पर साथ ही इस पद्धति का यह दोष भी है, कि सर्वसाधारण मतदाता उन उम्मीदवारों के विषय में कुछ भी नहीं जानते, जिनके पक्ष या विपक्ष में उन्हें अपना वोट देना होता है।

यदि प्रत्येक गाँव को अपने निवासियों में से एक पढ़े-लिखे व समझदार आदमी को अपना प्रतिनिधि चुनने को कहा जाए, तो वे सुगमता से किसी योग्य व्यक्ति का चुनाव कर देंगे। इस प्रकार निर्वाचन-क्षेत्र के सब गाँवों से उनकी आवादी के अनुसार एक दो या तीन प्रतिनिधियों को लेकर यदि उनकी एक 'निर्वाचन सभा' बना ली जाए, तो वह शायद देश की पार्लियामेण्ट के लिये एक ऐसे सदस्य को चुन सकेगी, जो वस्तुतः योग्य हो।

पर इस पद्धति में यह बड़ा दोष रह जायगा, कि चुनाव के प्रयत्न पर जनता में जो राजनीतिक जागृति उत्पन्न होती है, वह नहीं हो पायगी। इस प्रथा में घूस-खोरी की भी अधिक गुन्जाइश रहेगी, क्योंकि कोई धनी उम्मीदवार निर्वाचक सभा के थोड़े से सदस्यों को रिश्वत देकर उनके वोटों को सुगमता से प्राप्त कर सकेगा। आजकल पार्लियामेण्ट के सदस्यों के चुनाव के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति ही अधिक लोक-प्रिय है।

पृथक् निर्वाचन पद्धति (Separate Electorate System)—

जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो इस देश में मुसलमानों और गैर-मुस-
लिमों को अपने प्रतिनिधि पृथक्-पृथक् रूप से चुनने का अवसर देने की व्यवस्था की
गई थी। प्रांतीय विधान सभाओं और केन्द्रीय एसेम्बली के लिये मुसलिम और
गैर-मुसलिम मतदाता अपने-अपने प्रतिनिधि पृथक्-पृथक् रूप से चुना करते थे। प्रांतीय
विधान सभाओं व केन्द्रीय एसेम्बली के कितने सदस्य मुसलिम हों और कितने गैर-
मुसलिम, यह तय कर दिया गया था, और उनके निर्वाचन-क्षेत्र भी अलग-अलग बना
दिये गये थे। मुसलिम मतदाता केवल मुसलिम उम्मीदवारों के लिए वोट दे सकते
थे, और गैर-मुसलिम मतदाता केवल गैर-मुसलिम उम्मीदवारों के लिए।

इस पद्धति से भारत में अनेक हानियाँ हुईं —

(१) मुसलमानों में यह विचार निरन्तर विकसित होता गया, कि वे भारत
की भेष जनता से सर्वथा पृथक् हैं, वे एक पृथक् राष्ट्र हैं। भारत का जो विभाजन
हुआ, उसमें यह पृथक् निर्वाचन पद्धति एक बड़ा कारण बनी।

(२) मुसलमानों में अपने अलग होने का विचार केवल चुनाव तक ही
सीमित नहीं रहा, अंग्रियों के सरकारी नौकरी आदि के लिए भी यह माँग करने लगे कि
उनके लिये इन क्षेत्रों में भी एक निश्चित भाग सुरक्षित रहना चाहिए।

(३) इस पद्धति के कारण जातिगत (Communal) व साम्प्रदायिक
(Sectarian) विद्वेष वृद्धि हुई, और जनता में राष्ट्रीय एकता की अनुभूति उत्पन्न हो
सकना सम्भव नहीं रहा।

(४) देश की उन्नति किस ढंग से की जाए, आर्थिक क्षेत्र में किस कार्यक्रम
को अपनाया जाए—यदि इन बातों के आघार पर देश में राजनीतिक दलों का संगठन
हो, तो उसे अनुचित नहीं कहा जा सकता। पर पृथक् निर्वाचन पद्धति के कारण
राजनीतिक दलों का संगठन जातिगत आघार पर होने लगता है, राजनीतिक व
आर्थिक विचारों के आघार पर नहीं। भारत में मुसलिम लीग, हिन्दू महासभा,
भकाली दल आदि जातिगत पार्टियों का विकास इसी पद्धति के कारण हुआ।

विविध जातियों के लिये स्थान सुरक्षित रखकर संपुक्त निर्वाचन-पद्धति (Joint Electorate with Reservation of seats)—

यदि किसी देश में अनेक ऐसी जातियों व घमों की सत्ता हो, जिनमें अपने
पृथक् होने का विचार प्रबल रूप से विद्यमान हो, तो वहाँ चुनाव के लिए एक अन्य
पद्धति को अपनाया जाता है, जिसके अनुसार अल्पसंख्यक जातियों (Minorities)
के लिए विधान सभाओं व पार्लियामेंट में स्थान सुरक्षित कर दिए जाते हैं। पर
इन सुरक्षित स्थानों के लिए सदस्यों का चुनाव केवल अल्पसंख्यक जाति के वोटों द्वारा

नहीं होता। उनका चुनाव सब मतदाताओं के वोटों द्वारा किया जाता है। अंग्रेजी शासन के समय में अनेक राष्ट्रीय नेता यह माँग किया करते थे, कि मुसलिमों के लिए विधानसभाओं में स्थान तो सुरक्षित रहने चाहियें, पर उनका चुनाव सब मतदाताओं के वोटों द्वारा होना चाहिए। इस पद्धति में वे दोष नहीं रहते, जो पृथक् चुनाव-पद्धति में पाये जाते हैं।

पाकिस्तान के पृथक् बन जाने के बाद भारत के नये संविधान में मुसलमानों के लिए पृथक् स्थान सुरक्षित नहीं रखे गये हैं। पर अछूत समझी जानेवाली बहुत सी जातियाँ भारत में ऐसी हैं, जो बहुत पिछड़ी हुई दसा में हैं। यदि उनके लिये पृथक् स्थान सुरक्षित न रखे जाएँ, तो उनके किसी प्रतिनिधि का चुनाव जा सकना सुगम नहीं है। इस कारण नये संविधान में इन जातियों के प्रतिनिधियों के लिए त्रिविध राज्यो की विधान सभाओं व केन्द्रीय पार्लियामेण्ट में पृथक् स्थान सुरक्षित रख दिए गए हैं। पर उनका चुनाव सब मतदाताओं—उच्च वर्गों और अछूत समझी जानेवाली जातियों के वोटों द्वारा होता है।

आदर्श निर्वाचन पद्धति—

इस अध्याय में निर्वाचन के विषय में जो विचार किया गया है, उसके अनुसार निर्वाचन की वह पद्धति सबसे आदर्श होगी, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएँ हों—

(१) सब बालिग स्त्री पुरुषों को वोट देने का अधिकार (Universal Adult Franchise)।

(२) प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति (Direct Election)।

(३) वोटों को गुप्त रूप में पत्रियों द्वारा देना (Ballot System)।

(४) ऐसे उपायों का अनुसरण, जिनसे अल्पमत के लोगों को भी अपने प्रतिनिधि चुनवा सकने का अवसर मिले।

(५) पृथक् निर्वाचन पद्धति का न होना।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१ आधुनिक समय के राज्यों में व्यवस्थापन विभाग के क्या कार्य माने जाते हैं? (यू० पी०, १९४६, १९४९)

२ मन्त्रपरिषद् के अधीन शासन में व्यवस्थापन विभाग के मुख्य कार्यों व वर्णन कीजिये। आप एकसदनात्मक पद्धति को पसन्द करते हैं या द्विसदनात्मक पद्धति को? क्यों? (यू० पी०, १९४५)

३ एक-सदनात्मक और द्विसदनात्मक पद्धतियों के गुण दोषों की विवेक कीजिये।

४ दूसरे सदन की रचना के कौन-कौन से ढंग आजकल प्रचलित हैं। क्या ये ढंग लोकतन्त्रवाद के अनुकूल हैं ?

५ क्या आप हिन्दुओं को मताधिकार देने के पक्ष में हैं ? स्त्रीमताधिकार के पक्ष और विपक्ष में युक्तियाँ दीजिये। (यू० पी०, १९४२)

६. मताधिकार का क्या अभिप्राय है ? क्या मताधिकार से आप क्या समझते हैं ? इसके गुण दोषों पर भारत की दशा को दृष्टि में रखकर प्रकाश डालिये। (यू० पी०, १९४६)

७ अल्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधित्व का आप क्या आशय समझते हैं ? क्या आप भारत के लिए सशुद्ध निर्वाचन प्रणाली का समर्थन करते हैं ? (यू० पी०, १९४८)

८ एक उत्तम निर्वाचन पद्धति में क्या क्या विशेषताएँ होती हैं ? मतदाना सरकार के कार्यों पर किस प्रकार नियन्त्रण रखते हैं ? (यू० पी०, १९४४)

९ मताधिकार पाने के लिए क्या गुण होने चाहिए ? क्या आपकी सम्मति में किन्हीं निरक्षर मनुष्यों को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए ? अपने उत्तर का कारण लिखिये ? (यू० पी०, १९५०)

१०. क्या मताधिकार (Universal suffrage) का ठीक-ठीक अर्थ समझाइये और उसके पक्ष व विपक्ष में युक्तियाँ दीजिये। यू० पी०, १९५५)

११ आनुपातिक प्रतिनिधित्व व उसकी प्रमुख पद्धतियों का निदर्शन कीजिये।

१२ प्रत्यक्ष चुनाव और परोक्ष चुनाव के क्या गुण और दोष हैं ?

बाईसवाँ अध्याय लोकमत और राजनीतिक दल (Public Opinion and Political Parties)

लोकमत का महत्त्व—

लोकतन्त्र शासन के विकास के कारण आजकल के राज्यों में लोकमत (Public opinion) का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया है। लोकतन्त्र शासन में सब कार्य लोकमत के अनुसार ही होता है। सरकार जो कानून बनाती है, जो आदेश जारी करती है, विदेशों के साथ जो सन्धियाँ करती है, किसी देश के विरुद्ध जो युद्ध शुरु करती है—ये सब कार्य करते हुए वह लोकमत को सदा दृष्टि में रखती है। अब वह समय बीत गया, जब कि 'राजा की इच्छा' को ही कानून माना जाता था, या कानून का आधार 'ईश्वर के विधान' को समझा जाता था। आजकल के शासनक न निरकुश होते हैं, और न स्वेच्छाचारी ही हो सकते हैं। वे सब काम लोकमत के अनुसार ही करने का प्रयत्न करते हैं। यही कारण है, जो आजकल के लोकतन्त्र राज्यों में लोकमत का महत्त्व बहुत बढ़ गया है, और इन राज्यों की सरकारों की सफलता के लिए यह आवश्यक हो गया है कि जहाँ लोकमत भली भाँति संगठित हो, वहाँ साथ ही जनता भी सार्वजनिक प्रश्नों पर भली भाँति विचार करने और अपने भले-बुरे को समझने की योग्यता रखती हो।

लोकमत किसे कहते हैं ?

लोकमत के अभिप्राय को स्पष्ट कर सकना सुगम नहीं है। इसके कारण निम्नलिखित हैं—

(१) किसी भी प्रश्न पर सभी जनता का एकमत हो सकना सम्भव नहीं होता। हिन्दुओं में तलाक होना चाहिए या नहीं, इस प्रश्न पर सब हिन्दू लोग एकमत नहीं हैं। इस दशा में यह निर्णय कर सकना बहुत कठिन है, कि तलाक के प्रश्न पर हिन्दुओं का लोकमत क्या है ?

(२) जिसे साधारणतया लोकमत समझा जाता है, वह भी वस्तुतः बहुसंख्यक (Majority) लोगों का ही मत होता है।

(३) पर यह कहना भी सत्य नहीं है, कि बहुसंख्या के मत को लोकमत कहते

हैं। जिसे लोकमत कहा जाता है, वह असल में कुछ थोड़े से लोगों का ही मत होता है। कुछ बड़े नेता जो बात कहते हैं, उसी को लोकमत मान लिया जाता है। सर्वसाधारण जनता को राजनीतिक व सार्वजनिक मामलों में न कोई दिलचस्पी होती है, और न उसमें इतनी योग्यता ही होती है, कि वह इन मामलों को भली भाँति समझ सके। इस कारण कुछ थोड़े से नेता ही लोकमत की दुहाई देकर अपनी मनमानी करने में मग्न हो जाते हैं।

(४) इस दशा में यह स्पष्ट है, कि यदि तो नेता लोग नि स्वार्थ हो, और प्रत्येक प्रश्न पर सबके हित व लाभ की दृष्टि से विचार करें, तब तो लोकमत भी उत्तम होता है। यदि नेता लोग स्वार्थ से काम लें, तो वे जनता को बहकाकर ऐसा लोकमत उत्पन्न कर देते हैं, जो जनता के हित में नहीं होता।

इन बातों में बहुत-बहुत सच्चाई है। पर साथ ही इस बात से भी इनकार नह किया जा सकता कि नेताओं के भाषण, समाचार-पत्रों के लेख, पुस्तकों व रेडियो द्वारा किये गये प्रचार व इसी प्रकार के अन्य साधनों में सार्वजनिक प्रश्नों के सम्बन्ध में जनता अपनी एक निश्चित धारणा बना लेती है। यह तो नहीं कहा जा सकता, कि किसी प्रश्न पर सारी जनता की धारणा एक ही होती है। पर इसमें सन्देह नहीं, कि जब जनता की बहुसंख्या या बहुत बड़ा भाग किसी प्रश्न के सम्बन्ध में एक धारणा रखे तो उसे 'लोकमत' कहा जा सकता है। इस लोकमत की सत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। अब से कुछ साल पहले तक भारत में जमींदारी प्रथा प्रचलित थी। पर पुस्तकों, लेखों व भाषणों द्वारा धीरे-धीरे जनता की यह धारणा बतनी गई, कि यह प्रथा हितकर नहीं है। अब यह पूरे भरोसे के साथ कहा जा सकता है, कि भारत का लोकमत जमींदारी प्रथा के अनुकूल नहीं है। यही बात झूठ-झूठ के भेद के विषय में भी कही जा सकती है। साथ ही, यह भी कहा जा सकता है कि भारत का लोकमत यह चाहता है, कि गरीबी और अमीरी का विषय भेद दूर हो, और सम्पत्ति का बँटवारा 'सामाजिक न्याय' (Social Justice) के अनुरूप हो।

लोकमत के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ (Conditions for formulation of Public Opinion)

लोकमत के निर्माण के लिए निम्नलिखित परिस्थितियाँ आवश्यक हैं—

(१) शिक्षित जनता—जनता को मुशिक्षित, समझदार व सार्वजनिक मामलों में दिनचस्पी लेनेवाला होना चाहिए। सार्वजनिक मामलों पर लोग तभी अपना कोई मत बना सकते हैं, जबकि वे उन्हें समझने की योग्यता रखें हों। यदि किसी देश की जनता निरक्षर होगी, तो वह न समाचारपत्र पढ़ सकेगी, न राजनीतिक दलों के प्रचार से लाभ उठा सकेगी, और न किसी प्रश्न के पक्ष व विपक्ष पर विचार कर सकेगी।

(२) आर्थिक समानता—गरीबी और अमीरी का बहुत अधिक भेद भी अच्छे लोकमत के निर्माण में रुकावट पैदा करता है। यदि बहुमूल्यक जनता बहुत गरीब हो, तो उसे अपना पेट भरने की फिक्र से ही फुरसत नहीं होगी। धनी लोग गरीबों की विवशता से लाभ उठाकर उन्हें अपने पीछे लगाने में समर्थ हो जाएंगे। जिन लोगों को पेट-भर खाना भी नहीं मिलता, वे सार्वजनिक प्रश्नों पर निष्पक्ष रीति से विचार कर ही कैसे सकते हैं।

(३) साम्प्रदायिकता व सकीर्णता का अभाव—जिम देश के लोग जात-बिरादरी, धर्म, नसल आदि के सकीर्ण विचारों को बहुत अधिक महत्त्व देते हैं, वे किसी सार्वजनिक प्रश्न पर सबके हित की दृष्टि से विचार नहीं कर सकते। उनके सामने जब कोई सवाल पेश होता है, तो वे यह सोचने लगते हैं, कि हमारी जाति को या हमारे धर्म को इससे कहाँ तक लाभ व नुकसान पहुँचेगा। इन सकीर्ण विचारों के कारण स्वस्थ लोकमत का निर्माण नहीं होने पाता।

(४) निष्पक्ष समाचार-पत्र—समाचार पत्रों और रेडियो आदि प्रचार के अन्य साधनों का सच्चा व निष्पक्ष होना भी सही लोकमत के निर्माण के लिए बहुत उपयोगी है। यदि ये साधन सरकार के हाथों में हों, तो उनकी सदा यह कोशिश रहेगी कि समाचार इन ढंग से दिये जाएँ, जिससे जनता में असन्तोष पैदा न हो। यदि ये साधन पूँजीपतियों के हाथों में हों, तो वे इनका प्रयोग अपने वर्ग के हित के लिए करेंगे। जो समाचार-पत्र राजनीतिक दलों के हाथों में होते हैं, वे भी सब समाचारों को एक खास रंग में रँगकर पेश करने हैं। वस्तुतः, लेखकों और सम्पादकों का काम बड़े महत्त्व का है। लोकमत के निर्माण में उनका बहुत हाथ होता है। यदि वे निष्पक्ष हों, स्वार्थ की भावना को अपने सामने न लाएँ, और सबके हित को अपने सम्मुख रखें, तो वे स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बहुत महायत्ना पहुँचा सकते हैं।

(५) विचार प्रकट कर सकने की स्वतन्त्रता—अपनी सम्मति व विचारों को प्रकट कर सकने की सबको स्वतन्त्रता होनी चाहिए। जिन राजनीतिक दलों का देश में बहुमत न हो, या देश में अल्पसंख्या के जो लोग हों, उन्हें यह स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वे शान्तिमय उपायों में अपने विचारों का प्रचार कर सकें। जब तक लोगों को सब प्रकार के विचारों को सुनने व जानने का मौका नहीं मिलेगा, वे किसी प्रश्न पर अपना स्वतन्त्र मत बना ही कैसे सकेंगे ?

लोकमत का निर्माण करने व उसे प्रगट करने के साधन (Agencies for the formulation and expression of Public Opinion)

लोकमत का निर्माण करने व उसे प्रगट करने के लिए जो साधन आजकल प्रयोग में लाये जाने हैं, वे निम्नलिखित हैं—

(१) समाचार-पत्र—जनता तक समाचारों की पहुँचाने का मुख्य साधन समाचार-पत्र हैं। ये पत्र न केवल समाचार ही देते हैं, अपितु उन पर टिप्पणियाँ भी करते हैं। विविध प्रकार के विचारों को फैलाने के लिये भी वे सहायक होते हैं। आम लोग उन्हें को पढ़कर देश-विदेश की खबरों की जानकारी प्राप्त करते हैं, और सार्वजनिक प्रश्नों के विषय में विविध विचारों को ग्रहण करते हैं। समाचार-पत्रों द्वारा जनता को भी दूसरों तक अपने विचार पहुँचाने का अवसर मिलता है। वस्तुतः, लोकमत के निर्माण व प्रगट करने के समाचार-पत्र उत्तम साधन है।

पर सब समाचार-पत्र न निष्पक्ष होने हैं, और न सच्चाई व ईमानदारी से ही अपना कार्य करते हैं। बहुत-से समाचार-पत्र आजकल बड़े पूंजीपतियों के हाथों में हैं, और उनका दृष्टिकोण सर्वसाधारण किसान, मजदूर जनता के हितों के अनुकूल नहीं होता। अनेक समाचारपत्र सम्प्रदायवादी मकीएँ लोगों के हाथों में भी हैं। ऐसे पत्र देश को बहुत हानि पहुँचाते हैं।

इनमें सन्देह नहीं, कि समाचार-पत्रों के हाथों में बहुत ताकत होनी है। यदि वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगें, तो वे अहित भी बहुत कर सकते हैं। इस-लिए ऐसी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए, जिससे कोई समाचारपत्र अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके।

(२) रेडियो—समाचार-पत्रों के समान रेडियो भी समाचार देने और विचार फैलाने का बहुत बड़ा साधन है। अधिक्षिप्त लोग समाचारपत्र नहीं पढ़ सकते, पर रेडियो सब लोग सुन सकते हैं। बहुत-से देशों में रेडियो पर प्रोग्राम देने का कार्य सरकार के हाथों में है। इस कारण सरकार को यह मौका मिल जाता है, कि वह केवल इस ढंग के समाचारों और विचारों का प्रसार करे, जो उसकी नीति के अनु-कूल हों।

(३) सार्वजनिक सभाएँ—सभाओं में व्याख्यान देकर जनता में अपने विचारों का प्रचार बहुत सुगमता से किया जा सकता है। लोग सार्वजनिक व्याख्यानों को शौक से सुनते हैं, और सभाओं में अपने विचारों को प्रगट करने का भी अवसर प्राप्त करते हैं।

(४) राजनीतिक दलों का प्रचार—आजकल सभी लोकतन्त्र राज्यों में अनेक राजनीतिक दल संगठित हैं। इन सब दलों की नीति व कार्यक्रम अलग-अलग होने हैं। अपनी नीति, विचार व कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए ये दल पोस्टर और पेंफ्लेट निकालते हैं, हेण्डबिल बाँटते हैं, सभाएँ करते हैं, जुलून निकालते हैं, और अन्य अनेक प्रकार के साधनों से जनता के मन को अपने अनुकूल बनाने का यत्न करते हैं।

(५) निर्वाचन—चुनाव के अवसर पर विविध राजनीतिक दलों व स्वतन्त्र उम्मीदवारों को अपने विचारों को फैलाने का स्वर्णीय मौका मिल जाता है। इन

अवसर पर लोग सब प्रकार के विचारों को सुनते हैं, और सार्वजनिक प्रश्नों पर अपना कोई मत तय करने में उन्हें बहुत सहायता मिलती है।

(६) ग्रन्थ सत्थाएँ—राजनीतिक दलों के अतिरिक्त ग्रन्थ भी अनेक ऐसी सत्थाएँ होती हैं, जो लोकमत का निर्माण करने में मदद करती हैं। व्यापारियाँ, मजदूरी, शिल्पियों व नागरिकों के अनेक इस तरह के सगठन बने होते हैं, जिनका प्रयोजन मुख्यतया आर्थिक व सामाजिक होता है। समाज-सुधार, धर्मप्रचार व सेवा के उद्देश्य से कायम हुई सत्थाएँ भी सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने मत का प्रचार करती हैं।

(७) विधान सभाएँ—विधान सभाओं में जो वाद-विवाद होते हैं, लोग उनमें बहुत दिलचस्पी लेते हैं। ये वाद-विवाद रेडियो व समाचार-पत्रों द्वारा जनता तक पहुँचते हैं, और कुछ लोग दशक के रूप में इन सभाओं में उपस्थित होकर इन्हें सुनने भी हैं। इन वाद-विवादों को पढ़ व सुनकर जनता को यह अवसर मिलता है, कि वह सार्वजनिक प्रश्नों पर अपना मत बना सके।

राजनीतिक दल (Political Parties)—

लोकतन्त्र शासन के लिए राजनीतिक दलों का बहुत महत्त्व है। जब देश में किसी एक राजा का शासन हो, या कोई एक श्रेणि शासन करती हो, तो राजनीतिक दलों का कोई विशेष महत्त्व नहीं होता। पर लोकतन्त्र शासन लोकमत के अनुसार होता है, अतः विविध विचारों के लोग अपने को सगठित कर अपने अनुकूल लोकमत का निर्माण करने व उसके अनुसार शासन करने का यत्न करते हैं। वस्तुतः, लोकतन्त्र शासन किसी एक ऐसे राजनीतिक दल का ही शासन होता है, जिसकी नीति व कार्यक्रम को बहुसंख्यक लोग पसन्द करते हों।

राजनीतिक दल की विशेषताएँ—(१) यह आवश्यक है, कि राजनीतिक दल भली भाँति सगठित हो। जनता में राज्य व उसकी नीति के विषय में अनेक प्रकार के विचार होते हैं। पर जब तक एक समान विचार रखने वाले लोग आपस में मिलकर अपना एक सगठन न बना ले, वे राजनीतिक दल का रूप धारण नहीं कर पाते। राजनीतिक दलों की शक्ति उनके सगठन पर ही निर्भर करती है।

(२) राजनीतिक दल के प्रत्येक सदस्य के लिए यह आवश्यक है, कि वह किन्हीं निश्चित सिद्धान्तों या विचारों का अनुयायी हो। अगर बिना विचारों व सिद्धान्तों के कोई सगठन बना लिया जायगा, तो उसे 'दल' न कहकर गुट (Faction) कहना ठीक होगा। गुटबन्दी और राजनीतिक दल में भारी भेद है।

(३) राजनीतिक दलों के लिए यह भी आवश्यक है, कि वे अपने सिद्धान्तों व विचारों का शान्तिमय उपायों से प्रचार करें।

(४) राजनीतिक दलों का निर्माण जिन सिद्धान्तों व विचारों के आधार पर हुआ हो, उनका उद्देश्य राष्ट्रीय हित होना चाहिए, किसी जाति या वर्ग का हित नहीं।

इन विधेयताओं को दृष्टि में रखकर राजनीतिक दल का लक्षण इस प्रकार किया जा सकता है—“राजनीतिक दल मनुष्यों के उस संगठित समुदाय को कहते हैं, जिसके सार्वजनिक प्रश्नों के सम्बन्ध में कुछ निश्चित विचार हों, और जो उन विचारों को क्रिया में परिणत करने के लिए बंध और शान्तिमय उपायों द्वारा सरकार का संचालन अपने हाथों में लेने का उद्योग करे।”

राजनीतिक दलों के संगठन का आधार—

राजनीतिक दलों का संगठन किन आधारों पर किया जाता है, यह प्रश्न भी बड़े महत्त्व का है—

(१) आर्थिक—आजकल के लोकतन्त्र राज्यों में राजनीतिक दल पाय आर्थिक नीति के सम्बन्ध में मतभेद होने के कारण ही कायम हुए हैं। भारत में कांग्रेस पार्टी समाजवादी ढंग के आर्थिक संगठन के पक्ष में है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग कांग्रेस की आर्थिक नीति से सन्तुष्ट नहीं हैं। वे चाहते हैं, कि समाजवाद को अधिक स्पष्टता के साथ अपनाया जाए। कम्युनिस्ट पार्टी कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष (Class struggle) के सिद्धान्त में विश्वास रखती है, और किसानों व मजदूरों के शासन को कायम करना चाहती है। इन पार्टियों का मुख्य आधार आर्थिक नीति और कार्यक्रम के सम्बन्ध में मतभेद ही है।

(२) राजनीतिक—अनेक देशों में राजनीतिक मतभेद के कारण भी विविध पार्टियों का संगठन किया जाता है। जब भारत में अंग्रेजी शासन था, तब यहाँ कांग्रेस पार्टी का संगठन राजनीतिक उद्देश्य से ही हुआ था। कांग्रेस भारत से विदेशी शासन का अन्त कर ‘पूर्ण स्वराज्य’ स्थापित करने के पक्ष में थी। उस समय भारत में एक लिबरल पार्टी भी थी, जो पूर्ण स्वराज्य को अपना ध्येय न मानकर ‘उत्तरदायी सरकार’ (Responsible Government) की स्थापना को ही पर्याप्त समझती थी। यह पार्टी इतने से ही सन्तुष्ट थी, कि अंग्रेज शासकों के साथ सहयोग करके धीरे धीरे भारतीयों को शासन में थोड़े बहुत अधिकार दिलाने का यत्न करे।

(३) स्वभाव में भेद (Temperamental differences)—लोगों के स्वभाव में बहुत अन्तर होता है। कुछ लोग अपनी वर्तमान दशा से सन्तुष्ट होते हैं, और उगम कोई बड़ा परिवर्तन व सुधार नहीं चाहते। यह स्वभाव प्रायः धनी लोगों में पाया जाता है। राजनीति में इन लोगों को सनातनी या कन्जर्वेटिव (Conservative) कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो सुधार व परिवर्तन तो चाहते हैं, पर धीरे धीरे। ये लोग क्रान्ति या तीव्र परिवर्तन को पसन्द नहीं करते। राजनीति में इन्हें उदार

या लिबरल (Liberal) कहा जाता है। कुछ लोग वर्तमान दशा से बहुत अधिक असंतुष्ट होने के कारण उससे बड़ी तेजी के साथ परिवर्तन करना उपयोगी मानते हैं। ये लोग उग्र या रेडिकल (Extremist या Radical) कहते हैं। मनुष्यों में जो ये तीन प्रकार के स्वभाव पाये जाते हैं, उनके कारण अनेक देशों में तीन प्रकार के राजनीतिक दल गठित हैं। इङ्ग्लैण्ड में तीन मुख्य दल हैं, कन्जर्वेटिव, लिबरल और लेबर। इन तीनों का आधार मनुष्यों का यह तीन प्रकार का स्वभाव ही है जिसके कारण ये तीनों दल तीन भिन्न-भिन्न नीतियों का अनुसरण करते हैं।

(४) ऐतिहासिक कारणों से—अनेक देशों में ऐतिहासिक कारणों से भी अनेक दलों का गठन हो जाता है। समुक्त राज्य अमेरिका में दो मुख्य दल हैं, जिन्हें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट कहते हैं। इनके विचारों और नीतियों में विशेष भेद नहीं है। पर जब से समुक्त राज्य अमेरिका स्वतन्त्र हुआ, वहाँ के लोग इन दो दलों में मतभेद ने बहुत गम्भीर रूप धारण कर लिया। बाद में दासप्रथा का तो अन्त हो गया, पर इन दलों के गठन कायम रहे। आज इन दलों के कार्यक्रम व नीतियों में विशेष अन्तर न होने पर भी जो ये दल कायम हैं, उसका बड़ा कारण ऐतिहासिक ही है।

(५) जातिगत या वर्गविशेष के हितों के आधार पर—अनेक दलों का गठन जातिगत, साम्प्रदायिक व किसी वर्गविशेष के हितों के आधार पर भी होता है। भारत में हिन्दू महासभा, मुसलिम लीग, अकाली-दल आदि जो अनेक पार्टियाँ हैं, उनका आधार कोई आर्थिक कार्यक्रम न होकर अपने जातिगत व साम्प्रदायिक हितों की रक्षा करना ही है।

राजनीतिक दलों के कार्य—

क्याकिं लोकतन्त्र शासनो के लिए राजनीतिक दलों का बहुत महत्त्व है, अतः उनका कार्य पर भी प्रकाश डालना उपयोगी है—

(१) वे लोकमत का निर्माण करने और जनता को अपने विचारों का अनुयायी बनाने का उद्योग करते हैं। राजनीतिक दल सार्वजनिक समस्याओं के प्रति जनता का ध्यान आकृष्ट करते हैं, और उनके लिए हल भी पेश करते हैं। वे लोगों को बताते हैं, कि गरीबी को दूर करना एक बड़ी समस्या है। एक दल इसका यह उपाय बनाता है, कि जो किसान जमीन जोतता है, उसे ही जमीन का मालिक भी होना चाहिए। कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों के हाथ में कारखानों का संचालन भी होना चाहिए। दूसरा दल कहता है, कि गरीबी दूर करने का उपाय सम्पत्ति में वृद्धि करना है। उनके लिए नये कल-कारखाने खुलने चाहिए। पर यहाँ तक ही सबका

है, जब कि कल-कारखानों में पूंजी लगायी जाए। इसलिए पूंजीपतियों का भी बहुत उपयोग है, और उन्हें मुनाफा कमाने का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिये।

(२) लोकमत को अपने अनुकूल बनाकर राजनीतिक दल यह दर्शन करते हैं, कि अपनी सरकार बनाएँ। पार्लियामेण्ट में जिस दल का बहुमत हो, उसी को अपना मन्त्रिमण्डल बनाने का अवसर मिलता है। इसलिए इन दलों की सदा यह कोशिश रहती है, कि अपने अधिक-स-अधिक प्रतिनिधि पार्लियामेण्ट में चुनवाएँ, और इस प्रकार बहुमत प्राप्त कर अपनी सरकार बनाएँ। अपनी सरकार होने पर अपनी नीति व विचारों को क्रियान्वित करने का अवसर इन दलों को मिल जाता है।

(३) राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य जहाँ लोकमत को अपने अनुकूल बनाना है, वहाँ चुनाव लड़ना भी है। वे जनता में अपने विचारों का प्रचार इनीलिए करते हैं ताकि चुनाव के समय उनमें वोट ले सकें। चुनाव के सम्बन्ध में राजनीतिक दल प्रायः निम्नलिखित कार्य करते हैं—(क) अपने पक्ष के लोगों के नाम अधिक-से-अधिक मतदाताओं की सूची में लिखवाना। (ख) अपने दल की तरफ से सबे विए जानेवाले योग्य उम्मीदवारों की सलाह करना। (ग) चुनाव में अपने उम्मीदवारों की विजय के लिए यत्न करना। (घ) अपनी नीति व कार्यक्रम के पक्ष में प्रचार करना।

राजनीतिक दलों से हानियाँ—

यद्यपि लोकतन्त्र शासन के लिए राजनीतिक दलों का बहुत उपयोग है, पर उनके होने से अनेक हानियाँ भी होती हैं। ये हानियाँ निम्नलिखित हैं—

(१) सरकार का निर्माण जब राजनीतिक दल द्वारा होता है, तो अन्य दलों के योग्य व्यक्तियों की योग्यता से लाभ नहीं उठाया जा सकता।

(२) राजनीतिक दलों के कारण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अपहरण होना है। पार्लियामेण्ट के प्रायः सभी सदस्य किसी-न-किसी पार्टी के सदस्य होते हैं, क्योंकि किसी पार्टी की मदद के बिना किसी मनुष्य के लिए चुनाव में सफल हो सकना सुगम नहीं होता। इस कारण इन सदस्यों को पार्टी के अनुशासन में रहना पड़ता है। जब कोई प्रस्ताव या बिल पार्लियामेण्ट के सम्मुख पेश होता है, तो सदस्य लोग उस पर स्वतन्त्रतापूर्वक न विचार कर सकते हैं, और न वोट ही दे सकते हैं। पार्टी जो कुछ फैसला करे, सबको उसे अखि मीचकर मानना पड़ता है। यदि कोई उसके विरुद्ध मापसु करे या उसके खिलाफ वोट दे, तो पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। उसमें जवाब माँगा जाता है, और कई बार उसे पार्टी से बाहर भी निकाल दिया जाता है।

(३) राजनीतिक दल के सदस्य अपनी पार्टी की सभा में भी स्वतन्त्रतापूर्वक

विचार नहीं कर पाते। असल में प्रत्येक पार्टी में कुछ लोगों का ऐसा गुट बन जाता है, जो पार्टी के बर्ता-घर्ता होते हैं। वे जो कुछ निर्णय करते हैं, पार्टी के अन्य सदस्य उसका विरोध करने का साहम नहीं करते।

(४) राजनीतिक दलों में उन लोगों का महत्त्व बहुत बढ़ जाता है, जो चुनाव लड़ने में कुशल हों, जो जनता को उलटे-भीड़े तरीके से बहकाकर उनके वोट प्राप्त कर सकें। इस कारण राजनीतिक दलों का नेतृत्व कुशल राजनीतिज्ञों के हाथों में न रहकर कुछ तिक्डभवाज व चालाक लोगों के हाथों में आ जाता है।

(५) राजनीतिक दल अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए रिश्वत, बेईमानी आदि बुरे उपायों के प्रयोग में भी मकोच नहीं करते। वे अपने पक्षपातियों को ऊँचे पद देते हैं, और अपने सहायकों को कई तरह से अनुचित लाभ पहुँचाते हैं।

(६) राजनीतिक दलबन्दी कई बार ऐसा रूप भी धारण कर लेती है, कि उसके कारण लोग राष्ट्रीय व सामूहिक हितों के मुकाबिले में दलबन्दी को अधिक महत्त्व देने लगते हैं।

राजनीतिक दलों के लाभ—

इसमें सन्देह नहीं, कि राजनीतिक दलों से अनेक हानियाँ होती हैं। पर साथ ही यह भी सत्य है कि लोकतन्त्र शासन के लिए राजनीतिक दलों का बहुत उपयोग है। जिन लाभों व गुणों के कारण आजकल लोकतन्त्र शासन के लिए राजनीतिक पार्टियाँ अनिवार्य हो गई हैं, वे निम्नलिखित हैं—

(१) यह सम्भव ही नहीं है, कि सब सार्वजनिक प्रश्नों पर सब लोग एकमत हो। महत्त्वपूर्ण मामलों पर लोगों में मतभेद होना बिल्कुल स्वाभाविक है। इस दशा में लोगों की बहुमस्या जिस पक्ष में होगी, वही कार्य में परिणत होगा। यदि राजनीतिक पार्टियाँ संगठित न हो, तो बहुमस्या के लोकमत का कैसे निर्माण होगा और कैसे यह जाना जा सकेगा कि लोकमत क्या है ?

(२) राजनीतिक दलों के कारण ही जनता अपनी इच्छा के अनुसार मन्त्रिमण्डल व सरकार में परिवर्तन करा सकती है। जब किसी दल की नीति लोकप्रिय नहीं रहती, तो जनता उसे अपना वोट नहीं देती। दूसरी पार्टी के लोग बहुमस्या में चुने जाते हैं, और मन्त्रिमण्डल में परिवर्तन हो जाता है।

(३) जनता को राजनीति की शिक्षा देने और सार्वजनिक प्रश्नों के बारे में लोकमत का निर्माण करने के लिए राजनीतिक दल बहुत महत्त्व का कार्य करते हैं।

(४) किसी ऐसी पद्धति की कल्पना कर सकना सम्भव नहीं है, जिसमें राजनीतिक दलों के बिना ही लोकतन्त्र शासन अपना कार्य कर सके। जब राज्य में सब मनुष्य अपने स्वतन्त्र विचार रखते हों, तो उनमें मतभेद होगा ही। इस दशा में यह

स्वाभाविक है कि जिन लोगों के विचार व नीति एक हों, वे अपने को एक दल के रूप में संगठित कर लें, और अपने विचारों को क्रियान्वित करने के लिए अपनी शक्ति में वृद्धि करें।

राजनीतिक दलों में जो बुराइयाँ हैं, उन्हें दूर करने का यही उपाय है, कि जनता अधिक उन्नत व शिक्षित हो। राजनीतिक दलों की जिन बुराइयों का ऊपर उल्लेख किया गया है, वे प्रायः लोकतन्त्र शासन की ही बुराइयाँ हैं। ज्यों-ज्यों मनुष्यों में राजनीतिक शिक्षा बढ़ती जायगी, ये बुराइयाँ भी दूर होती जायँगी।

दो दल या बहुत-से दल—

इस समय कुछ राज्य ऐसे हैं, जिनमें मुख्य रूप से केवल दो दल हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं, जिनमें राजनीतिक दलों की संख्या दो से बहुत अधिक है। इंग्लैण्ड और संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसे देश हैं, जिनमें दो प्रधान राजनीतिक दलों की सत्ता है। पहले इंग्लैण्ड में दो मुख्य पार्टियाँ थी, कन्जर्वेटिव और लिबरल। अब लिबरल दल का स्थान लेबर (मजदूर) पार्टी ने ले लिया है, यद्यपि लिबरल दल के भी कुछ सदस्य पार्लियामेण्ट में चुने जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को मुख्य पार्टियाँ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट हैं।

फ्रांस एक ऐसा देश है, जिसमें बहुत-सी राजनीतिक पार्टियाँ रही हैं। इनमें से कोई भी पार्टी इस स्थिति में नहीं होती, कि अकेले अपने बल पर मन्त्रिमण्डल बना सके। वहाँ जो भी मन्त्रिमण्डल बनते रहे हैं, वे सब प्रायः अनेक दलों द्वारा मिलकर ही बनाये जाते रहे हैं।

राज्य में दो दल होने चाहिएँ या बहुत से, इस प्रश्न पर बहुत मतभेद है। दो दलों के समर्थक अपने पक्ष में ये युक्तियाँ देते हैं—

(१) दो दल होने से पार्लियामेण्ट में जिस दल का बहुमत हो, वह अपना मन्त्रिमण्डल बना लेता है। इसमें सरकार में स्थिरता रहती है।

(२) दो दल होने से विरोधी दल (Opposition Party) भी बहुत उपयोगी कार्य कर सकती है, क्योंकि उसका मुख्य कार्य ही सरकार की नीति व कार्यों की आलोचना करना रहता है। विरोधी दल सदा इस यत्न में रहता है, कि अपनी नीति व विचारों का प्रचार कर पार्लियामेण्ट में बहुमत प्राप्त कर ले।

(३) दो दलों के होने पर मन्त्रिमण्डल को अपने बहुमत का भरोसा बना रहता है, और वह निश्चिन्त होकर अपने कार्यक्रम पर अमल कर सकता है।

पर फ्रांस के लोग इन युक्तियों को महत्त्व नहीं देते। उनका कहना है कि—

(१) सार्वजनिक प्रश्नों के बारे में लोगों के केवल दो ही दृष्टिकोण हों, यह बात स्वाभाविक नहीं है। बहुत से मामले ऐसे होते हैं, जिन पर चार पाँच या और

भी अधिक दृष्टिकोण हो सकते हैं। देश की आर्थिक उन्नति कैसे की जाए, इस प्रश्न पर कितने ही मत हो सकते हैं। इस दशा में बहुत से दलों का होना न केवल स्वाभाविक है, अपितु उचित भी है।

(२) यदि अनेक दलों के होने के कारण मन्त्रिमण्डल जल्दी जल्दी बदलते रहे, तो इससे हानि ही क्या है? शासन का कार्य अमल में तो व कर्मचारी ही करते हैं, जो सरकार की स्थायी सेवा में होने हैं। मन्त्रिमण्डल का काम तो नीति का निर्धारण करना है। जब कोई महत्त्वपूर्ण प्रश्न पार्लियामेंट के सम्मुख पेश हो, तो बहुत से दल होने के कारण जनता के प्रतिनिधियों को यह मौका मिल जाता है, कि वे मन्त्रिमण्डल का नये सिरे से मगठन कराएँ, और ऐसी नीति का अनुसरण किया जाए, जिससे प्रतिनिधियों की बहुसंख्या सहमत हो।

भारत में इस समय कांग्रेस, प्रजा सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, जनसभ, हिन्दू महासभा, रामराज्य परिषद् अवाली दल आदि कितनी ही राजनीतिक पार्टियाँ हैं। पर कांग्रेस का बहुमत इतना अधिक है, कि वह केन्द्रीय सरकार और राज्यों की सरकारों में सर्वत्र अपना मन्त्रिमण्डल बना सकने में समर्थ है यद्यपि कुछ राज्यों में उसे अन्य दलों के सहयोग पर निर्भर करना पड़ रहा है।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१ लोकतन्त्र राज्यों में लोकतन्त्र किस प्रकार अभिव्यक्त होता है? (यू० पी० १६४०)

२ लोकमत किसे कहते हैं? आधुनिक काल में कौन-सी बातें लोकमत के निर्माण में सहायक होती हैं? (यू० पी० १६४८)

३ लोकमत के निर्माण और अभिव्यक्ति के साधनों का वर्णन कीजिये। (राजपूताना १६४१)

४ लोकतन्त्र राज्य में लोकमत का क्या महत्त्व है? लोकमत कैसे बनता और कैसे अभिव्यक्त होता है? (राजपूताना १६५२)

५ लोकमत के लिए कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं?

६ पार्टी गवर्नमेण्ट का क्या अभिप्राय है? इसमें क्या लाभ और क्या हानियाँ हैं? (यू पी १६४२)

७ राजनीतिक दल किसे कहते हैं? नागरिकों की शिक्षा में और सरकार के निर्माण में उसका कितना हाथ होता है? (यू पी १६४४)

८ राज्य के सचालन में और नागरिक को राजनीतिक शिक्षा देने में राजनीतिक दल कहां तक सहायक होने हैं? (यू पी १६५४)

९ आप राजनीतिक दल से क्या समझते हैं? लोकतन्त्र राज्य के सचालन में

बहु क्या कार्य करता है ? (यू पी १९५५)

१० राजनीतिक दलों के लाभ व हानियों का विवेचन कीजिए ।

११ लोकतन्त्र शासन के लिए दो दलों का होना उपयोगी है या अधिक दलों का होना—अपने मन को उदाहरणों के साथ प्रतिपादित कीजिये ।

१२ राजनीतिक दलों का संगठन किन आधारों पर होता है ?

तेईसवाँ अध्याय सरकार का शासन-विभाग (Executive)

शासन-विभाग—

सरकार का जो विभाग या अंग व्यवस्थापन विभाग द्वारा बनाये गये कानूनों को और उसके द्वारा तय की गई नीति को कार्यान्वित करता है, उसे 'शासन-विभाग' (Executive) कहते हैं ।

शासन-विभाग के स्वरूप को भली-भाँति समझने के लिए यह जरूरी है, कि हम उसके निम्नलिखित अंगों को निगाह में रखें—

(१) नाममात्र का शासक—अनेक राज्यों में सरकार का प्रधान कोई ऐसा मनुष्य होता है, जिसके नाम पर शासन सम्बन्धी सब कार्य किये जाते हैं । यह मनुष्य एक वंशक्रम से आया हुआ राजा भी हो सकता है, और चुना हुआ राष्ट्रपति भी । पर इनके हाथों में असली शक्ति नहीं होती । इंग्लैण्ड का राजा इसी तरह का नाममात्र का शासक है । वहाँ शासन का असली कार्य मन्त्रिमण्डल के हाथों में होता है, यद्यपि सब काम राजा के नाम से ही किए जाते हैं । फ्रांस के राष्ट्रपति भी पहले इसी प्रकार के होते थे ।

(२) राजनीतिक शासक—शासन विभाग का यह अंग शासन-सम्बन्धी नीति का निर्धारण करता है, शासन-कार्य की देख-रेख करता है, पर स्वयं शासन का कार्य नहीं करता । इंग्लैण्ड, भारत आदि देशों में जहाँ मन्त्रिमण्डल के अधीन शासन की पद्धति (कैबिनेट सिस्टम) है, वहाँ मन्त्रिमण्डल की यही स्थिति है । इन देशों में मन्त्रिमण्डल का कार्य शासन की देख-रेख करना और शासन की नीति का निर्धारण करना ही है ।

(३) वास्तविक शासक—सभी देशों में शासन का असली काम उन सरकारी कर्मचारियों के हाथों में रहता है, जो स्थायी रूप से सरकारी नौकरों में होते हैं । इन्हें अपने कार्य के लिए निश्चित वेतन मिलता है । चौकीदार से लेकर विविध सरकारी विभागों के डाइरेक्टर व सचिव (Secretary) तक सब स्थिर रूप से सरकारी नौकरों में होते हैं, और शासन के कार्य में हाथ बटाते हैं ।

नाममात्र शासक (Nominal Executive) —

इंग्लैण्ड का राजा 'नाममात्र शासक' का सबसे उत्तम उदाहरण है। वही जो कानून व राजकीय आज्ञाएँ जारी की जाती हैं, सब राजा के नाम से जारी होती हैं। यदि कोई आदमी कानून का उल्लंघन करे, चोरी करे, डाका डाले या राजद्रोह करे, तो उस पर सरकार जो मुकदमा दायर करती है, उसमें मुद्दै राजा को ही माना जाता है।

भारत जैसे अनेक देशों में वंशजप से आये हुए किसी राजा की सत्ता नहीं है। इन देशों में सरकार का प्रधान 'राष्ट्रपति' है, जिसकी नियुक्ति चुनाव द्वारा होती है। कानून व राजकीय आज्ञाएँ उसी के नाम से जारी की जाती हैं। विशेष दशा में उसे आर्डिनेन्स (अध्यादेश) जारी करने का भी हक है। पर असली शासन शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में नहीं है। इसीलिए ऐसे राष्ट्रपति को 'नाममात्र' शासक कह सकते हैं।

राजनीतिक शासक (Political Executive) का व्यवस्थापन विभाग से सम्बन्ध—

सब राज्यों में राजनीतिक शासक एक जैसे नहीं होते। जिन राज्यों में कैबिनेट सिस्टम है, उनमें मन्त्रिमण्डल 'राजनीतिक शासक' होता है। राष्ट्रपति के अधीन सामन (प्रजिडेन्शियल सिस्टम) में राजनीतिक शासक राष्ट्रपति होता है, क्योंकि मन्त्री पूरी तरह से उसके वशवर्ती होते हैं। इस शासन-पद्धति में निर्वाचक लोग अपने वोटों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए होता है, और इस अवधि से पूर्व उसे अपने पद से पृथक नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति व्यवस्थापन विभाग (कार्प्रेस व पार्लियामेण्ट) के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। शासन का सब कार्य उसके सुपुर्द रहता है, और अपनी सहायता के लिए मन्त्रियों की नियुक्ति वह स्वयं करता है। ये मन्त्री व्यवस्थापन विभाग के प्रति उत्तरदायी न होकर केवल राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। पार्लियामेण्ट व कार्प्रेस इन मन्त्रियों के कार्य व नीति को चाहे किसी भी दृष्टि से देखे, वह उन्हें उनके पदों से अलग नहीं कर सकती।

इसके विपरीत मन्त्रिमण्डल के अधीन शासन (कैबिनेट सिस्टम) में राजनीतिक शासक का व्यवस्थापन विभाग के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। पार्लियामेण्ट में जिस पार्टी का या जिन पार्टियों के सम्मिलन (Coalition) का बहुमत हो, उनके नेता को प्रधानमन्त्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। यह प्रधानमन्त्री अपनी पार्टी या अपने पक्ष की पार्टियों में से मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की नियुक्ति करता है। मन्त्रिमण्डल समुक्त उत्तरदायिता (Joint Responsibility) के सिद्धान्त में काम करता है। यदि पार्लियामेण्ट किसी एक मन्त्री के कार्य के विरुद्ध भी प्रस्ताव स्वीकृत

कर दे, या किसी एक के प्रति भी अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे, तो सारा मन्त्रिमण्डल त्यागपत्र दे देता है। मन्त्रिमण्डल तभी तक अपने पद पर रह सकता है, जब तक कि पार्लियामेंट के बहुमत का विश्वास उसे प्राप्त रहे। वह पार्लियामेंट के प्रति ही उत्तरदायी होता है।

इस प्रकार आजकल के राज्यों में दो प्रकार के राजनीतिक शासक (Political Executive) हैं। एक प्रकार के शासक का व्यवस्थापन विभाग के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है, और दूसरे प्रकार के शासक का उसके साथ सम्बन्ध बहुत कम है। पर राष्ट्रपति के अधीन शासनो के विषय में भी यह नहीं कहा जा सकता, कि उनका व्यवस्थापन विभाग में बिल्कुल सम्बन्ध नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति कांग्रेस (व्यवस्थापन विभाग) द्वारा स्वीकृत किये गये किसी कानून को अपनी स्वीकृति देने से इन्कार कर सकता है, और वह जिस कानून या प्रस्ताव के पक्ष में हो, उसे पास कराने के लिए कांग्रेस से सिफारिश कर सकता है। पर यह स्पष्ट है, कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में—जहाँ प्रेजिडेन्शियल सिस्टम विद्यमान है, शासन-विभाग व्यवस्थापन विभाग से प्रायः पृथक् व स्वतन्त्र है।

शासन-विभाग के कार्य—

(१) राजनय सम्बन्धी कार्य (Diplomatic Functions)—अन्य राज्यों के साथ जो वैदेशिक सम्बन्ध होते हैं, विविध राज्यों में जो परस्पर व्यवहार होता है, उसे राजनय (Diplomacy) कहते हैं। प्रत्येक राज्य अन्य राज्यों के साथ सन्धियाँ करता है, व्यापारिक समझौते करता है, राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित करता है, अपने राजदूत अन्य राज्यों में भेजता है, और अन्य राज्यों के राजदूत अपने राज्य में रखता है। ये सब कार्य 'राजनय' कहाते हैं। इन सब कार्यों को वही शासक (Executive या कार्यपालिका) करता है, जिसे हमने राजनीतिक शासक कहा है।

(२) प्रशासन सम्बन्धी कार्य (Administrative Functions)—राज्य के कानूनों को क्रियान्वित कराने की उचित व्यवस्था करना राजनीतिक शासक का ही कार्य है। राज्य का शासन कार्य अनेक अधिकारियों (महकमों) में बाँटा होता है। मन्त्री लोग अपने-अपने महकमों के प्रधान अधिकारी होते हैं, और अपने महकमों के प्रधान कर्मचारियों के कार्य पर देख-रेख रखते हैं।

(३) व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य (Legislative Functions)—कैबिनेट सिस्टम वाले राज्यों में मन्त्रिमण्डल व्यवस्थापन सम्बन्धी अनेक कार्य करता है। पार्लियामेंट के अधिवेशन बुलाना, नये कानूनों के मसविदों तैयार कराना, उन्हें पार्लियामेंट में पेश करना व उन्हें स्वीकृत कराना सब मन्त्रिमण्डल का ही काम होता है।

शासन विभाग अध्यादेश (Ordinance) जारी करके भी व्यवस्थापन का कार्य

करता है। प्रायः सभी राज्यों में शासन-विभाग को यह अधिकार दिया जाता है, कि सकल काल में या किसी विशेष परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सके। कैबिनेट सिस्टम वाले राज्यों में यह अधिकार यद्यपि राष्ट्रपति को दिया जाता है, पर वह मन्त्रिमण्डल के परामर्श से ही अपने इस अधिकार को काम में लाता है।

(४) न्याय सम्बन्धी कार्य (Judicial Functions)—प्रायः सभी राज्यों में शासन विभाग को अनन्त न्याय सम्बन्धी अधिकार भी प्राप्त होते हैं। प्रायः राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जाता है, कि वह न्यायालय द्वारा सजा पाये हुए किसी व्यक्ति को क्षमा प्रदान कर सके, या किन्हीं क्षाम अवसरों पर सर्वक्षमा (अमनेस्टी) भी दे सके। सर्वक्षमा क समय बहुत-से कैदियों को जेल से रिहा कर दिया जाता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी प्रायः राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। कैबिनेट सिस्टम वाले राज्यों में राष्ट्रपति अपने इन अधिकारों का प्रयोग भी मन्त्रिमण्डल के परामर्श के अनुसार ही करता है।

(५) सेना सम्बन्धी कार्य (Military Functions)—सेना का संगठन, अस्त्र-सस्त्र का संचय, सेनापतियों की नियुक्ति और सैन्यशक्ति का प्रयोग—ये सब कार्य शासन-विभाग द्वारा ही किये जाते हैं।

(६) अन्य विविध कार्य—सरकार का शासन विभाग अन्य भी अनेक कार्य करता है। वह लोगों को उपाधि देकर सम्मानित करता है। व्यक्तियों की विशेष सेवाओं के लिए उन्हें पेंशन देना, किसी को धन द्वारा सहायता करना आदि किन्हीं ही कार्य शासन विभाग द्वारा किये जाते हैं।

शासन-विभाग के कार्य की अवधि—

राज्य में राजनीतिक शासकों की अवधि दो प्रकार से निर्दिष्ट की जाती है—

(१) कैबिनेट सिस्टम में प्रधानमंत्री और मन्त्रिमण्डल सब तक अपने पद पर रहते हैं, जब तक कि पार्लियामेंट के बहुमत का विश्वास उन्हें प्राप्त रहे। अतः उनकी कोई अवधि नहीं होती।

(२) प्रेजिडेंशियल सिस्टम में राष्ट्रपति व उसका मन्त्रिमण्डल व्यवस्थापन विभाग से सर्वथा स्वतन्त्र होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्दिष्ट अवधि के लिए किया जाता है, और सामान्यतया उस अवधि से पूर्व उसे अपने पद से पृथक् नहीं किया जा सकता।

प्रशासकवर्ग या सिविल सर्विस—

किसी भी राज्य में शासन का असली काम न नाममात्र के शासक (राजा या राष्ट्रपति) के हाथों में होता है, और न राजनीतिक शासक (मन्त्रिमण्डल) के।

राज्य में शासन का असली काम वे सरकारी राजकर्मचारी करते हैं, जो स्थिर रूप से राज्य की सेवा में होने हैं।

(१) प्रशासक वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति विशेष योग्यता के आधार पर की जाती है। इसके लिए उन्हें किसी विशेष परीक्षा को पास करना होता है। जहाँ लोग परीक्षा में उत्तीर्ण हो, उनमें भी जो सबसे अधिक योग्य हो, उन्हें ही सरकारी नौकरी में लिया जाता है। इसके लिए प्रायः सभी राज्यों में एक लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) बनाया जाता है, जो सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की परीक्षा लेता है।

(२) प्रशासक वर्ग के कर्मचारी सरकारी नौकरी पेशे के रूप में करते हैं। इस काम के बदले में उन्हें योग्यता के अनुरूप वेतन दिया जाता है।

(३) प्रशासक वर्ग के कर्मचारियों का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं होता। सरकार का संचालन चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हाथों में हो, ये कर्मचारी सबके आदेशों को समान रूप से मानते हैं।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१ राज्य के शासन विभाग के कौन से मुख्य अंग होते हैं? प्रत्येक अंग के कार्यों का निदर्शन कीजिये।

२ आधुनिक राज्य में शासन विभाग (Executive) के मुख्य कार्य कौन से हैं? निर्वाचक मण्डल के प्रति उसके उत्तरदायित्व का निर्वाह किस प्रकार किया जाता है? (पू. पी. १९५३)

३ राजनीतिक शासक, नाममात्र शासक और वास्तविक शासक में क्या भेद है? उनके कार्यों पर भी प्रकाश डालिये।

४ प्रशासक वर्ग पर टिप्पणी लिखिये।

चौबीसवाँ अध्याय सरकार का न्याय-विभाग (Judiciary)

न्याय-विभाग के कार्य—

सरकार का तीसरा विभाग या प्रथम न्याय-विभाग है। इस विभाग के मुख्य कार्य निम्नलिखित होते हैं—

(१) व्यक्तियों के जो आपस के झगड़े हों, न्यायालय वादों के अनुसार उनका निर्णय करते हैं। रुपये के लेन-देन, विरासत, विवाह सम्बन्ध आदि कितने ही मामलों को लेकर व्यक्तियों में झगड़े पैदा हो जाते हैं। इनका निर्णय न्यायालयों द्वारा ही किया जाता है।

(२) राज्य और व्यक्तियों के झगड़ों का निर्णय भी न्यायालयों द्वारा होता है। फौजदारी मुकदमों में न्यायालयों के सम्मुख ही पेश होने हैं। यदि कोई आदमी सरकार के किसी कानून का उल्लंघन करे, तो राज्य उस पर मुकदमा चलाता है, और न्यायालय उसका फैसला करता है।

(३) कानून का सही सही अभिप्राय क्या है, इस प्रश्न पर भी अनेक बार मतभेद हो जाता है। इस दशा में न्यायालय ही कानून के अभिप्राय को स्पष्ट करते हैं।

(४) व्यक्तियों की स्वतन्त्रता व अधिकारों की रक्षा करना भी न्यायालयों का काम है। यदि सरकार का कोई कर्मचारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले और बिना मुकदमा चलाये उसे हिरासत या जेल में रखे, तो उसकी ओर से न्यायालयों में प्रार्थनापत्र दिया जा सकता है, और इस प्रकार उस व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा की जा सकती है।

(५) जिन राज्यों के संविधान लेखबद्ध हों, उनमें संवैधानिक (Constitutional) कानून और साधारण कानूनों में भेद होता है। उनमें राज्य की पार्लियामेन्ट कोई ऐसा कानून पास नहीं कर सकती, जो संविधान व उसमें प्रतिपादित नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के विपरीत हो। यदि पार्लियामेन्ट कोई ऐसा कानून पास कर दे, जो संविधान के विरुद्ध हो, तो सर्वोच्च न्यायालय में उसके खिलाफ अपील की जा सकती है।

(६) सवर्ग राज्यों (Federations) में न्याय विभाग ही यह भी निर्णय करता है, कि कौन-से राजकीय विषय सवर्ग सरकार (Federal Government) के अधीन हैं, और कौन-से विषय सवर्ग के अन्तर्गत विविध राज्यों की सरकारों के। इस प्रश्न पर प्रायः विवाद हो जाता है, और इन विवादों का निर्णय न्यायालयों द्वारा ही किया जाता है।

(७) अनेक राज्यों में शासन-विभाग द्वारा कानूनी प्रश्नों पर न्याय-विभाग से सलाह लेने की भी प्रथा है। इङ्ग्लैण्ड में बहुधा सरकार की ओर से प्रिवी कौंसिल की ज्युडिशियल कमेटी में कानून की समस्याओं के विषय में सलाह ली जाती है। यही प्रथा कनाडा, पनामा, स्वीडन, भारत आदि अन्य भी अनेक राज्यों में है।

(८) ऐसे मृत व्यक्तियों की जायदाद का इन्तजाम करना भी न्यायालयों का कार्य होना है जिनके उत्तराधिकारी (वारिस) अभी बानिग न हुए हों।

(९) यदि कोई आदमी दीवालिया हो जाए, तो उसकी जायदाद के लिए रिसीवर नियुक्त करने का कार्य भी न्यायालयों द्वारा किया जाता है।

(१०) यदि किसी व्यक्ति के किसी कार्य से किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुँचने की सम्भावना हो तो उसे उस कार्य से रोकना भी न्यायालयों का काम है।

(११) अनेक मामलों में ऐसे भी होते हैं, जिनके सम्बन्ध में कानून स्पष्ट नहीं होता। पर न्यायालय इनका भी निर्णय करते हैं। ऐसा करते हुए वे श्रौचित्य (Equity) के सिद्धान्तों से काम लेते हैं। न्यायालय किसी मुकदमे का निर्णय करते हुए कानून की जो व्याख्या करते हैं, या जो नज़ीर तैयार करते हैं, उनकी स्थिति कानून के सदृश ही होती है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति—

न्यायाधीशों का काम बहुत जिम्मेदारी का होता है। इसलिए यह जरूरी है, कि इस पद पर जो व्यक्ति नियुक्त किए जाएँ, वे न केवल कानून को भली भाँति समझते हों, अपितु साथ ही ईमानदार भी हों। रिश्वत आदि के प्रलोभन में वे न आ जाएँ।

विविध देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भिन्न-भिन्न प्रथाएँ हैं—

(१) शासन-विभाग द्वारा नियुक्ति—बहुसंख्यक देशों में बड़े न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति शासन विभाग द्वारा की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सवर्ग न्यायालय (Federal Court) के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, यद्यपि इन नियुक्तियों के लिए सीनेट (व्यवस्थापन विभाग का द्वितीय सदन) की स्वीकृति लेनी होती है। अमेरिकन सवर्ग (Federation) के अन्तर्गत विविध राज्यों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कई प्रकार से की जाती है। पर उनमें भी कई राज्य ऐसे

हैं, जहाँ राज्य के राज्यपाल (गवर्नर) न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इंग्लैंड, भारत आदि जिन राज्यों में कैबिनेट सिस्टम विद्यमान है, उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति यद्यपि राजा व राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, पर असल में यह कार्य मन्त्रिमण्डल ही करता है। मन्त्रिमण्डल जिन व्यक्तियों को न्यायाधीश पद के लिए उपयुक्त समझे, राजा या राष्ट्रपति उन्हें को नियुक्त कर देता है।

छोटे न्यायालयों के न्यायाधीश प्रायः राज्य के स्थिर कर्मचारी होते हैं। जिस प्रकार सिविल सर्विस के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति विशेष योग्यता के आधार पर एक परीक्षा द्वारा की जाती है, वैसे ही न्यायविभाग के कर्मचारियों (न्यायाधीश आदि) की भी नियुक्ति होती है। न्याय-विभाग के ये कर्मचारी शुरु में मुन्सिफ के छोटे पद पर नियुक्त होते हैं, और फिर अपनी योग्यता के कारण निरन्तर उन्नति करते हुए 'डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज' आदि के उंचे पद प्राप्त कर लेते हैं।

(२) व्यवस्थापन विभाग द्वारा निर्वाचन—कुछ राज्यों में यह प्रथा है, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति पार्लियामेंट या विधान सभा द्वारा चुनाव से की जाती है। शुरु में संयुक्त राज्य अमेरिका में भी यह प्रथा प्रचलित थी। पर धीरे-धीरे वहाँ इसका त्याग कर दिया गया। अब अमेरिकन संघ के अन्तर्गत केवल चार राज्य ऐसे रह गये हैं, जिनकी विधानसभाएँ न्यायाधीशों का चुनाव करती हैं। पर स्विट्जरलैंड में अब तक भी यह प्रथा विद्यमान है, और वहाँ के न्यायाधीश विधानसभाओं द्वारा ही चुने जाते हैं।

(३) जनता द्वारा निर्वाचन—संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ में जो बहुत से राज्य शामिल हैं, उनमें से कुछ में मतदाता लोग अपने वोटों द्वारा न्यायाधीशों का भी चुनाव करते हैं।

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन-सी पद्धति उत्तम है ?

यदि सर्वसाधारण मतदाता वोटों द्वारा न्यायाधीशों का भी चुनाव करने लगे, तो योग्य व्यक्तियों के लिए इस पद को पा सकना सुगम नहीं होगा। निर्वाचन एक प्रकार का युद्ध होता है, उसमें लड़कर सफल होने के लिए एक खास प्रकार की योग्यता आवश्यक होती है। यह योग्यता न्यायाधीश के पद के लिए उपयुक्त मनुष्यों में पाई जाए, इसकी सम्भावना बहुत कम है। चुनाव में वे लोग ही सफल हो सकते हैं, जो दलबन्दी के आवाजे के मँजे हुए पहलवान हों। इसका परिणाम यह होता है कि राजनीतिक दलबन्दी में कुशल लोग न्यायाधीश पद के लिए उम्मीदवार बन जाते हैं, और चुनाव में सफल भी हो जाते हैं। चुनाव द्वारा नियुक्त हुए न्यायाधीश निष्पक्ष होकर भी अपना काम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें उन लोगों का सदा सहायन रखना पड़ता है, जिन्होंने चुनाव के समय उनकी मदद की थी। यही कारण है, कि

आजकल के लोकतन्त्र राज्यों में इस पद्धति का अनुसरण बहुत कम किया गया है।

विधान सभाओं द्वारा न्यायाधीशों के चुने जाने की पद्धति में मुख्य दोष यह है, कि विधान सभा में जिस दल का बहुमत हो, वह अपने दल के लोगों को ही न्यायाधीश के पद के लिए भी चुनने का यत्न करता है। इस कारण योग्य व्यक्तियों के बजाय राजनीतिक दल के प्रमुख कार्यकर्ता ही इन महत्त्वपूर्ण पदों को प्राप्त कर लेते हैं।

शासन-विभाग द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति को भी पूरी तरह से दोषरहित नहीं माना जा सकता। इसका कारण यह है, कि मन्त्रिमण्डल व राष्ट्रपति भी अपने राजनीतिक दल के प्रभाव से मुक्त नहीं होते। पर फिर भी अन्य पद्धतियों के मुकाबिले में यह पद्धति उत्तम है। अनेक राज्यों में यह प्रथा है, कि जब न्यायाधीश का कोई पद खाली होता है, तो उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीश उन व्यक्तियों की एक सूची तैयार करते हैं, जिन्हें वे उस पद के लिए योग्य समझते हैं। यह सूची राष्ट्रपति या मन्त्रिमण्डल के पास भेज दी जाती है, और इसी सूची में से किसी एक को मनोनीत कर दिया जाता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की यह प्रथा अन्य सब की अपेक्षा अधिक उत्तम है।

न्यायाधीशों का कार्यकाल—

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के कार्य-काल के विषय में मुख्यतया दो प्रकार की व्यवस्थाएँ की जाती हैं—

(१) उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए अपने पद पर नियुक्त किया जाता है, या

(२) तब तक न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं, जब तक कि वे ठीक तरह से अपना कार्य करते रहे।

संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड में प्रायः न्यायाधीशों की नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए ही की जाती है। पर अन्य बहुत-से देशों में न्यायाधीशों के विषय में यह सिद्धान्त स्वीकार किया जाता है, कि वे जब तक अपना कार्य ठीक प्रकार से करते रह सकें, अपने पद पर रहे। देर तक न्याय-कार्य करते रहने से जहाँ न्यायाधीशों को अपने काम का मज़ी-मार्ति अनुभव हो जाता है, वहाँ साथ ही वे अपना काम निष्पक्ष रीति से भी कर सकते हैं। उन्हें यह भय नहीं रहता, कि अवधि के समाप्त हो जाने पर उन्हें फिर से नियुक्त होने के लिए किसी की कृपा प्राप्त करनी होगी।

न्याय-विभाग का संगठन—

न्याय विभाग के संगठन के विषय में निम्नलिखित बातें जानने योग्य हैं—

(१) न्यायालय अनेक प्रकार के होते हैं। जहाँ सारे राज्य का एक सर्वोच्च (Supreme) न्यायालय होता है, वहाँ साथ ही उसके अधीन बहुत-से बड़े व छोटे न्यायालय होने हैं। प्रायः मुकदमे पहले छोटे न्यायालय में पेश होते हैं। वहाँ जो फैसला हो, उसके खिलाफ बड़े न्यायालय में अपील की जा सकती है।

(२) न्यायालय प्रायः तीन प्रकार के होते हैं—दीवानी (Civil), फौजदारी (Criminal) और माल (Revenue) सम्बन्धी। दीवानी न्यायालय व्यक्तियों के आपस के झगड़ों व मुकदमों का फैसला करते हैं। फौजदारी न्यायालयों में उन अपराधों के मुकदमे पेश होने हैं, जो मनुष्य राज्य के विरुद्ध करते हैं। मालगुजारी आदि के मुकदमों का निर्णय माल सम्बन्धी न्यायालयों द्वारा होता है।

(३) सवर्गत्मक (Federal) राज्यों में सर्वत्र दो प्रकार के न्यायालय होते हैं, एक वे जो सवर्ग के कानूनों का प्रयोग करते हैं, और दूसरे वे जो सवर्ग के अन्तर्गत राज्यों के कानूनों का प्रयोग करते हैं। अमेरिका में सर्वत्र इन दोनों प्रकार के न्यायालयों की सत्ता है। पर भारत में जहाँ केन्द्रीय और विविध राज्यों की सरकारें अलग-अलग हैं, एक ही न्यायालय द्वारा केन्द्रीय कानूनों और राज्यों के कानूनों का प्रयोग किया जाता है।

भारत में न्याय-विभाग का संगठन—

यहाँ हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि विविध राज्यों में न्याय-विभाग के संगठन का जो रूप है, उस पर प्रकाश डाल सकें। पर भारत के न्याय-विभाग के संगठन का उल्लेख करना पाठकों के लिए उपयोगी होगा। भारत के विविध न्यायालयों को इस प्रकार प्रगट किया जा सकता है—

दीवानी न्यायालय	फौजदारी न्यायालय	माल के न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट	सुप्रीम कोर्ट	हाईकोर्ट
हाई कोर्ट	हाई कोर्ट	बोर्ड्स आफ रेवेन्यू
डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट	सेशन्स कोर्ट	कमिश्नर का कोर्ट
निबिल जज का कोर्ट	मजिस्ट्रेट के कोर्ट	क्लेक्टर का कोर्ट
मुन्सिफ का कोर्ट	(प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के)	डिप्टी क्लेक्टर का कोर्ट
स्मॉल काउस कोर्ट (Small Causes' Court)	ग्रान्देरी मजिस्ट्रेट के कोर्ट	तहसील का कोर्ट (तहसीलदार व नायब तहसीलदार)

मे यह विचार नहीं पैदा हो सकता, कि शासन उसका अपना है। पर यदि प्रत्येक गाँव की अपनी पंचायत हो, उसके पंचों का चुनाव ग्रामवासियों द्वारा किया जाए, और यह पंचायत गाँव के साथ सम्बन्ध रखनेवाले सब मामलों का प्रबन्ध करे, तो लोग यह अनुभव कर सकते हैं, कि हमारे मामले हमारे ही हाथों में हैं। लार्ड ब्राइस ने ठीक लिखा है, कि जो आदमी गाँव के मामलों में क्रियाशील होकर सार्वजनिक भावना की शिक्षा प्राप्त कर लेगा, वह इस बात का पहला पाठ पढ़ लेगा, कि विशाल राज के नागरिक के रूप में मेरे क्या कर्तव्य हैं।

(३) स्थानीय स्वशासन के कारण आम लोगों में परस्पर सहयोग की भावना पैदा होती है, और वे सार्वजनिक हित के लिए परस्पर मिलकर काम करना सीखते हैं।

स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ—

भारत में जो विविध स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ हैं, वे निम्नलिखित हैं—

(१) ग्राम पंचायत—सरकार की यह नीति है, कि भारत के प्रत्येक ग्राम में एक-एक पंचायत हो। उत्तर प्रदेश व अन्य अनेक राज्यों में इन ग्राम पंचायतों का संगठन किया जा चुका है, और इन्हें बहुत-से अधिकार दे दिये गए हैं।

(२) नगरों की कमेटियाँ—ये नगरों के आकार व महत्त्व के अनुसार अनेक प्रकार की होती हैं। कस्बों में टाउन एरिया कमेटियाँ बनाई गई हैं, और नगरों में म्युनिसिपैलिटियाँ व सिटी बोर्ड। बहुत बड़े नगरों में कार्पोरेशन हैं, जिन्हें साधारण म्युनिसिपैलिटियों के मुकाबिले में अधिक अधिकार प्राप्त हैं। जिन नगरों में फीजी छावनियाँ हैं, उनमें कैंटूनमेण्ट बोर्ड कायम किये गए हैं।

(३) इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट—बड़े नगरों में बहुधा इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट भी बना दिये जाते हैं, जो कि निश्चित योजना के अनुसार नगर के विकास का प्रयत्न करते हैं।

(४) जिला बोर्ड—भारत के विभिन्न जिलों में जिला बोर्ड (District Board) भी कायम किये गए हैं, जो जिले के स्वास्थ्य, सड़कों के निर्माण व मरम्मत, शिक्षा और मेलों का प्रबन्ध आदि कार्य करते हैं।

ये सब संस्थाएँ ऐसी हैं, जिनके कार्यों का सम्बन्ध स्थानीय मामलों से ही होता है। इनके द्वारा जनता को अपना शासन स्वयं कर सकने का अवसर मिलता है।

स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के मुख्य कार्य—

(१) स्वास्थ्य रक्षा—अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य की रक्षा करना इन संस्थाओं का अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य होता है। स्वास्थ्य-रक्षा के लिए दो बातें आवश्यक हैं, ऐसे

इन्तजाम करना जिनसे रोग पैदा ही न हो, और यदि रोग हो जाए तो उनका इलाज करना। बीमारी को रोकने के लिये ये सस्थाएँ ये इन्तजाम करती हैं—सड़को और नानियो की सफाई, पीने के लिए स्वच्छ जल का प्रबन्ध, सड़ी-गरी चीजे न बिकने पाएँ इस बात की व्यवस्था, हैजा, चेचक, प्लेग आदि के टीके लगवाना और भोजन की वस्तुओं में मिलावट को रोकना। रोगियों के इलाज के लिए इन सस्थाओं की ओर से अस्पताल खोले जाते हैं। ये सस्थाएँ यह इन्तजाम भी करती है, कि पार्क व बच्चों के खेलने के लिए खुले स्थान रखे जाएँ, ताकि लोगों को शुद्ध हवा मिल सके।

(२) प्रारम्भिक शिक्षा—छोटे बच्चों की शिक्षा प्रायः स्थानीय स्वशासन-सस्थाओं के ही अधीन रहती है। उनकी ओर से प्राइमरी स्कूल खोले जाते हैं। जिन स्थानों पर बच्चों के लिए बाधित (Compulsory) शिक्षा का कानून जारी है, वहाँ ये सस्थाएँ ही इस बात का भी प्रबन्ध करती है, कि स्कूल जाने योग्य आयु के सब बच्चे स्कूल प्रवरय जाएँ। जनता को शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो, इस प्रयोजन से इन सस्थाओं की ओर से पुस्तकालय व वाचनालय भी खोले जाते हैं।

(३) सड़कों का निर्माण—अपने क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत कराना व नई सड़कों को तैयार कराना भी स्थानीय स्वशासन सस्थाओं का कार्य है। अनेक बड़े नगरों की म्युनिसिपैलिटियाँ अपने क्षेत्र में मोटर बस, ट्रामवे, ट्रांली आदि भी चलाती हैं ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा रहे।

(४) रोशनी और पानी का प्रबन्ध—सड़कों पर रोशनी का इन्तजाम करना और स्वच्छ जल की व्यवस्था करना भी स्थानीय स्वशासन सस्थाओं का कार्य है। अनेक नगरों में बिजली का उत्पादन भी म्युनिसिपैलिटियों के हाथों में है। स्वच्छ जल के लिए नगरों की म्युनिसिपैलिटियाँ वाटर वर्क्स (Water Works) की व्यवस्था करती हैं, और नन्हों द्वारा परोस पानी पहुँचाती हैं। ग्राम लोगों की सुविधा के लिए सड़कों व सार्वजनिक स्थानों पर भी पानी के नल लगाये जाते हैं। कर्मों व ग्रामों में इन सस्थाओं द्वारा कुएँ खुदवाने, हाथ के नल लगवाने और तालाबों की सफाई का काम भी किया जाता है।

(५) आकस्मिक विपतियों का निवारण—शहरों व ग्रामों में प्रायः आग लगती रहती है। यह एक आकस्मिक विपत्ति है। आग बुझाने के लिए इजन् (Fire Brigade) म्युनिसिपैलिटियों द्वारा नगरों में रखे जाते हैं। यदि कभी नदी में बाढ़ आ जाए और नगर को उसमें खतरा हो, तो इसके प्रबन्ध में भी म्युनिसिपैलिटियाँ हाथ बँटाती हैं।

(६) मनोरंजन व खेलकूद का प्रबन्ध—बच्चों के खेलकूद के लिए म्युनिसिपैलिटियाँ ऐसे पार्क बनवाती हैं, जहाँ भूले लगे हो व खेल के अन्य उपकरण विद्यमान

हो। दूधो का इनसे न केवल मनोरजन होना है, अपितु उनका स्वास्थ्य भी बनता है। साथ ही, जनता के मनोरजन के लिए स्थानीय स्वशासन सस्थाएँ कभी-कभी दूधल आदि का भी प्रबन्ध करती हैं।

(७) **मेलों का इन्तजाम**—जिला बोर्डों और म्युनिसिपैलिटियों के क्षेत्र में अनेक तरह के मेले भी होते हैं। इनमें से जो मेले स्थानीय महत्त्व के हो, उनका इन्तजाम स्थानीय स्वशासन सस्थाओं द्वारा ही किया जाता है। भारत में कुम्भ का मेला, सूर्यग्रहण का मेला आदि अखिल भारतीय महत्त्व के हैं। इनका प्रबन्ध प्रान्तीय सरकारों के हाथ में रहता है, पर मेरठ में नौचन्दी का मेला, महारनपुर जिले में शाकम्भरी देवी का मेला आदि इस ढंग के हैं, जिनका महत्त्व स्थानीय है। इनका प्रबन्ध स्थानीय स्वशासन सस्थाएँ ही करती हैं।

(८) **म्युनिसिपल व्यापार**—अनेक म्युनिसिपैलिटियाँ अपनी आमदनी बढ़ाने और जनता की सुविधा के लिये अनेक प्रकार के व्यापार भी करती हैं। बिजली और पानी का बेचना, ट्राम व मोटर बस चलाना, पौधे व बीज बेचने के निये नरसरी खोलना आदि इसी तरह के कई व्यापार हैं, जो म्युनिसिपैलिटियों द्वारा किये जाते हैं।

स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की आमदनी—

म्युनिसिपैलिटी आदि स्थानीय स्वशासन सस्थाओं की आमदनी के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं—

(१) **चुङ्गी**—जो माल म्युनिसिपैलिटी के क्षेत्र में बाहर से आता है, उस पर चुङ्गी जगाई जाती है।

(२) **हाउस टैक्स**—मकान-मालिकों से उनके साताना किराये पर हाउस टैक्स लिया जाता है।

(३) **वाटर टैक्स**—जिन नगरों में म्युनिसिपैलिटी की ओर से पानी का प्रबन्ध होता है, वे मकान मालिकों में वाटर टैक्स भी वसूल करती हैं।

(४) **सफाई का टैक्स**—(कन्जर्वेन्सी टैक्स)—यह मकानों में निवास करने वाले (चाहे वे मकान मालिक हो या किरायेदार) लोगों से लिया जाता है।

(५) **हैसिपल टैक्स**—जिन स्थानों पर हाउस टैक्स नहीं है, वहाँ प्रायः हैसिपल टैक्स लगाया जाता है, जो लोगों की हैसियत के अनुसार उनसे वसूल किया जाता है।

(६) **म्युनिसिपल व्यापार से आमदनी**—बिजली, पानी, ट्राम, मोटर, बस आदि का जो कारोबार म्युनिसिपैलिटियाँ करती हैं, उनसे भी उन्हें आमदनी होती है।

(७) **लाइसेन्स से आमदनी**—नांगा, साइकिल, रिक्शा, पशु आदि रखने के

लिये म्युनिसिपैलिटी से लाइसेन्स लेना पडता है, इससे भी उन्हें आमदनी होती है।

(८) स्कूलों की फीस

(९) म्युनिसिपल सम्पत्ति—दुकान, मकान आदि में वसूल होनेवाला किराया।

(१०) प्रांतीय सरकार से प्राप्त होनेवाला धन (Grant)—प्रायः स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ टैक्स आदि से अपना खर्च पूरा नहीं कर सकती। अतः प्रांतीय सरकारें उन्हें अपनी आमदनी में से आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की सफलता के लिये आवश्यक शर्तें—

लोकतन्त्र शासनो की सफलता के लिए जो शर्तें आवश्यक हैं, वे ही स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के लिए भी हैं, क्योंकि ये संस्थाएँ लोकतन्त्र शासन का ही एक अंग होती हैं—

(१) जागृत लोकमत—ग्राम पंचायतें व म्युनिसिपैलिटियां तभी अपने कार्य में सफल हो सकती हैं, जब कि जनता अपने कर्तव्यों और अधिकारों को भली भाँति समझती हो, लोकमत भले प्रकार जागृत हो, और लोग पंचों व म्युनिसिपल सदस्यों के कार्य में दिलचस्पी लें। एक बार पंचों व म्युनिसिपल सदस्यों का चुनाव कर धे उदासीन न हो जाएँ। ग्राम पंचायत के पंच व म्युनिसिपल सदस्य वही रहते हैं, जहाँ उनको चुनने वाले लोग रहते हैं। अतः निर्वाचक लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के काम में बहुत दिलचस्पी ले सकने हैं।

(२) नागरिकों का ईमानदार व कर्तव्यपरायण होना—यदि नागरिक लोग ईमानदार व कर्तव्यपरायण न हों, तो स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ कभी सफल नहीं हो सकती। इन संस्थाओं का संचालन सर्वसाधारण जनता के हाथों में ही होता है। यदि नागरिक लोग प्रतिनिधियों को चुनते हुए अपने छोटे-छोटे स्वार्थों को निगाह में रखें और अपने कर्तव्यों के प्रति विमुख हों, तो इन संस्थाओं का सफल हो सकना कदापि सम्भव नहीं होगा।

(३) दलबन्दी के सकीर्ण विचारों का अभाव—स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ राजनीतिक दलबन्दी और जात-विरादरी आदि के सकीर्ण विचारों से ऊपर रहनी चाहिए। उनके लिये ऐसे ही सदस्य चुने जाने चाहिए, जो वस्तुतः योग्य, कर्तव्यपरायण और सार्वजनिक सेवा के लिये उत्साह रखनेवाले हों। यदि लोग चुनाव के समय राजनीतिक दलबन्दी और जात विरादरी के विचारों को योग्यता की अपेक्षा अधिक महत्त्व दें, तो ऐसे प्रतिनिधि कभी नहीं चुने जा सकेंगे, जो स्थानीय मामलों का प्रबन्ध निष्पक्ष रूप में कर सकें। इन संस्थाओं को राजनीतिक समस्याएँ नहीं सुलभानी हनीं, उनका राजनीति से सम्बन्ध ही क्या होता है? उन्हें तो जनता की सेवा ही करनी होती है। अतः उनके सदस्य ऐसे व्यक्ति ही होने चाहिए, जो वस्तुतः योग्य और

लोक-सेवा में तत्पर हो।

(४) सरकारी नियन्त्रण में कमी—देश की सरकार को स्थानीय स्वशासन सस्थाओं के काम में तभी हस्तक्षेप करना चाहिए, जब उनका प्रबन्ध बहुत बिगड़ जाए। यदि सरकार इन सस्थाओं के छोटे-छोटे कामों में भी हस्तक्षेप करने लगे, तो लोगों में अपनी जिम्मेवारी की भावना कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकेगी।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१ स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता और उपयोगिता पर प्रकाश डालिये।

(यू पी १९४६)

२ केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थानीय स्वशासन सस्थाओं पर कितना नियन्त्रण रखना चाहिए और क्यों? विशद रूप से लिखिये। (यू पी १९४५)

३ किसी शासन की श्रेष्ठता के लिये यह आवश्यक है कि वह लोकमत का सम्मान करे, और इस उद्देश्य की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन स्थानीय स्वशासन को यथासम्भव प्रोत्साहित करना है। इस पर प्रकाश डालिये। (यू पी १९४१)

४ यदि आपको किसी क्रिकेट टीम के कप्तान तथा म्युनिसिपल कमेट्री के प्रधान का चुनाव करना हो, तो आप उनमें किन गुणों को महत्त्व देंगे? (यू पी १९४६)

५ यदि आप किसी म्युनिसिपल कमेट्री के सदस्य निर्वाचित हो जाएँ, तो आप किन सुधारों का सुझाव देंगे? (यू पी १९५०)

६ स्थानीय स्वशासन सस्थाओं के क्या कार्य होते हैं? राष्ट्रीय जीवन में उनके महत्त्व पर प्रकाश डालिये। (राजपूताना १९४२)

७ स्थानीय स्वशासन के समर्थन में युक्ति दीजिये। इसे लोकतन्त्र के लिये अनिवार्य क्यों माना गया है? (राजपूताना १९४५)

८ स्थानीय स्वशासन का महत्त्व समझाइए। ग्राम पंचायत को कौन से कार्य सौंपे जाने चाहिये। (राजपूताना, १९४७)

९. 'स्थानीय स्वशासन सस्थाएँ लोकतन्त्र की आधार शिला हैं,' इस कथन की व्याख्या कीजिये, तथा भारत में एक स्वस्थ नागरिक जीवन के निर्माण में स्थानीय स्वशासन सस्थाओं के महत्त्व पर प्रकाश डालिए। (राजपूताना, १९५१)

१० स्थानीय स्वशासन सस्थाओं की सफलता के लिये आवश्यक शर्तें कौन-सी हैं?

११. स्थानीय स्वशासन सस्थाओं की ग्रामवनी के कौन से साधन होते हैं?

छठवीं सर्वा अध्याय नागरिकता (Citizenship)

नागरिक का अभिप्राय—

पिछले अध्यायों में हमने राज्य और उसके शासन के सम्बन्ध में विचार किया है। अपनी सामूहिक उन्नति के लिए मनुष्यों ने अपने को जिन विविध समुदायों में संगठित किया है, राज्य उनमें सर्वोत्कृष्ट व सर्वोपरि है। राज्य के जो विविध तत्त्व (Elements) व अंग होते हैं, जनता उनमें से एक है। सम्भवतः, जनता ही राज्य का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग है, क्योंकि राज्य जनता का ही अन्ततम समुदाय होता है। जनता जैसी होगी, राज्य भी वैसा ही होगा। यदि जनता कर्तव्य-परायण, परिश्रमी और प्रगतिशील होगी, तो राज्य भी सदा उन्नति होगी। इसके विपरीत यदि जनता कर्तव्य-विमुख और आलसी हो, तो राज्य कभी उन्नत नहीं हो सकता। अतः जनता के अन्तर्गत उन व्यक्तियों पर विशेष रूप से विचार करने की आवश्यकता है, जिनके हाथों में अन्तर्नोतवा राज्य के शासन व संचालन की बागडोर होती है, और जो राज्य-कार्य में हाथ बँटाते हैं। जनता के इसी अंग को 'नागरिक' कहते हैं।

राज्य के सब निवासियों को नागरिक नहीं कहा जाता। प्रत्येक राज्य में कुछ विदेशियों का भी निवास रहता है। वे वहाँ या तो व्यापार आदि के लिए रह रहे होते हैं, या भ्रमण आदि के लिए वहाँ आये हुए होते हैं। इनका राज्य के शासन व संचालन में कोई हाथ नहीं होता, और न ही इनके कोई अधिकार ही होते हैं। इन्हें हम राज्य का 'नागरिक' नहीं कहते। यह तो स्पष्ट ही है कि राज्य में नागरिक केवल उन्हीं को कहा जाता है, जो राज्य के प्रति भक्ति (Allegiance) रखें, और जिन्हें संविधान के अनुसार राज्य में विविध प्रकार के आधारभूत अधिकार (Fundamental Rights) प्राप्त हों। पर इतने से 'नागरिक' का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता। इसे और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

नागरिक का शब्दार्थ है, नगर का निवासी। पर नागरिकशास्त्र में नागरिक शब्द से केवल नगरनिवासियों का ही बोध नहीं होता। ग्रामों के रहनेवालों को भी नागरिक कहते हैं। जैसा कि इस पुस्तक में हम पहले लिख चुके हैं, प्राचीन समय में राज्य बहुत छोटे-छोटे हुआ करते थे। उनके लिए ऐतिहासिक लोग 'नगर राज्य'

(City State) शब्द का प्रयोग करते हैं। प्राचीन ग्रीस में नगर-राज्य को 'पोलिस' कहते थे, हमारा 'पुर' शब्द उससे मिलता जुलता है। प्राचीन इटली में नगर-राज्य को 'सिबितास' कहा जाता था। पोलिस या सिबितास का स्वरूप एक नगर के सदृश था, जिसमें चारों ओर की खेती की जमीन भी शामिल होती थी। व्यापारी, शासक, शिल्पी आदि लोग नगर में रहते थे, और किसान समीप की जमीन पर खेती किया करते थे। इन नगर-राज्यों के निवासी दो प्रकार के होते थे, स्वतन्त्र और दास। स्वतन्त्र लोग सख्या में बहुत कम होते थे, दास उनके मुकाबिले में बहुत अधिक होते थे। थोड़े से स्वतन्त्र लोग खेती, शिल्प आदि के कार्य दासों से कराके स्वयं सुख स जीवन बिताते थे, और अपना समय राज्य-कार्य में लगाया करते थे। दासों को राज्य में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था, उनका शासन में कोई भी हाथ नहीं होता था। इन नगर-राज्यों के स्वतन्त्र निवासियों को 'नागरिक' कहा जाता था, क्योंकि वे ही नगर-राज्य के स्वामी होते थे।

आजकल के राज्य पुराने नगर-राज्यों के मुकाबिले में बहुत अधिक विशाल हैं। उनमें बितने ही नगरों, कसबों व ग्रामों का समावेश होता है। दास प्रथा का भी अब अन्त हो गया है। राज्य के सब निवासी अब स्वतन्त्र माने जाते हैं। इन विशाल राज्यों में जो भी शहरी व देहाती लोग बसते हैं, उन सबको एक समान राजनीतिक व नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अतः जब हम 'नागरिक' शब्द का प्रयोग करें, तो उसका अर्थ हमें 'नगर-निवासी' कदापि नहीं समझना चाहिए।

नागरिकशास्त्र में नागरिक उन स्त्रियों व पुरुषों को कहते हैं, जो राज्य के चाहे किसी भी भाग (नगर, कसबा या गाव) में रहे, पर जो राज्य के प्रति भक्ति (Allegiance) रखते हों, और जिन्हें राज्य द्वारा राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। राज्य के प्रति भक्ति और राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति नागरिकता की प्रमुख विशेषताएँ हैं। नागरिकों को अधिकार होता है कि वे विधान सभाओं के चुनाव में भाग ले सकें, और भाषण, लेख आदि द्वारा अपने विचारों को स्वतन्त्रतापूर्वक प्रगट कर सकें। नागरिकों को यह अधिकार भी होता है कि वे राज्य द्वारा अपनी जान व माल की रक्षा करा सकें। कोई नागरिक चाहे अपने राज्य में निवास कर रहा हो, और चाहे कार्यवश विदेश गया हुआ हो, उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व राज्य पर होता है। जब राज्य नागरिकों की रक्षा का भार अपने ऊपर लेता है, और उनके हित, कल्याण व उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यत्न करता है, तो नागरिकों के भी राज्य के प्रति अनेक कर्तव्य हो जाते हैं। उन्हें राज्य का भक्त व वफादार होना होता है। वे कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते, जिससे राज्य को नुकसान पहुँचे। इसी कारण वे किसी अन्य राज्य की सेना में भरती नहीं हो सकते, और अपने राज्य के खिलाफ अन्य राज्य की किसी भी रूप में सहायता नहीं कर सकते। जिन देशों में किसी व्यक्ति को

राज्य का नागरिक माना जाता है, वे निम्नलिखित हैं—

(१) नागरिक के लिए जरूरी है कि वह राज्यरूपी समुदाय का सदस्य हो।

(२) उसे राज्य के प्रति भक्ति रखनी चाहिए व राज्य के प्रति वफादार होना चाहिए।

(३) उसे राज्य की ओर से कतिपय अधिकार प्राप्त हुए होने चाहिए।

जो मनुष्य इन तीनों शर्तों को पूरा न करता हो, उसे राज्य का नागरिक नहीं कहा जा सकता।

नागरिक और परदेशी में भेद—नागरिक के अभिप्राय को और अधिक स्पष्टता के साथ समझने के लिए नागरिक (Citizen) और परदेशी (Alien) में भेद को जान लेना उपयोगी है। भारत में इस समय बहुत-से लोग ऐसे भी निवास कर रहे हैं, जो परदेशी हैं। जर्मनी, रूस, फ्रांस, अमेरिका आदि कितने ही विदेशों के लोग भारत में इञ्जीनियर, वेमिस्ट आदि के रूप में कार्य कर रहे हैं, और कुछ परदेशी व्यापार आदि के लिए भी भारत में निवास कर रहे हैं। पर ये भारत के राज्य के सदस्य नहीं हैं। न इन्हें वोट आदि के अधिकार प्राप्त हैं, और न भारत के प्रति इनकी भक्ति ही है। ये परदेशी लोग जब तक भारत में रहे, इन्हें इस देश के कानूनों का पालन करना पड़ता है, ये भारतीय न्यायालयों में अपने मुकदमों में प्रार्थनापत्र पेश कर सकते हैं। इनकी जान व माल की रक्षा भी भारतीय सरकार द्वारा की जाती है। पर वोट देने, विधान सभा के लिये उम्मीदवार खड़ा होने और सरकार के कार्य की मावेंजनिक हिस से आलोचना करने के अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं हैं। यदि सरकार किसी परदेशी को भारत में उपस्थिति को हानिकारक समझे, तो उसे वह देश छोड़कर चले जाने के लिए भी विवश कर सकती है।

किसी भी राज्य में जो परदेशी (Alien) लोग निवास करते हैं, उन्हें तीन भागों में बांटा जा सकता है—

(१) बसे हुए परदेशी—बहुत से परदेशी लोग अपने देश को छोड़ने के लिए छोड़कर किसी अन्य देश में जा बसते हैं। कितने ही भारतीय सदियों से लका में बसे हुए हैं। चीनी लोग सैकड़ों वर्षों से मलामा, सिंगापुर, भारत आदि देशों में निवास कर रहे हैं। अधिकतर राज्यों में ऐसे स्थायी रूप से बसे हुए परदेशी लोगों को कुछ शर्तें पूरा कर लेने पर राज्य की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। नागरिकता की प्राप्ति के लिए कितने समय तक निवास करना जरूरी है, इसके नियम विविध राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं। पर कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जिनमें परदेशियों के वहाँ बहुत समय तक बसे रहने के बावजूद भी उन्हें नागरिकता के अधिकार प्रदान नहीं किए जाते।

(२) अस्थायी रूप से काम करने वाले परदेशी—यात्रा, व्यापार आदि प्रयोजनों से बहुत से परदेशी अस्थायी रूप से दूसरे राज्य में निवास करते हैं। भारत

के कितने ही विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी आदि में जाते हैं। हर साल हजारों भारतीय विदेशों में भ्रमण के लिए जाते हैं। कुछ लोग व्यापार व नौकरी के लिए भी विदेशों में जाकर रहते हैं। पर इनका विदेश-प्रवास अस्थायी होता है। इस कारण इन्हें नागरिकता के अधिकार प्रदान नहीं किये जाते। कुछ समय तक विदेश में रहकर ये स्वदेश को लौट आते हैं।

(३) राजदूत—इस वर्ग में दूसरे देशों के राजदूत, कौन्सल व उनके कर्मचारी अन्तर्गत होने हैं। राज्य में इन परदेशियों की विशेष स्थिति मानी जाती है। इन पर इनके अपने राज्य के कानून लागू होते हैं, उस राज्य के नहीं, अर्थात् वे निवास कर रहे हों। भ्रमण, पत्र-व्यवहार, माल मँगाने आदि के सम्बन्ध में भी इन्हें विशेष सुविधाएँ दी जाती हैं।

शत्रु परदेशी और मित्र परदेशी—किसी राज्य में निवास करनेवाले परदेशी दो प्रकार के हो सकते हैं, शत्रु और मित्र। शांति के समय में सभी परदेशी मित्र होते हैं। पर यदि किसी राज्य का किसी अन्य राज्य के साथ युद्ध शुरू हो जाए, तो शत्रु-राज्य के वे लोग भी, जो अपने राज्य में निवास कर रहे हों, शत्रु मान लिये जाते हैं। शत्रु राज्य के जो राजदूत व उनके परदेशी कर्मचारी हों, उन्हें सम्मान के साथ उनके अपने देश में भेज दिया जाता है। राज्य उनकी रक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेता है। पर याना, व्यापार आदि के लिए आये हुए शत्रु परदेशियों को गिरफ्तार करके नजर-बन्द कर दिया जाता है, और युद्ध काल में वे कैद में ही रखे जाते हैं, यद्यपि उनकी स्थिति व मर्यादा के अनुसार उनके साथ यथोचित व्यवहार किया जाता है।

नागरिक और मतदाता—नागरिक के अभिप्राय को भलीभाँति समझ लेने के लिए यह भी ध्यान में रखना चाहिए, कि यह जरूरी नहीं कि सब नागरिक मतदाता (Voter) भी अवश्य हों। मतदाता बौन हों, यह बात प्रत्येक राज्य के कानून पर निर्भर है। कुछ समय पहले तक प्रायः सभी राज्यों में स्त्रियों को वोट के अधिकार से वंचित रखा जाता था। सम्पत्ति, धर्म आदि के आधार पर भी वोट के अधिकार को मर्यादित किए जाने की व्यवस्था थी। आजकल भी राज्यों में वोट देने के लिए बालिग होने की शर्त जरूरी मानी जाती है। कुछ देशों में १८ साल और कुछ में २१ साल की आयु का प्राप्त कर लेना वोट के अधिकार के लिये आवश्यक माना जाता है। इसलिये यह भलीभाँति समझ लेना चाहिए, कि नागरिक होने के लिए वोट देने का अधिकार आवश्यक बात नहीं है।

नागरिकता की प्राप्ति

किसी भी राज्य में जिन लोगों को नागरिकता के अधिकार प्राप्त होने हैं, उन्हें हम स्थूल रूप से दो भागों में बाँट सकते हैं—(१) जन्मजात (Natural born)

और (२) कानून के अनुसार नागरिकता प्राप्त किये हुए लोग (Naturalised citizens)। इन दोनों प्रकार के नागरिकों पर अधिक विस्तार में विचार करने की आवश्यकता है।

जन्मजात नागरिक—जन्म के कारण जो लोग किसी राज्य के नागरिक होते हैं, उनके विषय में भी तीन नियम हैं—(१) माता-पिता जिस राज्य के नागरिक हों, उनकी सन्तान भी उसी राज्य की नागरिक होती है। इस नियम को रक्त अथवा रक्त नियम (Jus Sanguinis) कहते हैं। इसके अनुसार यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश में भी कहीं हुआ हो, तो भी वह उसी राज्य का नागरिक होगा, माता-पिता जिसके नागरिक हैं। यदि कोई इङ्गलिस पति-पत्नी यात्रा के लिए जापान व चीन गये हुए हों, या व्यापार के लिए भारत में आये हुए हों, और वहाँ उनके सन्तान पैदा हो जाए, तो उसे इङ्गलैण्ड का ही नागरिक माना जायगा, चीन, जापान या भारत का नहीं।

(२) जन्मस्थान नियम (Jus Soli)—इसके अनुसार बच्चे की नागरिकता का निर्णय उसके जन्मस्थान के आधार पर किया जाता है। कई राज्यों में यह नियम है कि उनकी भूमि पर जिस बच्चे का जन्म हो, उसे उसी राज्य का नागरिक माना जायगा। दक्षिणी अमेरिका के अनेक राज्यों में यह नियम प्रचलित है। यदि इङ्गलैण्ड, फ्रांस, इटली आदि के कोई पति-पत्नी व्यापार, यात्रा आदि के लिए अर्जेंटिना में निवास कर रहे हों और वहाँ उनके कोई सन्तान पैदा हो जाए, तो अर्जेंटिना के कानून के अनुसार उसे अर्जेंटिना का ही नागरिक स्वीकृत कर लिया जायगा।

इस नियम का सबसे बड़ा लाभ यह है, कि इसके अनुसार नागरिकता का निर्णय बहुत सुगमता से हो जाता है। जो कोई बच्चा अर्जेंटिना में पैदा हो, वह वही का नागरिक है, यह बात बहुत सीधी-सादी है। पर इसमें अनेक दिक्कतें भी हैं। मान लीजिये, कि अर्जेंटिना के कोई पति-पत्नी यात्रा व व्यापार के लिए इटली गये हुए हैं, और वहाँ उनके सन्तान उत्पन्न हो जाती है। अर्जेंटिना के कानून के अनुसार वे इटली के नागरिक माने जाएंगे—अर्जेंटिना की नागरिकता उन्हें प्राप्त नहीं हो सकेगी। कुछ समय तक इटली में निवास कर जब वे माता पिता अपने देश को लौट आएंगे, तो उनकी सन्तान को अर्जेंटिना की नागरिकता प्राप्त नहीं हो पायगी। इस कारण इस कानून द्वारा अनेक कठिनाइयाँ पैदा हो जाती हैं।

(३) दोहरा नियम (Double principle)—अनेक देशों में नागरिकता का निर्णय करके के लिए दोहरे नियम को काम में लाया जाता है। उनके कानून के अनुसार उनकी भूमि पर जो बच्चा जन्म ले, वह उनका नागरिक ही जायगा, और साथ ही उनके अपने नागरिकों की सन्तान यदि विदेश में भी कहीं पैदा हो, तो भी वह उन्हीं की नागरिक होगी। फ्रांस में इसी नियम का अनुसरण किया जाता है। यदि

(६) देशद्रोह आदि भयकर अपराधों के लिये न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर भी नागरिकता के अधिकार छीने जा सकते हैं ।

नागरिकता से वञ्चित व्यक्ति—आगबल भी पृथ्वी पर कुछ ऐसे राज्य हैं, जिनमें अपने देश के कतिपय लोगों को भी नागरिकता के अधिकार प्राप्त नहीं हैं । उदाहरण के लिये दक्षिणी अफ्रीका को लीजिये । वहाँ के प्रमली निवासी नीग्रो लोग हैं, जो सख्या में भी बहुत अधिक हैं । पर दक्षिणी अफ्रीका के राज्य में उन्हें नागरिकता के अधिकार प्राप्त नहीं है । न वे वोट दे सकते हैं, और न सब स्थानों पर स्वेच्छापूर्वक बस सकते हैं ।

भारत के नागरिक—स्वराज्य प्राप्ति के बाद भारत का जो नया सविधान बना है, उसके अनुसार भारत में नागरिकता के अधिकार के आधार निम्नलिखित हैं—

(१) सविधान के लागू होने के समय भारत में बसने वाले सब लोगों को इस देश का नागरिक स्वीकार कर लिया गया है, बशर्ते कि उनका जन्म भारत में हुआ हो, या उनके माता-पिता में से किसी एक का भी जन्म इस देश में हुआ हो और या उन्हें भारत में रहते हुए कम से कम पाँच वर्ष हो चुके हो ।

(२) पाकिस्तान से आये हुए वे व्यक्ति जो १९ जुलाई, १९४८ से पूर्व भारत में आकर बस गये हो ।

(३) जो व्यक्ति १९ जुलाई, १९४८ के बाद पाकिस्तान से भारत में आए हो, तो बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराके वे भी भारत के नागरिक हो सकते हैं ।

(४) विदेशों में बसे हुए वे भारतीय भी भारत के नागरिक माने जाते हैं, जो स्वयं अविभाजित भारत में उत्पन्न हुए या जिनके माता-पिता या दादा-दादी या उनमें से कोई एक भारत में उत्पन्न हुआ हो । पर विदेशों में बसने वाले इन लोगों के लिये यह जरूरी है, कि वे उस देश के भारतीय दूतावास में अपने को भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड करा लें । यदि विदेश में बसे हुए किसी भारतीय ने स्वेच्छापूर्वक किसी अन्य राज्य की नागरिकता स्वीकार कर ली हो, तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाता ।

उत्तम नागरिक—

बवोकि किसी भी राज्य की समृद्धि व उत्कर्ष उसके नागरिकों पर ही निर्भर होता है, अतः यह प्रश्न बड़े महत्त्व का है कि वे कौन-से गुण हैं, जो नागरिकों में होने चाहियें, और जिनके कारण हम किसी नागरिक को उत्तम कह सकते हैं ।

इस विषय पर विचार करते हुए पहली बात हमें यह ध्यान में रखनी चाहिये, कि उत्तम मनुष्य और उत्तम नागरिक में अन्तर है । यह जरूरी नहीं कि एक अच्छा मनुष्य अच्छा नागरिक भी हो । जो मनुष्य सदा सत्य बोले, किसी को दुःख न दे,

ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने, किसी पर-स्त्री को बुरी दृष्टि में न देखे, समय के साथ जीवन व्यतीत करे, मृदुभाषी हो, ईश्वर की भक्ति करता हो, धर्म व सदाचार के नियमों का पालन करता हो—उसे हम अच्छा मनुष्य कहते हैं। पर हो सकता है कि ऐसा मनुष्य जब देहा पर सकट आए, तो वह अपने तन-मन धन को निछावर करने के लिये कटिबद्ध न हो। बाढ़ आ जाने, भूकम्प आने व गाँव में आग लग जाने की दशा में वह अन्य लोगों की सहायता करने में विशेष उत्साह न दिखाए। यह भी सम्भव है, कि दूसरे सम्प्रदायों व जातियों के लोगों के प्रति ऐसे मनुष्य के हृदय में प्रेम व सहानुभूति की भावना न हो। इसमें सन्देह नहीं, कि उत्तम नागरिक होने के लिए उत्तम मनुष्य भी होना उपयोगी है, पर यह अनिवार्य नहीं कि उत्तम मनुष्य एक उत्तम नागरिक भी अवश्य हो। वस्तुतः, उत्तम नागरिक बनने के लिए कुछ विशेष प्रकार के गुणों की आवश्यकता है, जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं—

(१) सामाजिक भावना—प्रत्येक उत्तम नागरिक में सामाजिक भावना का होना अत्यन्त आवश्यक है। वही मनुष्य उत्तम नागरिक हो सकता है, जो केवल अपनी उन्नति से ही मगुष्ट न हो, अपितु सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझे। हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो मनुष्य निवास कर रहे हैं, उनमें से कितने ही दुखी, रोगी, निर्धन व अन्य प्रकार से पीड़ित हैं। यदि इन्हें देखकर हमारे हृदय में पीड़ा नहीं उत्पन्न होती, और उनके दुख-दर्द को दूर करने के लिये हमारे मन में उत्कट इच्छा व उत्साह पैदा नहीं होत, तो हम कदापि अच्छे नागरिक नहीं हैं। महात्मा गांधी को एक भजन बहुत प्रिय था, जिसकी पहली पंक्ति यह थी—“बैष्णव जन तो तण्डे कहिये, जो पीर पराई जाणो रे।” जो दूसरों की पीड़ा को अनुभव करता है, वही मच्छा बैष्णव होना है। पर केवल मच्छे बैष्णव के लिये ही इम गुण की आवश्यकता नहीं है, अपितु प्रत्येक उत्तम नागरिक के लिये यह गुण अत्यन्त आवश्यक है।

मनुष्य के सामुदायिक जीवन के जो भी विविध क्षेत्र हैं, उन सब में सामुदायिक भावना का होना उत्तम नागरिक के लिये आवश्यक है। परिवार का प्रत्येक सदस्य सुखी हो, ग्राम के सब निवासी नीरोग व सम्पन्न हों, जात विवादों से कुरीतियों का अन्त हो, यदि हम किसी अमी मर्ग के सदस्य हैं, तो उसके परिवारों के लिये हम उत्साहपूर्वक सहाय्य करने को तैयार हो, अपने धार्मिक हितों की रक्षा का हमें सदा ध्यान रहे, देश पर आपत्ति आने पर हम अपना सर्वस्व स्त्राहा करने के लिये उद्यत हो—यह भावना प्रत्येक उत्तम नागरिक में अवश्य होनी चाहिये।

(२) कर्तव्य का ज्ञान और कर्तव्यपरायणता—सामुदायिक जीवन के विविध रूपों के प्रति मनुष्य के जो कर्तव्य हैं, उनका ज्ञान व उनका पालन करने के लिये तत्पर रहना प्रत्येक उत्तम नागरिक के लिये अत्यन्त आवश्यक है। मनुष्यों का सबने

छोटा समुदाय कुटुम्ब है। उसमें पति-पत्नी, सन्तान, भाई-बहन सबके एक-दूसरे के प्रति अनेक प्रकार के कर्तव्य होते हैं। यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक को कुटुम्ब के प्रति अपने कर्तव्यों का ज्ञान हो, और वह उनका पालन करने के लिये सदा उद्यत रहे। इसी प्रकार प्रत्येक नागरिक किसी न किसी ग्राम या नगर का निवासी होता है। यदि हमारे गाँव में आग लग जाए, तो हमारा कर्तव्य है कि उसे बुझाने में हम उत्साहपूर्वक भाग लें। किसी नगर में बीमारी फैलनी है, उस दशा में नागरिकों का कर्तव्य है कि बीमारी को रोकने के कार्य में म्युनिसिपैलिटी के साथ सहयोग करें। सब लोग किसी न किसी धार्मिक समुदाय के साथ सम्बन्ध रखते हैं। आप मनातन धर्म सभा के सदस्य हैं, उसका वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। आपका कर्तव्य है कि आप उत्सव के कार्य में उत्साहपूर्वक भाग लें। जो अतिथि व विद्वान् बाहर से आये हुए हों, उनकी सेवा करें। आप एक कारखाने में काम करते हैं, उसके धर्मो-सघ के साथ सदस्य हैं। धर्मो-सघ निश्चय करता है, कि मजदूरों की माँग को स्वीकृत कराने के लिये हड़ताल वी जाए। यदि हड़ताल कानून के अनुकूल है, तो धर्मो-सघ का सदस्य होने के कारण आपका कर्तव्य हो जाता है कि आप हड़ताल में शामिल हों। राज्य मनुष्यों का सबसे उत्कृष्ट समुदाय है, उसके प्रति भी मनुष्यों के अनेक प्रकार के कर्तव्य हैं। सरकारी कानूनों का पालन करना, नियमपूर्वक टैक्सों को अदा करना, टैक्स धेते हुए आमदनी को न छिपाना, शांति और व्यवस्था कायम रखने में सरकार की सहायता करना, अपराधियों को छिपाने के बजाय उन्हें गिरफ्तार कराने में पुलिस के साथ सहयोग करना—ये ऐसे कर्तव्य हैं, जो शांति के समय में प्रत्येक नागरिक को अपने सम्मुख रखने चाहियें। युद्ध आदि राष्ट्रीय संकटों के अवसर पर नागरिकों के कर्तव्य और भी अधिक हो जाते हैं। सेना में भरती होकर, स्वयंसेवक बनकर, सरकार द्वारा जारी किये गये राष्ट्रीय ऋण में धन देकर व अग्य अनेक प्रकार से सरकार की सहायता करना ऐसे अवसरों पर प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हो जाता है। इन सब कर्तव्यों को जानना और उनका उत्साहपूर्वक पालन करना उत्तम नागरिकों का आवश्यक गुण है।

(३) व्यक्तिगत उन्नति—प्रत्येक नागरिक के लिए यह भी आवश्यक है, कि वह अपनी व्यक्तिगत उन्नति के लिए भी प्रयत्नशील रहे। राज्य व्यक्तियों से मिलकर ही बनता है। अतः यदि व्यक्ति स्वस्थ, सदाचारी व समृद्ध होगा, तो राज्य भी उन्नत होगा। *व्यक्तिगत उन्नति के लिए नागरिकों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए—*

क—स्वस्थ शरीर—जब तक मनुष्य का शरीर स्वस्थ, हृष्ट पुष्ट व बलवान न हो, तब तक वह न अपना भला कर सकता है, न अपने परिवार का और न राज्य का। मनुष्य का स्वास्थ्य केवल उनकी अपनी ही सम्पत्ति नहीं होता, अपितु सम्पूर्ण

समाज व राज्य की भी सम्पत्ति होता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को व्यायाम, नियमपूर्वक जीवन, समय आदि उपायो द्वारा शरीर के स्वास्थ्य को उन्नत करना चाहिए।

ख—उत्तम शिक्षा और उन्नत विचार—जहाँ नागरिक के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है, वहाँ साथ ही मस्तिष्क व सुसम्भूत मन का होना भी आवश्यक होता है। मन को उन्नत करने के लिए शिक्षा बहुत उपयोगी है। शिक्षा द्वारा मनुष्य जहाँ व्यक्तिगत उन्नति कर सकता है, वहाँ समाज के प्रति कर्तव्यों का भी उसे ज्ञान होता है।

ग—विवेक, समय और दूरदर्शिता—प्रत्येक नागरिक को भले-बुरे, कर्तव्य-अकर्तव्य और उचित-अनुचित में विवेक करने की योग्यता होनी चाहिए। साथ ही इन्द्रियो पर समय करना, मन को बाध में रखना और दूरदर्शिता से काम लेना भी उसे आना चाहिए।

इस प्रकार शरीर और मन की उन्नति कर नागरिकों को अपने व्यक्तिस्व का विकास करना चाहिये, और इस व्यक्तित्व का उपयोग सबके हित के लिए करना चाहिए।

(५) उच्च आदर्श—नागरिक जहाँ अपनी व्यक्तिगत उन्नति के लिए यत्नशील हो, वहाँ उन्हें उच्च आदर्शों को कभी अपनी दृष्टि से छोड़ना नहीं करना चाहिए। हमारे लिए यह समझ लेना बहुत आवश्यक है, कि सबका हित होने में ही अपना हित है। इस कारण एक बड़े आदर्श के लिए छोटे स्वार्थों को कुर्बान कर देने के लिये नागरिक को सदा उद्यत रहना चाहिए। कुटुम्ब में प्रत्येक मनुष्य दूसरों के लिये अपने हित की बलि देने को तैयार रहता है। माता-पिता बच्चों के सुख के लिये अपने सुख को कुर्बान करने में जरा भी सकोच नहीं करते। बहन की रक्षा के लिए भाई अपनी जान तक दे देता है। कुटुम्ब में जो भावना पाई जाती है, उसी को हमें बड़े क्षेत्र में भी प्रयुक्त करना चाहिए। कुटुम्ब में रहने के कारण आत्म-बलिदान की जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, उसका प्रयोग हमें ग्राम, नगर, समाज और राज्य के विशाल क्षेत्र में भी करना चाहिए। इसीलिए ग्राम के हित के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का और राज्य के हित के लिए कुटुम्ब, ग्राम आदि तक के स्वार्थों को बलि दे देना आवश्यक है। अब तो वह समय भी आ गया है, जबकि सम्पूर्ण मानव-समाज के हितों के सम्मुख राष्ट्रीय हित भी गौण होने जा रहे हैं।

यहाँ हमने ब्रह्म, गुरु, कर्म, उत्सव, विद्या, है, उत्तम, ग्रहण, करके ही, कोई मनुष्य उत्तम नागरिक बन सकता है। नागरिकता के ये ही आदर्श हैं।

उत्तम नागरिकता के मार्ग में बाधाएँ—

बिना बातों से उत्तम नागरिक बनने में बाधा उपस्थित होनी है, उनका निव-

ज्ञान करना भी आवश्यक है। ये बाधाएँ निम्नलिखित हैं—

(१) व्यक्तिगत स्वार्थ—जिम राज्य के नागरिक समुदायिक व राष्ट्रीय हित के मुकाबिले में व्यक्तिगत स्वार्थ को अधिक महत्त्व देते हैं, वह कदापि उन्नति नहीं कर सकता। छोटे पारिवारिक जीवन में ही देखिए। यदि पति केवल अपने स्वार्थ को देखे, पत्नी के सुख-दुख का ख्याल न करे, या बच्चे बड़े होकर अपने वृद्ध माँ-बाप की सेवा न करे, तो वह कुटुम्ब कभी सुखी व समृद्ध नहीं हो सकता। यही बात राज्य के विषय में भी है। कितने ही लोग वोट के अधिकार का प्रयोग करते हुए स्वार्थ को अर्थों से ओझल नहीं कर पाते। वे थोड़े से रूपों के लिये अपने वोट को बेच देते हैं, या किसी अन्य स्वार्थ के कारण अपना वोट किसी अयोग्य व्यक्ति के पक्ष में दे देते हैं। कितने ही लोग विधान सभा के सदस्य बनकर भी सार्वजनिक हित को स्वार्थ से ऊपर नहीं रख सकते। अनेक सरकारी कर्मचारी स्वार्थ सिद्धि के लिये सरकारी पद का दुरुपयोग करने में भी सकोच नहीं करते। जब तक नागरिक लोग व्यक्तिगत स्वार्थ को सार्वजनिक हित के सम्मुख गौण न समझे राज्य कभी उन्नति नहीं कर सकता। अनेक देशों में कुछ लोग रुपये के लालच में आकर विदेशी शत्रु के गुप्तचर का भी काम करते हैं, और शत्रु को अपने देश का भेद दे देते हैं। स्वार्थ की भावना उत्तम नागरिक के माग में बहुत बड़ी बाधा होती है।

(२) आलस्य और उपेक्षा—सार्वजनिक कार्यों व हितों के प्रति उपेक्षाभाव रखना भी उत्तम नागरिकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा होती है। “वोट गृप होय हमें का हानी, चेरि छाडि नहि होउव रानी” का विचार भारत की जनता में बढभूल है। इसके कारण वे राज्य के कार्यों के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं। पुलिस का कोई अफसर गरीबों पर जुल्म करे, तो लोग उसे चुपचाप सह लेते हैं। उस अफसर के खिलाफ बड़े अफसर के समक्ष शिकायत नहीं करने, और न समाचारपत्र आदि द्वारा उसके विरुद्ध आन्दोलन ही करते हैं। इस दशा में सरकार अपना कार्य सुचारु रूप से कैसे कर सकती है? यदि कोई सरकारी अफसर रिश्वत ले, लोगों पर अत्याचार करे, किसी के प्रति अनुचित रूप से पक्षपात करे या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे, तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। यदि देश में कोई ऐसा मन्त्रिमण्डल बना हुआ है, जिसका कार्य व नीति आपकी दृष्टि में हानिकारक है, तो आपका कर्त्तव्य है कि उसके विरुद्ध आन्दोलन करें और लोकमत को अपने पक्ष में करके उस मन्त्रिमण्डल को बदल डालने का प्रयत्न करें। जिस देश में नागरिक सार्वजनिक मामलों में उदासीन रहते हैं, उसकी कदापि उन्नति नहीं हो सकती।

आलस्य भी नागरिकता के मार्ग में एक भारी बाधा है। चुनाव के समय यदि हर एक मतदाना यह सोचने लगे कि हमारे हलके में दम हज़ार वोटर हैं, अन्य लोग तो वोट डालेंगे ही, यदि मैं अकेला वोट डालने न गया, तो इसमें क्या बनता-बिगड़ता

है, मैं घर पर ही आराम करूँगा, तो कैसे काम चल सकता है। आलस्य के बशीभूत होकर लोग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने लगते हैं। देश पर एक आकस्मिक सफ़ट आ गया है, बाढ़ के कारण लाखों नर-नारी बेघर-बार हो गये हैं, ऐसे समय आलस्य से घर बैठे रहने में काम नहीं चल सकता। लोगों को बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आलस्य छोड़कर कटिबद्ध हो जाना चाहिए। युवकों को स्वयंसेवक बनकर बाढ़ पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए, और सम्पन्न लोगों को बाढ़ सहायक फण्ड में दिन खोलकर चन्दा देना चाहिए।

(३) अज्ञान—उत्तम नागरिकता के मार्ग में एक महत्वपूर्ण बाधा अज्ञान व अशिक्षा है। यदि किसी राज्य के बहुमतव्यक्त नागरिक अशिक्षित हों, तो वे न अपने कर्तव्यों को समझ पाएँगे और न उनका पालन ही करेंगे। ज्ञान एक दीपक के समान होता है, जो मनुष्यों के मनो को प्रकाशित करता है। इसी कारण राज्य सदा जनता में शिक्षा-प्रसार के लिए प्रयत्नशील रहता है। लोकतन्त्र राज्यों में नागरिकों का शिक्षित होना और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि उनमें सरकार का संचालन लोकमत के अनुसार होना है। यदि जनता अशिक्षित हो, तो जागरूक लोकमत का विकसित हो सकना सम्भव नहीं हो सकता। अशिक्षित लोगों को न अपने अधिकारों का ज्ञान होना है, और न कर्तव्यों का।

(४) निर्धनता—उत्तम नागरिकता के लिए निधनता भी बहुत हानिकारक होती है। निर्धन लोग अपने को प्रायः असहाय और अशक्त अनुभव करते हैं। जिन लोगों के लिए अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकना भी सम्भव न हो, वे सामुदायिक कर्तव्यों के पालन की ओर ध्यान कैसे दे सकते हैं। निर्धन लोगों में जो साहसी व उद्दण्ड प्रकृति के हों, वे टकैनी, चोरी, उपद्रव आदि की ओर प्रवृत्त होते हैं, और जो साधु प्रकृति के हों, वे सुगता से धनी व शक्तिशाली लोगों के वज्रवर्ती हो जाते हैं। दोनों बाध ही उत्तम नागरिकता में बाधक हैं।

(५) सकीर्ण गुटबन्धियाँ—मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए या मनुष्य-विचारों के कारण अनेक सकीर्ण गुटबन्धियों के शिकार हो जाते हैं। राजनीतिक दलों का मगठन कोई बुरी बात नहीं है, लोकतन्त्र शासन के लिए उनका बहुत उपयोग है। पर राजनीतिक दल और गुटबन्धी में भेद है। किसी निश्चल विचारधारा और कार्यक्रम को सम्मुख रखकर जो राजनीतिक दल मगठित किये जाते हैं, वे राज्य के लिए लाभदायक होते हैं। पर राजनीतिक दल ऐसे भी हो सकते हैं जिनके सम्पूर्ण कोई कार्यक्रम व विचार न होकर केवल स्वार्थ-भावना ही हो, और वे सार्वजनिक हित के मुकाबिले में अपने सदस्यों के स्वार्थों को अधिक महत्त्व देने लगें। धार्मिक सम्प्रदाय, जाति-बिरादरी आदि के सकीर्ण विचारों के आधार पर जो दल या गुट मगठित होते हैं, वे तो उत्तम नागरिकता के लिए और भी अधिक हानिकारक सिद्ध होते हैं।

(६) पुरानी रूढ़ियाँ व प्रथाएँ—उत्तम नागरिकों को लकीर का फकीर भी नहीं होना चाहिए। पुराने समय से जो प्रथाएँ, अभ्यास व रूढ़ियाँ किसी समाज में चली आ रही हों, उनका पालन करना उसी अंश तक उपयोगी होता है, जब कि वे बदली हुई परिस्थितियों में हानिकारक न हों। किसी बात से केवल इसलिए चिपटे रहना कि वह परम्परागत रूप से चली आ रही है, कदापि उचित नहीं होता। हमारे देश में अछूतपन, जात-पाँत आदि कितनी ही बातें पुराने समय से चली आ रही हैं। किसी समय में शायद उनका कुछ उपयोग रहा हो। पर अब वे देश के लिए स्पष्ट रूप से हानिकारक हो गई हैं। उनका परित्याग कर देने में ही देश की भलाई है। संस्कृत के एक कवि ने ठीक कहा है—“जो बात पुराने समय में चली आती हो, वह अवश्य ही उपादेय हो, यह स्वीकार्य नहीं है। साथ ही कोई बात केवल इसलिए भी अच्छी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वह नई है। जिस प्रकार हम दूध और पानी में विवेक कर दूध को ग्रहण करता है, वैसे ही हम बुद्धि द्वारा उपयोगी बातों को ग्रहण करना चाहिए।”

(७) राष्ट्रीयता, पूँजीवाद और साम्राज्यवाद की सर्कीएँ प्रवृत्तियाँ—उग्र राष्ट्रीय भावना भी उत्तम नागरिकता के लिए हानिकारक होती है। जब किसी देश के लोग अपने को सबसे उत्कृष्ट समझने लगते हैं, और अन्य देशों को अपने अधीन करने में कोई भी हानि नहीं मानते, तो उसमें साम्राज्यवाद का प्रादुर्भाव होता है। साम्राज्यवाद के कारण महायुद्धों का प्रारम्भ होता है, और धन व जन का बुरी तरह से विनाश होता है। राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति बहुत उत्तम भावनाएँ हैं, पर उनका अनिश्चय लोगों को पागल बना देता है। उन नागरिकों को कभी उत्तम नहीं माना जा सकता, जो दूसरे देशों की स्वतन्त्रता का अपहरण करने में गौरव अनुभव करें, क्योंकि ऐसा करने से सम्पूर्ण मानव-समाज के हितों का व्याघात होता है।

पूँजीवाद भी उत्तम नागरिकता के मार्ग में एक भारी बाधा है। पूँजीवादी लोग मुनाफा कमाने को ही अपना एकमात्र ध्येय मानते हैं। मुनाफे के लिए वे सब प्रकार के उचित व अनुचित उपायों का प्रयोग करते हैं, और मजदूरवर्ग की विध्वंसता व असहाय दशा से लाभ उठाकर उनका शोषण करते हैं। अतः यदि पूँजीपतियों के कार्यों को नियन्त्रित न किया जाए, तो उससे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण कुछ लोग अत्यधिक धनी व अन्य लोग अत्यन्त गरीब होने जाएँ। अत्यधिक धन और अत्यधिक गरीबी दोनों ही, उत्तम नागरिकता के लिए हानिकारक हैं। धन की अधिकता से मनुष्य में भोग, विलास, दम्भ, अभिमान आदि दुर्गुण उत्पन्न होते हैं, और गरीबी के कारण मनुष्य में दैन्य व असहाय भावना का प्रादुर्भाव होता है। ये सब बातें नागरिकों के लिए घवांछनीय हैं।

इन बाधाओं को दूर करने के उपाय—

उत्तम नागरिकता के मार्ग में पेश आनेवाली जिन बाधाओं का हमने ऊपर उल्लेख किया है, उनको दूर करने का मुख्य उपाय यही है कि नागरिकों के वैयक्तिक और सामूहिक चरित्र को उन्नत किया जाए। इस विषय में राज्य का कर्तृत्व बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता। जो लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुँचाएँ, राज्य उन्हें दण्ड अवश्य दे सकता है। एक आदमी असली धी में वनस्पति में मिलाकर बेचना है, एक आदमी दूध में पानी मिलाकर बेचना है, सरकार उन्हें दण्ड दे सकती है, और अन्य लोगों के सामने यह उदाहरण पेश कर सकती है, कि यदि वे भी इसी प्रकार का अपराध करेंगे, तो उन्हें भी दण्ड मिलेगा। पर केवल दण्ड द्वारा जनता के चरित्र में सुधार नहीं किया जा सकता। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि ऐसे उपाय प्रयोग में लाये जाएँ, जिनसे जनता के चरित्र में सुधार हो। इसके लिए सरकार अनेक साधनों को प्रयोग में ला सकती है। रेडियो, इस्त-हार, समाचारपत्र आदि द्वारा सरकार लोगों का ध्यान उन बुराईयों की ओर आकृष्ट कर सकती है, जिनके कारण उत्तम नागरिकता में बाधा पड़ती है। भारत की सरकार इन दिशा में प्रयत्न भी कर रही है। उसकी ओर से मण्डियों, बाजारों व नगरों के चौक आदि में मैजिक लैंटर्न द्वारा प्रचार करने का भी यत्न किया जाता है।

पर उत्तम नागरिकता के लिए सरकार द्वारा किया जानेवाला प्रयत्न कभी पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए आवश्यक यह है कि शिक्षाशास्त्र, धार्मिक सन्ध्याएँ व राजनीतिक दल—सभी प्रयत्नशील हों। जब सब मनुष्य सामूहिक रूप से उत्तम नागरिकता के लिए प्रयत्न करेंगे, तभी इस कार्य में सफलता हो सकेगी। इसके लिए प्रयत्न तभी शुरू हो जाना चाहिये, जब बच्चा छोटा हो। हिन्दू शास्त्रों में एक वचन आता है—

“मातृमान् रिनुमान् आचार्यवान् पुरुषो वेद”

इसका अभिप्राय यह है, कि मनुष्य का जो चरित्र बनता है, वह माता, पिता और आचार्य के प्रभाव के कारण बनता है। बचपन में माता के संस्कार बच्चे पर पड़ते हैं, फिर पिता का चरित्र उस पर प्रभाव डालता है, और बाद में स्कूल जाकर अपने गुरुजनों से वह बहुत कुछ सीखता है। यदि माता-पिता और गुरुजन सबका प्रभाव चरित्र को ऊँचा बनानेवाला हो, तो उत्तम नागरिकता के मार्ग की सब बाधाएँ सुगमता से दूर हो सकती हैं।

नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य—

इस पुस्तक के पिछले एक अध्याय में अधिकार और कर्तव्य के स्वल्प की विषय ही से विवेचना की जा चुकी है, और साथ ही उन अधिकारों का भी उल्लेख

किया जा चुका है, जो राज्य का सदस्य होने के कारण मनुष्यों को प्राप्त होने हैं। कर्तव्यों का निदर्शन भी उसी अध्याय में किया जा चुका है। अतः यहाँ उन्हें दुबारा लिखने की आवश्यकता नहीं। यहाँ यह लिख देना ही पर्याप्त होगा कि यदि नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का भली भाँति ज्ञान हो, तभी वे उनके लिए सचेष्ट व जागरूक हो सकते हैं।

कर्तव्यनिष्ठा में परस्पर विरोध और सामञ्जस्य (Conflict and harmonization of Loyalties) —

मनुष्य अपने हित, कल्याण और उन्नति के लिए जो विविध समुदाय बनाता है, उन सबके प्रति उसके अनेकविध कर्तव्य होते हैं। कुटुम्ब, जात विरादरी, ग्राम, नगर, प्रान्त, राज्य, मानव-ममाज सबके प्रति हमारे कर्तव्य हैं। इन सब समुदायों के प्रति हमारी निष्ठा (Loyalty) होती है। पर अनेक बार इन विविध समुदायों के प्रति हमारी जो कर्तव्यनिष्ठा है, उनमें परस्पर विरोध भी उत्पन्न हो जाता है। इसे कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

मान लीजिये, आप रोज किसी कारखाने या खेत में कार्य करने के लिए जाते हैं। वहाँ में आप पाँच रुपये रोज कमाते हैं। यह रूपा कमाना आपके परिवार के पालन के लिए परम आवश्यक है। पर किसी दिन आपके गाँव में आग लग जाती है। आग बुझाने के लिए सब ग्रामवासियों के सहयोग की आवश्यकता है। आपके सामने प्रश्न उपस्थित होता है, कि परिवार के हित के लिए आपको अपने दैनिक कार्य पर जाना चाहिये या आग बुझाने में ग्रामवासियों को सहयोग देना चाहिये। आपके कौटुम्बिक हितों और ग्राम के हितों में यहाँ विरोध उपस्थित है। इस दशा में आपको अपने छोटे हित को बड़े हित के लिए कुर्बान कर देना चाहिए।

आप एक श्रमी संघ (Trade Union) के सदस्य हैं। श्रमी संघ निश्चय करता है, कि कारखाने में हड़ताल कर दी जाए। पर युद्ध के दिन हैं, शत्रु ने आपके देश पर आक्रमण किया हुआ है। आप लोहे के कारखाने में काम करते हैं। युद्ध के लिए लोहे की बहुत अधिक आवश्यकता है। अब श्रमी संघ के सदस्य के रूप में आपकी कर्तव्यनिष्ठा आपको हड़ताल में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है, पर देश व राज्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठा के कारण आप अनुभव करते हैं कि इस अवसर पर हड़ताल करना अनुचित है। इस दशा में आपको राज्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठा को अधिक महत्त्व देना चाहिये, क्योंकि बड़ी कर्तव्यनिष्ठा के सम्मुख छोटी कर्तव्यनिष्ठा का कोई महत्त्व नहीं है।

बड़े व अधिक व्यापक समुदाय के प्रति जो कर्तव्यनिष्ठा होती है, उसी के कारण कितने ही स्वयंसेवक अपने जीवन तक की भी आहुति दे देते हैं। भारत के

स्वाधीनता सग्राम में कितने ही आतिकारियों, सत्याग्रहियों और आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठा के सम्मुख अपनी पारिवारिक कर्तव्यनिष्ठा को तुच्छ माना। गोध्रा को स्वाधीन कराने के लिए कितने ही ऐसे लोगो ने, जिनके बाल-बच्चे थे, जिनके अपने कुटुम्बों के प्रति कर्तव्य थे, एक बड़ी कर्तव्यनिष्ठा को दृष्टि में रखकर गोलियाँ खाकर अपने जीवन को स्वाहा कर दिया।

इसमें सदेह नहीं, कि कुटुम्ब, जात-विरादरी, धार्मिक सम्प्रदाय, आर्थिक सघ आदि के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, उनकी अपेक्षा बहुत अधिक महत्त्व के कर्तव्य राज्य व देश के प्रति है। इसी कारण राष्ट्रीय हित व देश की उन्नति के लिए हमें अपनी छोटी कर्तव्यनिष्ठाओं को गौण समझना चाहिये। एक अंग्रेज लेखक का कथन है—“नागरिकता इसी बात में है, कि कर्तव्यनिष्ठाओं का समुचित रूप से क्रम-निर्माण किया जाए” (Citizenship consists in the right ordering of loyalties)। हमें समुचित रूप से उमङ्गम का निर्धारण कर लेना चाहिये, जिसके अनुसार हमें विविध समुदायों के प्रति कर्तव्यनिष्ठा को महत्त्व देना है। इसमें सदेह नहीं, कि राज्य के मुकाबिले में आर्थिक समुदाय, धार्मिक समुदाय, जाति, प्रान्त, नगर व ग्राम और कुटुम्ब के हितों का महत्त्व कम है। पर साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये, कि कई बार राज्य के हित सम्पूर्ण मानव-समाज के हित में बाधक हो जाते हैं। परमाणु बम्ब (Atom bomb) का प्रयोग कर इस समय रुस और संयुक्त राज्य अमेरिका सत्तार के प्रायः सभी देशों को अपना वशवर्ती बना सकते हैं। पर यदि वे अपनी शक्ति का प्रयोग अन्य देशों को अपने अधीन करने में करें, तो यह बात उनके अपने उत्कर्ष के लिए चाहे लाभकारी हो, पर मानव समाज के लिए अवश्य ही अहितकर होगी। जापान, हालैण्ड, ब्रिटेन, फ्रांस आदि साम्राज्यवादी देशों ने अपने राष्ट्रीय उत्कर्ष के लिए एशिया और अफ्रीका के बहुत-से प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। पर साम्राज्यवाद मानव समाज के लिए हानिकारक होता है, अतः शक्तिशाली राज्यों को मानव समाज के प्रति कर्तव्यनिष्ठा को ध्यान में रखते हुए अकेले अपने राष्ट्रीय उत्कर्ष को महत्त्व नहीं देना चाहिये।

संस्कृत में एक पुराना श्लोक चला आता है, जिसे यहाँ उद्धृत करना उपयोगी होगा—

त्यजेदेक कुलम्यार्थं, ग्रामम्यार्थं कुलं त्यजेत् ।

ग्रामं जनपदस्यार्थं, आत्मार्थं पृथिवीं त्यजेत् ॥

इसका अर्थ यह है, कि कुटुम्ब व कुल के लिए एक व्यक्ति को, ग्राम के लिए कुल को, राज्य के लिए ग्राम को और आत्मा के लिए पृथिवी तक को त्याग देना चाहिए। कुल के लिए व्यक्ति, ग्राम के लिए कुल और राज्य के लिए ग्राम को त्याग देने की बात तो बिलकुल स्पष्ट ही है। आत्मा के लिए पृथिवी तक को छोड़ देने का

सत्ताईसवाँ अध्याय नागरिक आदर्श (Civic Ideals)

नागरिक आदर्श—

नागरिकता का स्वरूप, नागरिक के अधिकार और नागरिकों के कर्तव्यों पर विचार कर लेने के बाद अब यह आवश्यक है, कि नागरिक आदर्शों पर भी विचार किया जाये। नागरिकशास्त्र का अध्ययन तब तक अपूर्ण रहेगा, जब तक कि इस प्रश्न का भी विवेचन न कर लिया जाए कि नागरिक आदर्श क्या हैं। प्रत्येक मनुष्य कोई न कोई आदर्श अपने सम्मुख रखता है। कुछ मनुष्यों का आदर्श केवल धन कमाना होता है, कुछ मनुष्य विज्ञान की खोज को आदर्श बनाकर अपना सारा जीवन उसके लिए खपा देते हैं, और कुछ मनुष्य देश की स्वाधीनता, अत्याचार वा प्रतिरोध व मनुष्यों की सेवा को आदर्श बनाकर उसी में लग जाते हैं। मनुष्य तभी उन्नति कर सकता है, जब वह किसी आदर्श को अपने सम्मुख रखे।

नागरिक जीवन का आदर्श क्या है ? इस बात के स्पष्ट हो जाने पर ही हम सच्चे नागरिक बन सकते हैं, और नागरिकता के आदर्श तक पहुँचने का यत्न कर सकते हैं। नागरिक जीवन के आदर्शों को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है—

(१) समाजसेवा—प्रत्येक नागरिक किसी समाज व समुदाय का अंग होता है। अतः उसका यह कर्तव्य है, कि वह समाज के अन्य सब सदस्यों के काम आए। लास्की के अनुसार नागरिकता इसी को कहते हैं, कि व्यक्ति का जो विवेकपूर्ण निर्णय व मत (Instructed Judgement) हो, उसे सबके हित के लिए प्रयुक्त किया जाए। हमारे में जो कुछ भी गुण हैं, जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी योग्यता है—उन सबका प्रयोग केवल अपने हित के लिए न होकर सब के हित के लिए हो। नागरिकता का आदर्श हम यहाँ सिखाता है कि हम सबके लाभ, कल्याण व उन्नति के लिए न केवल प्रयत्न करें, अतः उसके लिए कष्ट उठाने को भी तैयार हो।

(२) स्वार्थ त्याग—समुदाय के हित के लिए मनुष्य को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करने के लिए उद्यत रहना चाहिये और बड़-बड़ समुदाय के हित के लिए छोटे सामुदायिक स्वार्थों का। इस आदर्श का हम पिछले अध्याय में भली भाँति स्पष्ट

कर चुके हैं।

इन दोनों आदर्शों का परिणाम—यदि समाज मेवा और स्वयं त्याग को नागरिकता का आदर्श मान लिया जाए, तो उसके ये परिणाम होंगे—

(१) प्रत्येक नागरिक को देश के प्रति प्रेम होगा। देशभक्ति को वह अपना आदर्श मानेगा।

(२) वह राष्ट्रीयता को बहुत महत्व देगा, और राष्ट्रीयता के लिए अपने सर्वस्व का बलिदान करने में मकोच नहीं करेगा।

(३) उसकी दृष्टि केवल देशभक्ति और राष्ट्रीयता तक ही सीमित नहीं रहेगी, अपितु वह अन्तर्राष्ट्रीयता को अपना चरम आदर्श मानेगा और सम्पूर्ण मानव समाज के प्रति कर्तव्यों को मदा अपनी दृष्टि में रखेगा।

इन प्रकार नागरिकता के कतिपय आदर्श हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। ये आदर्श हैं, राष्ट्रीयता, देशभक्ति और विश्वप्रेम या अन्तर्राष्ट्रीयता। अब हम इन्हीं आदर्शों पर विचार करेंगे।

राष्ट्रीयता (Nationalism)

मनुष्यों में शुरू में यह प्रवृत्ति रही है कि जिन लोगों की नसल, भाषा, धर्म, रीति-रिवाज व ऐतिहासिक परम्परा एक हों, वे परस्पर मिलकर एक सगठन में संगठित हो। इतिहास के प्रारम्भ काल में इस प्रकार के एक समान लोगों के समूह को जन भा बन्दीना (Tribe) कहा जाता था। जब ये जन किसी एक स्थान पर स्थायी रूप में बस गये, तब राज्य का प्रारम्भ हुआ। शुरू के इन राज्यों के सब निवासी प्रायः एक ही जाति या नमल के हुआ करते थे, भाषा धर्म आदि की दृष्टि से भी वे एक होते थे। अतः इन्हें 'राष्ट्रीय राज्य' कह सकते हैं। पर बाद में जब बड़े-बड़े राज्यों का विकास हुआ, और किसी एक शक्तिशाली राजा ने पड़ोस के बहुत-से राज्यों को जीत कर अपने अधीन कर लिया, तो इन विशाल राज्यों का आधार राष्ट्रीयता नहीं रही। पुराने रोमन साम्राज्य में बहुत-सी जातियों के लोग बसते थे। यही बात सिकन्दर द्वारा स्थापित सैसिटोनिडन साम्राज्य के विषय में कही जा सकती है। मध्यकाल में यूरोप व अन्यत्र जो विविध राज्य विद्यमान थे, उनमें भी अनेक जातियों के व अनेक भाषाएँ बोलने वाले लोगों का निवास था।

इस दशा में अठारहवीं सदी में यूरोप में अनेक ऐसे विचारक उत्पन्न हुए, जिन्होंने कि लोकनस्त्रवाद के साथ-साथ राष्ट्रीयता की ओर भी जनता का ध्यान आकृष्ट किया। फ्रांस की राज्यक्रान्ति (१७८९ ई०) ने जिन नई भावनाओं को जन्म दिया, उनमें राष्ट्रीयता की भावना भी एक थी। जो लोग धर्म, भाषा, नसल, रीति रिवाज आदि की दृष्टि में एक हों, उनका अपना पृथक् राज्य होना चाहिये और इस राज्य में

किसी एक राजा का स्वेच्छाचारी शासन न होकर सबसाधारण जनता का शासन होना चाहिये, यह सिद्धान्त फ्रांस की राज्यक्रान्ति की मुख्य देन है। उन्नीसवीं सदी में यह भावना निरन्तर जोर पकड़ती गई। बीसवीं सदी के प्रथम चतुर्थ चरण तक यूरोप के प्रायः सभी राज्यों का निर्माण राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के अनुसार हो गया। न केवल यूरोप में, अपितु एशिया और अफ्रीका में भी राष्ट्रीयता की भावना ने जोर पकड़ा, और अब भारत, चीन, इण्डोनीसिया, बर्मा आदि कितने ही देश न केवल साम्राज्यवाद के जगल से मुक्त हो चुके हैं, अपितु उन्होंने राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के अनुसार अपने स्वतन्त्र राज्यों का भी निर्माण कर लिया है।

राष्ट्रीयता का लक्षण—मनुष्य जाति के किसी अंग में जो परस्पर एकानुभूति या अपने एक होने की भावना होती है, उसी को 'राष्ट्रीयता' कहते हैं। यह एकानुभूति धर्म, नमल, भाषा, रीति-रिवाज आदि की एकता के कारण उत्पन्न होती है।

राष्ट्रीयता के तत्व (Elements of Nationality)—

नसल, भाषा, धर्म आदि जिन तत्वों के कारण मनुष्यों में अपने एक होने की अनुभूति उत्पन्न होती है, उन पर अधिक विस्तार के साथ विचार करना उपयोगी है।

(१) नसल की एकता (Unity of Race)—जिन लोगों की नसल एक हो, उनके लिए अपने को एक समझना सर्वथा स्वाभाविक है। इसी कारण जो भारतीय अन्य देशों में जाकर बस गये हैं, वे भी अपने को भारत का ही नागरिक समझते हैं। अंग्रेज लोग चाहे भारत में व्यापार के लिए रह रहे हों, या मलाया आदि कहीं भी जा बसे हों, अपने को इङ्गलैण्ड का ही मानते हैं। लाखों चीनी लोग सिंगापुर, इण्डोनीसिया, भारत आदि देशों में बसे हुए हैं। उन्हें वहाँ रहते हुए बहुत समय हो गया है, पर फिर भी वे अपने को चीनी ही समझते हैं। यहूदी लोग जर्मनी, आस्ट्रिया, पोलैण्ड, फ्रांस, इङ्गलैण्ड आदि कितने ही देशों में सदियों में बस रहे हैं। पर उनमें अब तक भी यह अनुभूति विद्यमान है, कि हम सब यहूदी हैं। इसी कारण उनमें अब तक भी अपने को जर्मन, आस्ट्रियन, पोल, फ्रेञ्च, इङ्गलिश आदि मानने की भावना उत्पन्न नहीं हुई। नमल राष्ट्रीयता की अनुभूति उत्पन्न करने में बहुत बड़ा कारण होती है।

पर नसल की समस्या सुगम नहीं है। भारत के सब निवासियों को नसल की दृष्टि में एक नहीं माना जा सकता। इङ्गलैण्ड के सब निवासी भी नसल की दृष्टि से एक नहीं हैं। इसलिए केवल नसल की एकता ही राष्ट्रीयता का आधार नहीं होती।

(२) भाषा की एकता—राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा की एकता बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों व भावों को प्रकट करते हैं। भाषा की भिन्नता मनुष्यों के एक-दूसरे के निकट आने में बाधक होती है। भाषा एक ऐसा साधन है, जिसके कारण मनुष्यों की एक-दूसरे

को समझ सकने का अवसर मिलता है, और जिससे उनमें धनिष्ठता स्थापित होती है। यही कारण है, जो एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर एकानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा की एकता एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्त्व है।

पर ऐसे भी अनेक राष्ट्र हैं, जिनमें एक से अधिक भाषाएँ बोलने वाले लोगों का निवास है। स्विट्जरलैण्ड में तीन भाषाएँ बोली जाती हैं, फ्रेंच, जर्मन और इटालियन। पर तीन भाषाएँ होते हुए भी स्विट्जरलैण्ड के सब लोग अपने को 'स्विस' समझते हैं, और एक ही राष्ट्रीयता का अग्र मानते हैं। कनाडा में दो भाषाएँ हैं, फ्रेंच और इङ्ग्लिश। यह होने पर भी कनाडियन लोग एक राष्ट्रीयता की अनुभूति रखते हैं। भारत में बहुत-सी भाषाएँ बोली जाती हैं। पर फिर भी सब भारतीय अपने को एक राष्ट्र का निवासी समझते हैं। चीन, पाकिस्तान आदि कितने ही देशों में भाषा का भेद राष्ट्रीयता के मार्ग में विशेष बाधक नहीं है।

पर यह स्वीकार करना होगा, कि भाषा की भिन्नता के कारण राष्ट्रीय एकानुभूति कुछ न-कुछ निर्बल अवश्य हो जाती है। भारत में ही आन्ध्र, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल आदि के निवासियों में प्रांतीय भावना जो कभी-कभी प्रबल हो उठती है, उसका मुख्य कारण भाषा की भिन्नता ही है। इसी कारण एक राष्ट्र-भाषा के विकास की आवश्यकता भारत में अनुभव की जाती है। जब भारत के विविध प्रदेशों में हिन्दी का भली भाँति प्रचार हो जायगा, तो राष्ट्रीयता की भावना और अधिक सुदृढ़ हो जायगी।

(३) धर्म की एकता—मनुष्यों को एक-दूसरे के समीप लाने में धर्म का बहुत महत्त्व है। यद्यपि सब धर्मों के मूल तत्त्व एक हैं, पर उनका बाह्य कलेवर भिन्न भिन्न है। हिन्दू धर्म, इस्लाम, बौद्ध, ईसाई आदि विविध धर्मों के नैतिक सिद्धान्तों व सदाचार के नियमों में विशेष भेद नहीं है, पर उनके पूजा-पाठ, विधि-विधान व विश्वासों में बहुत अन्तर है। जो लोग एक ढंग से ईश्वर की पूजा करें, एक धर्म-ग्रन्थ को मानें, एक पैगम्बर व धर्माचार्य का अनुसरण करें—उनमें परस्पर एकानुभूति का होना स्वाभाविक है। इसी कारण धर्म की एकता राष्ट्रीयता में सहायक होती है, और विभिन्न धर्मों का अनुसरण करने वाले लोगों के लिए एक राष्ट्र का अग्र रह सकना सुगम नहीं होता। भारत और पाकिस्तान के रूप में हमारे देश का जो विभाजन हुआ, उसका कारण धर्म का भेद ही था। यद्यपि हिन्दू और मुसलमान सदियों से भारत में एक साथ निवास करते आ रहे थे, पर फिर भी धर्म-भेद के कारण उनमें एकानुभूति का समुचित विकास नहीं हो पाया था।

पर आजकल के अनेक उन्नत व प्रगतिशील राज्यों में राष्ट्रीय एकता के लिए धर्म का भेद बाधक नहीं रहा है। चीन में बौद्ध लोगों के साथ-साथ ईसाई और मुसलमान भी अच्छी बड़ी सख्या में निवास करते हैं। पर भाषा संस्कृति और नस्ल की एकता के कारण चीनी ईसाई या मुसलमान अपने को चीनी बौद्धों से पृथक् नहीं सम-

भते। ईजिप्ट में ईसाइयों की संख्या दस फी मदी के लगभग है, पर वे नब्बे फी सदी मुसलमानों के साथ एक राष्ट्रीयता के अंग के रूप में रह रहे हैं। यदि भाषा, संस्कृति आदि की एकता हो, और लोग धर्म के मामले में सहिष्णु हो तो धर्म का भेद राष्ट्रीय एकता में विशेष बाधा नहीं डालता। पाकिस्तान के निर्माण के बाद भी भारत में मुसलमान चार करोड़ के लगभग हैं, और ईसाई आदि अन्य धर्मों के अनुयायी भी इस देश में अच्छी बड़ी संख्या में निवास करते हैं। यदि भाषा, संस्कृति आदि की दृष्टि से इन सब में एकता रहे, और लोग धर्म के बाहरी रूप के मुकाबिले में तत्त्व की बातों को अधिक महत्त्व दें, तो धर्म का भेद भारत की राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं होगा।

धर्म की एकता होते हुए भी भाषा, नमल, संस्कृति आदि के भेद के कारण राष्ट्रीयता भिन्न भिन्न रहती है। जर्मनी और इङ्गलैण्ड दोनों देशों के निवासी प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदाय के अनुयायी हैं, पर उनकी राष्ट्रीयता भिन्न भिन्न है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का धर्म एक ही है। पर भाषा, जाति और संस्कृति के भेद के कारण उनकी राष्ट्रीयता अलग-अलग है।

(४) भौगोलिक एकता—जो लोग किसी एक ही प्रदेश में साथ-साथ रहते हैं, धीरे-धीरे उनमें सम्बन्ध बड़ता जाता है, और वे अपने को एक समझने लगते हैं। एक स्थान पर देर तक साथ बसे रहने के कारण भिन्न नसल व भिन्न धर्म के लोग भी आपस में एकानुभूति रखने लगते हैं। भारत के पारसी इसके उदाहरण हैं। उनका धर्म पारसी है, वे जटदुष्ट के अनुयायी हैं। उनके रीति रिवाज आदि भी बम्बई के अन्य निवासियों से भिन्न हैं। पर देर तक बम्बई में बसे होने के कारण अब वे वहाँ के अन्य भारतीयों के समान ही भारतीय राष्ट्रीयता के अंग बन गये हैं। संयुक्त-राज्य अमेरिका में इङ्गलिश लोगों के अतिरिक्त जर्मन, ग्रीक, इटालियन, फ्रेंच व जापानी लोग भी अच्छी बड़ी संख्या में बसे हुए हैं। अमेरिका में साथ साथ रहने के कारण अब वे सब अमेरिकन बन गये हैं। यही बात कनाडा में इङ्गलिश और फ्रेंच लोगों के विषय में कही जा सकती है।

(५) संस्कृति और ऐतिहासिक परम्परा की एकता—जिन लोगों की संस्कृति, रीति-रिवाज व ऐतिहासिक परम्पराएँ एक होती हैं, उनमें भी राष्ट्रीय एकता की अनुभूति होती है। काव्य, कला, साहित्य, संगीत, भाषा, धर्म—ये सब संस्कृति का निर्माण व विकास करने में सहायक होते हैं। चीन, भारत, फ्रांस, रूस आदि सब देशों की संस्कृति भिन्न भिन्न है। जिन लोगों की संस्कृति एक होती है, जिनके रीति-रिवाज, खान पान व अभ्यास एक प्रकार के होते हैं, उन्हें आपस में मिलकर एक प्रकार की खुशी अनुभव होती है। इस कारण उनमें जो एकानुभूति उत्पन्न होती है, वह राष्ट्रीयता के लिए सहायक होती है। चीन, यूरोप आदि की यात्रा करने हुए हमें यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, जिसका रहन सहन हमारे ही जैसा हो, जिसका

खान-पान हममें मिलता-जुलता हो, जो हमारी ही तरह में तुलसी, मूर व कबीर के काव्यों का आस्वाद लेता हो, जो हमारी ही तरह कयावली और भारतनाट्यम् के नृत्यों को देखकर आनन्द अनुभव करता हो, तो पूर्वं परिचय के बिना भी हम उसके प्रति एक विशेष प्रकार की आत्मीयता का अनुभव करने लगते हैं। सस्कृति की एकता राष्ट्रीयता का महत्त्वपूर्ण तत्व है।

ऐतिहासिक परम्पराएँ भी राष्ट्रीयता के विकाम में बहुत सहायक होती हैं। भारत के निवासियों ने समान रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहकर कष्ट उठाये, उन्होंने साथ मिलकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सघर्ष किया, और वे समानरूप से उन सब चीजों का आदर करते हैं, जिन्होंने स्वराज्य के लिए अपने तन-मन-धन की आहुति दी। जिन लोगों का इतिहास एक होता है, वे एक समान रीति से अपने पुराने वीरों व नेताओं का स्मरण करते हैं, और इन प्रकार जो ऐतिहासिक परम्पराएँ विकसित हो जाती हैं, वे राष्ट्रीयता के लिए बहुत सहायक होती हैं।

(६) राजनीतिक आकाक्षाओं की एकता—जिन लोगों में नसल, भाषा, धर्म, सस्कृति आदि की एकता हो, उनमें स्वाभाविक रूप से यह इच्छा होती है कि उनका अपना पृथक् राज्य भी हो। १६१४-१८ के महायुद्ध से पूर्व पोल लोग जर्मनी, आस्ट्रिया और रूस—इन तीन राज्यों के अधीन थे। तीन भिन्न राज्यों के अधीन रहते हुए भी पोल लोगों में यह आकाक्षा विद्यमान थी, कि हमें विदेशी शासन से स्वतन्त्र होकर अपने पृथक् राज्य का निर्माण करना चाहिए। इसीलिए वे अन्त में सफल हुए और पोर्नण्ड का एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में निर्माण हुआ। यहदियों में भी यह राजनीतिक आकाक्षा देर तक कायम रही, कि हमारा भी एक पृथक् राज्य होना चाहिए। इसी के कारण १६१४-१८ के महायुद्ध के बाद इजराइल का निर्माण हुआ।

चीन, रूस आदि विशाल राज्यों में अनेक जातियों, धर्मों व भाषाओं की सत्ता है। पर इस समय उनमें कम्युनिज्म के अनुसार आर्थिक व्यवस्था कायम करने की प्रबल आकाक्षा विद्यमान है। इस आकाक्षा के कारण भी उनकी राष्ट्रीय एकता में बहुत सहायता मिलती है।

भारत की राष्ट्रीय एकता—

भारत के सब लोग न एक भाषा बोलते हैं, और न एक धर्म के अनुयायी हैं। यहाँ के निवासी नसल व जाति की दृष्टि से भी एक नहीं हैं। इस दशा में यह प्रश्न उठता है, कि क्या भारत में राष्ट्रीय एकता है, और क्या भारत को एक राष्ट्र कहा जा सकता है।

स्थूल रूप में देखने पर भारत की राष्ट्रीय दृष्टि से एक समझ सकना बहुत

कठिन है। यहाँ की जनता में ७६ फी सदी के लगभग आर्य जाति के लोग हैं, और २१ फी सदी के लगभग द्रविड जाति के। इनके अतिरिक्त शायद व किरात जातियों के लोगों का भी इस देश में निवास है। आर्यों और द्रविडों में भौतिकी ही जातियाँ व उपजातियाँ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सर्व लोग शुद्ध और मद्धनों को अपने से बिल्कुल पृथक् समझते हैं। वे उनके साथ भोजन आदि का कोई भी व्यवहार नहीं रखते। हिन्दी, बंगाली, गुजराती, मराठी, उडिया, पंजाबी, तेलगू, तामिल, कन्नड आदि कितनी ही भाषाएँ इस देश में बोली जाती हैं। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिक्ख, पारसी आदि कितने ही धर्म यहाँ विद्यमान हैं। देश की विचलता के कारण इस देश के निवासियों में भौगोलिक एकता की अनुभूति भी नहीं पाई जाती। पंजाब के निवासी अपने को पंजाबी समझते हैं, और बंगाल के बंगाली। ऐतिहासिक दृष्टि से भी भारत अनेक छोटे-बड़े राज्यों में विभक्त रहा है। इन राज्यों में युद्ध भी होते रहे हैं, और उन युद्धों का स्मृति अभी तक नष्ट भी नहीं हुई है। इस दशा में यदि बहुत से विचारक भारत की राष्ट्रीय एकता से इन्कार करें, तो यह स्वाभाविक ही है।

पर गम्भीरता से विचार करने पर यह समझने में कठिनाई नहीं होगी, कि अनेक विविधताओं व विभिन्नताओं के होते हुए भी भारत एक राष्ट्र है। यद्यपि भारत में अनेक नसलों व जातियों के लोग निवास करते हैं, पर यहाँ की बहुसंख्यक जनता इन नसलों के मिश्रण का ही परिणाम है। यहाँ बहुत-सी भाषाएँ अवश्य हैं, पर वे सब एक साथ में ही ढली हुई हैं। तेलगू, कन्नड आदि द्रविड भाषाओं ने भी आर्य वंशमाला को अपना लिया है। भारत की एक अपनी अलग संस्कृति है। रहन-सहन, अभ्यास, रीति-रिवाज आदि की दृष्टि से हिन्दुओं और मुसलमानों में बहुत भेद नहीं है। लखनऊ व दिल्ली का मुसलमान अपने विचारों, रीति-रिवाजों और अभ्यासों की दृष्टि से अरब व इण्डोनीशिया के मुसलमानों से बहुत भिन्न है। वह कैंरो या बगदाद के मुसलमान की अपेक्षा लखनऊ व दिल्ली के हिन्दू के बहुत समीप है। जो रिवाज व आदतें हिन्दू की हैं, वे ही भारतीय मुसलमान की भी हैं। भारत के बहुसंख्यक मुसलमानों के पूर्वज पहले हिन्दू ही थे। धर्म परिवर्तन के कारण उनके संस्कारों व रहन सहन में बहुत परिवर्तन नहीं हो गया। यही बात इस देश के ईसाइयों के विषय में कही जा सकती है।

भौगोलिक एकता भी भारत की राष्ट्रीय एकता में बहुत सहायक है। भारत के निवासियों इस देश के अति एक विशेष प्रकार की नसलों का अनुभव करते रहे हैं। उन्होंने सदा यह माना, कि यह उनकी मातृभूमि और पवित्र भूमि है। सब हिन्दू इस देश की नदियों, पर्वतों और तीर्थ-स्थानों को पवित्र मानते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिन्ध, कावेरी और गोदावरी ये सात नदियाँ सब हिन्दुओं के लिए पवित्र हैं। दक्षिण भारत के हिन्दू के लिए गंगा भी उतनी ही पवित्र है, जितनी

कि कावेरी। हिन्दुओं के तीर्थ स्थान उत्तर में अमरनाथ और केदारनाथ से शुरू होकर दक्षिण में रामेश्वरम् तक फैले हुए हैं। इसी प्रकार मुसलमानों के भी अनेक पीरो और झोलियों की स्मृति भारत के विभिन्न स्थानों के साथ जुड़ी हुई है। इस दशा में यदि भारत के सब निवासी इस देश के प्रति ममता और एकता की भावना रखें, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है ?

यह सही है, कि भारत में अनेक विभिन्नताएँ भी विद्यमान हैं। इसीलिए यह देश सवर्गात्मक (Federal) शासन के लिए बहुत उपयुक्त है। भारत के विशाल राज्य को विभिन्न प्रदेशों में विभक्त कर यदि उनको मिलाकर एक मवर्ग (Federation) व मघ (Union) में समीकृत कर दिया जाए, तो वह यहाँ के लिये बहुत उपयुक्त होगा। ऐसा कर देने से विभिन्न प्रदेशों व प्रान्तों में इस देश की विभिन्न भाषाओं साहित्य आदि को विकसित होने का अवसर मिलेगा, और सब द्वारा इस देश की राष्ट्रीय एकता का विकास हो सकेगा। भारत के नये संविधान में इसी नीति को अपनाया गया है।

पर हम यह कदापि नहीं भूलना चाहिये, कि भारत की राष्ट्रीय एकता अभी तक भली भाँति विकसित नहीं हो पाई है। पाकिस्तान का निर्माण इसी कारण हुआ, क्योंकि अभी तक हिन्दू और मुसलमान अपने को पूर्णतया एक राष्ट्रीयता का अंग नहीं समझते थे। अभी हमारे देश में प्रान्तीय, जातीय व साम्प्रदायिक भावनाओं का अन्न नहीं हुआ है। यह वान भारत की राष्ट्रीयता के लिए बहुत हानिकारक है। अतः हम सबका कर्तव्य है, कि हम प्रान्तीय, जातीय व साम्प्रदायिक भिन्नताओं को अधिक महत्त्व न देकर राष्ट्रीय एकता के विकास का यत्न कर और राष्ट्र के हित के सम्मुख मकीली विचारों का परित्याग कर दें।

राष्ट्रवाद व स्वभाग्य निर्णय (Self-determination) का सिद्धान्त—

प्रत्येक राष्ट्रीयता को अपने सम्बन्ध में स्वयं निर्णय कर सकने का अधिकार होना चाहिए, इसे 'स्वभाग्य निर्णय का सिद्धान्त' कहते हैं। जिन लोगों में नसल, भाषा, धर्म, रीति रिवाज, संस्कृति आदि की एकता के कारण परस्पर एक होने की अनुभूति हो, उन्हें यह अवसर होना चाहिये कि यदि वे चाहे तो अपना पृथक् राज्य बना सकें, और या किसी राज्य के अन्तर्गत रहते हुए भी अपनी राष्ट्रीय विशेषताओं का विकास कर सकें। इसी को राष्ट्रवाद (Nationalism) का सिद्धान्त भी कहा जाता है।

राष्ट्रवाद का विरोध—अनेक विचारक राष्ट्रवाद व राष्ट्रीयता के स्वभाग्य-निर्णय के सिद्धान्त का विरोध करते हैं। उनका कथन है कि—

(१) यदि ससार राष्ट्रवाद के सिद्धान्त पर स्थिर रहता, तो इस समय

पृथिवी पर हजारों राज्य होते। ग्रेट ब्रिटेन इस समय एक राज्य है, पर वहाँ भी स्कॉट और वेल्स लोग इङ्गलिश लोगों से भिन्न हैं। यही बात यूरोप के कितने ही राज्यों के विषय में कही जा सकती है। पहले सभी देशों में बहुत से छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। ये सब अपने को एक दूसरे से अलग समझने थे, और अपनी सस्कृति व रीतिरिवाजों को महत्त्व देते थे। पर बाद में अनेक विजेताओं ने इनकी विजय कर बड़े राज्यों का निर्माण किया, और धीरे-धीरे पुराने छोटे छोटे राज्यों की पृथक् सस्कृति नष्ट हो गई या एक विशाल राज्य की सस्कृति का अंग बन गई। यदि प्रत्येक राष्ट्रीयता को स्वभाग्य निर्णय का अधिकार रहे, तो विशाल व शक्तिशाली राज्यों का निर्माण सम्भव ही न हो, और सत्तार में फिर से बहुत-से छोटे छोटे राज्य काममें हो जाएँ। भारत के निवासियों में जो अनेक विभिन्नताएँ पाई जाती हैं, यदि उन्हें महत्त्व दिया जाने लगे और उन्हें स्वभाग्य-निर्णय का अधिकार दे दिया जाए, तो शायद भारत के फिर बहुत से टुकड़े हो जाएँ।

(२) ऐसा राज्य अधिक शक्तिशाली होता है, जिसमें अनेक जातियों व राष्ट्रीयताओं का विकास व सम्मिश्रण हो। प्रत्येक राष्ट्रीयता के अपने गुण होना हैं, और अपनी विशेषताएँ। किसी में वीरता अधिक होती है, किसी में बुद्धि। जिस प्रकार अनेक धातुओं के मिश्रण से बनी हुई धातु अधिक मजबूत हो जाती है, वैसे ही विविध जातियों व राष्ट्रीयताओं के मिलने से राज्य की शक्ति बढ जाती है।

(३) उन्नति की दौड़ में पिछड़ी हुई जातियों के लिये उन्नत राष्ट्रों के सम्पर्क में आना बहुत लाभदायक होता है। यदि वे किसी उन्नत राष्ट्र की संरक्षा में रहें, तो वे सुगमता से उन्नति कर सकती हैं। स्वभाग्य निर्णय के अधिकार से पिछड़ी हुई जातियाँ पिछड़ी ही रह जाएँगी।

राष्ट्रवाद का समर्थन—राष्ट्रवाद के विरुद्ध जो युक्तियाँ दी गई हैं, उनमें कुछ-न कुछ सचाई अवश्य है। पर उनके कारण राष्ट्रीयता के स्वभाग्य निर्णय का सिद्धान्त अस्वीकार्य नहीं हो जाता। राष्ट्रवाद के समर्थन में निम्नलिखित युक्तियाँ दी जाती हैं—

(१) कोई राष्ट्रीयता तभी उन्नति कर सकती है जब कि वह पूर्णतया स्वतन्त्र हो, जब उसे स्वभाग्य-निर्णय का पूर्ण अधिकार हो। कोई राज्य चाहे कितना ही उन्नत सम्य व उदार हो, वह दूसरे लोगों का उतना हित सम्पादन नहीं कर सकता, जितना कि वे अपने प्रयत्न से कर सकते हैं। इसी कारण अनेक विचारकों ने यह कहा है, कि गुराज्य कभी स्वराज्य का स्थान नहीं ले सकता। भारत के एक महापुरुष के शब्दों में विदेशी राज्य चाहे माता पिता के समान अपनी अधीनस्थ प्रजा का पालन करनेवाला ही क्यों न हो, पर उसका शासन स्वराज्य के सहस नहीं हो सकता।

(२) प्रत्येक राष्ट्रीयता की जो अपनी सस्कृति व विशेषताएँ होती हैं, उनका

विक्रम तभी सम्भव है, जब कि उसे स्वभाष्य-निर्णय का अधिकार हो। यदि आज स्कॉट व वेल्स लोग ग्रेट ब्रिटेन के अंग बन कर रह रहे हैं, तो इसका कारण यह है कि उन्होंने इसी में अपना लाभ समझा है। इंग्लिश, स्कॉट व वेल्स लोगों में भाषा, धर्म, संस्कृति आदि के भेद इतने अधिक नहीं हैं, कि उनके लिए एक राष्ट्र का अंग बने रहना सम्भव न हो। पर आयरिश लोगों की भाषा और धर्म अंग्रेजों से इतने भिन्न हैं, कि वे ग्रेट ब्रिटेन का अंग बन कर नहीं रह सके। इसीलिए उन्होंने स्वाधीनता के लिए मद्यर्प किया, और अब वे अपना स्वतन्त्र राष्ट्र बनाने में सफल हो गए हैं।

(३) किसी पिछड़ी हुई जाति के लिए उन्नत हो सकना केवल तभी सम्भव नहीं होता, जब कि वह किसी उन्नत राज्य के अधीन हो जाए। यूरोपियन देशों के मुकाबिले में जापान उन्नति के मार्ग में बहुत पीछे रह गया था। पर जब जापानी लोगों ने अनुभव कर लिया, कि हमें भी नए विज्ञान को अपना कर उन्नति करनी चाहिए, तो वे तीव्र ही यूरोप व अमेरिका के समकक्ष हो गए। भारत डेड नदी के लगभग तक इंग्लैण्ड जैसे उन्नत देश के अधीन रहा। पर इतने समय में भी यह देश अपनी उन्नति नहीं कर सका, जितनी कि आधी सदी से भी कम समय में जापान ने कर ली। विदेशी शासन के कारण भारत की उन्नति में सहायता नहीं मिली, अविशुद्धता ही पड़ी।

(४) मनुष्यों में स्वाधीन रहने व एक दूसरे के समान रहने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से होती है। सब मनुष्य स्वतन्त्र रहना चाहते हैं, और कोई किसी से हीन बन कर नहीं रहना चाहता। समानता और स्वतन्त्रता के लिए जरूरी है, कि सब राष्ट्रियताएँ स्वभाष्य निर्णय का अधिकार रखें।

(५) सत्तार में युद्ध इसी कारण होने हैं, कि कुछ शक्तिशाली राज्य दूसरों को अधीन कर अपने साम्राज्यों का निर्माण कर लेते हैं। यदि राष्ट्रीय स्वाधीनता के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया जाए, तो न साम्राज्यवाद रहेगा, और न सत्तार में युद्धों का आवश्यकता ही रहेगी।

इन्हीं कारणों से आज राष्ट्रवाद का निदान्त सर्वमान्य है। अब इस बात को सब स्वीकार करते हैं, कि प्रत्येक राष्ट्रीयता को स्वभाष्य-निर्णय का अधिकार होना चाहिए। यदि कोई राष्ट्रीयता अपना हित इस बात में समझे कि उसे किसी अन्य उन्नत राष्ट्रीयता के साथ मिलकर एक संगठन में संगठित होना चाहिए, तो उस वंसा करने का अवसर मिलना चाहिए। इसके विनयीत यदि कोई राष्ट्रीयता यह चाहे कि उसे अपना एक पृथक् राज्य बनाना है, तो उस राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का पूर्ण अधिकार होना चाहिए।

राष्ट्रीयता के अधिकार—

जो जातियाँ व राष्ट्रीयताएँ अपना स्वतन्त्र व पृथक् राज्य न बनाकर किसी अन्य राज्य का अंग बनकर रहती हैं, उनके भी कतिपय अधिकार होते हैं जिनका संरक्षण अवश्य किया जाना चाहिए। कई जातियाँ मर्यादा में इतनी कम होती हैं, कि उनका पृथक् राज्य बन सकना सम्भव नहीं होता। कई जातियाँ अन्य जातियों के साथ इस तरह मिलकर बसी होती हैं, कि उनका प्रदेश पृथक् नहीं किया जा सकता। भारत के एंग्लो इण्डियन लोग अलग भाषा बोलते हैं, अलग संस्कृति रखते हैं, पर उन्हें अन्य भारतवासियों के साथ मिलकर ही रहना है। भारत में या कहीं अन्यत्र उनका पृथक् राज्य बन सकना क़ियात्मक नहीं है। इस ढंग के लोगों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जातियाँ (National Minorities) कहा जाता है। इनके निम्नलिखित अधिकार स्वीकार किए जाते हैं—

(१) पृथक् सत्ता का अधिकार (Right to exist)—प्रत्येक राष्ट्रीयता को अधिकार है, कि वह अपना पृथक् अस्तित्व रख सके। बड़ी राष्ट्रीयता उसे अपने में लीन कर लेने का प्रयत्न न करे।

(२) भाषा का अधिकार (Right of language)—प्रत्येक राष्ट्रीयता को अधिकार है कि वह अपनी भाषा का प्रयोग करे और उसमें साहित्य, काव्य आदि का विकास करे। भारत में कितनी ही भाषाओं को बोलने वाले लोगों का निवास है। नए संविधान में उनकी भाषा के अधिकार को स्वीकार किया गया है। चीन के अन्तर्गत तिब्बती आदि अल्पसंख्यक लोगों को अपनी भाषाओं का प्रयोग करने व विकास करने का अधिकार प्राप्त है।

(३) अपने व्यवहार, चरित्र व कानून को कायम रखने का अधिकार (Right of Retention of local customs and laws)—विवाह, विरासत आदि के विषय में विभिन्न राष्ट्रीयताओं के अपने-अपने व्यवहार व कानून होते हैं। भारत के बहुसंख्यक निवासी हिन्दू हैं। पर ईसाई, मुसलमान, सिक्ख, पारसी आदि भी यहाँ अच्छी बड़ी संख्या में रहते हैं। इन सबके विवाह, विरासत आदि के रीति रिवाज व कानून अलग-अलग हैं। इन्हें यह अधिकार होना चाहिए, कि इन मामलों में अपने कानून व रीति-रिवाज आदि को कायम रख सकें।

(४) धर्म व संस्कृति का अधिकार (Right of Religion and Culture)—भाषा व रीति रिवाज आदि के समान प्रत्येक राष्ट्रीयता को यह भी अधिकार है, कि वह अपने धर्म व संस्कृति को कायम रख सके। राज्य के बहुसंख्यक निवासी यह यत्न न करें कि सबको अपने धर्म का अनुयायी बना लें व सबको एक ही संस्कृति के रंग में रंग दें।

देशभक्ति (Patriotism)—

देशभक्ति एक भावना है, जो मनुष्यो में स्वाभाविक रूप से होती है। जिस प्रकार हम अपने से प्रेम करते हैं, वैसे ही अपने परिवार, अपनी बिरादरी, अपने ग्राम, अपने नगर, अपने धार्मिक सम्प्रदाय, अपने आर्थिक समुदाय, अपने प्रान्त व अपने देश के प्रति भी आत्मीयता का अनुभव करते हैं। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समुदाय में रहता है, और समुदाय में रहकर ही अपनी उन्नति करता है, अतः विविध समुदायों व समाज के प्रति भी उसके अनेक प्रकार के कर्तव्य हो जाते हैं। देशभक्ति इसी प्रकार का एक कर्तव्य है।

यह ठीक है, कि सारा मनुष्य समाज एक है। सस्कृत में एक कहावत है—
 “उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्”। इसका अर्थ यह है, कि उदार व प्रगतिशील लोगों के लिए तो सारी पृथिवी ही एक कुटुम्ब के समान है। पर सारी पृथिवी को एक कुटुम्ब मानने से पूर्व मनुष्य के लिए यह आवश्यक है, कि वह पहले अधिक सकुचित क्षेत्र में आत्मभावना को विकसित करे। जो मनुष्य अपने कुटुम्ब के प्रति कर्तव्य-पालन नहीं करता, उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह अपने ग्राम, प्रान्त व देश के प्रति कर्तव्य-पालन कर सकेगा। इसी प्रकार जो मनुष्य अपने देश के प्रति कर्तव्य पालन नहीं करता, अपने देश को अपना कुटुम्ब नहीं मानता, उससे यह आशा कैसे की जा सकती है, कि वह सारे ससार को व सम्पूर्ण मानव समाज को अपना कुटुम्ब समझेगा और उसके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। इसीलिए महात्मा गांधी कहा करते थे कि मैं सम्पूर्ण मानव समाज में प्रेम करता हूँ, इमीलिए अपने देश से भी प्रेम करता हूँ। स्वदेश की स्वतन्त्रता व उन्नति के लिए मैं इसी कारण प्रयत्नशील हूँ, ताकि सम्पूर्ण मानव समाज की उन्नति व कल्याण हो। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने की भावना भी धीरे धीरे ही विकसित हो सकती है। इस भावना का विकास हम पहले अपने कुटुम्ब में करते हैं, फिर अपने ग्राम व नगर में, फिर अपने प्रान्त में, फिर अपने देश में और फिर सम्पूर्ण मानव समाज में। देशभक्ति का आदर्श किसी सकुचित भावना को प्रगट नहीं करता। वह अधिक ऊँचे आदर्श (मानव समाज के प्रति कर्तव्य-पालन के आदर्श) तक पहुँचने में सहायक होता है, बाधक नहीं।

देशभक्ति में निम्नलिखित बातों का समावेश होता है—

(१) प्रत्येक नागरिक को अपने देश की रक्षा व स्वतन्त्रता के लिए न केवल धन की अपितु अपने प्राणों तक की आहुति दे देने के लिए उद्यत रहना चाहिए।

(२) किसी नागरिक को केवल अपनी उन्नति में ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझना चाहिए। जब तक देश में कोई भी मनुष्य दुखी, दरिद्र व पीड़ित है, तब तक नागरिक को चैन नहीं होनी

चाहिए, और उमका सदा यह यत्न रहना चाहिए कि सब देशवासी सुखी, सतुष्ट और समृद्ध हो ।

(३) देश न जमीन, नदी और पहाड़ो को ही कहते हैं और न केवल उसमे निवास करने वाले मनुष्यो को ही । प्रत्येक देश को अपनी सम्यता होती है, अपनी सस्कृति, धर्म, रीति-रिवाज व भाषा होती है । जब हम अपने देश के प्रति भक्ति रखें, तो हम अपनी सस्कृति, भाषा, धर्म व रीति रिवाज आदि से भी प्रेम होना चाहिए । हमें अपने देश व उमकी सस्कृति के लिए गर्व अनुभव करना चाहिए । किसी कवि ने क्या ही ठीक कहा है—

जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है,

वह नर नहीं नरपशु निरा है और मृतक समान है ।

सस्कृत का यह वाक्य भी यहाँ लिखने योग्य है—'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढकर होती है । उमकी भक्ति करना और उसके प्रति गौरव का अनुभव करना प्रत्येक मनुष्य के लिए परम आवश्यक है ।

अन्तर्राष्ट्रीयता (Internationalism)

पर हमें अपनी दृष्टि को केवल अपने देश तक ही संकुचित नहीं रखना चाहिए । हमें यह भी समझना चाहिए, कि हमारा देश व हमारा राष्ट्र सम्पूर्ण मानव-समाज का अंग है । हमारी देशभक्ति व राष्ट्रप्रेम का रूप ऐसा नहीं होना चाहिए, जो सम्पूर्ण मानव समाज के लिए अहितकर हो । विज्ञान की उन्नति के कारण ससार के विविध देश जिस ढंग से एक-दूसरे के समीप आ गये हैं, उसके कारण इन अन्तर्राष्ट्रीयता का महत्व बहुत अधिक बढ गया है । अगले अध्याय में हम इस पर विशद रूप से विचार करेंगे ।

अभ्यास के लिए प्रश्न

- १ स्वाधीन भारत के नागरिक का नागरिक आदर्श क्या होना चाहिए ?
(ग्र० पी० १९५२)
- २ राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता का क्या अभिप्राय है ? क्या ये दोनों एक-दूसरे के विरोधी हैं ? (राजपूताना १९४४)
- ३ राष्ट्रीयता का क्या अभिप्राय है ? राष्ट्रीयता के आवश्यक तत्वों का विवेचन कीजिए ।
- ४ भारत की राष्ट्रीय एकता को आप किस अंश में व किस रूप में स्वीकार करते हैं ?
- ५ राष्ट्रीयता के अधिकारों पर विशद रूप से प्रकाश डालिये ।

६. राष्ट्रियता के गुणो और दोषों का विवेचन कीजिये ।

७. प्रत्येक राष्ट्रियता को स्वभाग्य निर्णय का अधिकार होना चाहिए, क्या आप इस मन्तव्य से सहमत हैं ?

८. वे कौन से तत्व हैं, जो राष्ट्रियता का निर्माण करते हैं ? क्या भारत को एक राष्ट्र कहा जा सकता है ? (पृ० पौ०, १९४७)

९. देशभक्ति और राष्ट्रियता पर निबन्ध लिखिये ।



अट्टाईसवाँ अध्याय अन्तर्राष्ट्रीयता और विश्व सरकार का विचार (Internationalism and World Government)

अन्तर्राष्ट्रीयता—

आजकल मनुष्यों के सामुदायिक जीवन का क्षेत्र केवल अपने देश तक ही सीमित नहीं रह गया है। समार के एक कोने में जो घटना घटती है, उसका प्रभाव अब दूर के देशों पर भी पड़ता है। यदि उत्तरी अफ्रीका के फ्रेञ्च उपनिवेशों में विद्रोह हो जाए, कोरिया में लड़ाई शुरू हो जाए या काश्मीर के प्रश्न पर भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध अधिक बटु हो जाएँ, तो समार के अन्य देश इन घटनाओं की उम्हता नहीं कर सकते। ज्ञान-विज्ञान की उन्नति के कारण आधुनिक समय में समार के विविध देश एक दूसरे के बहुत समीप आ गये हैं। यदि भविष्य में कभी महायुद्ध प्रारम्भ होगा, तो पृथिवी का शायद ही कोई देश उसके मसर से बचा रह सकेगा। एटम बम और हाइड्रोजन बम के रूप में अब ऐसे प्रलयकारी अस्त्रों का आविष्कार हो गया है, जिनका प्रभाव संकड़ों, हजारों मीलो तक पड़ता है। इस दशा में यह स्वाभाविक है, कि मनुष्य केवल अपने कुटुम्ब, ग्राम, प्रान्त व देश के हितों की दृष्टि में न रहे, अपितु सम्पूर्ण मानव समाज को एक समुदाय मानकर उसके हित, कल्याण व उन्नति को अपना ध्येय माने। इसी कारण अब सकीर्ण राष्ट्रवाद से काम नहीं चल सकता, और लोगों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर सकीर्ण राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार न करके अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार किया करें।

अन्तर्राष्ट्रीयता का विकास—जिस प्रकार समाज में रहते हुए विविध व्यक्ति एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं, वैसे ही विविध राज्य भी एक दूसरे के सम्पर्क में आने के अनेक अवसर प्राप्त करते हैं। प्राचीन समय में जब कि मनुष्य के पास घोड़े की अपेक्षा अधिक तेज चलने वाली कोई सवारी नहीं थी, तब भी विविध राज्य एक-दूसरे के सम्पर्क में आया करते थे, और परस्पर ऐसी संधियाँ किया करते थे, जिनसे वे अपने हितों की रक्षा करने में समर्थ हो सकें। आजकल तो इस प्रकार के अवसर बहुत अधिक बढ़ गये हैं। इसके कारण निम्नलिखित हैं—

(१) आधुनिक समय में ज्ञान विज्ञान की जो असाधारण उन्नति हुई है,

उनके कारण मनुष्य न देश और कान पर अद्भुत विजय प्राप्त कर ली है। रेल और मोटरकार के कारण यूरोप में फ्रांस, इटली, तुर्की, स्पेन आदि राज्यों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुआ, और भाप व यान्त्रिक शक्ति से चलनेवाले जहाजों से यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमरिका आदि महाद्वीपों की दूरी बहुत कम हो गई। हवाई जहाज के आविष्कार के कारण तो अब सारी पृथिवी के निवासी एक छोटे-से द्वीप के निवासियों के समान एक दूसरे के बहुत समीप आ गये हैं। अब भारत से लण्डन तक २० घण्टे से भी कम समय में पहुँचा जा सकता है, और लण्डन से न्यूयार्क जाकर उसी दिन वापस भी लौटा जा सकता है।

तार, रेडियो, टेलीफोन आदि द्वारा एक स्थान का समाचार ससार के किसी भी कोने में बात की दान में पहुँचाया जा सकता है। अब हजारों मील की दूरी पर बैठे हुए लोगों के लिए भी यह सम्भव हो गया है, कि वे आपस में बातचीत भी कर सकें।

(२) आने-जाने और समाचार भेजने के साधनों की उन्नति के कारण अब व्यापार का स्वभाव अन्तर्राष्ट्रीय हो गया है। अब मनुष्यों का आर्थिक जीवन किसी एक देश तक ही सीमित नहीं रहा है, अपितु ससार के विविध राज्यों का आर्थिक, व्यावसायिक व व्यापारिक जीवन एक दूसरे के साथ बहुत घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है। भारत के किसी मध्यश्रेणी के परिवार को ही लीजिये। उनके घर में जो रेडियो रखी है, वह शायद अमेरिका या हॉलैण्ड की बनी हुई है। वह जिस क्लम में गिछता है, वह शायद जर्मनी का बना है। वह चाय में जिम डब्ले के दूध का प्रयोग करता है, वह शायद न्यूजीलैंड या इतमार्क से आया है। उसने जो गरम सूट पहना हुआ है, उसका कपड़ा शायद इंग्लैण्ड की किसी मिल में बना है। उसकी मेज पर जो पुस्तक रखी है, वह शायद रूस, चीन या अमेरिका की छपी हुई है, और वह जिस लिफाफे में बन्द करके अपनी चिट्ठी भेजता है, वह शायद इटली का बना हुआ है। यदि इंग्लैण्ड के कारखानों में हड़ताल होती है, तो उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ता है। यहाँ भी वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं। यदि कोरिया में लड़ाई शुरू होती है, तो दैनिक जीवन में काम आनेवाली कितनी ही वस्तुएँ बाजार में अलभ्य हो जाती हैं।

(३) प्रेम, समाचारपत्र और रेडियो के कारण अब विविध देशों के निवासियों की एक दूसरे के धर्म, सम्पत्ता और सृष्टि को समझने का अवसर मिलता है। हम भारत में अपने घर बैठे हुए न्यूयार्क, पेरिस व लण्डन का सगीत सुन सकते हैं। अपने देश के समाचारपत्रों में हम सप्ताह भर के समाचार पढ़ते हैं, और किसी भी देश व धर्म का साहित्य आज हमारे लिए सुलभ है। प्रेम के आविष्कार के कारण अब हम भेकसपियर, गिल्लर व वाल्सेपर ऐसे साहित्यकार नहीं प्रतीत होने, जिनका हमारे

साथ कोई सम्बन्ध न हो। अब हम विविध धर्मों के मन्तव्यों और विविध देशों के विचारों में भली भाँति अवगत हो सकते हैं। गीता, बाइबल और त्रिपिटक जैसी पुस्तकें अब केवल किसी एक धर्म के अनुयायी ही नहीं पढ़ते, अपितु सब देशों के लोग उनसे समानरूप से लाभ उठाते हैं। इन सब बातों का परिणाम यह है, कि दुनिया भर के लोगों को एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है, और इनसे सांस्कृतिक एकता स्थापित होने में सहायता मिलती है।

(४) नये प्रलयकारी अस्त्र-शस्त्रों के आविष्कार के कारण अब लोग यह अनुभव करने लग गये हैं, कि युद्ध द्वारा मानव सभ्यता की सत्ता ही खतरे में पड़ जायगी। इसलिए वे शान्तिमय उपायों द्वारा अपने झगड़ों को निपटाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय सगठन—ऊपर जिन कारणों का उल्लेख किया गया है, उनसे अब सभ्यता के विविध देश अन्तर्राष्ट्रीयता के मार्ग पर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब अन्तर्राष्ट्रीयता के बिना मनुष्य का काम चल ही नहीं सकता। इसीलिए पिछली दो सदियों में बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों का निर्माण हुआ है, जिसकी संख्या ७०० से भी अधिक है। इनमें मुख्य निम्नलिखित हैं—

(१) विदेशों में डाक तार आदि भेजने की सुविधा के लिये अन्तर्राष्ट्रीय पोस्टल यूनियन और विश्व टेलीग्राफ यूनियन कायम हैं। यदि हमें चीन, अमेरिका व इंग्लैण्ड में कोई पत्र या पार्सल भेजना हो तो हम उसे अपने पोस्ट आफिस से भेज सकते हैं। अपने तारघर से हम कितने ही दूसरे देशों को तार भी भेज सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेश-यात्रा में वृद्धि के कारण अब एक देश से दूसरे देश को भेजे जानेवाले पत्रों, पार्सलों व तारों आदि की संख्या बहुत बढ़ गई है। इस काम के लिए विश्व भर के राज्यों का एक सगठन बनाये बिना अब काम नहीं चल सकता। आवश्यकता से विवश होकर विविध राज्यों ने डाक और तार की सुविधा के लिए अपना एक यूनियन बनाया, और इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के नियमों को मानना स्वीकार किया। हम अपने देश के जो टिकट चिट्ठी पर लगाते हैं, उन्हीं से विदेश में भी हमारी चिट्ठी पहुँच जाती है। पोस्ट आफिस द्वारा हम दूसरे देशों में हफ्ता भी भेज सकते हैं। यह सभी सम्भव है, जब कि विविध राज्यों का एक सगठन इसी प्रयोजन से बना हुआ हो।

(२) व्यापार और विदेश यात्रा बहुत बढ़ जाने के कारण एक देश में विद्यमान महामारी दूसरे देशों में भी फैल सकती है। यदि कलकत्ता में हैजा फैला हुआ है तो वहाँ से लण्डन जानेवाला यात्री हैजे के बीटागुणों को इंग्लैण्ड ले जा सकता है। इसे रोकने के लिये और यह व्यवस्था करने के लिये कि हैजा, चेचक आदि रूतक रोग एक देश से दूसरे देश में न फैलने पाएँ, एक अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य बमीशन का

संगठन किया गया है। इस कमीशन के नियमों द्वारा प्रत्येक यानी के लिए यह आवश्यक होता है, कि वह विदेश जाने से पहले हैजे और चेचक के टीके लगवा ले। कई देशों में जाने के लिये टाइफाइड का टीका भी लगवाना पड़ता है।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि के कारण इस बात की आवश्यकता भी हुई है, कि अनेक ऐसे सङ्गठनों का निर्माण किया जाए, जिनमें विविध देशों के व्यापारिक व व्यावसायिक जीवन का निपटारा किया जा सके। इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय सङ्गठनों में अन्तर्राष्ट्रीय श्रमीमघ अन्तर्राष्ट्रीय आयात-निर्यात कमीशन और अन्तर्राष्ट्रीय कृषि-सम्या प्रमुख हैं।

राजनीतिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सङ्गठन की आवश्यकता—वैज्ञानिक उन्नति के कारण मनुष्यों को जहाँ अनेक नाम पहुँचे हैं, वहाँ उनसे एक भारी नुकसान भी हुआ है। अब युद्ध बहुत भयंकर हो गये हैं। जिस समय मनुष्य तलवार, घनुष बाण व बन्दूक से लडा करता था, तो युद्ध के कारण ग्रामों व नगरों का विनाश नहीं होता था। प्राचीन समय में जब योद्धा लोग रणक्षेत्र में लडा रहे होते थे, तो पड़ोस में ही किमान लोग निश्चिन्त होकर खेती में लगे रह सकते थे। पर अब यह बात सम्भव नहीं रही है। विज्ञान ने मनुष्यों के हाथ में जो नये विनाशकारी हथियार दे दिये हैं, उनके कारण अब युद्ध के समय किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं रहा है। आजकल के युद्धों में हवाई जहाज द्वारा बमबिराये जाते हैं, जो क्षण भर में फलते फूलते नगरों और ग्रामों को नष्ट कर देने हैं। अब एटम बम के कारण तो एक विशाल नगर को दबते-देखते नष्ट कर दिया जा सकता है। मनुष्य केवल एटम बम का आविष्कार करके ही सतुष्ट नहीं हुआ है, अपितु उसकी अपेक्षा भी अधिक भयंकर हथियार ईजाद करने के लिये वह प्रयत्नशील है। हाइड्रोजन बम के रूप में अब एक ऐसा अस्त बत गया है, जिसका असर हजारों मीलो तक पड़ता है।

इस दशा में विचारकों के लिये यह सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है, कि कोई ऐसा उपाय किया जाना चाहिये, जिससे युद्ध की सम्भावना न रह जाए और मनुष्य-जाति व मानव-सभ्यता का सर्वनाश न होने पाए। जब मनुष्य एक साथ रहने हैं, तो उनमें अनेक बातों पर भगड़े पैदा होते ही हैं। इसी प्रकार जब अनेक राज्य होंगे, तब उनमें भी भगड़े के हेतु उत्पन्न होने ही रहेंगे। पर सभ्य मनुष्यों के लिये शांतिमय उपायों द्वारा इन भगड़ों को निपटा सकता सम्भव होना चाहिए। पहले जब राज्य मर्यादा नहीं थी, अराजक दशा थी, तो व्यक्ति भी लडाई द्वारा ही अपने भगड़ों को निबटाया करते थे। जो कोई बलवान् होता था, वह निर्बलों के साथ मनमाना व्यवहार कर सकता था। पर राजसभ्यता के सङ्गठन के कारण अब मनुष्य अपने भगड़ों का फंसला लडाई द्वारा नहीं करते। वे न्यायालय में अपने मामलों को पेश करते हैं, और न्यायालय के फैसले को स्वीकार करते हैं। जो दशा पहले व्यक्तियों की थी, वही

अब राज्यों की है। यदि दो राज्यों में किसी बात पर झगडा हो, तो उसका फैसला करने के लिए वे युद्ध के उपाय का प्रयोग करते हैं। युद्ध द्वारा जो फैसला होता है, उसका आधार न्याय न होकर शक्ति होती है। जो राज्य अधिक शक्तिशाली हो, युद्ध में उसी की विजय होती है। पर यदि पृथिवी के विविध राज्यों का कोई अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बन जाए, तो राज्यों के आपसी झगडों को निबटाने के लिए युद्ध की आवश्यकता नहीं रह जायगी। तब वे शांतिमय उपायों से अपने झगडों को निबटा सकने में समर्थ होंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विविध प्रयत्न—

उन्नीसवीं सदी के अन्त में हेग में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें यह निश्चय किया गया कि युद्धों को रोकने के लिए एक स्थायी पंच न्यायालय (Permanent Court of Arbitration) की स्थापना की जाए, जिसके सम्मुख विविध राज्यों के आपसी झगडों को न्याय के लिए पेश किया जा सके। इस पंच न्यायालय के सामने अनेक मामले पेश भी किये गये और इसने कुछ उपयोगी कार्य भी किये।

राष्ट्रसंघ (League of Nations) — बीसवीं सदी का प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) बहुत ही भयंकर व व्यापक था। उसमें धन और जन का बहुत बुरी तरह से महार हुआ था। उसके परिणामों को देखकर ससार के राजनीतिज्ञों ने अन्भव किया, कि विविध राज्यों को परस्पर मिलकर अपना एक ऐसा सच बना लेना चाहिये, जो उनके झगडों में मध्यस्थता का कार्य कर सके। इसी उद्देश्य ने राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी। इस सच के उद्देश्य निम्नलिखित थे—

(१) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति और सुरक्षा (Security) को प्रोत्साहित करना। *

(२) हथियारों व सेनाओं में कमी करना।

(३) युद्धों को रोकने व राज्यों के आपसी झगडों का युद्ध के अतिरिक्त अन्य शांतिमय उपायों से फैसला कराने का यत्न करना।

राष्ट्रसंघ में सम्मिलित राज्यों ने यह जिम्मा लिया था, कि वे एक दूसरे की सीमाओं को सुरक्षित रखेंगे, और यदि कोई अन्य राज्य उनमें से किसी एक पर भी आक्रमण करे, तो सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे।

राज्यों में परस्पर शांति स्थापित रखने के लिये राष्ट्रसंघ निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुसरण करता था—

(१) सब सदस्य-राज्यों से यह आशा की जाती थी, कि वे अपने झगडों को निबटाने के लिये युद्ध के उपाय का आश्रय नहीं लेंगे। वे किसी को मध्यस्थ बनाकर मध्यस्थ निर्णय (Arbitration) द्वारा अपने झगडों को निबटावेंगे। यदि इस तरह

भंगड़ा न निबटे, तो वे उसे अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सम्मुख पेश करेंगे और उसके निर्णय को स्वीकार करेंगे ।

(२) सब सदस्य-राज्य अपने विदेशी सम्बन्धों में अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन करेंगे ।

(३) राज्यों ने आपस में जो संधियाँ की हुई हों, किसी भी दशा में वे उनका उल्लंघन नहीं करेंगे ।

(४) कोई राज्य किसी अन्य राज्य से गुप्त संधियाँ नहीं करेगा ।

(५) अस्त्र-शस्त्रों की संख्या में कमी की जायगी । कोई राज्य कितनी सेना रखे और कितने अस्त्र-शस्त्र रख सके, इसका निर्णय आपस की बातचीत द्वारा किया जायगा ।

(६) यदि कोई राज्य मध्यस्थ व अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को मानने के लिये उद्यत न हो, तो अन्य सब राज्य मिलकर उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकेंगे ।

राष्ट्रसभ सप्ताह के विविध राज्यों का पहला ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय सगठन था, जिसमें सप्ताह के बहुसंख्यक राज्य सदस्यरूप में शामिल हुए थे । उसने अनेक उपयोगी कार्य भी किये । पर उसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिल सकी । इसका प्रधान कारण यह था, कि सप्ताह के कुछ राज्य साम्राज्यवादी थे । उनके बड़े बड़े साम्राज्य थे । साथ ही अनेक राज्य ऐसे थे, जिनके पास कोई भी साम्राज्य नहीं था, या नाम-मात्र का साम्राज्य था । ब्रिटेन, फ्रांस, इंग्लैंड आदि अनेक देशों ने एशिया और अफ्रीका के बहुत से प्रदेशों को अपने अधीन किया हुआ था । इसके विपरीत जर्मनी, इटली और जापान ऐसे देश थे, जो शक्तिशाली होने हुए भी साम्राज्य से विहीन थे । इंग्लैंड, फ्रांस आदि को देखकर उनकी भी साम्राज्य निर्माण की इच्छा होती थी । इसी कारण उन्होंने अन्य देशों को अपने अधीन करने का प्रयत्न शुरू कर दिया, और राष्ट्रसभ की उन्होंने जरा भी परवाह नहीं की । परिणाम यह हुआ, कि राष्ट्रसभ टूट गया और द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५) का प्रारम्भ हुआ ।

संयुक्त राज्यसंघ (United Nations' Organisation)—

१९३९-४५ के महायुद्ध के विनाशकारी परिणामों को देखकर एक बार फिर इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई, कि सप्ताह से युद्धों का अन्त करने और राज्यों के आपसी झगड़ों को शांतिपूर्ण उपायों से निवटारने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय सगठन का निर्माण किया जाना चाहिये । इसी उद्देश्य से संयुक्त राज्यसभ (U.N.O.) का सगठन किया गया । जर्मनी और उसके साथियों को पराजित करने में जो राज्य इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन के साथ महायुद्ध में शामिल हुए थे, वे सब इस सभ में शामिल हुए । शुरू में इस सभ के सदस्य-राज्यों की संख्या ५१ थी । अब

वह बढकर १०० से लगभग पहुँच चुकी है। इस मध का संगठन इस प्रकार है—

(१) जनरल एसेम्बली—संयुक्त राज्य मध मे सम्मिलित सब सदस्य-राज्यो को अधिकार है कि वे अपने पाँच-पाँच प्रतिनिधि जनरल एसेम्बली मे भेज सकें।

राज्य चाहे छोटा हो या बडा, सबके पाँच-पाँच प्रतिनिधि एसेम्बली मे आते हैं। प्रत्येक राज्य का एक वोट माना जाता है। कोई राज्य चाहे रूस व अमेरिका के समान विशाल व शक्तिशाली हो, और चाहे बेल्जियम जैसा छोटा, एसेम्बली मे सबकी स्थिति एक बराबर मानी जाती है।

प्रतिवर्ष दो सितम्बर के बाद जो पहला मंगलवार पडे, उस दिन एसेम्बली का वार्षिक अधिवेशन प्रारम्भ होता है। पर यदि सदस्य राज्य चाहे, तो किसी अन्य समय भी एसेम्बली का अधिवेशन बुलाया जा सकता है। एसेम्बली के अधिवेशनो मे विविध अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओ पर विचार किया जाता है, सुरक्षा परिषद् व अन्य उर-समितियो के लिये मदस्य निर्वाचित किये जाते हैं, और ससार मे शांति व व्यवस्था कायम रखने के लिये विविध योजनाओ का निर्माण किया जाता है।

(२) सुरक्षा परिषद् (Security Council)—संयुक्त राज्यसभ की सबमे शक्तिशाली सरथा 'सुरक्षा परिषद्' है। इसके कुल ग्यारह सदस्य होते हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन ये पाँच राज्य इसके स्थिर सदस्य हैं। इनका एक-एक प्रतिनिधि स्थिर रूप से परिषद् मे रहता है। सभ के दोष सब सदस्य-राज्य मिलकर अपने म से छ प्रतिनिधि परिषद् के लिये निर्वाचित करते है। पाँचो प्रमुख राज्यो (ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, फ्रांस और चीन) को वीटो का अधिकार है। यदि परिषद् के किसी निर्णय से इन पाँच राज्यो मे से कोई भी एक असहमत हो, तो वह अपने वीटो के अधिकार का प्रयोग कर उसे रद्द कर सकता है। इस अधिकार के कारण संयुक्त राज्य मध की अन्तर्राष्ट्रीय झगडो को निबटा सकने की शक्ति बहुत सीमित हो गई है। छोटे राज्यो के साधारण मामलो का फैसला करने मे सभ अवश्य मफल हो जाता है, पर यदि कोई ऐसा मामला उसके सामने पेश हो, जिसके सम्बन्ध मे रूस और अमेरिका जैसे शक्तिशाली राज्यो मे मतभेद हो, तो सभ उसका कोई भी फैसला नहीं कर पाता।

सुरक्षा परिषद् संयुक्त राज्य सभ की ऐसी स्थिर मस्था है, जिसके अधिवेशन निरन्तर होते रहते हैं। परिषद् के सदस्य-राज्यो का एक एक प्रतिनिधि स्थिर रूप से सभ के केन्द्रीय कार्यालय मे रहता है। इस कारण जब कोई महत्वपूर्ण मामला पेश हो, तो परिषद् का अधिवेशन सुगमता से किया जा सकता है। सुरक्षा परिषद् की स्थिति सभ की कार्यकारिणी समिति के समान है।

(३) कार्यालय—संयुक्त राज्य सभ के काय को चलाने के लिए एक केन्द्रीय कार्यालय (Secretariat) भी है, जिसका प्रधान सेक्रेटरी जनरल या प्रधान सचिव

कहाता है। सुरक्षा परिषद् की सिफारिश के अनुसार इसकी नियुक्ति पाँच नाल के लिए जनरल एसेम्बली द्वारा की जाती है। कार्यालय के आठ मुख्य विभाग हैं, जिन सबका एक-एक प्रधान अधिकारी होता है, जिन्हें सहायक प्रधान सचिव कहते हैं।

संयुक्त राज्य सभ के अधीन अनेक संस्थाएँ व परिषदें इस उद्देश्य से कार्य करती हैं, कि विविध राज्यों में परस्पर सहयोग बढ़ सके और उनके झगड़ों का निणय शांतिमय उपायों द्वारा किया जा सके। इनमें से प्रमुख संस्थाएँ निम्नलिखित हैं—

(१) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय—यह न्यायालय हेग में स्थापित है, और इसमें कुल मिलाकर १५ न्यायाधीश हैं। इसके सम्मुख तीन प्रकार के मामले पेश किए जाते हैं—(क) सब राज्यों को अधिकार है, कि वे दूसरे किसी राज्य के साथ अपने किसी झगड़े को इस न्यायालय के सम्मुख विचाराय पेश कर सकें। (ख) अन्तर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों व परम्पराओं के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद हो, तो उसका निर्णय भी इस न्यायालय द्वारा कराया जा सकता है। (ग) यदि कोई राज्य यह स्वीकार कर ले, कि वह सदा के लिए या कुछ समय के लिए अपने अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का फैसला इस न्यायालय द्वारा कराएगा, तो ऐसे राज्य के मामले स्वयमेव इसके सम्मुख पेश हो जाते हैं।

(२) संयुक्त राज्य शिक्षा विज्ञान व सांस्कृतिक परिषद्—(United Nations' Educational Scientific and Cultural Organisation)—शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में विविध राज्यों का सहयोग उनकी आपस की विभिन्नताओं और विरोध के कारणों को मिटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। इन परिषद् का उद्देश्य यही है, कि शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में विविध राज्यों के पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहन दे।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर सभ (International Labour Organisation)—इसका उद्देश्य सत्तार-भर के मजदूरों के हितों की रक्षा करना, उनके लिए हितकारी कानूनों का निर्माण करवाना और अम-सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करना है। यदि सत्तार भर के मजदूरों के प्रतिनिधि एक साथ मिलकर अपनी समस्याओं का हल कर, और केवल अपने राज्य के मजदूरों के हितों का ही नहीं अपितु सत्तार भर के मजदूरों के हितों को अपनी दृष्टि में रखें, तो सर्वमाधारण जनता में अन्तर्राष्ट्रीय भावना के विकास में बहुत सहायता मिल सकती है, और उसके कारण विविध राज्यों के विरोधों में बहुत कमी आ सकती है—इन्हीं विचारों से इस सभ को स्थापना की गई है।

(४) आर्थिक व सामाजिक परिषद्—इसका उद्देश्य यह है, कि विविध देशों की जनता के रत्न-महान के स्तर को ऊँचा उठाया जाए, बेकारी दूर हो, सबकी आर्थिक व सामाजिक उन्नति हो, और नसल, निंग, भाषा व धर्म का भेदभाव किए

रखता हो। राष्ट्रीयता, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके कारण मनुष्य सामूहिक हितों के लिये अपने व्यक्तिगत हितों को बुर्बाँ कर देने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। पर सत्तार राष्ट्र की अपेक्षा भी अधिक बड़ा है। विज्ञान की असाधारण उन्नति के कारण वर्तमान समय में जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसमें सत्तार में शांति स्थापित रहे बिना कोई भी राष्ट्र शांतिपूर्वक अपनी उन्नति में तत्पर नहीं रह सकता। अब मनुष्यों के लिए इस तथ्य की भली भाँति समझ लेना परमावश्यक हो गया है, कि हमारे व्यक्तिगत व राष्ट्रीय हित इसी बात पर निर्भर करते हैं कि सत्तार में सर्वत्र शांति और व्यवस्था कायम रहे। अब कोई राज्य केवल अपने हितों को ही दृष्टि में नहीं रख सकता। सब मनुष्य एक ही पृथिवी माता के पुत्र हैं, सब परस्पर भाई भाई हैं, सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति है—इन विचारों के बिना अब सत्तार में शांति नहीं रह सकती। इन्हीं विचारों को 'अन्तर्राष्ट्रीयता' कहा जाता है। इसे क्रिया में परिणत करने के लिये निम्नलिखित बातों की आवश्यकता है—

(१) सब लोगों को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त हो, साम्राज्यवाद का अन्त हो जाए, और कोई देश किसी अन्य देश को अपनी अधीनता में न रखे।

(२) सब राज्य युद्ध की सम्भावना से निश्चित होकर अपनी उन्नति में तत्पर हो और शक्तिशाली राज्य पिछड़े हुए राज्यों की उन्नति के लिये सहयोग व सहायता प्रदान करें।

(३) सत्तार के सब राज्यों का एक ऐसा मगठन कायम हो, जो विविध राज्यों को अपने आदेशों का पालन करने के लिए विवश कर सके। विश्व में शांति स्थापित रखने के लिये बीसवीं सदी में राष्ट्रसंध और संयुक्त राज्यसंध के रूप में जो दो प्रयत्न हुए उन्हें अधिक पूर्णता तक पहुँचाया जाए। जिस प्रकार राज्य द्वारा व्यक्तियों की उच्छ्वलता मर्यादित की जाती है, और प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रता के साथ अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर प्राप्त होता है, वैसे ही एक विश्वसंध की स्थापना द्वारा राज्यों की उच्छ्वलता को मर्यादित किया जाए, और सब राज्यों को अपनी सभ्यता व संस्कृति का स्वतन्त्रतापूर्वक विकास करने का अवसर दिया जाए। बन्तुन, राज्यों की अम्ली स्वतन्त्रता इस प्रकार के विश्वसंध की स्थापना द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है।

इन्हीं कारणों से अब विश्व की एक सरकार का विचार निरन्तर जोर पकड़ता जा रहा है, और अनेक विचारक यह कल्पना करने लगे हैं कि शीघ्र ही सम्पूर्ण सत्तार एक राजनीतिक मगठन में मगठित हो जायगा। सब राज्य इस विश्व सरकार की अधीनता में होंगे, और विश्व के इस संध में उनकी अपनी स्वतन्त्र स्थिति सुरक्षित रहेगी।

विश्व सरकार की स्थापना में बाधाएँ—

संसार में एक अन्तर्राष्ट्रीय सरकार की स्थापना होनी चाहिए, इस विचार को आजकल के राजनीतिज्ञ प्रायः स्वीकार करने लगे हैं। पर अभी इस आदर्श को क्रिया में परिणत करने में अनेक बाधाएँ हैं—(१) अभी साम्राज्यवाद का पूरी तरह में अन्त नहीं हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप के बड़े भाग पर अब तक भी पाश्चात्य देशों का शासन विद्यमान है। फ्रान्स, ब्रिटेन, बेल्जियम आदि के साम्राज्य अभी अफ्रीका में कायम हैं। एशिया भी अभी पूरी तरह से स्वाधीन नहीं हुआ है। तिब्बत, हांगकांग, मोम्बा आदि अनेक एशियन प्रदेश यूरोपियन राज्यों के सीधे शासन में हैं। हालैण्ड और फ्रांस के पुराने विशाल साम्राज्यों के अवशेष अभी तक भी एशिया में विद्यमान हैं। अभी पाश्चात्य देश इस स्थिति में हैं, कि ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, फिलिपीन आदि के साथ सैनिक सन्धियाँ करके उन्हें अपने वशवर्ती बना सकें। माल्टा, माइप्रम, जिब्राल्टर आदि के रूप में यूरोप में भी साम्राज्यवाद के खण्डहर अब तक विद्यमान हैं। जब तक संसार के सब देश पूर्णतया राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर लेंगे, और साम्राज्यवाद का पूरी तरह से अन्त नहीं ही जायगा, विश्व सरकार की स्थापना सम्भव नहीं होगी।

(२) विचारधाराओं का परस्पर विरोध भी विश्व सरकार की स्थापना में एक भारी बाधा है। इस विरोध के कारण इस समय संसार के विविध देश दो गुटों में विभक्त हो गये हैं। रूस कम्युनिस्ट व्यवस्था का पक्षपाती है। पोलैण्ड, चेकोस्लोव्किया, हंगरी आदि पूर्वी यूरोप के अनेक देशों ने भी कम्युनिस्ट व्यवस्था को अपना लिया है। एशिया में चीन में कम्युनिस्ट सरकार कायम हो चुकी है, और उत्तरी कोरिया व उत्तरी विएतनाम भी कम्युनिज्म के अनुयायी हैं। संसार के प्रायः सभी देशों में कम्युनिस्ट पार्टियाँ कायम हैं, और वे अपने-अपने देशों में कम्युनिस्ट व्यवस्था की स्थापना के लिए प्रयत्नशील हैं। कम्युनिस्ट देश रूस की अपना नेता मानते हैं। इसके विपरीत बहुत-से देश ऐसे हैं, जो लोकतन्त्रवाद के पक्षपाती हैं, और सम्पत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार को कायम रखना चाहते हैं। ये देश कम्युनिज्म के घोर विरोधी हैं, और उसे मानव सम्यता के लिए अनर्थकारी समझते हैं। इन देशों का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका है। रूस और अमेरिका के गुटों में जब तक परस्पर विरोध व विद्वेष रहेगा, संसार में एक सरकार की स्थापना का पश्न तो दूर रहा, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का विकसित होना भी सम्भव नहीं होगा।

(३) संसार में कुछ देश अत्यन्त धनी व उन्नत हैं। विज्ञान और व्यवसाय के क्षेत्र में वे बहुत आगे बढ़े हुए हैं। वे पिछड़े हुए देशों की आर्थिक उन्नति में सहायता तो करना चाहते हैं, पर उनकी सहायता साम्राज्यवाद का रूप भी ले सकती है। अमेरिका, पाकिस्तान, ईरान, भारत आदि को व्यावसायिक उन्नति के लिए सहायता

देने को तत्पर है। पर इस सहायता के कारण इन देशों के आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर अमेरिका का प्रभाव निरन्तर बढ़ता जा रहा है। रूस भी पिछड़े हुए देशों की सहायता के लिए उत्सुक है। चीन उसी को सहायता से अपनी उन्नति कर रहा है। भारत, बर्मा आदि को सहायता देने के लिए भी रूस तैयार है। पर उनकी सहायता का रूप भी ऐसा हो सकता है, जिससे ये देश उसके प्रभाव में आ जाएँ। पिछड़े हुए देश अपनी उन्नति तभी कर सकते हैं, जबकि कोई सम्पन्न व उन्नत देश उनकी सहायता के लिए उद्यत हो। पर इस सहायता का रूप ऐसा होना चाहिए, जिससे पिछड़े हुए देशों की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को किसी भी प्रकार से क्षति न पहुँचे। संसार का अन्तर्राष्ट्रीय मगठन तभी हो सकता है, जब कि उसके सब सदस्य सम्पन्न व गविनशाली हों। इसके लिए यह आवश्यक है, कि उन्नत देश नि स्वार्थभाव से पिछड़े हुए देशों की सहायता के लिए अग्रतर हों, और धीरे-धीरे उन्हें अपना समदक्ष बना लें।

पञ्चशील का सिद्धान्त

इन सब बाधाओं को दूर करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नवीन सिद्धान्त का आविष्कार हुआ है, जिसे 'पञ्चशील' कहा जाता है। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन सब से पूर्व इण्डोनीसिया और भारत ने किया था। पर बाद में अनेक अन्य देशों ने भी उसे स्वीकार कर लिया। इस समय चीन, रूस, भारत, बर्मा, इण्डोनीसिया आदि बहुत से देश इसे स्वीकार कर चुके हैं। इस सिद्धान्त के आधार पाँच हैं, जिन्हें पाँच शील कहा जाता है। ये पाँच शील निम्नलिखित हैं—

(१) सब राज्य एक दूसरे की प्रभुता और भौगोलिक सीमाओं को स्वीकार करें।

(२) कोई किसी पर आक्रमण करके उसकी राष्ट्रीय सीमाओं का अतिक्रमण न करे।

(३) कोई राज्य किसी अन्य राज्य के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे।

(४) सब एक दूसरे को समान समझे व पारस्परिक हित में सहयोग दें।

(५) सब राज्य शान्तिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहें, और अपनी स्वतन्त्रता व पृथक् सत्ता को कायम रखें।

इन सिद्धान्तों में सहत्व की बात यह है, कि भिन्न प्रकार की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्थाओं का अनुसरण करने वाले राज्यों द्वारा भी यह स्वीकार किया जाता है कि वे एक दूसरे की प्रभुता व राष्ट्रीय सीमाओं का आदर करेंगे, और कोई किसी के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चीन, बर्मा, रूस, भारत, इण्डोनीसिया आदि राज्य पञ्चशील के इस सिद्धान्त को स्वीकार कर चुके हैं, यद्यपि

उन सबकी आर्थिक व्यवस्था और शासन का ढंग एक सदृश नहीं है। चीन और रूस में कम्युनिस्ट व्यवस्था कायम है, और भारत, बर्मा आदि में लोकतन्त्र शासन विद्यमान है। पर इम भेद की उपेक्षा करके ये राज्य इस बात के लिए तैयार हैं, कि शान्तिपूर्वक साथ-साथ रहें, और परस्पर मित्रता रखते हुए एक-दूसरे की सहायता भी करें।

१९५४ ईस्वी के प्रारम्भ में बाहुग म एशियन और अफ्रीकन देशों की एक कान्फ्रेंस हुई, जिसमें २६ राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस कान्फ्रेंस ने भी पचशील के सिद्धान्त को कुछ थोड़े से परिवर्तन के साथ स्वीकार कर लिया। चीन और भारत जैसे विशाल एशियन देश इस कान्फ्रेंस में सम्मिलित थे। अब रूस ने भी इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। यदि संयुक्तराज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स आदि लोकतन्त्रवाद के पक्षपाती पाश्चात्य देश भी 'पचशील' के सिद्धान्त को स्वीकार कर लें और यह मान लें कि (१) परस्पर विरोधी विचारधाराओं व आर्थिक व्यवस्थाओं के अनुयायी देश भी समार में मित्ररूप से साथ-साथ निवाम कर सकते हैं, और (२) किसी राज्य को किसी दूसरे राज्य की प्रभुता व राष्ट्रीय सीमाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो ससार अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर बहुत तेजी के साथ पग बढ़ा सकता है, और विश्व में एक शासन व एक सरकार की स्थापना का स्वप्न भी पूरा किया जा सकता है।

नागरिकता का चरम आदर्श—

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सबकी उत्पत्ति में ही उसकी उत्पत्ति है। इस तथ्य को दृष्टि में रखकर यह कहा जा सकता है, कि नागरिकता का चरम आदर्श यह है, कि प्रत्येक मनुष्य अपने को विश्व का नागरिक समझे। जाति, धर्म, भाषा, रंग, राष्ट्रीयता आदि के सकीर्ण भेदभाव की उपेक्षा कर पृथिवी के सब निवासी मनुष्य परस्पर मिलकर शान्ति के साथ अपनी सामूहिक उत्पत्ति के लिए तत्पर हो। ज्ञान-विज्ञान की उत्पत्ति ने अब वह समय ला दिया है, जब कि सकीर्ण राष्ट्रीयता की उपेक्षा कर मनुष्य को विश्व नागरिकता का आदर्श अपने सम्मुख रखना होगा, और मानव-समाज के हितों के सम्मुख राष्ट्रीय हितों को भी गौण मानना होगा।

मनुष्य के नागरिक जीवन का विकास धीरे-धीरे हुआ है। कोई समय था, जब कि मनुष्य छोटे-छोटे जनो (कबीलों) में संगठित था। कबीले के प्रति वह अपने कर्तव्यों का पालन करता था, पर अपने कबीले से बाहर के लोगों को अपना शत्रु समझा करता था। बाद में छोटे-छोटे जनपदों (राज्यों) का विकास हुआ, और उन जनपदों के निवासियों के प्रति मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करने लगा। छोटे जनपदों के बाद महाजनपदों और साम्राज्यों का विकास हुआ। भारत के इतिहास पर

ही दृष्टि डालिए। महाभारत के समय में इस देश में सैकड़ों छोटे-छोटे राज्य थे। अठारहवीं सदी में जब अंग्रेजों ने भारत में अपनी शक्ति का विस्तार शुरू किया, तब भी यहाँ बहुत से राज्यों की सत्ता थी। पर अब भारत एक देश है, एक राष्ट्र है। यहाँ के सब नागरिक अपने को भारतीय समझते हैं। धर्म, भाषा, नस्ल आदि के भेद अब उनमें विरोधभाव को उत्पन्न नहीं करते। हमारी नागरिकता की भावना अब पहले के मुकाबिले में बहुत अधिक व्यापक हो गई है। भारत के हितों के सम्मुख अब हम अपने कुटुम्ब, विरादरी, धर्म, नगर, प्रान्त आदि के हितों को कुर्बान करने के लिए उद्यत हैं।

पर नागरिकता का चरम आदर्श हमें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमें अब अपनी दृष्टि को और अधिक विस्तार करना चाहिए। सकीर्ण राष्ट्रीयता से ऊँचा उठकर अब हमें मानव-समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए, और विश्व के नागरिक के रूप में हमारे जो कर्तव्य हैं, उन्हें भी दृष्टि में रखना चाहिए।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१ अन्तर्राष्ट्रीयता का क्या अभिप्राय है? वे कौन-सी परिस्थितियाँ हैं, जिनके कारण अन्तर्राष्ट्रीयता का विकास हो रहा है?

२ क्या अन्तर्राष्ट्रीयता राष्ट्रीयता की विरोधी है? अपने मत को युक्तियों द्वारा पुष्ट कीजिये।

३ राजनीतिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीयता की आवश्यकता किन कारणों से है?

४ संयुक्त राष्ट्रसंघ (U N O) के संगठन व कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिये। क्या भारत संघ का सदस्य है? (राजपूताना १९५२)

५ आप अन्तर्राष्ट्रीयता का क्या अर्थ समझते हैं?

६ 'नागरिकता का चरम आदर्श क्या है?' इस पर एक निबन्ध लिखिये।

७ विश्व सरकार की स्थापना में कौन-सी मुख्य बाधाएँ हैं? यह विचार किस प्रकार क्रिया में परिणत किया जा सकता है?